राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार;

8 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री धर्मपाल चौधरी।

लालकोठी योजना का प्रमोटर के नाम नियमन

273. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लालकोठी योजना अन्तर्गत कितनी भूमि जिसमें विभिन्न न्यायालयों के जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हुए निर्णय के कारण स्वामित्व का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण को मिला का, नियमन खातेदार के पक्ष में करने का निर्णय प्राधिकरण ने किया? कुल प्रकरणों की संख्या व भूमि का क्षेत्रफल खातेदारों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना अन्तर्गत 4 बीघा भूमि खातेदार श्री पांचूराम की जयपुर विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण की थी? यदि हां, तो क्या उक्त प्राधिकरण के पक्ष में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात् भी उक्त भूमि का नियमन किसी बिल्डर व प्रमोटर के नाम किया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि जिसका बाजार मूल्य करोड़ों रुपया है, तथा वर्तमान में वाद उच्च न्यायालय में लम्बित है, का नियमन प्राधिकरण ने किया या कर रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त भूमि का बाजार मूल्य क्या है तथा वर्तमान में किसका कब्जा है?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांति कुमार धारीवाल) : (1) लालकोठी योजना अन्तर्गत ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों का अन्तिम निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हुआ हो तथा निर्णय के कारण स्वामित्व का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण को मिला हो, ऐसी किसी भूमि का नियमन अन्तिम रूप से खातेदार के पक्ष में नियमन करने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि लालकोठी योजना अन्तर्गत 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदार श्री पांचूराम की भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 9.1.1964 के

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

द्वारा अधिग्रहण की गई थी। इस भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति की कार्यवाही के विरुद्ध खातेदार श्री पांचूराम के पुत्रों द्वारा न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व) जयपुर शहर के न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 4 मई, 1991 को किया जाकर उनका वाद पत्र खारिज किया गया। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध खातेदार के पुत्रों द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या 8), जयपुर में अपील प्रस्तुत की गई। इस अपील का निर्णय दिनांक 3.3.2000 को किया गया जिसमें अपील खारिज कर दी गई। परन्तु न्यायालय ने उच्च न्यायालय में अपील दायर करने तक न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आपरेशन को स्थगित किया। उसके पश्चात् उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 257/2000 एस.बी. सिविल स्टे एप्लीकेशन नम्बर 538/2000 दायर की गई जो विचाराधीन है। स्टे एप्लीकेशन में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.3.2000 को यथास्थिति बाबत आदेश पारित किये गये हैं। दिनांक 6.12.2001 को राज्य सरकार द्वारा लालकोठी के सभी विवादित प्रकरणों के बारे में एक नीति बना कर समझौता समिति के समक्ष समीक्षा कर प्रकरणों को राज्य स्तरीय समझौता समिति के द्वारा निपटाने हेतु आदेश दिये हैं। परन्तु उक्त प्रकरण किसी भी बिल्डर व प्रमोटर के नाम निर्णीत नहीं किया गया है। प्रकरण राज्य स्तरीय समझौता समिति में विचाराधीन है।

(3) भूमि का आवासीय बाजार मूल्य अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर व न्यूनतम 8,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा व्यवसायिक अधिकतम रुपये 55,000/- वर्ग मीटर एवं न्यूनतम रुपये 45,000/- वर्ग मीटर है। इस भूमि पर वर्तमान में खातेदार एवं उसका परिवार निवास कर रहा है। कुछ भूमि में खातेदार द्वारा खेती भी की जा रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खंड एक में जो सूचना दी है वह असत्य है। मैं ऐसे कुछ प्रकरणों का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें जे.डी.ए. के पक्ष में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक में हुआ है। क्या यह सही है कि लालकोठी योजना के अन्तर्गत खसरा नम्बर 35 में 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में समस्त न्यायालयों तक जे.डी.ए. जीत चुकी है, जमीन का कब्जा जे.डी.ए. के पास है, मुआवजा दिया जा चुका है, वर्तमान में डी.बी. में जे.डी.ए. के हक में स्टे चल रहा है फिर इसका 6.12.2000 की पालिसी में अनुच्छेद 9(6) के बहाने तीसरा आदमी महेन्द्र सिंह के पक्ष में नियमन कैसे किया गया? 9(6) तो यह कहता है कि न्यायालय में स्थगन अगर जे.डी.ए. के पक्ष में हो, तो नियमन नहीं किया जा सकता। इस मामले में गणपति डवपलर्स के पक्ष में नियमन कैसे किया गया। (व्यवधान) नम्बर 2, क्या यह सही है...(व्यवधान) एक साथ बोल देता हूं फिर एक साथ...

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, नहीं। मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने किसका नाम लिया था?

श्री धर्मपाल चौधरी : मैंने लिया महेन्द्र सिंह।

श्री शांति कुमार धारीवाल : शुरू-शुरू में किसकी भूमि बतायी आपने?

श्री धर्मपाल चौधरी : यह छोटू माली वाली है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : खसरा नम्बर 35.

श्री धर्मपाल चौधरी : 35, क्या यह सही है कि खंड 2 में जिस भूमि का उल्लेख किया गया वह पांचूराम की भूमि का मुकदमा पांचूराम व उसके वारिसों एवं जे.डी.ए. के मध्य है? यह अनिल अग्रवाल जिसके नाम से नियमन किया जा रहा है वह कौन है? जब समझौता करना था, तो पांचूराम व उसके वारिसों के साथ होना चाहिए था, तीसरे व्यक्ति के साथ कैसे किया? समझौता समिति के समक्ष जे.डी.ए. के उपायुक्त ने जो तथ्य रखे हैं वह अनिल अग्रवाल को कब्जाधारी मान कर स्टे, स्टेटस तो पांचूराम के पक्ष में है, कब्जा जे.डी.ए. ने पूर्व में ही ले लिया था। फिर नियमन अनिल अग्रवाल के पक्ष में कैसे हुआ? आप मना कर रहे हो कि साहब मेरे पक्ष, जब वहां पर खातेदारी कब्जा है लेकिन जो फैसला किया है 6.12.2000 वाली कमेटी ने उसमें दोनों जगह अनिल अग्रवाल प्रस्तुत हुआ। एक जगह तो अनिल अग्रवाल का जे.डी.ए. ने खुद कहा है कि अनिल अग्रवाल का कब्जा है। और दूसरे में आप जवाब देते हो कि इसमें तो माली का ही कब्जा है, अभी तक छोटूराम माली का। खातेदार का कब्जा आप बताते हो और पांचूराम का कब्जा बताते हो, दोनों में पार्टी मुआवजा उठा चुकी है। समझौता समिति ने जो किया है उसमें लिखा है यह 15.2.2000 का निर्णय है समझौता समिति का। इसमें अनिल अग्रवाल प्रार्थी की ओर से है। इसमें लिखा है अवाप्त हो जाने के कारण भूमि नगर विकास न्यास के नाम अंकित है। तहसीलदार, जयपुर विकास प्राधिकरण की मौके की रिपोर्ट के अनुसार 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर प्राधिकरण के मुख्तयार श्री अनिल अग्रवाल का कब्जा होना बताया गया है। अतः उक्त भूमि राजकीय आदेश दिनांक 16.12.2000 के पैरा 9(6) के अन्तर्गत भौतिक कब्जे के अनुसार नियमन हो गया है। भौतिक कब्जे से आप तो कह रहे हैं खातेदार का कब्जा है और इधर से तो समझौता समिति का फैसला होता है कि अनिल अग्रवाल के पक्ष में हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने पहले तो यह बताया कि खंड 1 में मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया है वह गलत है। और यह कहते हुए आपने दो प्रकरण सामने रखे। एक तो खसरा नम्बर 35 छोटू लाल सैनी का और एक खसरा नम्बर 40 खातेदार पांचू

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

का। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या शायद उनकी जानकारी में है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में कितनी समझौता समितियां बनी हुई हैं। जो समझौता समिति का आप बता रहे हैं फैसला यह किस समझौता समिति का है और आखरी फैसला किस समझौता समिति के द्वारा होता है यह आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह हमारी सब जानकारी में है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मेरा जवाब सुन लो, मुझे भी बोलने दो। मैंने आपका पूरा प्रश्न सुना है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप कह रहे हो कि जानकारी नहीं है तो यह तो बता दूं कि जानकारी है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपका पूरा प्रश्न सुना है और पूरे प्रश्न का पूरा जवाब दूंगा आपको। (व्यवधान) बहुत शांति से। जयपुर विकास प्राधिकरण में, अध्यक्ष महोदय, दो समझौता समितियां बनी हुई हैं। एक समझौता समिति वह है जो पचास लाख रुपये तक की बाजार मूल्य की किसी भी प्रोपर्टी के बाबत फैसला करती है और एक समझौता समिति राज्य स्तरीय समझौता समिति है जो पचास लाख से ऊपर के मामलों का समझौता करती है। अगर कोई मामला निचली समझौता समिति में चला जाता है तो वह चाहे पचास लाख से ऊपर का भी हो तो भी वह अपनी रिकमंडेशन राज्य स्तरीय समझौता समिति में भेज देती है और प्रार्थी को यह अधिकार भी होते हैं कि वह चाहे तो, अगर पचास लाख की कीमत से ज्यादा मानता है अपनी प्रोपर्टी की, तो वह सीधे की सीधे राज्य स्तरीय समझौता समिति में भी जा सकता है। पहली बात यह है कि जो भी कुछ आपको गलतफहमी है वह नीचे की समझौता समिति के द्वारा हुई है। यह मामला बाद में राज्य स्तरीय समझौता समिति में गया है जहां आज भी विचाराधीन है।

अब सवाल आता है खसरा नम्बर 35 का जो छोटू लाल सैनी के बारे में आपने कहा है कि खातेदार का मैंने कब्जा बताया है और अनिल अग्रवाल के नाम से यह किस तरीके से रेगुलराइज हो रहा है। किस्सा पूरा सुनना पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष को ही करूंगा। आपकी तरफ तो देख रहा हूं, सम्बोधन अध्यक्ष की तरफ ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 9.1.1964 को इस भूमि की अवाप्ति पूरी की गई, यानि कि अवार्ड हो गया। इस कार्यवाही के विरुद्ध खातेदार छोटू लाल सैनी द्वारा एक एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 2935/92 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी उसमें मुख्य आधार यह लिया गया कि खसरा नम्बर 35 के तीन बीघा सोलह बिस्वा

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

में से केवल छह बिस्वा के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 की अधिसूचना जारी की गयी। यानी कि टोटल लैण्ड थी तीन बीघा सोलह बिस्वा, लेकिन लैण्ड एक्वीजिशन का जो सैक्शन 4 का नोटिस निकला उसमें सिर्फ छह बिस्वा जमीन बतायी गई। इसका मुख्य आधार यह था और इसलिए यह अदालत में गया। अत: समस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित अवार्ड दिनांक 9.1.1964 इसने अपना गलत बताया न्यायालय के सामने। इस याचिका के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा 15.3.1994 को निर्णय पारित किया गया जिसमें छोटू लाल की याचिका खारिज कर दी गयी और यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गयी कि छोटू लाल से इस भूमि का पजेशन 29.6.1970 को ले लिया गया था। छोटू लाल के द्वारा खसरा नम्बर 35 की समस्त भूमि तीन बीघा सोलह बिस्वा के सम्बन्ध में मुआवजा की राशि प्राप्त कर ली गयी थी अर्थात् खातेदार ने यह आब्जेक्ट तो किया कि छह बिस्वा का ही एक्वीजिशन किया गया है लेकिन अवार्ड जब उसको पारित हुआ तीन बीघा सोलह बिस्वा का तो उसने अवार्ड की रकम पूरी ले ली। यहां तक तो समझ में आ गया न आपके? छोटू लाल के द्वारा खसरा नम्बर 35 की समस्त मुआवजा राशि प्राप्त कर ली थी तथा इस तथ्य को उसने याचिका में छिपाया। अब उपरोक्त आदेश दिनांक 15.3.1994 के विरुद्ध खातेदार द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नम्बर 245/94 माननीय उच्च न्यायालय में फिर प्रस्तुत की गयी। खण्डपीठ के द्वारा यह स्पेशल अपील आदेश दिनांक 12.5.1994 के द्वारा फिर खारिज कर दिया गया। डी.बी. में वह हार गया। डी.बी. के निर्णय दिनांक 12.5.1994 के विरुद्ध खातेदार बाबूलाल सैनी, यह छोटू लाल के साहबजादे हैं, के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. नम्बर 19554/95 प्रस्तुत की जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.9.1995 के द्वारा खारिज कर दी गयी। यह तीनों अदालतों से हार गया। तदुपरान्त, अब इसके बाद का किस्सा सुनिए आप। उसके बाद यह खातेदार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में एक रिव्यू पिटीशन इसने दायर कर दी जो एस.एल.पी. के निर्णय के पश्चात् सुनवायी हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विरोध किया गया कि खातेदार की एस.एल.पी.खारिज हो चुकी है, अत: रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। एकल पीठ के द्वारा आदेश दिनांक 2.6.2000 द्वारा रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली गयी और उपरोक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध जे.डी.ए. द्वारा दो एस.एल.पी. नम्बर 11350/2000 तथा 11503/2000 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 9.1.2001 को माननीय उच्च न्यायालय को प्रकरण की सुनवायी हेतु डी.बी. गठित करने के निर्देश दिये गये। इसी बीच भूमि के खातेदार बाबू

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

लाल सैनी, छोटू लाल सैनी का लड़का है, इसके द्वारा एक अन्य याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 2382/96 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यायालय द्वारा 4.2.2001 को निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में माननीय न्यायाधीश द्वारा यह अवधारित किया गया कि पूर्व में जिन याचिकाओं का निर्णय हुआ वह याची अर्थात् बाबू लाल सैनी द्वारा याचिकाओं में पूरी जमीन का मुआवजा लिये जाने एवं भूमि का कब्जा सौंपे जाने के तथ्यों को छिपाने के आधार पर किया गया था कि पूर्व न्यायालयों के निर्णय गुणावगुण के आधार पर नहीं किये गये थे, भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने आदेश 25.5.1994 के द्वारा लिखा कि भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् धारा 6 की उद्घोषणा 25 वर्ष तक जारी नहीं की गयी अत: अवाप्ति सम्बन्धी धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 7.1.1971 स्वत: ही समाप्त हो गयी। इस आधार पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : फिर इस भूमि अवाप्ति अधिकारी का क्या हुआ? इसको भी जेल हुई न? आप बहुत ठीक कह रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। जवाब सुनने के बाद आप प्रश्न करना मैं आपको जवाब दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : भूमि अवाप्ति अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है, उसको सजा हुई है न हाई कोर्ट से? हथकड़ी लगी न? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह छोड़िए। हथकड़ी लगी है, किसको लगी है, किसको नहीं लगी और आगे भी किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, वह बाद में देख लेंगे पहले जवाब सुन लें।

इस आधार पर याची को नया वाद काज आफ एक्शन उत्पन्न होने के आधार को मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा याचिका का निर्णय याची के पक्ष में करते हुए यह आदेश दिया कि वह इस भूमि का उपयोग अपनी इच्छानुसार करे जब तक कि इस भूमि को विधिवत रूप से अवाप्त नहीं किया जाए। ठीक है? इस याचिका में याची द्वारा यह आधार लिया गया था कि समस्त भूमि का मुआवजा भूलवश उसके द्वारा ले लिया गया था जो उसके द्वारा वापस लौटा दिया गया। उपरोक्त निर्णय दिनांक 4.2.2000 के विरुद्ध जे.डी.ए. द्वारा डी.बी. सिविल अपील 55/2000 दायर की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.2.2000 को यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया गया था 8.3.2000 के आदेश के द्वारा इसे इंफर्म भी कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.2.2000 के आधार पर इस भूमि पर बाबू लाल सैनी का कब्जा है तब से ही वह इस भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। माननीय उच्च

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

न्यायालय की खण्डपीठ के द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में दिया गया यथास्थिति का आदेश 8.3.2000 अभी भी प्रभाव में है। राज्य सरकार द्वारा जैसा आप कह रहे हैं, अनिल अग्रवाल या कौनसा बता रहे हैं आप। (व्यवधान) नहीं–नहीं, पूरा पढ़ूंगा, जवाब पूरा दूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : महेन्द्र सिंह।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, महेन्द्र सिंह। सारी। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 6.12.2001 के तहत महेन्द्र सिंह पार्टनर, गणपति डवलपर्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र समझौता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्थानीय समझौता समिति। राज्य स्तरीय नहीं। स्थानीय। स्थानीय समझौता समिति द्वारा यह प्रकरण 18.2.2000 को राज्य स्तरीय समझौता समिति को प्रस्तुत किया गया क्योंकि इसमें निहित भूमि का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक था। स्थानीय समझौता समिति को पचास लाख रुपये के मूल्य के प्रकरणों को सुनने का अधिकार है। राज्य स्तरीय समझौता समिति में यह प्रकरण अभी भी विचाराधीन है और इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री धर्मपाल चौधरी : गणपति कहां से आ गया?

श्री शांति कुमार धारीवाल : गणपति तो विश्वव्यापी हैं कहीं पर भी आ जाते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो...

श्री शांति कुमार धारीवाल : ठहरिये, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभी एक सवाल का दिया है। अभी खसरा नम्बर–35 ही हुआ है। अब 35 के बाद यह पांचूलाल का देता हूं...(व्यवधान) परिवहन भवन के सामने स्थित खसरा नम्बर 40–45 और 45/491 कुल रकबा चार बीघा चार बिस्वा, खातेदार पांचू, इसके बारे में आपने सवाल किया है खण्ड–2 में... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मेरा सीधा सा सवाल यह है....

श्री शांति कुमार धारीवाल : ग्राम भोजपुरा की इस भूमि की धारा–6 के तहत उद्घोषित 13.5.1961 को जारी की गयी जिसका अवार्ड 9.1.1964 को पारित हुआ। अवाप्ति की कार्यवाही के विरुद्ध खातेदार द्वारा न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के निर्णय 4.5.1991 के द्वारा इस वाद को खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध खातेदार द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसका निर्णय 3.3.2000 के द्वारा हुआ जिसमें भी यह अपील खारिज कर दी गयी। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के इस निर्णय की अपील किये जाने तक उसने अपने आदेश को स्थगित

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

रखा कि अगर आगे अपील में जाना चाहता है तो हमारा आदेश स्थगित रहेगा। जब तक न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया आदेश दिनांक 3.3.2000 के विरुद्ध खातेदार द्वारा उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 287/2000 दायर की गयी और इस याचिका के साथ एस.बी. सिविल स्टे एप्लीकेशन भी दायर की गयी। स्टे एप्लीकेशन में दिनांक 6.3.2000 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब तो मेरे खयाल से वह समझ गये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, नहीं समझे अभी। अभी मैं समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, उनको संतुष्ट करने की।

श्री धर्मपाल चौधरी : राधेश्याम जी, आप तो छोड़ो। आपकी भी अखबारों में खूब छप रही है। आप तो आराम से बैठो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 6.12.2001, मैं पहले 2000 बोल गया वह गलत था मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। राज्य सरकार के आदेश, जो नीति बनायी गयी लालकोठी की वह 6.12.2001 को बनायी गयी थी, के तहत लालकोठी योजना की जटिल समस्याओं एवं दीर्घकाल से विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना क्षेत्र को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

लालकोठी योजना क्षेत्र में प्रताप नर्सरी, आनन्द नर्सरी, मेहरचन्द एण्ड संस की भूमि को छोड़कर शेष लगभग समस्त भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी। अर्थात् आनन्द नर्सरी, प्रताप नर्सरी और मेहरचन्द खन्ना की भूमि पूर्ण अवाप्त नहीं हुई बाकी सारी भूमियां पूर्ण रूप से अवाप्त हो चुकी थी और जिनके अवार्ड घोषित हो चुके थे और उनका मुआवजा निर्धारण कर दिया गया। अधिकांश प्रकरणों में मुआवजे का भुगतान स्वयं खातेदार को कर दिया अथवा न्यायालय में जमा करवा दिया। अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान बाद में लालकोठी योजना क्षेत्र में भूमि पर विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा योजना बनाकर भूखण्डों का आबंटन लोगों को कर दिया। लोगों द्वारा इन भूखण्डों पर निर्माण कर तथा चारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया गया। लालकोठी योजना की अवाप्तशुदा भूमि पर इस प्रकार के निर्णय व कब्जों को हटाने में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों के कारण सम्भव नहीं था।

अतः राज्य सरकार द्वारा दीर्घकाल से लम्बित लालकोठी योजना के समवेत रूप से समाधान हेतु अवैध रूप से निर्मित एवं कब्जों का, भूखण्ड का राजकीय भूमि मानते हुए नियमन करने का आदेश जारी किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांचूराम वाला बता दो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पांचूराम वाला मैंने बताया ना। क्या सुन रहे थे फिर आप? (व्यवधान) इसमें यथास्थिति का आदेश है उच्च न्यायालय द्वारा। मैं पूरी बात बता चुका हूं आपको। आप कहते हैं तो फिर दुबारा बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, ठीक है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : प्रश्नगत भूमि, यही प्रश्नगत भूमि यद्यपि अवाप्त की जा चुकी थी लेकिन वर्तमान में मौके पर खातेदारगण निवास कर रहे हैं। पांचूराम के बारे में, यह पांचूराम की भूमि का जवाब दे रहा हूं। दुबारा पढ़ रहा हूं। प्रश्नगत भूमि यद्यपि...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आ गया ना, दुबारा क्यों पढ़ रहे हो और जब न्यायालय में मामला अभी पैंडिंग ही है फिर क्या बता रहे हो?

श्री शांति कुमार धारीवाल : यथास्थिति का आदेश है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यथास्थिति है तो केस तो है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इनके समझ में आ गया ना?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह भी समझ गये इसका तो और जो पूछ रहे हैं वह बताओ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : चार पांच लाइनें और हैं, और बता देता हूं। इस भूमि के बाबत राज्य सरकार के आदेश 6.12.2001 के अन्तर्गत अनिल अग्रवाल, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि यह अनिल अग्रवाल कहां से आ गया, अनिल अग्रवाल मुखत्यारनाम या पावर आफ अटार्नी होल्डर है खातेदार का और खातेदार का पावर आफ अटार्नी होल्डर होने के नाते यह बीच में आया, अब आप बताओ आ सकता है कि नहीं आ सकता?

डा. किरोड़ी लाल : आपके आशीर्वाद से।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, मेरा पूरा आप पर भी आशीर्वाद है मेरा तो और हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा वह आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अनिल अग्रवाल मुखत्यार खातेदारान ईश्वर, छोटेलाल, जगदीश, मंगलराम इत्यादि के द्वारा एक प्रार्थना पत्र समझौता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर स्थानीय समझौता समिति के द्वारा 18.2.2002 को उक्त प्रकरण क्षेत्राधिकार के आधार पर राज्य स्तरीय समझौता समिति में भेज दिया गया। जहां यह प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। राजकीय भूमि पर बसी अन्य योजनाओं में नियमन की राशि लालकोठी के अलावा जितनी भी योजनाएं हैं उनमें 345 रुपये प्रति वर्ग गज राज्य सरकार के द्वारा तय की गयी थी लेकिन लालकोठी योजना क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नियमन राशि आवासीय आरक्षित दर 2550 प्रति वर्ग मीटर की पच्चीस प्रतिशत एवं पैंतीस प्रतिशत निर्धारित की गयी जो 550 से 750 के आसपास होती थी। दोनों बातों का जवाब आ गया आपका।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, प्लीज सिट डाउन।

मोहम्मद माहिर आजाद : आ गया, अब तो आधा घंटा हो गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चार प्लाट पांचूराम को लालकोठी योजना में दिये। प्लाट नम्बर सी–129 चार सौ गज, सी–130 चार सौ गज, बी– 239 सौ गज, बी– 240 सौ गज। उसने प्राप्त कर लिये और मुआवजा ले लिया। मुआवजा ले लिया पांचूराम ने और कब्जा जे.डी.ए. के पास है। आपसे सीधा सवाल है कि आप समझौता समिति खातेदार से समझौता करेगी या किसी बिल्डर से करेगी? आपने कहा किसी बिल्डर का नाम नहीं आया, तो इसमें छोटू माली की जमीन में अनिल अग्रवाल पेश हुआ प्रार्थी और प्रार्थी कौन है महेन्द्र सिंह पार्टनर गणपति डवलपर, गंगा टावर, जयपुर। समझौता समिति और स्थानीय समझौता समिति...

श्री अशोक तंवर (फागी) : असली दर्द तो इसका है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब किसका दर्द है वह तो बता देंगे, आपको दर्द ज्यादा हो रहा है पेट में। आप बैठे रहो आराम से। आपके खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहे फिर आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में प्रश्न पूछिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : संक्षेप में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह लम्बा लिखा हुआ पूछते हैं, मंत्री जी भी जवाब जो है लम्बा चौड़ा दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसमें सीधा सवाल है। यह कहते हैं कि कब्जा, आज जो झगड़ा दोनों जगह है वह जे.डी.ए. के साथ दोनों खातेदार का है। अब खातेदार के झगड़े के बाद यह महेन्द्र सिंह, गणपति टावर कहां से आ गया और अनिल अग्रवाल कहां से आ गया? अगर यह समझौता समिति और स्थानीय समझौता समिति कुछ भी करे लेकिन यह खातेदार के पक्ष में करेगी या यह बिल्डर जो बीच में दलाल आ रहे हैं इनके पक्ष में करेगी? हम तो टू दी पाइंट यह पूछना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक–एक का जवाब दे लेने दो फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमारा तो एक ही है उसका तो दे दो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय सदस्य को मैं अभी बता चुका हूं कि इस पर कब्जा आज भी खातेदारान का है और वह खातेदारान का कब्जा ही नहीं है बल्कि उनका निवास स्थान भी इसी भूमि पर है।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

दूसरी बात, मैं आपको यह बता चुका हूं कि नियमन के लिये यह कहीं आवश्यक नहीं है कि खातेदार के पक्ष में ही नियमन किया जाये। खातेदार के द्वारा किया गया इकरारनामा भी देखा जाता है। खातेदार के द्वारा दिया गया मुखत्यारनामा भी देखा जाता है। अगर खातेदार यह लिख कर दे देता है कि मेरा मुखत्यार यह है, इनके नाम पर जमीन कर दी जाये तो नियमन कर दिया जाता है और नियमन का कानून है, पहली बात।

सुनिये। दूसरी बात का भी दे देता हूं। दूसरी बात, आपने पूछा कि महेन्द्र सिंह पार्टनर गणपति ट्रेडर्स यह कहां से आ गया? यह भी वहां से आ गया जहां से अनिल अग्रवाल आया। यह भी खातेदार से लिखवा लाया। मैं क्या करूंगा उसमें? और आपको इसमें एतराज है, तो यह अदालतें खुली हुई हैं, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे जो कुछ करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी, जो समझौता समिति बनायी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है हमारा...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हमने पढ़ी है, उसका स्कोप आपने पढ़ा होगा। स्कोप भी आपने ही बनाया होगा गजट नोटिफिकेशन के अन्दर इसलिये इनको घुमाओ फिराओ मत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपने दो अनुपूरक कर लिये हैं। धर्मपालजी, बैठिये आप... (व्यवधान) प्रश्न पूछने, उसका उत्तर देने में साधारणतया पांच मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिये और यह प्रयास, रूल 31, और यह प्रयास किया जाना चाहिये कि प्रत्येक दिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाये। नियम 31 में व्यवस्था भी 99 में दी थी मैंने वह आपको रिपीट कर दी है। एक प्रश्न के ऊपर आधा घंटे से ज्यादा लगा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी ने शानदार जवाब दिया है। आधा घंटा तो मंत्रीजी बोले हैं। अब आप पाइंटेड सवाल की तो अनुमति दें, अध्यक्ष महोदय...

डा. किरोड़ी लाल : अब मंत्रीजी आधा घंटे बोले हैं तो सदस्य...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इतने विस्तार से जवाब दिया है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है हमारा तो सीधा सा...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी से सीधा-सा प्रश्न है हमारा तो। एक तो माननीय मंत्रीजी यह बतायें हाल ही में कोई हाई कोर्ट के निर्णय हुये हैं? क्या दो फैसले...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी अभी कोई दो फैसले हाई कोर्ट के हुये हैं? मेहरबानी करके यह तो आप बता दो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी... (व्यवधान) नैक्सट क्वेश्चन...(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : मंत्रीजी ने काफी विस्तार से जवाब दिया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : चालीस साल पुरानी आपने कोई समस्या हल की है? और हाई कोर्ट का क्या निर्णय हुआ है? हाई कोर्ट के हाल ही में दो निर्णय हुये हैं? इससे सम्बन्धित माननीय मंत्रीजी बतावे और चालीस साल से जो समस्या रही है उसका क्या समाधान किया आपने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 70 करोड़ का घोटाला है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) हम इधर-उधर नहीं जायेंगे। आप हमें पाइंटेड सवाल पूछने की अनुमति फरमा दें...

डा. किरोड़ी लाल : इसमें है इन दोनों के...(व्यवधान).

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, पहली बार नहीं हो रहा है यह। बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल है, करोड़ों रुपयों का घोटाला है इसमें...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, चालीस साल से जो रोजाना रो रहे थे उसका क्या किया आपने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लालजी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह जमीन से सम्बन्धित हाल ही में दो हाई कोर्ट के फैसले हुये हैं उनका क्या किया आपने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्सट क्वेश्चन। बैठिये रामस्वरूपजी...(व्यवधान) डा. साहब बैठिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I will not permit you.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें आसन से प्रोटक्शन चाहिये... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : भ्रष्टाचार भी कर गये और अपना पाला भी छिपा गये। माननीय सदस्य को पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विस्तृत जवाब दे दिया मंत्रीजी ने, सारी चीजें आ गयी समझौता समिति में...(व्यवधान) सदन का समय बरबाद कर रहे हैं...

श्री रामस्वरूप : हाल ही में हाई कोर्ट के क्या फैसले हुये मंत्रीजी बतावे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): कोई भी खातेदार किसी को भी पावर आफ एटार्नी दे सकता है...(व्यवधान) ऐसा कुछ नहीं है और पावर आफ एटार्नी ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, यह बताओ हाई कोर्ट के दो हाल ही में क्या फैसले हुये और चालीस साल की समस्या थी उसका क्या किया आपने...(व्यवधान) यह बताये स्पष्ट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पचास करोड़ का मामला है...(व्यवधान) पचास करोड़ तो क्या आप तो सौ करोड़ का बता दोगे इसको... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, बताये क्या, हम सिद्ध कर देंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम सिद्ध कर देंगे आप अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अन्दर जे.डी.ए. की मिलीभगत है। मंत्री महोदय ने कब्जा बताया है खातेदार का और यह जे.डी.ए. की...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, गोलमाल कर गये हैं और माननीय सदस्य को...

डा. किरोड़ी लाल : यह लैंड माफिया से मिल गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप हर वक्त जो है प्रश्नकाल...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, चालीस साल से जो बात चली आ रही थी उसका क्या किया आपने और यह हाई कोर्ट के दो फैसले हुये हैं उनके बारे में तो बताओ आप। कुछ सम्बन्धित हाल ही में दो फैसले हुये हैं जो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा... (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज नैक्स्ट क्वेश्चन...(व्यवधान)

मण्डी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्रों में पार्टनर के नाम की स्वीकृति

274. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण में व्यापारियों को अनुज्ञापत्र किनके द्वारा जारी किया जाता है?

(2) क्या उक्त व्यापारियों को उनके अनुज्ञापत्र में पार्टनर हटाने या जोड़ने सम्बन्धी स्वीकृति मण्डी समिति या निदेशालय द्वारा जारी की जाती है?

(3) क्या यह सही है कि मण्डी समितियों से प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के अनुज्ञापत्रों में पार्टनर हटाने या जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव काफी समय पूर्व मण्डी समिति द्वारा कृषि विपणन निदेशालय जयपुर को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या वे लम्बित हैं?

(4) कृषि विपणन निदेशालय द्वारा अनुज्ञापत्र में संशोधन की कार्यवाही किस

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नियम/उपनियम के तहत की जा रही है और कब तक उक्त स्वीकृति जारी कर दी जावेगी?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) सम्बन्धित मण्डी समिति के द्वारा व्यापारियों को व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

(2) अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे परिवर्तन के सात दिवस में मण्डी समिति को सूचित करना होता है।

(3) जी हां। मण्डी समितियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। निदेशालय स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) निदेशालय द्वारा अनुज्ञापत्र संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक भी सप्लीमेंटरी पूछने की अनुमति नहीं दी, यह बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे आसन का प्रोटक्शन चाहिये...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप एक सप्लीमेंटरी नहीं...(व्यवधान) आप एक सप्लीमेंटरी के अन्दर पांच मिनट... (व्यवधान) 34 मिनट लग गये...(व्यवधान) इस क्वेश्चन के अन्दर बहुत विस्तार से इसका उत्तर माननीय मंत्रीजी ने दे दिया है अब...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनकी तरफ से आया है। उत्तर विस्तृत दिया है मंत्रीजी ने। मंत्रीजी ने उत्तर विस्तृत दिया है, तो अब हमें सप्लीमेंटरी पूछने की अनुमति प्रदान करें...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक ही प्रश्न है हमारा तो मंत्रीजी से। खाली एक ही प्रश्न है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, 24 मिनट तो मंत्रीजी को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी, जरूरत नहीं है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा तो जवाब में ही निकल गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अपने आप से इतना उलझा हुआ था कि 24 मिनट तो केवल मंत्रीजी को अपना जवाब देने मात्र में लगे और कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सका...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह देना पड़ा... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रश्न अपने आप में इतना उलझा हुआ था कि मंत्रीजी को जवाब देने में 24 मिनट तो उनको लग गये और केवल सात मिनट सदस्य को पूछने में बीते। इसमें किस प्रकार का दोष हैं? एक भी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कोई दूसरा मैम्बर इसके बारे में नहीं पूछ सका। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार बहुत उलझा हुआ है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया माननीय कटारियाजी... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या तो आप किसी और माध्यम से भी इस प्रश्न पर फिर चर्चा करायें ताकि इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा हो सके। इस विषय पर चर्चा हो नहीं पायी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक एक सप्लीमेंटरी अलाउ करिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा काल कर लिया है। श्री ज्ञानदेव आहूजा...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रश्न संख्या 274...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** जवाब भी आ गया...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आधा घंटे की चर्चा करा दीजिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, फिर हमें भी पूछने की इजाजत दीजिये। यह थोड़े ही है कि कोई एक ही एक सदस्य पूछे। हमको भी सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये। कोई सवाल हमारे दिमाग में भी हो सकता है। यह थोड़ी है कि एक ही आदमी सवाल पूछेगा...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब प्रस्तुत कर चुका हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। कटारियाजी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आधे घंटे की चर्चा में डिटेल आ जायेगी सारी ताकि हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। आधे घंटे की चर्चा आप स्वीकार कर लें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उप नेता प्रतिपक्ष, आप भी बिराजिये और अपने माननीय सदस्यों को नियंत्रण में रखिये। जरा बैठिये आप... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम नियंत्रण में हैं। हम नियंत्रण में हैं...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) **:** आसन द्वारा समय-समय पर यह व्यवस्था दी गयी है कि मूल प्रश्नकर्ता के अलावा एक दो माननीय सदस्य भी सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं और आसन अलाउ करता रहा है। यह तो अब नयी परम्परा पड़ जायेगी। सवाल यह है कि करोड़ों का

(श्री देवीसिंह भाटी)

मसला है और उस करोड़ों रुपये की राशि में मंत्री महोदय को भी जवाब देते जोर आया। आधे घंटे तक जवाब दिया है इस प्रश्न का। बहुत ज्यादा महत्व है, अध्यक्ष महोदय, आप समझिये इस बात को...

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, मैं सब समझ रहा हूं...

श्री देवीसिंह भाटी : एक दो माननीय सदस्यों को तो सप्लीमेंटरी अलाउ कीजिये। यह हाउस की परम्परा रही है। यह हमारे नियमों में है। यह आसन के द्वारा व्यवस्था दी गयी है...

श्री अध्यक्ष : देवीसिंहजी, बैठिये अब...

श्री देवीसिंह भाटी : यस सर...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री देवीसिंह भाटी : यस सर...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस मंत्रिमण्डल के सबसे +++ मंत्री हैं शांति कुमारजी धारीवाल। इनके विषय में सारे तथ्य सामने आने चाहिये, माननीय सदस्य को पूछने देना चाहिये...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मौका मिलना चाहिये माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजस्थान जानता है कि सबसे +++ मंत्री इस मंत्रिमण्डल का है तो वह शांति कुमार धारीवाल... (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, व्यवधान पैदा करने का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे प्रार्थना है हमारी। मंत्रीजी ने जवाब दिया, हमने जवाब सुना। मंत्रीजी का जवाब हमने बड़े धैर्य से सुना। आधा घंटा मंत्रीजी ने अपना जवाब दिया तो मंत्री महोदय, आप भी चाहेंगे पांच–सात मिनट, हम पाइंटेड सवाल करेंगे। हम इधर उधर नहीं जायेंगे। बहुत पाइंटेड सवाल करेंगे...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली): आप तो +++ हैं। सही मायने में मंत्रीजी का जवाब इतना संतोषजनक था कि आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रश्न समाप्त हो गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब जो है...(व्यवधान) तो सप्लीमेंटरी... (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : काफी विस्तार से जवाब दिया है मंत्रीजी ने कि इसके अलावा पूछने को जगह ही नहीं है... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब... (व्यवधान) कि सप्लीमेंटरी पूछने की, डिटेल में बात की है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पहली बार हुआ इस सदन के अन्दर कि किसी एक सवाल पर एक भी सप्लीमेंटरी आपने अलाउ नहीं की। सिंगल सप्लीमेंटरी भी आपने अलाउ नहीं की...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, आप जो कुछ बोले हैं वह समझ नहीं आया इनकी में तो कुछ भी...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आधा घंटे की चर्चा...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा...

श्री मदन दिलावर : और यहां नहीं हमने भी पढ़ा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है...(व्यवधान) हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और आज्ञाकारी के रूप में हम बैठते हैं। पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति आप प्रदान कर दें इस सत्र में। जब आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा के लिये अगर कारण है और आप लिखकर देंगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, कारण देंगे, लिखकर भी दे देंगे...

श्री अध्यक्ष : तो मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रश्न संख्या 274...

श्री हरिसिंह (महुवा) : जवाब आ गया मंत्रीजी का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं आया। सुना नहीं भीड़ में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुना नहीं है, वापस पढ़िये।

श्री रामस्वरूप : भीड़ बता रहे हैं माननीय सदस्यों को...(व्यवधान) राजस्थान की जनता ने उनको चुनकर भेजा है डेढ़ लाख जनता ने हमको चुनकर भेजा है... (व्यवधान) यह भीड़ बता रहे हैं हमको... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : भीड़ आ रही है, यह भीड़ क्या होती है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वोटों के बल पर चुनकर हम यहां पर आये हैं...(व्यवधान) यह राजस्थान की जनता का अपमान है, यह कहते हैं भीड़ है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वोट लेकर आए हैं और आप भीड़ कह रहे हैं हमको... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह हमको भीड़ बता रहे हैं...(व्यवधान) हम कोई भीड़ हैं? भीड़ होंगे तो यह होंगे, हमको जनता ने भेजा है, हम जनता के माननीय सदस्य हैं, भीड़ नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भीड़ नहीं +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने +++ कहा है +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भेड़ बता रहे हैं, मर्जी आए जो कह रहे हैं...(व्यवधान) मर्जी आए जो सदन में कह देते हो...(व्यवधान) आप बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको +++ कहा है, मैंने +++ कहा है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप माफी मांगे... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सवाल का जवाब आने दीजिए, यह +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप सदन में इस तरह और भीड़ नहीं कह सकते हैं...(व्यवधान) आप माननीय सदस्य कहें सबको... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठे, बैठे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये माननीय सदस्य, मंत्रीजी...(व्यवधान)

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह) : (1) सम्बन्धित मण्डी समिति के द्वारा व्यापारियों को व्यवसाय करते हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।

(2) अनुज्ञा पत्रधारी को ऐसे परिवर्तन के सात दिवस में मण्डी समिति को सूचित करना होता है।

(3) जी हां। मण्डी समितियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। निदेशालय स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) निदेशालय द्वारा अनुज्ञा पत्र संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो क्रमांक तीन पर जो उत्तर दिया है, क्या यह सही है कि मण्डी समितियों से प्राप्त अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारियों के अनुज्ञा पत्रों में पार्टनर हटाने या जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव काफी समय पूर्व मण्डी समिति द्वारा कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? क्या वे लम्बित हैं? इस बारे में जो उत्तर दिया

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं, जी हां, मण्डी समितियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। निदेशालय स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अगर विचाराधीन नहीं है, तो आपकी मण्डी समिति के सैक्रेटरी फ्लोर लेवल पर यह कैसे बताते हैं कि आपके पार्टनरशिप हटाने का या जुड़ाने का नाम गये हुए हैं वे डायरेक्टर लेवल पर गये हुए हैं, डायरेक्टर लेवल पर फाइनल होकर आएंगे। यह रिप्लाई वहां क्यों देते हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो आपने दिया है कि निदेशालय द्वारा अनुज्ञा पत्र संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, चार में, तो इसमें मेरा कहना है कि कोई अनुज्ञा पत्र अगर निदेशालय में बकाया नहीं है तो मण्डी समिति में कितने अनुज्ञा पत्र बकाया हैं? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, निदेशालय स्तर पर एक भी बकाया नहीं है, यह पहले निवेदन कर चुका हूं। जहां तक प्रश्न है कि सैक्रेटरी क्यों बताते हैं, यह रिकार्ड पर तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि अनुज्ञा पत्रधारी यदि दुकानदार है, उसके पास एक दुकान है, दुकान मण्डी में किराये ली हुई है। वह अगर अपना पार्टनर एड करना चाहता है, कईं बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर एड करते हैं, तो मण्डी को सूचना देनी पड़ती है सात दिन के अन्दर, कईं बार यह भी होता है कि पार्टनर एड करने के बाद खुद विथड्रा हो जाता है। कईं जगह मण्डियों में 20-20 लाख तक दो नम्बर में आफ दी रिकार्ड पगड़ी लेते हैं, तो उस वक्त स्थिति यह बनती है, उसका जो बकाया मण्डियों का होता है वह छोड़कर चले जाते हैं। मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, खास तौर से अलवर मण्डी के बारे में क्योंकि माननीय सदस्य अलवर जिले से आते हैं, इनकी मण्डी के अन्दर 38 प्रकरण ऐसे थे जिनमें कि नाम परिवर्तन करने के लिए एप्लाई किया गया था, लिख करके सूचित किया गया था, उनमें से कुछ फार्मालिटीज के बाद 21 प्रकरण निपटा चुके हैं लेकिन आज भी यह सही है कि अलवर मण्डी के अन्दर 17 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें प्रकरण निपटे नहीं हैं। उनका कारण यह है कि वह मण्डी समिति के स्तर पर हैं। निदेशालय के स्तर पर पैंडिंग नहीं हैं। मण्डी समिति के स्तर पर 17 प्रकरण इसलिए पैंडिंग हैं कि उनकी बकाया राशि, मण्डी की रिकवरी बाकी है, वह पड़ी है। यदि वह रिकवरी जमा करा देते हैं, तो तत्काल उनको मण्डी अलाउ कर देगी, परमीशन दे देगी। कोई रोक-टोक नहीं है।

इसके अलावा उसी मण्डी से सम्बन्धित 5 प्रकरण और हैं जिसमें बकाया दूसरी तरह की कुछ चीजें बाकी हैं, चाहें तो एक-एक प्रकरणवाइज स्थिति मैं आपको

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

स्पष्ट कर सकता हूं, इसलिए मण्डी का कोई बकाया न रह जाये उस फर्म के प्रति, वह फर्म दूसरे को पार्टनर बना करके खुद विथड्रा करके चली जाए और बेनामी, फर्जी फर्में भी हैं, अलवर में ऐसा होता रहा है। उसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अलवर के अन्दर 20 लाख रुपये का इवेजन इस तरह का पकड़ा गया, कोई फर्म नहीं थी और फर्जी फर्म छपा करके 20 लाख रुपये के टैक्स की चोरी की, उसमें एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है। दो सैक्रेटरी सस्पेंड भी हुए हैं। इसीलिए इस तरह की चीजें न हो जाएं, मण्डी का टैक्स लेकर वह फर्म न भाग जाए। बाद में रिकवरी नहीं हो पाए इसलिए इसका ध्यान जरूर मण्डी समिति रखती है। निदेशालय स्तर पर आज की तारीख में एक भी प्रकरण विचाराधीन बाकी नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि क्या यह सही है, मंत्री महोदय से मैं जानकारी लेना चाहता हूं, अलवर में पिछले दो साल से कोई सैक्रेटरी स्थायी नहीं है, गड़बड़ी और घोटाले हो रहे हैं? आपके स्तर पर, मण्डी समिति के स्तर पर या निदेशालय के स्तर पर तो वहां स्थाई सैक्रेटरी का नहीं होना है, यहां के एक सैक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। क्या यह सही है कि जो गड़बड़ी और घोटाले हो रहे हैं, वहां जो नकली बिल बना रहे हैं और बिल जमा नहीं हो रहे हैं, वह इस कारण से हैं कि वहां पर सैक्रेटरी स्थाई नहीं है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो अलग से है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह गड़बड़ी के अनुज्ञा पत्र से सम्बन्धित है...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं स्पष्ट कर देता हूं, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में अधिकारियों की कमी होने के कारण सैक्रेटरी के पद रिक्त जरूर हैं लेकिन मण्डी खाली छोड़ी हुई नहीं है। किसी न किसी सक्षम अधिकारी के पास चार्ज जरूर है। दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा कि यह गड़बड़ी घोटाले इसलिए हो रहे हैं कि मण्डी में सैक्रेटरी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह 20 लाख का इवेजन जब आया था, यह 1993-94 में पकड़ा गया था और इसके बाद में 2001 में भी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ते नहीं हैं, पकड़ते हैं। मण्डी सैक्रेटरी हैं और 31.7.2001 से ताराचन्द गुप्ता के पास वहां का चार्ज है, पहले भी मण्डी सैक्रेटरी था, खाली बिलकुल नहीं है और जहां पकड़ में आते हैं वहां कार्यवाही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य की व्यथा यह है कि जिन मण्डियों में व्यापारियों ने अपनी फर्म चेंज करने की दरखास्त दी है वह पैसा जमा नहीं कराकर, मुझे प्रेशराइज करके पैसे को रोकते हुए अपनी फर्मों का रिन्यूवल चाहते जो सम्भव नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह जो...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी कि जिस तरह से किसी भी व्यक्ति पर पांबदी है कि वह सात दिन के अन्दर कोई पार्टनर ले तो प्रार्थना पत्र कृषि उपज मण्डी को दे। उसी प्रकार से सचिवों के लिए भी कोई दिशा-निर्देश आपने जारी किए हैं कि ऐसे प्रार्थना पत्रों का 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में निस्तारण किया जाएगा और निस्तारण के मार्ग में यदि कोई अवरोध है, उसका टैक्स बकाया है तो सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी लिखित सूचना दी जाएगी? क्या ऐसे प्रावधान या निर्देश आपने दे रखे हैं?

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं लूणकरणसर से आने वाले बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य को कि हमने यह निर्देश दे रखे हैं या यह नियमों में प्रावधान है कि जब भी कोई फर्म की पार्टनरशिप बदलना चाहता है, तो विद इन ए वीक मण्डी को सूचित कर दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह समझ गये, उसके आगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आगे निवेदन कर रहा हूं, अब यदि कोई बकाया रह जाता है, तो उस स्थिति में उसको परमिशन नहीं देते हुए लिखा जाता है, चिट्ठी दी जाती है और आप चाहे, तो उन प्रकरणों की चिट्ठियों की डेटवाइज मैं निवेदन भी कर सकता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं नियम पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ निर्देश पूछ रहा हूं कि रूटीन व्यवस्था क्या है? आप अलवर को भूल जाएं। राजस्थान बहुत बड़ा है, अलवर तक सीमित नहीं है। रूटीन में जो प्रार्थना पत्र पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने में आता है उस सम्बन्ध में एक महीने या 6 हफ्ते के क्या निर्देश हैं कि इसमें डिस्पोजल हो जाए और उसमें कोई अवरोध है, तो उसकी लिखित सूचना सम्बन्धित व्यापारी को हो जाए? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दे रहे थे, यद्यपि प्रश्नकर्ता अलवर से हैं, लेकिन आपने अपने जवाब में तीन-चार बार कहा कि अलवर के व्यापारी, अलवर की मण्डी, अलवर में काम करने वाले, मंत्री महोदय, अलवर के प्रति इतना खराब आपका पूर्वाग्रह तो नहीं है, इस बात को स्पष्ट करें। बाकी राजस्थान की सारी मण्डियां तो ठीक चल रही हैं? यह बात भी स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया निश्चित रूप से यही सोच करके हम सात दिन में उसको सहूलियत देना चाहते हैं, वह चक्कर नहीं काटे। लेकिन यदि कोई

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

बकाया है, तो उसको वह शीघ्र क्लियर करे। बकाया क्लियर करने के लिए निर्देश यह है कि उसको लिख करके तुरन्त दे दिया जाए कि आपका यह बकाया है और ज्योंही बकाया क्लियर करता है, अधिक समय नहीं लिया जाता, तत्काल निपटारा किया जाता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समय सीमा ही पूछ रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, उस सचिव के लिए भी आवश्यक किया या नहीं कि वह लिखित सूचना उसको दे ताकि पारदर्शिता कायम रहे और अन्दर ही अन्दर लेन देन न हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : बिलकुल अध्यक्ष महोदय, ज्योंही सूचना मिलती है इस बात की कि इनका बकाया है, रिकार्ड देखने से तो तत्काल उसको सूचित करते हैं कि आप बकाया चुका दीजिए, तत्काल लोग चुकाते हैं और चुकाते ही क्लीयर कर दिया जाता है। मेरा व्यक्तिशः किसी मण्डी पर आरोप नहीं था। चूंकि माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता अलवर से थे इसलिए स्थिति स्पष्ट करना मैंने आवश्यक समझा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आ गया जवाब।

श्री अध्यक्ष : आप अलवर से हैं, आप पूछ लीजिए, लास्ट सप्लीमेन्टरी है।

श्री बाबूलाल नागर : जवाब आ गया, अब क्या पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय ने अलाउ नहीं किया। आपने माननीय सदस्य को अलाउ ही नहीं किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप अध्यक्ष हो क्या?

श्री बाबूलाल नागर : मैं अध्यक्ष नहीं हूं। मैं आसन से अनुरोध कर रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाएं, बैठ जाएं।

श्री बाबूलाल नागर : आसन से व्यवस्था के लिए अनुरोध कर रहा हूं कि आपने माननीय सदस्य को अलाउ ही नहीं किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : पिछले सत्र में आपने कहा था। अलवर ''ए'' ग्रेड की मण्डी है और वहां सैक्रेटरी स्थायी नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण जगह और आप कहते हैं कि व्यापारी गड़बड़ करते हैं और आपने पिछले विधान सभा सत्र में कहा था कि हम सब जगह स्थायी सैक्रेटरी लगा देंगे, तो अब तक क्यों नहीं लगे?

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बाबूलाल नागर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय पिछली बार इन्होंने कहा था कि सैक्रेटरी लगा देंगे, तीन महीने में सैक्रेटरी लगा देंगे और अब तक इन्होंने सैक्रेटरी नहीं लगाया।

श्री बाबूलाल नागर : प्रश्न संख्या-275.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक सैक्रेटरी नहीं लगे हैं। इन्होंने तीन महीने के अन्दर लगाने के लिये कहा था। मंत्री महोदय, रिप्लाई दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं मुझे।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, जवाब आपको दे दिया गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धर्मपालजी ने पूछा है कि सैक्रेटरी नहीं लगा। गड़बड़ घोटाले हैं, क्यों नहीं अब तक लगाया?

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी बैठिये। जवाब आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

गाडोता (जयपुर), ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक की नियुक्ति

275. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं?

(2) उक्त समितियों में कितने चयनित व्यवस्थापक हैं? उक्त के वेतन की क्या व्यवस्था है?

(3) उक्त में से जिन समितियों में व्यवस्थापक नहीं हैं उक्त में चयन करके कब तक व्यवस्थापक लगा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) व्यवस्थापकों का वेतन समझौता क्यों नहीं किया जा रहा है? उक्त के लिये कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त समझौता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त हैं? अब कब तक इनकी पूर्ति कर दी जाएगी?

(6) वर्तमान में गाडोता, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के पद पर कौन कार्यरत है? यदि नहीं, तो स्थायी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

सहकारिता मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़): (1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियां व वृहत्ताकार कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या 5400 है।

(2) उक्त समितियों में व्यवस्थापकों के चयन, नियुक्ति एवं सेवा नियम, 1977 के तहत चयनित 3,376 व्यवस्थापक हैं। इन चयनित व्यवस्थापकों का वेतन व्यवस्थापकीय वेतन कोष 1991 के अन्तर्गत गठित वेतन कोष से ही दियें जाने का प्रावधान है।

(3) व्यवस्थापकों के सेवा नियमों से सम्बन्धित विचाराधीन प्रकरण के हल होते ही व्यवस्थापकों के नियमित चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(4) व्यवस्थापकीय सेवा नियम, 1991 में व्यवस्थापकों के लिये वेतन समझौते का कोई प्रावधान नहीं है। अत: समझौता न होने के लिये कोई दोषी नहीं है। वर्तमान में वेतन समझौता करने सम्बन्धी कोई प्रावधान भी विचाराधीन नहीं है।

(5) विधान सभा क्षेत्र दूदू में 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के कुछ रिक्त स्थान हैं, जिनमें 10 में सहायक व्यवस्थापक कार्य कर रहे हैं, सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चयनित व्यवस्थापकों में कुछ को अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है तथा 2 समितियां अव्यवस्थापकहीन हैं।

प्रश्न के बिन्दु संख्या-3 के उत्तर में वर्णित बिन्दु का निस्तारण होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर विचार किया जा सकेगा।

(6) वर्तमान में गाडोता, ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर श्री रमेश कुमार खण्डेलवाल, व्यवस्थापक, जयसिंहपुरा को अतिरिक्त कार्यभार सम्भलाया हुआ है।

स्थायी व्यवस्थापक की व्यवस्था के चयन प्रक्रिया सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण होने पर दूसरा लगा दिया जाएगा।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड संख्या 2 में जवाब दिया है कि व्यवस्थापकों का वेतन 1991 के अन्दर गठित वेतन कोष से दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जन भागिता पर आधारित है। किसी को लाभ होता है, तो उसके व्यवस्थापकों और सदस्यों में बांटा जाता है लेकिन घाटे की स्थिति में इन व्यवस्थापकों को वेतन कहां से दिया जाता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन व्यवस्थापकों की भर्ती न तो कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति करती है और न कोई उनका निलम्बन करती है। उनकी भर्ती का काम केन्द्रीय सहकारी बैंक के अनुमोदन से,

(श्री बाबूलाल नागर)

आदेश से होता है, तो इन व्यवस्थापकों को केन्द्रीय सहकारी बैंक का कर्मचारी मान लिया जाए या जिला स्तर पर कोई कैडर तैयार किया जाए। क्या सरकार ऐसा करने की मंशा रखती है?

अध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि व्यवस्थापकों के सेवा नियम सम्बन्धी चयन प्रक्रिया के आधार पर इनकी नियुक्ति का मामला बताया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार सहकारी आंदोलन की बात कर रही है, क्या आप बता पायेंगे कि व्यवस्थापकों की अंतिम भर्ती कौन से वर्ष में की गयी थी और उसको कितना समय हो गया है? दूसरा, जिस चयन प्रक्रिया से व्यवस्थापकों की भर्ती की गयी थी उसमें क्या रोस्टर प्रणाली काम में ली गयी थी, अगर काम में ली गयी थी तो वह बता दें। नहीं ली गयी, तो बैकलाग जो पैंडिंग चलता जा रहा है उसकी कब तक पूर्ति कर दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सरकार द्वारा इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जो हिस्सा राशि मिलती थी, उससे वह अपनी व्यवस्था का खर्चा चला लेती थी। पिछले दो वर्ष से हमारी राजस्थान की जो लोक कल्याणकारी सरकार है, ऐसी स्थिति में इन दो वर्षों से हिस्सा राशि जो बन्द कर दी गयी है, क्या वापस उसको इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देने की सरकार की मंशा है?

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है जो मेरे गाडोता के सम्बन्ध में है। मंत्री महोदय, आप इतना सा बता दें कि पिछले 10 वर्ष में इस गाडोता ग्राम सेवा सहकारी समिति ने क्या कारोबार किया है। ये तीन-चार छोटे-छोटे मेरे निवेदन हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सवाल करना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ जाये पहले।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद। मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन-चार सवाल पूछ लिये हैं। हकीकत यह है कि आप भी इस बात से बहुत परिचत हैं और अपन इन बैंकों का काम भी देख चुके हैं। राजस्थान को-आपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स कैडर अथोरिटी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन हुआ था 11.10.1976 को। इन कैडर अथोरिटी के मार्फत ही भर्ती शुरू की थी।

श्री अध्यक्ष : यह कहां हुआ था रजिस्ट्रेशन? अपेक्स बैंक के लेवल पर?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपेक्स बैंक से नहीं, यह सारा भर्ती करने का प्रोसीजर शुरू हुआ इस कैडर अथोरिटी के मार्फत। इस कैडर अथोरिटी में 8 डायरेक्टर थे, उन्होंने यह आदेश दिये, जिला लेवल के बैंक्स को उसके अन्दर।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने छोटे-छोटे चार प्रश्न पूछे थे। मंत्री महोदय से आग्रह है कि नम्बरवाइज जिस तरह मैंने पूछे हैं, जवाब देने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं वही तो दे रहा हूं न आपको।

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, आप तो पहले का, दूसरे का दे रहे हैं। नम्बरवाइज दे दीजिये जो मैंने पूछा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें सारे आ जाएंगे आपके।

श्री बाबूलाल नागर : आपका जवाब ही गोलमाल है। मैं तो समझ नहीं पाया आपका। सारे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आप तो नम्बरवाइज एक-एक बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नम्बरवाइज ही हैं। आप पूरी बात सुनेंगे तो सब इसमें आ जाएगा।

श्री बाबूलाल नागर : ठीक है साहब, फरमाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिला लेवल पर इस प्रकार से कमेटियां बनी थीं, उन कमेटियों के अन्दर चार-पांच मैम्बर रखे गये थे, उनकी मार्फत यह भर्ती की गयी थी। उन कमेटियों के अन्दर को-आपरेटिव बैंक का, वहां का एम.डी. था और वहां के इलेक्टेड अध्यक्ष थे, वहां पर एक कलक्टर का प्रतिनिधि था, एक उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को-आपरेटिव, उसी जिले का इस कमेटी ने बैठकर सलेक्शन किया। काफी सलेक्शन हुए और उनमें जैसा आप अभी बता ही रहे थे, बड़ी संख्या के अन्दर, करीब तीन हजार से ऊपर व्यवस्थापकों को चयनित कर लिया गया, ले लिये गये, काम करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद में परेशानी यह आयी कि इनकी तनखाह कौन दे? कैडर अथोरिटी ने यह तय किया था कि इसमें से ग्राम सेवा सहकारी समिति 1.80 हिस्सा देगी, सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक .65 हिस्सा देगा, अपेक्स बैंक .15 हिस्सा देगा। इस प्रकार से 2.60.

श्री बाबूलाल नागर : मैंने हानि का पूछा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति अगर हानि में चल रही है, तो उसके वेतन की क्या व्यवस्था है? घाटे में चल रही है तो वेतन की व्यवस्था क्या है?

(12.00 बजे)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो घाटे में चल रही हैं उसका इस फण्ड से, जो फण्ड मैं आपके सामने बता रहा हूं इस फण्ड में से उसको तनखाह दी जा रही है और अभी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

तक तो कार्य चल रहा है, लेकिन आगे और परेशानी आने वाली है, फिर यह कैडर अथोरिटी का क्या हुआ, आपके व्यवस्थापक ही हाई कोर्ट में गये और उन्होंने कहा कि सोसाइटी पर ज्यादा भार पड़ता है। हाई कोर्ट के डिसीजन में इस कैडर अथोरिटी को ही गलत मान लिया। उन्होंने कहा कि यह कौनसी है और किस तरह से आपने यह बनायी है। इसलिए इसको क्वेश कर दिया और साथ में जो नियम बनाये थे उनको भी क्वेश कर दिया। उसके बाद में फिर व्यवस्थापक भागे और सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया जो हाई कोर्ट ने दिया। उसके बाद में आज तक...

श्री अध्यक्ष : आप अपना उत्तर दीजिए। मंत्रीजी, उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्नकाल हो गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने के लिए सरकार को पांच साल पहले टाइम दिया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर संक्षेप में दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो उन्हीं का जवाब दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, या तो प्रश्नकाल दो घंटे का करो। (व्यवधान) आज तो मंत्रीजी के भाषण में ही प्रश्नकाल निकल चुका है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब देने के लिए कहा है पांच साल पूर्व। अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको पांच साल पूर्व आदेश किया है कि सरकार व्यवस्थापकों के बारे में जवाब दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं सारी पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं इस बारे में। (व्यवधान) 12 बज गये। मैं यह पूरा सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शार्ट में कह दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया उसके बाद में हमने यह कोशिश की कि इनको आखिर में किसका कर्मचारी माना जाए। डिपार्टमेंटल कहता है कि ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हैं और ज्यादा जिम्मेदारी ग्राम सेवा सहकारी समिति की है। व्यवस्थापक कहते हैं नहीं, हम ग्राम सेवा सहकारी समिति के नीचे नहीं रहना चाहते, हम बैंक के कर्मचारी होना चाहते हैं और हमको बैंक का कर्मचारी रखा जाए। इसके लिए हमने 30 बैठकें कीं, मेरे पास यह डिपार्टमेंट आया उसके बाद में हमने 17 बैठकें लगातार इस बात की, की हैं कि किसी प्रकार से हम और वे बैठ कर ऐसे कुछ सोलुशंस निकाल लें जिससे इनकी नौकरी भी पक्की हो जाए और इनको सैलेरी भी समय-समय पर मिलती रहे। लेकिन अभी तक हम इस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि आया ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के नौकर रहे अथवा ये बैंक के नौकर माने जाएं। बैंक कहते हैं कि हम तो खुद घाटे में हैं इसलिए हम इनको इतनी सैलेरी नहीं दे पाएंगे।

श्री अध्यक्ष : अब नम्बर नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन आवर है यह। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए इसी पशोपेश में हमारी बैठकें चल रही हैं। हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इनका पी.एफ. भी कट रहा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : इनके चुनाव कब करवा रहे हो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका निश्चित हम फैसला कर लेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भविष्य निधि स्कीम के तहत इनका फण्ड भी कट रहा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय मंत्री महोदय, सहकारी समितियों के चुनाव कब करवा रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : जवाब भी अधूरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जवाब अधूरा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अधूरा कैसे है?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस पर सप्लीमेंटरी तो अलाउ करो, यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आ गया उत्तर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूरे राजस्थान का प्रश्न है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ग्राम सेवा सहकारी समितियों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप। (व्यवधान) बैठिए आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे नियमों को, पुराने कैडर अथोरिटी को ही निरस्त कर दिया तो ग्राम सेवक कहीं के नहीं रहे। जब बैंक वाले उनको नहीं लेना चाहते तो राज्य सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, नये नियम बना दे। नये नियम बनाकर उनकी समस्या का समाधान करें।

श्री अध्यक्ष : किस सन्दर्भ में आप बात कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनका पी.एफ. भी कट रहा है। उनका पी.एफ. काटा जा रहा है, भविष्य निधि स्कीम के तहत उनका फण्ड भी काटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फिर ये परमानेंट नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आप बैठिए। क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया, तीन मिनट ऊपर हो गये हैं।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : पौन घंटा ले लेते हैं, साहब। अध्यक्ष महोदय, मंत्री पौन घंटा ले लेते हैं तो फिर...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनको स्थायी कर्मचारी बैंक का माना जाए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पैरों पर हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : उन्होंने भर्ती का फिर निर्देश दिया है। नयी भर्ती का निर्देश मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल का समय बढ़ा दीजिए एक घंटे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : भर्ती किन नियमों के तहत की जाएगी?

श्री अध्यक्ष : मीणाजी, बैठिए। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि स्कीम के तहत उनका पी.एफ. भी काटा जा रहा है, उनको बैंक का कर्मचारी माना जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजाजी, नीचे बैठिए आप। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ईदगाह कच्ची बस्ती, जयपुर में सीवर लाइन

487. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बास बदनपुरा, ईदगाह कच्ची बस्ती, जयपुर को ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के तहत सीवर लाइन डालने का कार्य दिया हुआ है? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि का? क्या उक्त कार्य शुरू हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उक्त कार्य शुरू कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कच्ची बस्ती में सड़क निर्माण एवं नालियों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि की? क्या उक्त कार्य शुरू हो गये हैं? यदि हां, तो कब एवं कब तक पूर्ण हो जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर के पत्र क्र. नविज/क.ब.शा./82-654 दिनांक 10.9.1982 के तहत कच्ची बस्ती हेतु भू-आबंटन नियमन पत्र जारी कर 5/- रुपये प्रति गज से राशि जमा की गई है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों से? क्या यह भी सही है कि उक्त में से आधे से अधिक लोगों को भू-आबंटन पत्र जारी

(श्री रामस्वरूप)

किये जा चुके हैं तथा बाकी लोगों को अभी तक भी भू-आबंटन पत्र जारी नहीं किये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब शेष रहे लोगों को कैम्प लगाकर उक्त भू-आबंटन पत्र जारी करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि भू-आबंटन हेतु उक्त बस्ती का कई बार सर्वे भी हो चुका है? यदि हां, तो कब-कब? क्या सरकार पुन: सर्वे कराकर भू-आबंटन पत्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इस सम्बन्ध में योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा जून, 2002 तक योजना बनने की सम्भावना है। अभी तखमीने पूर्ण नहीं होने के कारण कितनी राशि लगेगी, आकलन करना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। उक्त कच्ची बस्ती में सड़क निर्माण हेतु कार्यादेश क्रमांक 647/एसएओ/राशि 4,45,887/- रु. दिनांक 29.8.2001 को दिया जा चुका है तथा नाली निर्माण का बजट अप्राप्त होने के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। सड़क निर्माण का कार्य दिनांक 15.12.2001 से प्रगति पर है तथा दिनांक 5.9.2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) इस सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

(4) भाग संख्या-3 में इसका उत्तर निहित है।

सहायक अग्निशमन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

488. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1983 में लोक सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अग्निशमन अधिकारियों के रिक्त पद भरने हेतु कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समय में सहायक अग्निशमन अधिकारियों के कितने पद रिक्त थे? क्या उनको नियुक्तियां दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सूची में क्रम संख्या-6 पर अंकित अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, किन्तु वर्ष 1993 में राजस्थान नगरपालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अग्निशमन अधिकारियों के रिक्त पद भरने

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हेतु 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त समय में सहायक अग्निशमन अधिकारियों के 13 पद रिक्त थे। उक्त चयनित अभ्यर्थियों में से 6 को नियुक्ति दे दी गई है। दो को नियुक्ति नहीं दी गई है।

(3) उक्त सूची में क्रम संख्या–6 पर अंकित अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि उक्त चयनित सूची की वैधता की अवधि 6 माह व्यतीत हो गई थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अस्पतालों के कचरा निस्तारण के लिए इंस्ट्रोमेडिक्स कम्पनी के ठेके की जांच

489. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर के द्वारा अस्पतालों के कचरा निस्तारण के लिए इंस्ट्रोमेडिक्स नामक कम्पनी को दिये गये ठेके की सरकार द्वारा जांच करवाई जा रही है? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही विचाराधीन होने के बावजूद कम्पनी द्वारा अस्पतालों से शुल्क वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कम्पनी द्वारा एग्रीमेंट के आधार पर अस्पतालों से शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(2) अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका, सिरोही द्वारा जारी किए गए पट्टे

490. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका मण्डल, सिरोही ने मार्च, 2002 में कितने पट्टे, किस स्थान पर जारी किए हैं? उक्त पट्टे किन–किन व्यक्तियों को जारी किए गए हैं एवं इनकी भूमि का आकार कितना है और इन्हें पट्टे जारी करने का आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका मण्डल ने मार्च, 2002 में किस–किस व्यक्ति के पक्ष

(श्री संयम लोढ़ा)

में कितनी–कितनी भूमि के विक्रय–विलेख पंजीयन करवाए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मार्च, 2002 के जारी किए गए किसी पट्टे अथवा विक्रय–विलेख के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) नगरपालिका मण्डल, सिरोही ने मार्च, 2002 में कुल 9 पट्टे/विक्रय–विलेख जारी किये हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस भाग का उत्तर बिन्दु संख्या–1 संलग्न सूची में निहित है।

(3) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण/सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

विधायक नगर पूर्व की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

491. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या नगरीय एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लालकोठी विधायक नगर पूर्व, जयपुर की सड़क को टेलीफोन दूर संचार निगम तथा आवासन मण्डल ने खराब कर रखी है? क्या आये दिन कुछ न कुछ खुदाई कार्य होता रहता है?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क पर कैसा भी कार्य हो उसे महिनों तक कोई नहीं देखता है? उक्त सड़कों की किसकी जिम्मेदारी है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक सीवर लाइन डालने का कार्य आन्तरिक सड़कों पर सम्पादित कराया था तथा उसके पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीवर लाइन से आवासों को जोड़ने का कार्य हुआ था इस कारण खुदाई का कार्य किया गया था इसे अब ठीक करवा दिया गया है।

(2) जी नहीं। सड़क की मरम्मत का कार्य समय-समय पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कराया जाता है सन्दर्भित सड़क की मरम्मत एवं संधारण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है।

(3) जी हां। सीवर लाइन डालने के कारण हुई सड़क की खुदाई की मरम्मत करा दी गई है।

प्रश्न संख्या-492

(स्थगित).

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजनाओं का नगरपालिकाओं को हस्तान्तरण

493. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सी. ई. आर. की राशियों को आवासों की कीमत में शामिल कर वसूल करने के सम्बन्ध में आबंटियों को कब व किस प्रकार से सूचित किया जाता है? सी. ई. आर. राशियों की वसूली के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा अपनी 79वीं व 87वीं बैठकों में पारित निर्णय/आदेश की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अब तक अपनी किस-किस आवासीय योजना/कालोनी को कब-कब, किस-किस नगरपालिका को किन-किन शर्तों के अधीन, हस्तान्तरित किया जा चुका है?

(3) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित आवासीय योजनाओं/कालोनियों के आवासीय भू-खण्डों, भवनों, वाणिज्यिक भू-खण्डों निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भू-खण्डों/भवनों इत्यादि के आबंटियों/क्रेताओं से कुल कितनी सी.ई.आर. राशि वसूल की जा चुकी है व कुल कितनी सी.ई.आर. राशि वसूली से बकाया है? प्रत्येक आवासीय योजना/कालोनी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार वसूल की गई सी.ई.आर. राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की जा चुकी है? प्रत्येक आवासीय योजना/कालोनी की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूंकि सी.ई.आर. की राशि आवास की लागत का ही भाग है। अत: राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त राशि आबंटियों को आबंटन पत्र के द्वारा सूचित की जाती है। सी.ई.आर. राशि की वसूली के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा अपनी 79वीं एवं 87वीं बैठक में पारित निर्णय की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अब तक विभिन्न स्थानीय निकायों को समय-समय पर हस्तान्तरित की गई योजनाओं का वृतवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजनाओं/कालोनियों, आवासीय भू-खण्डों, भवनों, वाणिज्यिक भू-खण्डों, निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भूखण्डों/भवनों इत्यादि के आबंटियों/क्रेताओं से सी.ई.आर. की राशि उनकी लागत में सम्मिलित कर वसूली की जाती है जिसका अलग से ब्यौरा मण्डल में नहीं रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में मण्डल द्वारा अनुमानित राशि जो वसूली का भाग है, मानी जाकर उस मद से खर्च की जाती है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सी.ई.आर. की राशि की सूचना चूंकि अलग से संधारित नहीं की जाती है। अतः वसूली एवं खर्च का सम्पूर्ण ब्यौरा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका अधिनियम की धारा में संशोधन

494. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सभी कानूनों में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अपील करने के लिये समय सीमा निश्चित कर रखी है? यदि हां, तो क्या नगरपालिका अधिनियम की धारा 300 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त धारा में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पृथक-पृथक कानून के तहत अपील की सीमा उल्लिखित है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 300 में अपील सीमा सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

बीसलपुर बांध से जयपुर को पेयजल आपूर्ति में विलम्ब

495. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बीसलपुर बांध से जयपुर को पानी पहुंचाने की योजना पर कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कब से और अब तक क्या-क्या कार्य हुआ तथा क्या-क्या कार्य शेष है जो कब तक पूर्ण होगा जिस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी?

(2) जयपुर तक पानी पहुंचाने का कार्य कब तक पूर्ण होना था और अब कब तक पूरा होगा? क्या इसमें देरी हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर शहर को बीसलपुर बांध से पेयजल पहुंचाने की योजना को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 7.10.1999 को रुपये 1100 करोड़ की प्रदान की गई थी। योजना के दो मुख्य भाग हैं। ट्रांसमीशन सिस्टम तथा ट्रांसफर सिस्टम। प्रथम भाग ट्रांसमीशन सिस्टम के कार्य का मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एकल दायित्व प्रणाली के आधार पर करवाया जाना प्रस्तावित है। कार्य हेतु पूर्व योग्यता के मापदण्ड के अनुसार चयन कर निविदाएं मूलतः दिनांक 29.9.2001 को प्राप्त की जानी थी, परन्तु वित्त विभाग के स्तर पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

परियोजना के वित्त पोषण प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने बाबत निर्णय प्रक्रिया में होने से निविदा प्राप्त करने की उक्त दिनांक को स्थगित किया जा चुका है। योजना के दूसरे भाग ट्रांसफार सिस्टम में डिटेल्ड इंजीनियरिंग तथा टेण्डर डाकूमेंट बनाने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना कार्य पर वांछित धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में ही परियोजना के कार्य के समाप्त होने का आकलन किया जा सकता है।

(2) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा वित्त पोषण के प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने से पूर्व कार्य शुरू होने की तिथि तथा परियोजना कार्य के समाप्ति की अवधि निश्चित नहीं की जा सकी है।

जनता जल पनघट योजना का संचालन

496. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनता जल/पनघट योजना जो गांवों द्वारा चलाई जाती है, को ग्रामवासियों द्वारा नहीं चलाने की स्थिति में क्या सरकार उन्हें चलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनता जल योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का प्रमुख आधार पंचायत/स्थानीय समिति द्वारा संधारण की सहमति है। इस प्रकार की योजनाओं में विभाग द्वारा विद्युत खर्च तथा पम्प संचालन/पम्प मरम्मत के सन्दर्भ में अनुदान दिया जाता है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व पंचायत/समिति के साथ विभाग करार करता है, जिसके अनुसार क्रियान्वयन के पश्चात् योजना को चलाने की जिम्मेदारी पंचायत/समिति की ही होती है। उक्त करार के अन्तर्गत योजना पंचायत समिति द्वारा ही संधारित की जानी है।

परम्परागत जल स्त्रोतों की पंचायतों को सुपुर्दगी

497. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में परम्परागत जल स्त्रोतों के विकास हेतु राज्य में कितनी राशि व्यय हुई? स्त्रोतों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में केन्द्र व राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है?

(3) क्या यह सही है कि कई परम्परागत जल स्त्रोतों का कार्य अपूर्ण छोड़ दिया है?

(4) क्या सरकार ने उक्त योजना के क्रियान्वयन का कोई आकलन करवाया है? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त परम्परागत जल

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

स्रोतों को पंचायत की परिसम्पति सूची में सम्मिलित कर भविष्य में रख-रखाव का जिम्मा पंचायतों को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाम्परिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2000-2001 में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. मद में 14.90 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2001-2002 में (फरवरी, 2002 तक) 10.57 करोड़ रुपये व्यय किये गये। पूर्ण किये गये स्रोतों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी 3:1 के अनुपात में है।

(3) जी नहीं। 11 मार्च, 2002 तक संकलित सूचनाओं के अनुसार कार्यक्रम के तहत 18969 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 15864 कार्यों को प्रारम्भ किया जाकर 13422 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष पर कार्य प्रगति पर है।

(4) जिला स्तर पर समीक्षा तथा परीवीक्षण हेतु जिला कलक्टर स्तर पर कमेटी का गठन किया गया था। अब इनसे पूर्णता प्रतिवेदन बनवाया जा रहा है जिससे कार्य का आंकलन किया जा सके।

(5) योजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है तथा ये सार्वजनिक होने के कारण उनकी परिसम्पति है तथा भविष्य में रख-रखाव भी उनके द्वारा किया जाएगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र चूरू के मुख्य जल स्रोत से वंचित जलाशय

498. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विभिन्न योजनाओं व विधायक व सांसद कोष से निर्मित कितने जी.एल.आर. हैं जिन्हें अब तक मुख्य जल स्रोत से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार बिना जोड़े जी.एल.आर. को जल स्रोत से जोड़े जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2001-2002 में विधायक विकास कोष व सांसद विकास कोष से निर्मित जी.एल.आर. जिनसे पाइपों के पैसे भी विभाग ने पूर्व में तकनीकी अनुसार प्राप्त कर लिये हैं, को जल स्रोत से नहीं जोड़ा गया? यदि हां, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण रहा? क्या विलम्ब के कारण दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) तहसील चूरू के विभिन्न उप खण्डों में कितने कनिष्ठ व सहायक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभियन्ता के पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त तहसील में कितने जी.एल.आर. व कुओं की मरम्मत करवाना अत्यावश्यक है तथा कितने जी.एल.आर. की छत गिर गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है? उक्त कुओं व जी.एल.आर. की मरम्मत हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त तहसील के कौन–कौन से ग्रामों में विभागीय कर्मचारी उपस्थित नहीं रहने की शिकायतें कितनी बार अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को ग्रामवासियों, जन प्रतिनिधिगण व विधायक ने विगत दो वर्षों में की है? उक्त शिकायतों के आधार पर क्या–क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं से निर्मित सभी जी.एल.आर. पेयजल लाइन से जुड़े हुए हैं। विगत वर्षों में विभाग को अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट से निर्मित जी.एल.आर. की संख्या 12 है, जिन्हें स्रोत से जोड़ा जाना शेष है। उक्त जी.एल.आर. की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चूरू से बिना पाइप लाइन के प्रावधान के हुई। जिनके जोड़ने पर प्राथमिक आकलन के अनुसार रु. 6.47 लाख का एस्टीमेट है। उक्त राशि की स्वीकृति अभिकरण द्वारा करने पर जोड़ा जाना सम्भव होगा। गांव जसवन्तपुरा में सांसद कोष से स्वीकृत एक जी.एल.आर. निर्माणाधीन है। कार्य पूरा होते ही स्रोत से जोड़ दिया जावेगा।

(2) चूरू विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001–2002 में जी.एल.आर. निर्माण हेतु सांसद/विधायक कोष से नई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

प्रश्न के भाग 1 में वर्णित गांव जसवन्तपुरा में सांसद कोष से वर्ष 2000–2001 में स्वीकृत जी.एल.आर. वर्तमान में निर्माणाधीन है। उक्त स्वीकृति में पाइप लाइन का प्रावधान सम्मिलित है। जी.एल.आर. का निर्माण पूर्ण होने पर इसे पाइप लाइन डाल कर स्रोत से जोड़ना सम्भव होगा।

(3) तहसील चूरू के अन्तर्गत 3 उप खण्ड कार्यालय में सहायक अभियन्ता तथा खण्ड कार्यालय में 2 सहायक अभियन्ता (कुल 5 सहायक अभियन्ता) के पद स्वीकृत हैं। राजस्व उप खण्ड चूरू में सहायक अभियन्ता का पद दिनांक 19.2.2001 से रिक्त है। जिसका कार्य खण्ड चूरू में पद स्थापित सहायक अभियन्ता द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उक्त 3 उप खण्डों में 7 कनिष्ठ अभियन्ता के पद स्वीकृत है जिसमें से 1 कनिष्ठ अभियन्ता का पद दिनांक 11.3.2002 से रिक्त है। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण स्थानान्तरण से पद भरना सम्भव नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) तहसील चूरू में प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार 9 जी.एल.आर. एवं 6 कुओं की मरम्मत करना आवश्यक है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस हेतु प्राथमिक आकलन के अनुसार रु. 6.90 लाख की आवश्यकता होगी। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(5) चूरू तहसील के गांव खासौली, सातड़ा, चूरू शहर एवं सहनाली छोटी पर कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के उपस्थित नहीं रहने के कारण ग्रामवासियों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा 4 बार शिकायतें की गई। उक्त शिकायतों पर 4 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया एवं 2 कर्मचारियों को अन्यत्र लगाया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

गोविन्दपुरी, रामनगर, सौडाला जयपुर में जलापूर्ति

499. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर के "डी" ब्लाक के निवासियों ने सरकारी पाइप लाइन बिछाने हेतु आवेदन किया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त कालोनीवासियों को पानी की सप्लाई हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या?

(3) उक्त "डी" ब्लाक के निवासियों को पानी की व्यवस्था हेतु अभी तक पाइप लाइन की सप्लाई नहीं देने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त कालोनी में पानी की व्यवस्था की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह आवेदन पत्र विभाग में सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सिविल लाइन जयपुर के कार्यालय में वर्ष 2000 में प्राप्त हुआ था।

(2) जी हां। विभाग द्वारा क्षेत्र में नलकूप बनाने तथा पेयजल वितरण लाइनों की योजना प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं।

(3) नियमानुसार प्रचलित सहभागिता नीति के अनुसार कालोनियों को आवेदन पत्र के साथ ही 25 प्रतिशत भू-खण्डधारियों के भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार सहभागिता राशि जमा करानी चाहिए थी, जो कि जमा नहीं करवायी गयी। अत: योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

नई सहभागिता नीति का अनुमोदन विभाग की नीति-निर्धारण समिति द्वारा माह जनवरी, 2002 में हो चुका है। जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के प्रस्ताव विभाग के पत्रांक 892 दिनांक 1.3.2002 के द्वारा वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये हैं। वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् इन दिशा-निर्देशों को विभाग के अधिकारियों को जारी किया जावेगा। उसी के अनुरूप ही योजना प्रस्तावों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की स्वीकृति का कालोनीवासियों को सहभागिता राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जावेगा। कालोनीवासियों से निर्धारित सहभागिता राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की ढाणियों एवं गांवों की क्षतिग्रस्त डिग्गियों की मरम्मत

500. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ढाणी/गांवों में पीने का मीठा पानी उपलब्ध करा रही है? यदि हां, तो किस-किस योजना के द्वारा?

(2) क्या सरकार पुरानी क्षतिग्रस्त टंकी व डिग्गियों को दुबारा बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार आगामी गर्मियों से पूर्ण लखवाली, जोरावरपुरा, भैरूपुरी, कलालावाली ढाणी, खिदासरी-जबलीकलां खुर्द, मेहरवाला चक वाई एस.पी.डी. की सेम ग्रस्त व क्षतिग्रस्त डिग्गियों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत 619 आबाद गांव हैं जिनमें से 590 गांव विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभांवित हैं। शेष 29 जिनकी आबादी 20 से कम है जो अलाभांवित हैं जिन्हें वर्तमान में विभागीय नीति अनुसार लाभांवित नहीं किया जाना है :-

क्र. सं.	तहसील	जल योजनाओं का प्रकार व लाभांवित गांवों की संख्या						अलाभांवित गांव 20 से कम आबादी वाले	कुल आबाद ग्राम
		क्षेत्रीय	पनघट	पाइप्ड	हैण्ड पम्प	सेनेट्री डिग्गी	कुल		
1.	टिब्बी	119	04	02	104	04	233	02	235
2.	हनुमानगढ़	72	01	–	35	–	108	12	120
3.	रावतसर	93	10	10	90	27	230	12	242
4.	नोहर	03	02	05	05	04	19	03	22
	योग	287	17	17	234	35	590	29	619

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपरोक्तानुसार कुल 590 गांवों को विभागीय योजनाओं के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त गांवों में से 543 गांवों में वितरित किये जा रहे पानी की गुणवत्ता विभागीय मापदण्डों के अनुरूप है। टिब्बी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 15 ढाणियां चिन्हित हैं। जिनमें से 04 को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं 02 ढाणियां गैर आबाद हो चुकी हैं। शेष 09 वर्तमान में अलाभांवित हैं।

(2) टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में कोई टंकी (उच्च जलाशय) मरम्मत योग्य नहीं है। विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कुल 25 डिग्गियां मरम्मत योग्य हैं। जिनके प्रस्ताव बनाकर प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति बाबत निर्णय के पश्चात बजट एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार मरम्मत करवाई जानी प्रस्तावित है।

(3) गांव लखुवाली के लिए अन्य हैड वर्क्स निर्मित करके पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसलिए सेमग्रस्त डिग्गी की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। गांव जोरावरपुरा की संवर्धन जलयोजना स्वीकृत हो चुकी है। बजट एवं संसाधन की उपलब्धि के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति अनुसार क्षतिग्रस्त डिग्गी की मरम्मत करवाली जावेगी। गांव भैरूसरी की डिग्गियां क्षतिग्रस्त न होने के कारण मरम्मत करवाने की आवश्यकता नहीं है। कलालावाली ढाणी की क्षतिग्रस्त डिग्गी को मरम्मत करवाने हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। गांव केदासरी की डिग्गी क्षतिग्रस्त न होने के कारण मरम्मत करवाने की आवश्यकता नहीं है। गांव जबलीकलां खुर्द की संवर्धन जलयोजना के प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण में हैं। गांव मेहरवाला के भूजल स्रोत के अनुरूप संवर्धन जलयोजना बनाई जा रही है। 4 सी.वाई.एम. की डिग्गी मरम्मत के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स उदयपुर के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय

501. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स उदयपुर ने वर्ष 1993 में मार्बल व्यवसाय प्रारम्भ किया है? यदि हां, तो उसके लिए अब तक भवन कार्यालय और विद्युत आपूर्ति डी.जी. सैट पावर लाइन मशीनरी सड़क और अन्य पर कुल कितना व्यय किया गया? वर्ष 1993 से 2001 तक की इस मार्बल व्यवसाय पर किये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गये वार्षिक आय व्यय वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्बल व्यवसाय के निमित्त कितने अधिकारियों ने कब-कब विदेश यात्राएं कीं उक्त पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया?

(3) उक्त विदेश यात्रा के बाद कुल कितना मार्बल विदेशों को भेजा गया? उससे कुल कितनी आय प्राप्त हुई?

(4) क्या ग्रीन मार्बल में कार्यरत अधिकांश व्यवसायी ग्रीन मार्बल के माध्यम से बहुत अच्छी आय कर रहे हैं? यदि हां, तो विभाग के पास इतना अच्छा क्षेत्र होते हुये भी घाटा क्यों हो रहा है? क्या कभी इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1993 से अब तक ग्रीन मार्बल व्यवसाय में निम्न व्यय किया गया है।

भवन एवं रोड	रुपये 26 लाख
विद्युत उपकरण, डी.जी. सैट आदि	रुपये 25.76 लाख
अन्य माइनिंग एवं उपकरण	रुपये 601.23 लाख

आय व व्यय का वर्षवार विवरण :

वर्ष	आय (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)
1993-94	शून्य	शून्य
1994-95	शून्य	3290
1995-96	18.27	143.66
1996-97	24.49	136.50
1997-98	25.57	86.66
1998-99	24.31	145.11
1999-2000	24.55	157.65
2000-2001	33.57	146.91

(2)

1.	श्री पी. के. देव, प्रबन्ध निदेशक	2.6.1994 से 30.6.1994
2.	श्री जी. एस. मेहता, जी.जी.एम. (P&S)	21.9.1994 से 30.9.1994
3.	श्री एस. विजयवर्गीय, (Sr. M. (Mech.)	21.9.1994 से 30.9.1994
4.	श्री पी. के. देव, प्रबन्ध निदेशक	4.10.1995 से 14.10.1995
5.	श्री एस. पी. गुप्ता, निदेशक	4.10.1995 से 13.10.1995
6.	श्री पी. के. देव, प्रबन्ध निदेशक	22.10.1996 से 13.11.1996
7.	डा. आर. चौधरी, जी.जी.एम. (प्रोजेक्ट)	22.10.1996 से 13.11.1996

(राज्य मंत्री, खनिज)

8. श्री एम. एल. गोयल, जी.जी.एम. ग्रीन मार्बल	19.10.1996 से 6.11.1996
9. श्री राकेश भटनागर, उप प्र. (मार्के)	19.10.1996 से 6.11.1996
10. श्री वी. के. बोहरा, उप प्र. (माइनिंग)	19.10.1996 से 6.11.1996

(3) ग्रीन मार्बल स्लेब का एक कंटेनर 4.70 लाख का ट्रायल के आधार पर दुबई भिजवाया गया था।

(4) ग्रीन मार्बल के व्यवसायियों द्वारा ग्रीन मार्बल से प्राप्त होने वाली आय की विभाग में जानकारी नहीं है। कारपोरेशन के अनुसार उपलब्ध ग्रीन मार्बल क्षेत्र में पाये जाने वाला खनिज अच्छी गुणवतावाला नहीं है तथा अधिकांश ब्लाक में काफी दरारें (क्रेक्स) होती है। राज्य सरकार ने निगम को निर्देश दिये हैं कि प्रकरण को निगम के बोर्ड में रखा जाये तथा आवश्यक कार्यवाही की जा कर सूचित किया जाए।

उप खण्ड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के आदतन अपराधी

502. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में ''आदतन अपराधी'' (हिस्ट्रीशिटर) के फोटो एवं सीने में अपराध के विवरण की तख्ती लगाकर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है ताकि इन आदतन अपराधियों से नागरिक सचेत रहे? यदि हां, तो पुलिस स्टेशन प्रतापगढ़, धमोतर, रठाजना, सुहागपुरा, अरनोद एवं सालमगढ़, उप खण्ड प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में लग रहे ऐसे अपराधियों की सूची मय अस्थाई/स्थाई पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) आदतन अपराधियों के क्या कोई परीविक्षा देने का प्रावधान पुलिस कानून में है जिससे इन आदतन अपराधियों का नाम निश्चित समय पश्चात् हटाया जा सके?

(3) आदतन अपराधी की क्या परिभाषा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थानों में आदतन अपराधी (हिस्ट्रीशीटर) की फोटो का प्रदर्शन नागरिकों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि से सजग रहने के लिए किया जाता है। पुलिस स्टेशन प्रतापगढ़ धमोतर, रठाजना, सुहागपुरा, अरनोद एवं सालमगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के ऐसे आपराधियों की सूची मय स्थायी पते के परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) परिभाषा परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में फैले सट्टे पर रोक हेतु योजना

503. डा. क़िरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला सवाईमाधोपुर में फैलते हुए सट्टे को रोकने के लिए आपरेशन गैम्बलर प्रारम्भ किया है? यदि हां, तो जिले भर में कितने सट्टे कब-कब कहां पकड़े गये। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सवाईमाधोपुर पुलिस ने आपरेशन गैम्बलर योजना बनाकर एक नया दिशा-निर्देश दिया है? क्या सरकार प्रदेश स्तर पर इस प्रकार आपरेशन चलाकर सट्टे पर प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? आपरेशन गैम्बलर का प्रारूप विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में फैलते हुए सट्टे को रोकने के लिये ''आपरेशन गैम्बलर'' के नाम से 1 जनवरी, 2002 से जुआ, सट्टा धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है जिसकी अवधि 1.1.2002 से 31.3.2002 तक रखी गई है। जिले भर में जुआ, सट्टा, धरपकड़ अभियान के दौरान दिनांक 1.1.2002 से 28.2.2002 तक पंजिबद्ध अभियोगों की संख्या थानेवाइज निम्न प्रकार है :- कोतवाली सवाईमाधोपुर-8, मानटाउन-12, चौथ का बरवाड़ा-2, बोली-2, मलारना डूंगर-2, खण्डार-2, गंगापुर सिटी-16 बामनवास-3, वजीरपुर-3 कुल योग 50 हैं।

(2) प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्पेशल/लोकल एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाही उस जिले में ऐसे अपराधों के अधिक/कम घटित होने पर निर्भर करती है। जिला विशेष पुलिस अधीक्षक स्तर पर अधिक घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये समय-समय पर जुआ, सट्टा, जैसी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाते हैं।

राजस्थान पुलिस सेवा में पिछड़े वर्ग का चयन

504. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान पुलिस सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान पुलिस सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 37 व्यक्तियों का चयन हुआ है। वर्षवार चयनित व्यक्तियों का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता एवं जाति की जिलेवार सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थानों में अनुसूचित जाति/ जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के पदस्थापित सब इंस्पैक्टर

505. श्री अमीन खान (शिव): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने अनुसूचित जाति/ जनजाति व अल्प संख्यक इंस्पैक्टर/सब इंस्पैक्टर हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के कितने थानों में थाना अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्प संख्यक वर्ग के हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति के 277, अनुसूचित जनजाति के 190 व अल्प संख्यक वर्ग के 156 इंस्पैक्टर/सब इंस्पैक्टर पदस्थापित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) राज्य में अनुसूचित जाति के 54 अनुसूचित जनजाति के 53 व अल्पसंख्यक वर्ग के 37 पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक थानाधिकारी के पद पर पद स्थापित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

बांदीकुई महाविद्यालय (दौसा) के छात्र का हत्या प्रकरण

506. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई महाविद्यालय (दौसा) के छात्र श्री ओमप्रकाश की हत्या के बाद दिनांक 24.9.2001 को जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने थाना मानपुर में सद्‌भावना समिति की बैठक आयोजित की थी? यदि हां, तो इसकी अध्यक्षता किसने की?

(2) उक्त सद्‌भावना समिति की बैठक में जिला अधिकारियों के अलावा मीणा एवं गुर्जर समाज के मुखियाओं सहित एवं गुर्जर समाज के मुखियाओं सहित अन्य कौन-कौन लोग उपस्थित थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैठक में सदैव सद्‌भावना बनाए रखने एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा भड़काऊ बात कह कर दोनों समुदाओं में झगड़ा कराने की हरकत से सावधान रहने का सर्व-सम्मत निर्णय किया था? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने मृतक के परिवार को बांदीकुई के सोनी हत्या काण्ड की तर्ज पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। छात्र ओमप्रकाश की हत्या के कारण उत्पन्न तनाव पर चर्चा करने हेतु दिनांक 24.9.2001 को कुछ प्रमुख नागरिक एकत्रित हुए और उपस्थित लोगों की आपसी सहमति से श्री बनीप्रसाद शर्मा वकील को बैठक संचालन के लिए अध्यक्ष मनोनित किया गया। जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक महुआ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मानपुर पहुंचे व बैठक में शामिल हुए।

(2) जी हां। मीणा एवं गुर्जर समाज के मुखियाओं सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार द्वारा मृतक ओमप्रकाश के परिजनों को रु. 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) स्वीकृत कर जरिए डी.डी. नम्बर 00009 दिनांक 22.11.2001 द्वारा भिजवाए गए थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला करौली में डकैतों के विरुद्ध कार्यवाही

507. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली के ग्राम चिरचिरी का निवासी श्री रामसिंह कुछ लोगों की हत्या कर फरार हो गया था? यदि हां, तो कितने लोगों की कब हत्या की गई? मय मुकदमों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उसके बाद श्री रामसिंह खुंखार डकैत हो गया जिसने दस्यु सुन्दरी सुरजो से विवाह कर, मिलकर हत्या, डकैतियां, अपहरण जैसे जघन्य कृत्य किये? यदि हां, तो फरार होने से अब तक कितने मुकदमे जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में दर्ज किये गये? मय प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने ऐसे खुंखार एवं दुर्दान्त डकैत से निजात पाने के लिये कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या-क्या और कब-कब? इस सम्बन्ध में उसे सहयोग देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला करौली के ग्राम चिरचिरी थाना करनपुर निवासी रामसिंह ने दिनांक 16.9.1981 को श्री गुलाब मीणा, निवासी चिरचिरी की हत्या की थी। जिस पर अपराध सं. 68/81 धारा 307, 302, 149 भादसं थाना कैला देवी पर पंजीबद्ध हुआ था। इस प्रकरण में रामसिंह/रामस्वरूप को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जमानत के बाद रामसिंह फरार हो गया। फरार होने के बाद

(गृह मंत्री)

की गई हत्याओं और दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) रामसिंह उर्फ रामस्वरूप अ.सं. 68/81 धारा 307, 302, 149 भादसं थाना कैलादेवी में न्यायालय से जमानत पश्चात् फरार हो गया एवं डकैत खुमानी गुर्जर के गिरोह में सरीक हो गया तथा खुमानी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद दस्यु भगवान सिंह के गिरोह में शामिल हो गया बाद में दस्यु रामसिंह ने अपनी पृथक गैंग बना लिया जिसमें श्रीमती सुरजो पुत्री धन्ना जाति गुर्जर निवासी सेवटी कला थाना खण्डार जिला सवाईमाधोपुर को अपनी रखैल रख लिया व अपनी गैंग का सदस्य बना लिया व उसके साथ मिलकर डकैती, लूट व हत्या के अपराध किये। फरार होने से अब तक जिला करौली में 32 अभियोग एवं सवाईमाधोपुर में 9 अभियोग दर्ज किये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) खुंखार दस्यु रामसिंह की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये एवं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस एवं आर.ए.सी. की सशस्त्र पार्टियां, ए.डी.एफ. में लगाई हुई हैं। जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर की पुलिस की संयुक्त टीम दस्यु की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु गठित कर लगाई हुई है इस सम्बन्ध में दस्यु रामसिंह के सहयोग करने वाले निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार कार्यवाही की गई है :–

1. रामजीलाल गुर्जर निवासी दड़की के विरुद्ध अ.सं. 128/89 धारा 216ए भादसं 11 एडीएफ एक्ट थाना सपोटरा में दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।
2. कल्याण गुर्जर निवासी चिरचिरी के विरुद्ध अ.सं. 135/89 धारा 216ए भादसं थाना सपोटरा में दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।
3. गुलाब गुर्जर निवासी काटरा के विरुद्ध अ.सं. 148/89 धारा 216ए भादसं 11 एडीएफ एक्ट थाना सपोटरा पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।
4. रामजीलाल गुर्जर निवासी दड़की के विरुद्ध अ.सं. 163/94 धारा 216ए भादसं 11 एडीएफ एक्ट थाना सपोटरा पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।
5. रामदयाल गुर्जर व कमल गुर्जर निवासी मरोना के विरुद्ध अ.सं. 114/98 धारा 216ए भादसं थाना मण्ड्रायल पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।
6. जगन गुर्जर निवासी झुग्गीपुरा व घमण्डी गुर्जर निवासी राधेकापुरा एवं लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण निवासी सलेमपुर के विरुद्ध अ.सं. 68/86 धारा 216 ए भादसं थाना कैलादेवी पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

(गृह मंत्री)

7. लटूर गुर्जर निवासी खोरी के विरुद्ध अ.सं. 89/86 धारा 216ए भादसं थाना केलादेवी पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया है।

8. रूपा जाटव निवासी सिकारगंज करौली व रामभजन गुर्जर निवासी जाखेर के विरुद्ध अ.सं. 5/87 धारा 216ए भादसं थाना कैलादेवी पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

9. हरीचरण नाई निवासी दलापुरा व बनेसिंह गुर्जर निवासी भिसुरी, रमेश कुम्हार निवासी बहादुरपुर के विरुद्ध अ.सं. 59/87 धारा 216ए भादसं थाना केलादेवी पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

10. रामजीलाल गुर्जर नि. दड़की, बाबूलाल, बच्चू गुर्जरान नि. दड़की, प्रभू गुर्जर नि. बीकला के विरुद्ध अ.सं. 14/95 धारा 216ए भादसं थाना केलादेवी पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

11. बदरी गुर्जर निवासी कुर्तकी के विरुद्ध अ.सं. 104/96 धारा 216ए भादसं 11 ए.डी.एफ. एक्ट थाना केलादेवी पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

12. जंगलिया मीणा निवासी जाखर के विरुद्ध अ.सं. 312/85 धारा 216ए भादसं थाना करौली पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

13. जगललाल गुर्जर निवासी जाखेर के विरुद्ध अ.सं. 18/86 धारा 216ए भादसं थाना करौली पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

14. सीताराम गुर्जर निवासी केशवपुरा के विरुद्ध अ.सं. 83/86 धारा 216ए भादसं थाना करौली पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

15. मिश्रीलाल जाटव निवासी मण्डावरा के विरुद्ध अ.सं. 92/86 धारा 216ए भादसं थाना करौली पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

16. गोपाल गुर्जर निवासी बिसुरी के विरुद्ध अ.सं. 366/87 धारा 216ए भादसं थाना करौली पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

17. नागा गुर्जर निवासी बाजोली के विरुद्ध अ.सं. 411/89 धारा 216ए भादसं थाना करौली पर दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

18. बालमुकुन्द गुर्जर निवासी सावटा, पप्पू गुर्जर निवासी मोजीपुरा के विरुद्ध अ.सं. 2/02 धारा 341, 323, 386, 387 भादसं व 11 ए.डी.एफ. एक्ट थाना सपोटरा में दर्ज किया जाकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

19. छीतर रेबारी, बाबुदान सिंह रेबारी, रामस्वरूप रेबारी, देसराज रेबारी, हरकेश नाई, कल्ला नाई व रघुवीर गुर्जर निवासीगण तलावड़ा के विरुद्ध अ.सं. 89/01 धारा 143, 323, 341, 307, 216 ए भादसं थाना खण्डार स.मा. पर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद

(गृह मंत्री)

अनुसंधान उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये गये। अभियोग अनुसंधानाहीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पांचवीं बटालियन के निलम्बित कांस्टेबल को निर्वाह भत्ते का भुगतान निलम्बन प्रकरण

508. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पांचवीं बटालियन आर. ए. सी. जयपुर में गत दो वर्ष में कुछ कांस्टेबलों को विभागीय जांच के पश्चात् सेवा से बरखास्त किया गया? यदि हां, तो कांस्टेबल नं. 779 के विरुद्ध की गई विभागीय जांच तथा उक्त जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा लिये गये दस्तावेजों व गवाहों के बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी को उसकी निलम्बनकाल में भी बीमारी के कारण कई बार अनुरोध करने व विभाग द्वारा मंगाये जाने पर वेतन प्राप्ति रसीद भी दे दिए जाने के पश्चात् भी किसी प्रकार का निर्वाह भत्ता नहीं दिया? यदि हां, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निलम्बित व बीमार कर्मचारी से कई माह की वेतन प्राप्ति रसीद मंगाने के पश्चात् वेतन नहीं भिजवाने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उक्त के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त कर्मी को उसके निलम्बन काल के निर्वाह भत्ते (वेतन) का अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गत दो वर्ष में 5 वीं बटालियन आर.ए.सी. जयपुर में कुछ कांस्टेबलों को विभागीय जांच के पश्चात् सेवा से बरखास्त किया गया है। कांस्टेबल नं. 779 के विरुद्ध की गई जांच के निर्णय की प्रति संलग्न है।

(2) कांस्टेबल 779 के विरुद्ध फर्जी नाम, पता एवं शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण विभागीय जांच की गई तथा विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त कांस्टेबल को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। उक्त कांस्टेबल फर्जी नाम, पता एवं शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती हुआ था। अत: उसे किसी प्रकार का निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 में अंकित उत्तर के अनुसार।

(4) बिन्दु संख्या 2 में अंकित उत्तर के अनुसार।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना कलिंजरा में दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही

509. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री वालजी, श्री हवजी पिता श्री धन्ना भील निवासी चिरोला-घोटा ने दिनांक 21.12.2001 को अपराध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था?

(2) क्या यह भी सही है कि शांडिल्य एग्रो सैल्स हरिप्रिया पुलिस स्टेशन डबोक उदयपुर हाल शाखा पशु चिकित्सालय के पीछे दाहोद रोड बांसवाड़ा की जिला उदयपुर व बांसवाड़ा में उक्त फर्म की दुकान नहीं होना, नगरपालिकाओं से ट्रेड का लाइसेंस नहीं लेना, वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन नहीं करना आयकर विभाग को फर्जी आकड़ों द्वारा आय नहीं बताना और बांसवाड़ा जिले की राज बैंक, बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं के मैनेजरों तथा पंचायत समिति के विकास अधिकारियों, ग्रामीण विकास के अधिकारियों की मिली-भगत से जन जाति कृषकों को कई योजना अन्तर्गत सीधे ही बैंक मैनेजरों द्वारा फर्म के कोटेशन लाकर कृषकों के हस्ताक्षर, अंगुष्ठ लगाकर, 17 हजार के डीजल पम्प सेट व पाइपों के 30 हजार रुपये की राशि उठा लेना भारतीय दण्ड संहिता अपराध धारा 420 के अन्तर्गत अपराध बनता है? यदि हां, तो पुलिस थाना कलिंजरा ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री बालजी एवं हवजी पुत्र धन्ना भील निवासी चिरोला-छोटा ने दिनांक 21.12.2001 को श्री शंकरलाल यादव, शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे बडोदिया व श्री पी.के शर्मा मालिक शांडिल्य एग्रो सैल्स हरिप्रिया, फिलिंग स्टेशन के पास, डबोक उदयपुर हाल शाखा पशु चिकित्सालय के पीछे, दाहोद रोड, बासंवाड़ा के विरुद्ध एक परिवाद पेश किया था, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा यह शिकायत की गई थी कि कम कीमत का सामान मैसर्स शांडिल्य एग्रो सैल्स, हरिप्रिया व बैंक ने मिलीभगत करके प्राथीगण को उनके पक्ष में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण के तहत उपलब्ध कराया है। प्रस्तुत परिवाद से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध नहीं बनना पाया जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने इसकी जांच थानाधिकारी, कलिंजरा से करवाई।

(2) प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद में पुलिस विभाग से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं की जांच पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा के निर्देशन में कराई जा चुकी है। जांच से किसी के विरुद्ध कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया है।

कोटा-ग्रामीण के पुलिस स्टेशनों में वाहन सुविधा

510. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पुलिस अधीक्षक, कोटा (ग्रामीण) के अन्तर्गत आने वाले पुलिस स्टेशनों में आज भी वाहन (जीप) उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कितने पुलिस स्टेशन पर? वाहन रहित थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गाड़ी के अभाव में किसी भी घटना (केस) के होने पर मुलजिम को समय पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? क्या उक्त अभाव में आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पाती है?

(3) क्या सरकार उक्त पुलिस स्टेशनों में शीघ्र जीप उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कोटा (ग्रामीण) के अन्तर्गत आने वाले 6 पुलिस थानों पर उनको आबंटित वाहन नाकारा घोषित होने के कारण वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। पुलिस थाना कैथून, बपावर, अयाना, कनवास, मण्डाना तथा सीमलिया पर वाहन उपलब्ध नहीं है।

(2) अपराधों में अभियुक्त को पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किया जाता है।

(3) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

पुलिस मुख्यालय जयपुर में नियम विरुद्ध पदस्थापन

511. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस मुख्यालय जयपुर में कतिपय कर्मचारी लगभग 15-20 वर्षों से एक ही शाखा/अनुभाग में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारी कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक व सहायक आदि पदों पर दो-दो पदोन्नति पश्चात् भी पुलिस मुख्यालय पर ही कार्यरत हैं तथा उनका, उनकी प्रथम नियुक्ति से अब तक जयपुर स्थित पुलिस विभाग के अन्य कार्यालयों या राज्य के अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों में एक बार भी स्थानान्तरण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दूसरी ओर अन्य जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कई कर्मचारियों को उनके बार-बार अनुरोध पश्चात् भी एक बार भी पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय में ही प्रथम

(श्री यादराम मेघवाल)

नियुक्ति लम्बे समय से एक से दूसरे अनुभाग में पदस्थापित उक्त कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस मुख्यालय जयपुर में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो 15–20 वर्षों से एक ही शाखा/अनुभाग में कार्यरत रहा हो।

(2) यह सही है कि पुलिस मुख्यालय में कुछ कर्मचारियों ने विभिन्न शाखाओं में कार्यरत रहते हुए दो–दो पदोन्नतियां प्राप्त कर ली हैं जिन्हें कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक का क्लोज कैडर होने के कारण अन्य जिला यूनिटों में स्थानान्तरित नहीं किया गया है, तथा कार्यालय सहायक व कार्यालय अधीक्षक का ओपन कैडर होने के कारण प्राथमिकता के आधार पर जिला यूनिटों/अनुभागों में स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाते रहे हैं। कार्यालय सहायक से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) यह सही नहीं है। जिला यूनिट मुख्यालयों से पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित हेतु समय–समय पर जो अनुरोध पत्र प्राप्त होते हैं, उन पर निर्धारित नीति के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा विचार किया जाकर उचित कार्यवाही की जाती है।

(4) राज्य सरकार/पुलिस विभाग के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सुजानगढ़ जिला चूरू के पार्षद द्वारा दर्ज चोरी प्रकरण

512. श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सुजानगढ़ जिला–चूरू के पुलिस स्टेशन पर दिनांक 16.6.2001 को नगरपालिका के पार्षद श्री मदन लाल द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया था? यदि हां, तो अभी तक चोर क्यों नहीं पकड़ा गया?

(2) उक्त वारदात में लिप्त ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद क्यों छोड़ दिया गया? क्या फरियादी द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को सम्बोधित पत्र की प्रति डी.जी. पुलिस को भी दी गई थी? यदि हां, तो उसके बावजूद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम क्यों रही?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ जिला–चूरू के पुलिस स्टेशन पर दिनांक 16.6.2001 को नगर पालिका पार्षद श्री मदनलाल द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया बल्कि श्री मदनलाल के पुत्र श्री सुरेश इन्दौरिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था।

२१५५
राजस्थान विधान सभा
पुस्तकालय, जयपुर

(गृह मंत्री)

मुकदमा में बलवीर सिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह, जाति राजपूत, निवासी ढाणी बिरजू सिंह, थाना शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(2) वारदात में लिप्त जीप चालक बलवीर सिंह पुत्र दुर्गासिंह, राजपूत निवासी बिरजू सिंह की ढाणी, पुलिस थाना शाहपुरा को दिनांक 10.12.2001 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

फरियादी द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक पुलिस को भी दी थी।

एक मुलजिम श्री बलवीर सिंह गिरफ्तार किया जा चुका है, शेष मुलजिमान को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला चूरू को निर्देश दिये गये हैं।

सूरतगढ़ स्टेट ट्रेडिंग उपवन मण्डल में अनियमितताएं

513. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सूरतगढ़ स्टेट ट्रेडिंग उपवन मण्डल कार्यालय कब प्रारम्भ हुआ तथा बाद कायमी कार्यालय पर किन–किन डी.एफ.ओ. की तैनाती हुई? पदस्थापन तिथि सहित कार्यकाल बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री कल्याण सागर डी.एफ.ओ. की तैनाती सूरतगढ़ में कब हुई? सूरतगढ़ उपवन मण्डल के अधीन कितनी रेंजें हैं? उक्त रेंज अधिकारीगण के नाम क्या–क्या हैं? श्री कल्याण सागर के कार्यकाल में किन–किन रेंज अधिकारियों का स्थानान्तरण इस मण्डल से बाहर हुआ? स्थानान्तरणों का कारण बताते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रेंज हनुमानगढ़ में 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक लकड़ी बिक्री से आय अर्जन क्या हुआ? इमारती लकड़ी का कितने क्विंटल एवं कितने क्यूबिक मीटर लकड़ी का उत्पादन हुआ है तथा उक्त अवधि के दौरान जलाऊ लकड़ी का कितना उत्पादन हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) रेंज हनुमानगढ़ में 1 सितम्बर, 2000 से 31 जनवरी, 2001 तक कितनी आय का अर्जन हुआ तथा उक्त अवधि के दौरान इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी का कितना–कितना उत्पादन हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

(5) क्या यह सही है कि 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक रेंजर श्री करण सिंह था तथा 1 सितम्बर, 2000 से 31 जनवरी, 2001 तक उक्त रेंज में रेंजर श्री राजीव गुप्ता था?

(6) क्या यह सही है कि 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक हनुमानगढ़ रेंज का क्षेत्र अधिक था तथा 1 सितम्बर, 2000 से 31 जनवरी, 2001 तक रेंज का कुछ क्षेत्र कम करके नौहर रेंज या रावतसर रेंज में मिलाया था? यदि हां, तो कितना क्षेत्र घटाकर कम किया गया था?

(7) रेंज अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का क्या आधार रखा गया है?

(8) क्या रेंज अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का आधार प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी की मनमर्जी या इच्छा से बदल भी सकता है?

उत्तर

(1) उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़ का कार्यालय दिनांक 1.4.1998 से प्रारम्भ हुआ। कार्यालय की स्थापना के बाद अब तक पदस्थापित उप वन संरक्षकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) श्री कल्याण सागर उप वन संरक्षक द्वारा दिनांक 13.11.2000 को सूरतगढ़ विभागीय कार्य मण्डल का कार्य भार ग्रहण किया गया।

सूरतगढ़ वन मण्डल के अधीन 3 रेंज हैं। इन रेंजों में विद्यमान से पदस्थापित क्षेत्रीय वनधिकारियों के नाम तथा श्री कल्याण सागर उप वन संरक्षक के कार्य काल में विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़ से बाहर स्थानान्तरित क्षेत्रीय वन अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) रेंज हनुमानगढ़ में 1 अप्रैल, 2000 से 31.8.2000 की अवधि तक इमारती लकड़ी जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं इस अवधि में हुई आय का माहवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) रेंज हनुमानगढ़ में 1 सितम्बर, 2000 से 31.10.2001 की अवधि तक इमारती लकड़ी जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं इस अवधि में हुई आय का माहवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "द" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं। 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक हनुमानगढ़ रेंज

(राज्य मंत्री, वन)

के कार्य क्षेत्र में 6 नहरों के क्षेत्र (क्षेत्रफल 220.56 हैक्टेयर) में कार्य प्रगतिरत था। जबकि 1 सितम्बर, 2000 से 31 जनवरी, 2000 की अवधि में हनुमानगढ़ रेंज के कार्य क्षेत्र में 17 नहरों/नर्सरी (क्षेत्रफल 356.19 हैक्टेयर) पर कटाई का कार्य चला था। इससे यह स्पष्ट है कि कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है।

(7) रेंज अधिकारियों के निर्धारित कार्यों/ड्यूटी के नार्म्स तथा प्रतिवेदन वर्ष के लिये अर्जित करने हेतु उनके लिये निर्धारित लक्ष्य ही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का आधार होता है।

(8) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सरवाड़ रेंज में गोडावण संरक्षण कार्यक्रम

514. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वन विभाग की रेंज सरवाड़ में गोडावण पाए जाते हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में? विभागीय जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम कितने गोडावण कहां, कब व किसने देखे? जानकारी के पश्चात् गोडावण सम्वर्द्धन के लिए क्या योजना व कितना खर्च किया गया?

(2) क्या विगत वर्षों में विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से इसकी संख्या में कमी आयी है? विगत दस वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले की सरवाड़ एवं नसीराबाद रेंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में गोडावण पक्षी पाया जाता है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर दर्शायी गयी है। विभागीय जानकारी अनुसार वर्ष 1978 में सर्वप्रथम गोडावण पक्षी वन कर्मियों द्वारा देखे गये। उस समय गणना नहीं कराये जाने के कारण उनकी वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है।

जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् गोडावण पक्षी पाये जाने वाले क्षेत्रों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11 (32) राज-8/79 दिनांक 17.11.1980 के द्वारा सौकलिया शिकार निषिद्ध क्षेत्र के नाम से घोषित किया गया। तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक एफ. 11 (32)राज-8/79 दिनांक 13.5.1987 के द्वारा इस शिकार निषेध क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करते हुये कुल 33 ग्रामों की सीमाओं को इस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।

(राज्य मंत्री, वन)

वर्तमान में गोडावण पक्षियों की सुरक्षा हेतु पृथक से एक सहायक वनपाल, दो वन रक्षक तथा दो कार्य प्रभारित कर्मकार पदस्थापित हैं। गोडावण पक्षियों की सुरक्षा हेतु गत पांच वर्षों में 9.77 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित होने के पश्चात् इस क्षेत्र में गोडावण के शिकार का कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं आया है। विगत वर्षों से पड़ रहे निरन्तर अकाल से गोडावण निषेध क्षेत्र में इनके प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण गोडावण के इस क्षेत्र से पलायन की जानकारी विभाग को मिली है। इन क्षेत्रों में इनकी संख्या में कमी का कारण विभागीय अधिकारियों की लापरवाही नहीं है।

गत दस वर्षों में इनकी गणना दिनांक व संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जिला अलवर में अस्वीकृत खनन पट्टे

515. श्री राजेन्द्र सिंह (लक्ष्मणगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या अलवर में वर्ष, 1980 से वन भूमि में कुल कितने खनन पट्टे स्वीकृत हैं तथा राजकीय अधिसूचना 1996 के प्रसारित होने के बाद कितने खनन पट्टे अस्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अलवर जिले में राजस्व रिकार्ड में वन क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से खनन पट्टे खान विभाग के द्वारा वर्ष 1980 के पश्चात् स्वीकृत किये गये थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका 509/91 तरुण भारत संघ बनाम भारत सरकार एवं अन्य प्रकरण में गठित जैन कमेटी के प्रतिवेदन में जिले में स्वीकृत पट्टों में से 215 पट्टे पूर्ण रूप से तथा 47 पट्टे आंशिक रूप से वन क्षेत्र में पाये गये। प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 8.4.1993 की पालना में इन क्षेत्रों में खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया। जिला अलवर में वर्ष 1980 के पश्चात् वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के अन्तर्गत वन भूमि में 12 खनन पट्टों के प्रस्तावों की अन्तिम स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के बाद खान विभाग द्वारा कुल 55 खनन पट्टों को वन भूमि

(राज्य मंत्री, वन)

में आने के कारण खण्डित/अस्वीकृत किया गया है। खान विभाग द्वारा खण्डित/ अस्वीकृत खनन पट्टों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति कुचामन सिटी द्वारा राशन कार्ड का वितरण

516. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को कुचामन पंचायत समिति द्वारा अवैधानिक रूप से राशन कार्ड के निर्धारित मूल्य से अधिक व शिक्षा कर की अतिरिक्त राशि वसूल करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो इसकी जांच कब व किस अधिकारी द्वारा की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति द्वारा उक्त अनावश्यक वसूली की बाध्यता को समाप्त कर राशन कार्ड वितरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(3) सरकार कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जिन लोगों को राशन कार्ड वितरण नहीं किये गये हैं उन्हें निर्धारित शुल्क के आधार पर कब तक राशन कार्ड वितरित करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी जांच दिनांक 20.8.2001 को जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा की गई। उक्त जांच में विकास अधिकारी, कुचामन द्वारा राशन कार्ड की कीमत अधिक वसूलना पाया गया, जिसके लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर द्वारा विकास अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। उक्त पंचायत समिति को राशन कार्ड की निर्धारित दर से अधिक राशि न लेने के निर्देश दिये जा चुके हैं तथा यथाशीघ्र राशन कार्डो का वितरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यथाशीघ्र ग्राम पंचायतों में निर्धारित शुल्क के आधार पर राशन कार्ड वितरित करा दिये जायेंगे।

राज्य में कार्यरत उपभोक्ता संगठन

517. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने उपभोक्ता संगठन पंजीकृत हैं?

(2) उक्त में से किस-किस को सहायता दी जाती है?

(श्री कय्यूम खान)

(3) क्या उपभोक्ता कल्याण कोष अलग से बनाये जाने की व्यवस्था है?

(4) राज्य के उपभोक्ता मंच में कितने पद रिक्त हैं?

(5) उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी गांवों तक पहुंचाने में सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं?

(6) राज्य के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता परामर्श केन्द्र भारत सरकार ने कहां-कहां खोले हैं?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 80 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन पंजीकृत हैं।

(2) खाद्य विभाग द्वारा किसी भी स्वैच्छिक संगठन को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

(3) उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना फिलहाल वित्तीय संकट के कारण सम्भव नहीं है।

(4) राज्य में गठित जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण में अध्यक्षों के 13 पद एवं सदस्यों के 14 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) उपभोक्ता संरक्षण के प्रचार-प्रसार के तहत इस आंदोलन को ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप से क्रमशः सम्भाग, तहसील, जिला एवं उप खण्ड स्तरों पर सरकार द्वारा संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

(6) राज्य के जिलों में उपभोक्ता परामर्श केन्द्र न होकर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार उपभोक्ता सूचना केन्द्र खोलने की अनुशंसा की गई थी, जिनमें से 5 जिलों (अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर तथा झालावाड़) की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है तथा 7 अन्य जिलों में उक्त केन्द्रों की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को की जा चुकी है।

गंगापुर (भीलवाड़ा) में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना

518. श्री रतन लाल (सहाड़ा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में उप खण्ड स्तर पर मात्र एक ही न्यायालय सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश का है?

(2) क्या उक्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या भवन की उपलब्धता व न्याय शीघ्र मिलने की दृष्टि से गंगापुर (भीलवाड़ा) में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना करना परम आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त न्यायालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में उप खण्ड स्तर पर सिविल जज (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक ही न्यायालय है।

(2) राज्य में किसी स्थान पर नवीन ए.डी.जे. न्यायालय उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर, न्यायालय स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन, बजट आदि की उपलब्धता पर, माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में ए.डी.जे. न्यायालय के लिए भवन तो उपलब्ध है किन्तु लम्बित समस्त प्रकार के प्रकरणों की संख्या मात्र 169 है जो निर्धारित मानदण्ड से काफी कम है। उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श भी प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति के अभाव में उक्त न्यायालय की स्थापना करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या-519
(स्थगित)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, थली (जयपुर) के मृत ऋणधारी के आश्रितों को आर्थिक सहायता

520. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)**: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणधारी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ऋण माफी के साथ-साथ आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री चन्दा (रामचन्द्र) पुत्र श्री चुन्या मीणा सदस्य थली, ग्राम सेवा सहकारी समिति (खाता संख्या-30) की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरान्त इसके आश्रित पुत्र श्री घासीलाल मीणा को उक्त आर्थिक सहायता एवं ऋण माफी के लिए प्रार्थी एवं मुख्य मंत्री सचिवालय से कोई प्रपत्र मिले हैं? यदि हां, तो क्या प्रार्थी को ऋण माफी एवं आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और नहीं, तो क्यों? अब कब तक आर्थिक सहायता देकर ऋण माफी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। प्रार्थी श्री घासीलाल मीणा ने अपने पिता श्री चन्दा मीणा की 27.5.2000 को दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण कृषक सुरक्षा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दिलाने बाबत जरिये मुख्य मंत्री सचिवालय प्रपत्र भिजवाये थे। प्रार्थी को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। क्योंकि कृषक सुरक्षा योजना में वही व्यक्ति राहत

(सहकारिता मंत्री)

के पात्र थे, जिनकी मृत्यु उक्त योजना की अवधि दिंनाक 1.9.1998 से दिनांक 31.8.1999 के मध्य हुई है। प्रार्थी की राहत के लिए पात्रता न होने से वांछित आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है।

सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों में प्रशासक

521. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों व सहकारी समितियों में प्रशासक लगाने के नियम हैं? उक्त नियम/कानून की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त बैंकों व समितियों में प्रशासक लगा रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस को कहां-कहां कब से?

(3) क्या सरकार उक्त संस्थाओं के चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सहकारी संस्थाओं में प्रशासक लगाने से सम्बन्धित राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 व धारा 78(क) तथा राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम-38 के प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों में नियुक्त प्रशासकों की सूची उनकी नियुक्ति तिथि सहित परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। नया सहकारी कानून राजस्थान को-आपरेटिव बिल, 2001 विधान सभा में पारित किया जाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा चुका है। नये सहकारी कानून के प्रभावी होने के पश्चात् नये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराये जावेंगे।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बोरावड़ (नागौर) में मृतक आश्रित को सहायता

522. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री श्याम सुन्दर उर्फ अनिल कुमार पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी कुचामन सिटी की ग्राम बोरावड़, तहसील मकराना जिला, नागौर में मजदूरी कार्य करते समय हौज में गिरने से दिनांक 13.7.2001 को मृत्यु हुई थी? क्या तहसीलदार, मकराना द्वारा पत्र क्रमांक भूअभि/2001 दिनांक 19.8.2001 से जिला कलक्टर (सहायता), नागौर को मृतक के आश्रितों को सहायता प्रदान कराने के लिये रिपोर्ट भेजी गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि मृतक परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है और उसके परिवार में 58 वर्ष की माता तथा डेढ़ वर्ष की पुत्री के अतिरिक्त कोई नहीं है तथा उसकी पत्नी श्रीमती मंजूदेवी जिसकी आयु भी अभी 22 वर्ष की है? क्या उन्हें पेंशन देना चालू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दिलवाने की कार्यवाही उक्त परिवार के लिये की गई है? यदि हां, तो दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में उक्त परिवार को कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी? उक्त राशि कब तक दिलवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार की सिफारिश के आधार पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से 10,000/- रुपये की आर्थिक सहायता मृतक की पत्नी को भुगतान कर दी गई है।

(2) मृतक की पत्नी द्वारा विधवा पेंशन हेतु अभी तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विधवा पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उपरोक्त परिवार नगरपालिका, कुचामन सिटी से प्राप्त सूचना के अनुसार बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में चयनित नहीं है, अतः राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना में सहायता देय नहीं है।

राज्य के अभावग्रस्त गांवों में सहायता कार्य

523. श्री अमराराम (धोद): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इस वर्ष की खरीफ की फसल की गिरदावरी करा ली गई है?

(2) राज्य के कौन-कौन से जिले के कितने ग्रामों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा रिकार्ड किया गया है?

(3) क्या सरकार अभावग्रस्त ग्रामों में सहायता कार्य चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य के 18 जिलों यथा डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, टोंक, जैसलमेर, झालावाड़, जालौर, कोटा, नागौर, उदयपुर, बारां, जोधपुर, अजमेर, सीकर, चूरू एवं जयपुर जिलों के कुल 7964 गांवों में फसल गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल का खराबा हुआ है।

(3) फसल खराबे वाले 7964 गांवों में से जिला बीकानेर के 122 गांव,

(सहायता मंत्री)

श्रीगंगानगर जिले के 2868 गांव तथा हनुमानगढ़ के 950 गांव कुल 3940 गांवों में नरमा कपास की फसल खराब होने के कारण अभावग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना दिनांक 26.2.2002 को जारी कर दी गई है शेष गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही विचाराधीन है। अभाव स्थिति की घोषणा होने के उपरान्त सहायता कार्य आरम्भ किये जाने के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

सन्देड़ा से हरिपुरा (टोंक) तक सड़क निर्माण का लम्बित भुगतान

524. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सन्देड़ा से हरिपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 में सन्देड़ा से हरिपुरा सड़क निर्माण पर अकाल राहत कार्य के दौरान अर्थ वर्क एवं ग्रेवल खुदाई पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई? अर्थ वर्क एवं ग्रेवल खुदाई की मस्टररोल मय व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि., टोंक ने आदेश संख्या 2719 दिनांक 15.6.1999 को सामग्री परिवहन कार्य सन्देड़ा से हरिपुरा के लिये कार्यादेश जारी किया गया था? यदि हां, तो कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सन्देड़ा से हरिपुरा सड़क पर अकाल राहत कार्य वर्ष 1999 के दौरान जिस ठेकेदार को सामग्री परिवहन कार्य करने का आदेश दिया गया था उसे उसका भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि का और नहीं, तो क्यों? अब सरकार उसे कब तक भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सम्बन्धित ठेकेदार ने उसे अकाल राहत कार्य के दौरान उक्त कार्य करने के उपरान्त भी भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता टोंक को दिनांक 26.5.2000 एवं 2.6.2001 को पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार सम्बन्धित ठेकेदार को उक्त भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश क्रमांक 2882 दिनांक 8.5.1999 के द्वारा 6.71 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति के साथ स्वीकृत किया गया।

(2) सन्देड़ा से हरिपुरा सड़क निर्माण के अन्तर्गत अर्थ वर्क पर 18095/- रुपए, ग्रेवल खुदाई पर 20830/- रुपये तथा अन्य व्यय 4767/- रुपए इस प्रकार कुल 43692/- रुपए की राशि व्यय की गई। मस्टररोल की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी हां। कार्यालय आदेश संख्या 2719 दिनांक 15.6.1999 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-2)

(4) जी नहीं। संवेदक द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 1.9.1999 द्वारा सहायक अभियन्ता, मालपुरा से यह सूचना चाही गई थी कि उक्त कार्य संवेदक द्वारा किया गया है या नहीं। चाही गई टिप्पणी अभी अपेक्षित है। पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-3)

(6) संवेदक द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में भुगतान हेतु बिल ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण भुगतान नहीं करने हेतु किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु निजी विज्ञापन एजेंसियों से अनुबन्ध

525. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिये किसी निजी विज्ञापन एजेंसी से अनुबन्ध किया गया है? यदि हां, तो अनुबन्ध पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञापन एजेंसी को अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र खारची में प्रस्तावित नये बस मार्ग

526. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन में कौन-कौन से नए मार्ग प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्गों पर कब तक बसों का संचालन हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सोजत सिटी से जोजावर वाया मारवाड़ जंक्शन, धनला मार्ग तथा सोजत सिटी से पाली वाया दुदोड़ मारवाड़ जंक्शन जाडन मार्ग पर निगम की बस चलाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में फालना-जयपुर वाया देसूरी-सोजत सिटी नये मार्ग पर बस संचालन का प्रस्ताव है।

(2) उक्त मार्ग पर बस संचालन हेतु निगम द्वारा सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, पाली को अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अनुज्ञा पत्र स्वीकृत होने पर वाहन संचालन सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान में इन मार्गों पर निजी वाहनें संचालित हैं जिनको प्रतिस्पर्धा में निगम बसों को पर्याप्त यात्रीभार एवं आय प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। जिसके कारण निगम बसों का संचालन अलाभकारी रहेगा।

बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया परतापुर यात्री बस सेवा

527. **श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा):** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बासंवाड़ा से अहमदाबाद वाया परतापुर के लिए रात्रि में कोई बस सेवा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर पूर्व में एक बस संचालित थी? यदि हां, तो उक्त बस कब से कब तक चली?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर रात्रि में निगम बस सेवा नहीं होने से निजी बसें धड़ल्ले से चल कर लाभ कमा रही हैं?

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग पर रात्रि में बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सेवा को पर्याप्त आय व यात्री भार उपलब्ध नहीं होने के कारण बन्द करना पड़ा है।

(2) जी हां। पूर्व में उक्त मार्ग पर वर्ष 1976 से मार्च, 1997 तक बस सेवा उपलब्ध थी।

(यातायात मंत्री)

(3) इस मार्ग पर निजी बसों का नियमित संचालन नहीं है। कभी-कभी रात्रि में अस्थाई अनुज्ञा पत्र लेकर निजी बसों का संचालन होता है। इन बसों के परमिट समस्त राजस्थान अथवा समस्त भारत के होते हैं। समस्त राजस्थान की निजी बसों के बिना अस्थाई अनुज्ञा पत्र राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित पाए जाने पर उनके चालान बनाये जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान इस मार्ग पर 54 वाहनों के चालान बनाए जाकर 1,05,700/- प्रशमन राशि वसूल की गई है तथा 9 वाहनों को सीज किया गया है।

(4) जी हां। जनता की मांग व सुविधा का ध्यान रखते हुए बस चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञा पत्रधारियों के निलम्बन पर निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी स्थगन

528. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विभिन्न मण्डी समितियों में अनुज्ञा पत्रधारियों द्वारा विभिन्न अनियमितताएं किये जाने पर उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त/निलम्बित किये जाने हेतु मण्डी समिति सक्षम है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने मामलों में अनुज्ञा पत्र निरस्त/निलम्बित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने मामलों में अपील निदेशक, कृषि विपणन के सम्मुख हुई जिनमें स्थगन जारी किये गये हैं?

(3) क्या अपील निरस्त हो जाने के बाद भी मण्डी समिति का आदेश प्रभावी नहीं किया गया? ऐसे मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मामले पर विधि विभाग की राय ली गई थी? यदि हां, तो विधि विभाग की राय की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या विधि विभाग की राय की पालना कराई गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अनुज्ञा पत्र निरस्त करने एवं 6 माह से अधिक निलम्बित करने हेतु मण्डी समिति को निदेशक की पूर्वानुमति लेनी होती है एवं 6 माह तक अनुज्ञा पत्र निलम्बन करने में मण्डी समिति स्वयं सक्षम है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) निदेशक, कृषि विपणन ने दायर अपीलों में 90 प्रकरणों में स्थगन आदेश जारी किए हैं।

(3) ऐसे मामलों का विवरण परिशिष्ट

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

"अ" के कालम संख्या 6 के अनुसार है। इन मामलों में सजा प्रभावी किये जाने के निर्देश सम्बन्धित मण्डी समितियों को दे दिए हैं।

(4) जी हां। विधि विभाग से ली गई राय की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। सभी सम्बन्धित मण्डियों को विधि विभाग की राय अनुसार पालना हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसान मण्डी विकास हेतु उपलब्ध राशि

529. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास एक करोड़ रुपये किसान मण्डी के विकास हेतु उपलब्ध हैं? उक्त राशि के उपयोग हेतु विभाग की क्या योजना है एवं इसका कब तक उपयोग कर लिया जावेगा और अब तक उपयोग नहीं किये जा सकने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। किसान मण्डी विकास हेतु वर्ष 2001-2002 हेतु एक करोड़ रुपये का बजट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, किन्तु इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत व्यय नहीं हो सकने के कारण मण्डी विकास निधि के अन्तर्गत इस मद में वर्ष 2001-2002 हेतु शून्य बजट व वर्ष 2002-2003 हेतु पुन: एक करोड़ रुपये का बजट अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया है। किसान मण्डी के लिए भूमि आबंटित नहीं होने के कारण राशि व्यय नहीं हो सकी है।

प्रोग्रामर कृषि विपणन बोर्ड का स्थानान्तरण

530. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन विभाग में पदस्थापित श्री हरिमोहन गुप्ता प्रोग्रामर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की गई थी एवं जांच में दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी थी? यदि हां, तो श्री गुप्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या श्री गुप्ता का स्थानान्तरण दूसरे विभाग में हो जाने के बाद इनके स्थान पर श्री राजेश भाटिया के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने के लगभग 8 महीने के बाद भी अभी तक श्री गुप्ता को कार्यमुक्त नहीं किया गया है एवं दोषी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रहा है? क्या सरकार श्री गुप्ता को कृषि विपणन विभाग से कार्यमुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि विपणन विभाग में श्री हरिमोहन गुप्ता, प्रोग्रामर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: श्री गुप्ता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) श्री गुप्ता का स्थानान्तरण दिनांक 14.8.2001 को हुआ था। इनके स्थान पर श्री भाटिया ने दिनांक 26.9.2001 को कार्यभार ग्रहण किया था एवं श्री गुप्ता को दिनांक 18.3.2002 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य की अपूर्ण मण्डी समितियों का निर्माण

531. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कौन-कौन से कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में निर्माण कार्य चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चल रहे निर्माण कार्य कब तक पूरे कर दिये जावेंगे एवं इनका उपयोग कब से प्रारम्भ हो जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के जिन मण्डी प्रांगणों में निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) मण्डी प्रांगणों में चल रहे निर्माण कार्यों की पूर्ण होने की सम्भावित तिथि परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 4 पर अंकित है।

निर्माण कार्यों के पूरा होने एवं मण्डी समितियों को हस्तान्तरित होने पर उपयोग सम्भव हो सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति के आबंटियों से बकाया आबंटन शुल्क की वसूली

532. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों का आबंटियों से आबंटन शुल्क बकाया है? विवरण मण्डीवार, आबंटीवार, अवधि आदि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया आबंटन शुल्क वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार वूसली में शिथिलता बरतने

(श्री घासीलाल मेघवाल)

वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

(2) बकाया आबंटन शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। वसूली में शिथिलता बरतने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण नियमानुसार किया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड के अभियन्ताओं की विचाराधीन जांचें

533. श्री कालूलाल खटीक (गंगरार): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड के किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध किस-किस स्तर पर कब से जांच चल रही है? जांच के क्या परिणाम हैं?

(2)उक्त में दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही विचाराधीन है?

(3) जांच के अधीन अभियन्ता वर्तमान में कहां-कहां कब से पदस्थापित हैं?

उत्तर

(1) गत वर्षों में बोर्ड के अभियन्ताओं के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत जांच अधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी स्तर पर विचाराधीन विभागीय जांचों की सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर एवं लिये गये निर्णयों की सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार।

(3) जांच के अधीन अभियन्ताओं के वर्तमान में पदस्थापित स्थानों की परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों की निष्पादित जांचों के परिणाम

534. श्री कालूलाल खटीक (गंगरार): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में कृषि विपणन विभाग में किन-किन अधिकारियों को आरोप पत्र कब-कब जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य पूर्ण कर किन-किन अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया है एवं किन अधिकारियों को दण्डित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन विभाग में गत तीन वर्षों में विभिन्न अधिकारियों को जारी आरोप पत्र का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 9 के अनुसार है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड को मण्डी समितियों से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि

535. श्री मदन लाल वर्मा (डग): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को मण्डी समितियों से अंशदान के रूप में गत तीन वर्षों में कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) उक्त प्राप्त राशि को किन मदों में व्यय किये जाने का प्रावधान है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्धारित मदों में से किस-किस मद पर कितना व्यय किया गया एवं किन किन मदों पर व्यय नहीं किया गया और इनके क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में प्राप्त अंशदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (लाख रु.)
1998-1999	2114.84
1999-2000	2940.00
2000-2001	2352.40

(2) उक्त प्राप्त राशि को कृषि विपणि अधिनियम 1961 की धारा 22 (J) में उल्लिखित मदों में व्यय किये जाने का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) उक्तानुसार मदों में गत तीन वर्षों में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

कृषि विपणि अधिनियम 1961 की धारा 22 (J) में उल्लिखित अधिकांश मदों में व्यय हुआ है। जिन मदों में व्यय नहीं हुआ है, उनका विवरण एवं व्यय नहीं होने के कारण परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

(प्रति/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति, पीसांगन का आय-व्ययक

536. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, पीसांगन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री रमजान खान)

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी में वर्ष 2000–2001 में कुल कितनी आय हुई और उक्त आय में से किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अजमेर के अन्तर्गत पीसांगन गौण मण्डी यार्ड के रूप में स्थापित है। गौण मण्डी यार्ड पीसांगन की वर्ष 2000–2001 में कुल आय 2,90,333/- रुपए हुई। गौण मण्डी यार्ड, पीसांगन से वर्ष 2000–2001 में निर्माण कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

तहसील क्षेत्र नावां (नागौर) के मृत कृषकों के आश्रितों को सहायता

537. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कृषि कार्य करते वक्त अकाल मृत्यु हो जाने पर उस कृषक के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी राशि किन मापदण्डों के द्वारा दी जाती है? उक्त का भुगतान करने का उत्तरदायित्व किन्हें दिया गया है?

(2) तहसील क्षेत्र नावां में वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में किन-किन लोगों को कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान हुआ है तथा अब ऐसे कितने लोगों को भुगतान दिया जाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील क्षेत्र में क्या प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2001 व प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन्हें अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में कृषक/कृषि मजदूर की मृत्यु होने पर सम्बन्धित क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा मृतक के आश्रित को 25,000/- रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्र की मण्डी समिति का है तथा कृषि विपणन बोर्ड मण्डी समिति द्वारा किये गये भुगतानों के दावों का पुनर्भरण करता है।

(2) तहसील क्षेत्र नावां में वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 में भुगतान की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। वर्तमान में इस योजना के तहत कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

(3) जी हां। निम्नांकित पांच प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए :-

1. श्रीमती संतोष पत्नी श्री गोपाल बावरी

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

2. श्री लिछमन राम पुत्र श्री गोपाल घुनाराम
3. श्री बन्नाराम पुत्र श्री भोमाराम
4. श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह
5. श्री गंगाराम पुत्र श्री बालूराम

उक्त व्यक्तियों में से क्र.सं. 1 से 4 तक अंकित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसको इस योजना के तहत भुगतान किया जा चुका है तथा क्र.सं. 5 पर अंकित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रार्थना पत्र में भी दुर्घटना कुएं में गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट जाना बताये जाने के कारण प्रकरण इस योजना के अन्तर्गत नहीं आने से इनको अभियान के समय ही मौके पर अवगत करा दिया गया था। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा की स्वीकृत सड़कें

538. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के कितने गांवों में सड़कों के प्रस्ताव कृषि मण्डी, नागौर व मेड़ता सिटी ने भिजवाए हैं? उक्त में से कितनी सड़कों की स्वीकृति चालू वर्ष में दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर एवं मेड़ता सिटी द्वारा प्रेषित सम्पर्क सड़कों के प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मण्डी समिति	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत	स्वीकृत हुई अथवा नहीं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नागौर	1. सं. स. लालाप	4.00	29.40	नहीं	मण्डी समिति से इन सड़कों के प्रस्ताव वर्ष 2001-02 की नवीन वित्तीय स्थिति के आधार पर नये सिरे से चाहे गये थे जो मण्डी समिति से प्राप्त नहीं हुये हैं अत: स्वीकृति नहीं दी गई।
		2. सं.स. दियावड़ी	4.00	27.40	नहीं	
	विशेष कोष	1. सं. स. बासनी से सीगड़	5.00	41.21	नहीं	
2.	मेड़ता सिटी	1. सं.स. रोल से नोखा चादावता	5.80	37.53	नहीं	
		1. सं.स. बाकलियावास स्टैण्ड से बाकलियावास ग्राम तक	1.00	5.00		

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कृषक साथी योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता

539. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक के कौन-कौन से मृतक/हताहत/पीड़ित कृषक या कृषक आश्रित को कृषक साथी योजना के तहत आर्थिक सहायतार्थ कब-कब आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए? वर्षवार ग्राम पंचायतवार नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवेदकों को सहायता राशि जारी कर दी गई है? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी एवं कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शेष रहे आवेदकों को आर्थिक सहायता मुहैय्या कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

(2) उचित पाये गये आवेदनों पर सहायता राशि जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या 6 के अनुसार है।

(3) वर्तमान में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

चिल्ली आक्शन प्लेट के ठेकेदार द्वारा कार्य में अनियमितता की जांच

540. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्री आनन्दी लाल लालपूरिया को चिल्ली आक्शन प्लेट फार्म व कवरिंग का ब्यावर अनाज मण्डी में ठेका मिला था? क्या उक्त में बजरी से फिलिंग करना था लेकिन उक्त ठेकेदार ने कार्य बालू रेत से भरने का कार्य किया? क्या उक्त की जांच की जावेगी? यदि हा, तो कब तक? उक्त में सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

यह सही है कि वर्ष 1996-97 में मैसर्स आनन्दी लाल लालपूरिया को पत्रांक 3027 दिनांक 31.1.1997 को एक पैकेज का कार्यादेश दिया गया था, जिसमें चिल्ली आक्शन प्लेटफार्म व कवरिंग का कार्य भी उस पैकेज का एक भाग था। इस अनुबन्ध के तहत प्लिंथ में सैण्ड की भराई का आइटम लिया गया था। इसमें कहीं भी रिवर सैण्ड (यानी बजरी) का संदर्भ नहीं दिया गया था। यह सही है कि संवेदक द्वारा बालू रेत की भराई की गई है और उसी अनुसार संवेदक को भुगतान किया गया है। चूंकि संवेदक द्वारा किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है। इसलिये इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगत प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में फर्जी अंकतालिका के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से आयुर्वेद चिकित्सक के अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति में कथित अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से तहसील अटरू की ग्राम पंचायत कूण्डी के कूकर तालाब की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा की तहसील कोटड़ी की बनास नदी से हिन्दुस्तान जिंक की अगूचा खान को पानी की आपूर्ति बन्द करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा, बून्दी एवं बारां की सिवाय चक, गोचर एवं सरकारी भूमि की नियमन दर अधिक होने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से आबकारी राजस्व में यथोचित बढ़ोतरी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति जसवन्तपुरा के सुन्धा माता स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से टोडाभीम में स्वीकृत 132 के.वी., जी.एस.एस. एवं 33 के.वी., जी.एस.एस. का निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवराम सिंह कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर शहर में गंदे पानी का निकास न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से शोपुर कृषि उपज मण्डी समिति को बारां कृषि उपज मण्डी समिति से जोड़ने हेतु पार्वती नदी पर सूरथाक में पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से तहसील कोटपूतली के ग्राम छाजला में आयोजित भण्डारा में एक जाति विशेष के व्यक्तियों को जाति से बाहर करने की धमकी देने एवं जुर्माना वसूलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में बैठने हेतु 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से नगरपालिका खेड़ली (अलवर) के समस्त क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कन्हैया लाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितताएं

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पोलियो उन्मूलन के नाम पर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कन्हैया लालजी, आपने 295 में यह नहीं लगाया। आपने जो लगाया है वह बोलो ना। आपने लगाया है आयुर्वेद चिकित्सक के सम्बन्ध में।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आयुर्वेद निदेशालय के पत्रांक 5733 दिनांक 8.2.2002 के द्वारा विज्ञापित 75 आयुर्वेद चिकित्सकों के पद अनुबन्ध के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कुल 1428 आशार्थियों ने आवेदन पत्र भिजवाए। निदेशालय स्तर पर इन आवेदकों के संवर्गवाइज मैरिट सूची बनायी गई। उसमें आयुर्वेद निदेशक द्वारा भयंकर गलतियां की गई जिससे आयुर्वेद विभाग की ईमानदारी एवं कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया।

इस मैरिट सूची में जिस व्यक्ति बृजेश पारीक, क्रमांक 1 पर दर्शाया गया वह मैरिट सूची में आता ही नहीं। उसके 54.20 प्रतिशत अंक थे। उसके स्थान पर 95.11 प्रतिशत अंक दिखाये गये। अशोक बाबू शर्मा के 62.92 के स्थान पर 71.60 प्रतिशत अंक दर्शाये गये। इसी प्रकार की 84 गलतियां उक्त मैरिट सूची में विद्यमान हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि अनुसूचित जनजाति के 9 व्यक्तियों का नियमानुसार चयन होना चाहिए। उसके स्थान पर आठ

(श्री कन्हैया लाल)

व्यक्तियों का चयन किया गया तथा पुष्पा वर्मा नाम की अनुसूचित जाति की आशार्थी को अनुसूचित जनजाति का प्रत्याशी बनाया गया। सवर्ण आशार्थियों को फर्जी रूप से अनुसूचित जाति एवं ओ.बी.सी. के अन्तर्गत रखा जाकर नियुक्तियां दी गई। इस प्रकार से इस कार्य में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार को छात्रों द्वारा जब शिकायतें की गई तो निदेशक, आयुर्वेद ने अपने पत्र क्रमांक प्रति 1 (चिकित्सक नियु.) 02/7810 दिनांक 4.3.2002 के अनुसार कुछ गलतियों को स्वीकार कर लिया गया और इस भयंकर अनियमितता पर लीपापोती कर दी गई।

अतः इस प्रकरण की समस्त आवेदन पत्र एवं पत्रावलियों की उच्च स्तरीय जांच राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा किया जाना अति आवश्यक है तथा तब तक के लिए निर्देशक, आयुर्वेद तथा कम्प्यूटर पर फर्जी मैरिट सूची बनाने वाले मदनलाल जीनगर, व्यवस्थापक रसायनशाला तथा उप निदेशक मुख्यालय, श्री के. के. शर्मा, सहायक निदेशक होम्योपैथिक श्री सुकुमार जैन, प्रभारी औषध परीक्षण प्रयोगशाला तथा श्री बी. एन. सारस्वत कम्प्यूटर लिपिक को तत्काल निलम्बित किया जाये ताकि सरकार की पारदर्शिता की घोषणा सही हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

कूकर तालाब (अटरू) की मरम्मत

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले की अटरू पंचायत समिति अन्तर्गत ग्राम कूण्डी में सैकड़ों बीघा जमीन में स्थित कूकर तालाब जो काफी प्राचीन है उसकी मरम्मत व गहरा कराते हुए सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में विधान सभा के माध्यम से जानकारी चाही गयी थी उस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग ने कहा कि वह तालाब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद विधान सभा में नियम 50 के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव लगाया गया था। उसका जवाब भी मुझे यह मिला कि बारां जिले की अटरू पंचायत समिति की वार्षिक कार्य योजना में ग्राम पंचायत कूण्डी के कूकर तालाब को गहरा करवा कर मरम्मत का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया जिससे उक्त तालाब का मरम्मत कार्य नहीं करवाया जा सका तथा पंचायत समिति द्वारा भी उक्त तालाब की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका। साथ में, सरकार ने यह भी माना कि तालाब को गहरा करवा कर मरम्मत व सुदृढ़ीकरण करने से क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा तथा इससे बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई होगी।

परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत योजना के अन्तर्गत पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशानुसार राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत योजना के अन्तर्गत इसको लिया

(श्री मदन दिलावर)

जा सकता था, परन्तु पंचायत का प्रस्ताव नहीं मिलने का बहाना बनाया गया तथा यह भी लिखा कि प्राथमिकता के आधार पर कुएं-बावड़ियों को पुनःरुद्धार कराने के निर्देश हैं। अतः इस तालाब की मरम्मत नहीं करायी जा सकती।

यह कैसी विडम्बना है कि सरकार आगे लिखती है कि स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास योजना से सम्बन्धित विधायक धन उपलब्ध कराये तो यह कार्य हो सकता है। इससे साफ जाहिर है कि न तो इसको अभी तक सिंचाई विभाग ने देखा है न ही पंचायत राज विभाग के अधिकारियों ने देखा है। इतने बड़े कार्य को करवाने की हैसियत पंचायत की हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह कार्य काफी बड़ा व उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारियों की तकनीकी राय के बाद ही सम्भव हो सकता है।

यह तालाब सैंकड़ों बीघा जमीन में स्थित है जो काफी प्राचीन दिखायी देता है। यदि इसकी मरम्मत व सुदृढ़ीकरण कर दिया जाए तो लगभग 50 गांवों का सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा व जल स्तर ऊंचा आने से 50 गांवों का पेयजल संकट दूर हो जाएगा। पता नहीं, सरकार की बुद्धि को क्या हो गया कि इतना बड़ा लाभ देने वाली योजना को हाथ में नहीं लेकर इसका जिम्मा पंचायत पर डालना और प्रस्ताव नहीं मिलने का बहाना करना सरकार के दिमाग का दिवालियापन ही कहलाएगा।

एक तरफ जहां पूरा क्षेत्र बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है, लोग और पशु पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं वहीं कूकर तालाब जैसे प्राचीन तालाब जो अकेला बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करने व जल स्तर बढ़ाकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपनी मरम्मत व सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। उस पर सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर अपनी अकुशलता व अक्षमता का परिचय दे रही है।

अतः मेरी मांग है कि भारी जल संकट को देखते हुए उच्च स्तरीय अभियन्ताओं की एक टोली भेजकर इसका सही आकलन करवाकर अविलम्ब इस तालाब की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण करवाकर जन सामान्य को लाभान्वित करें। यह मेरे क्षेत्र का अहम मुद्दा है, इसके अभाव में कई गांवों की जमीन सूखी पड़ी है।

यह काफी लोक महत्व का मामला है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

तहसील कोटड़ी (भीलवाड़ा) की बनास नदी से आगूचा खान (हिन्दुस्तान जिंक) को पानी की आपूर्ति

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत बनास नदी से अमरपुरा तहसील कोटड़ी के निकट से भारी मात्रा में आगूचा खान पर होने वाले पानी दोहन से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील में स्थित अमरपुरा गांव के निकट से हिन्दुस्तान जिंक की आगूचा खान (गुलाबपुरा) हेतु विगत 8-10 वर्षों से पानी दिये जाने के बाद इन दिनों में बनास नदी का जल स्तर काफी नीचा जाने, नीचे स्थित अधिकांश जलोत्थान सिंचाई योजनाएं तथा पेयजल स्रोत कृषि कुओं में पानी के स्तर के कारण भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। यहां तक कि अधिकांश पेयजल हैण्ड पम्प भी नकारात्मक स्थिति में पहुंचने से हालात गम्भीर और चिन्ताजनक हो रहे हैं।

बीसलपुर सिंचाई योजना से आगूचा खान के निकट गुलाबपुरा तक पानी पहुंच गया है। जहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी है जबकि अन्य अमरपुरा से आगूचा की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से पानी जा रहा है उससे किसान तथा आम जनता काफी प्रभावित हो रही है।

आगूचा में स्थित जिंक खान को पानी कोटड़ी तहसील से आपूर्ति तत्काल बन्द कराकर गुलाबपुरा से बीसलपुर का पानी आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर गम्भीरता से विचार कर कोटड़ी जहाजपुर क्षेत्र में पैदा हो रहे संकट को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ विचार कर समाप्त किया जाए। इसको लेकर हालात खराब होकर जनता में आक्रोश व्याप्त है। अत: उसको दूर किया जाने हेतु राज्य सरकार और सम्बन्धित विभागों का ध्यान पुरजोर शब्दों में आकृष्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत आबकारी राजस्व में यथोचित बढ़ोतरी नहीं होने सम्बन्धी लोक महत्व का बिन्दु सदन में उठाने के सम्बन्ध में।

महोदय, राज्य में कर राजस्व संकलन में आबकारी विभाग दूसरा बड़ा महकमा है किन्तु पिछले कई वर्षों से इसकी आय में वार्षिक वृद्धि उस गति से नहीं हो रही, जिस

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गति से अन्य राज्यों की आबकारी आय बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण हमारे आबकारी विभाग की गलत प्रशासनिक व्यवस्था है। अन्य राज्यों में आबकारी सेवा के दक्ष एवं अनुभवी अधिकारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे आय वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत रहते हैं तथा केवल आबकारी आयुक्त का पद आई.ए.एस. को देकर शेष पदों पर आबकारी सेवा के सदस्यों को ही पदोन्नति दी जाती है। जबकि हमारे यहां सभी प्रमुख 7 जिलों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में एवं अतिरिक्त आयुक्त के सभी पदों पर आर.ए.एस. के ही अधिकारी नियुक्त हैं तथा आबाकारी सेवा के दोनों वरिष्ठ जिला आबकारी अधिकारी कम महत्व के छोटे जिलों झालावाड़ व भीलवाड़ा में एवं इसी सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी उपायुक्त को अभियोजन कार्य में नियुक्त कर रखा है। आबकारी सेवा के शेष जिला आबकारी अधिकारी भी कम महत्व के जिलों में तैनात हैं।

इससे बेहतर स्थिति तो वाणिज्य कर विभाग में है जहां जिला स्तर तक सभी अधिकारी वाणिज्य कर सेवा से हैं। जहां जिला स्तर तथा इससे ऊपर तक के कुल पदों में से मात्र 5 प्रतिशत पद ही अन्य सेवा को आबंटित हैं तथा वाणिज्य कर सेवा को पदोन्नति के अवसर भी अतिरिक्त आयुक्त तथा उससे ऊपर तक उपलब्ध हैं। जबकि आबकारी में जिला स्तर एवं उससे उच्च पदों में से 35 प्रतिशत पद अन्य सेवा को आबंटित हैं। पूर्व में आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के सभी पद आबकारी सेवा से भरने तथा अतिरिक्त आयुक्त के कुछ पदों पर इस सेवा के सदस्यों को पदोन्नति देने का मानस राज्य सरकार ने बनाया था, किन्तु इसकी क्रियान्विति आज तक नहीं हुई। यदि एक साथ सभी पदों के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो स्थिति में चरणबद्ध रूप से सुधार किया जा सकता है।

उक्त स्थिति के कारण आबकारी सेवा में घोर निराशा एवं कुंठा व्याप्त है, जिससे राज्य का आबकारी राजस्व भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस सेवा के सदस्यों में राजस्ववर्धन की मानसिकता कुंठित होती जा रही है, स्थिति में सुधार हेतु राज्य सरकार कब तक ठोस कदम उठाने का विचार रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम में स्वीकृत 132 के.वी. जी.एस.एस. एवं 33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कार्य

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत टोडाभीम में 132

(श्री रामस्वरूप)

के.वी. जी.एस.एस. एवं 33 के.वी. जी.एस.एस. के बारे में सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत माननीय विद्युत मंत्री की मेहरबानी से विद्युत समस्या के समाधान हेतु जो कार्य किये गये हैं उनकी मैं सराहना करता हूं और चाहता हूं कि भा.ज.पा. शासन के दौरान जिस प्रकार शिलान्यास होते थे और पत्थरों पर कुत्ते मेहरबानी करते थे पर मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री जी, आपने विद्युत सुधार के अन्तर्गत टोडाभीम व नादौती की विद्युत समस्या के समाधान हेतु जो प्रयास किये हैं उसमें 33 के.वी. के सब स्टेशन मंडेसर एवं कैमला में बनाने हेतु प्रस्ताव विभाग से तैयार कराये हैं पर अभी तक उनको विभाग ने बनाकर नहीं भेजा है। मुझे आशा है कि आप आवश्यक रूप से उसको बनवाएंगे ताकि विद्युत वोल्टेज समस्या का समाधान हो सके।

इसके साथ ही इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने 132 के.वी. जी.एस.एस. टोडाभीम के निर्माण कार्य मंत्री जी के द्वारा किये गये शिलान्यास द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। शिलान्यास के दौरान श्रीमान् जी ने 132 जी.एस.एस. के उद्घाटन की घोषणा 2002 तक कराने की थी उसमें सभी निगम के उच्च अधिकारी व प्रशासन मौजूद था, परन्तु जी.एस.एस. की निर्माण गति धीमी चल रही है। खाली मकान बन रहे हैं पर 132 जी.एस.एस. की लाइन का कार्य चालू नहीं किया है। इस समय किसानों के खेत भी खाली पड़े हुए हैं। इस समय लाइन का कार्य हो सकता है। माननीय मंत्री जी आप जुबान व वचन के पक्के हैं- "चन्द टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार व दृढ़वत विद्युत मंत्री जी का टरे न सत्य विचार"। टोडाभीम की जनता आपके उद्घाटन के लिए पलक पावड़े बिछाये खड़ी है। आप विभाग को निर्देश फरमावें ताकि लाइन का कार्य जल्दी से चालू हो सके और टोडाभीम क्षेत्र के किसानों को बिजली की समस्या से उबारा जा सके।

अत: मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 132 जी.एस.एस. को जल्दी 2002 तक पूर्ण कराकर समस्या का समाधान करेंगे। सधन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, कितने वर्षों से याद दिला रहे हो? कितने वर्षों से मांग कर रहे हो? टांग एक नहीं, दोनों तुड़ा लो तो भी नहीं होगी आपकी मांग पूरी।

श्री रामस्वरूप : कार्य चालू है। मैं निवेदन कर रहा हूं लाइन का काम चालू नहीं हुआ है इतने दिन फसल थी इसलिए अब फसल नहीं है उसमें तुरन्त इसकी रिपोर्ट मंगवाकर करें ताकि लाइन का काम चालू हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री शिवराम सिंह जी। श्री रामस्वरूप जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने भाषा लिखी और वही अगर पढ़ी है...

श्री उपाध्यक्ष : उसी को अंकित करेंगे बाकी को नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसी को अगर पढ़ी है जैसा उन्होंने लिखा है तो जो भी यह देखता है...

श्री उपाध्यक्ष : वह अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसे कम से कम इस बारे में जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया और जिस प्रकार की बातें लिखीं, यह सदन के लिए गरिमामय नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो इसमें लिखा है वह अंकित होगा बाकी नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप : मैंने यह निवेदन किया था– ''चन्द्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, दृढ़वत मंत्रीजी का टरे न सत्य विचार'' इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? (व्यवधान) कौनसा शब्द मैंने गलत काम में लिया है बताइये तो? आप तो धर्म को मानने वाले हो, राम मर्यादा को मानने वाले हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर यह इस सदन को मजाक समझ करके कुत्ते उस पर मूतते हैं, यह भाषा लिख दें तो क्या बोलना आवश्यक है? एक माननीय सदस्य इतने वर्षों से सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप अच्छी बातों को क्यों नहीं याद कर रहो हो? बुरी बातों को छोड़ो। (व्यवधान) अच्छी बातों को अपनाओ। इसमें मैंने अच्छा कहा उसकी ओर ध्यान दो, बुरी बात की ओर क्यों ध्यान देते हो? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्री शिवराम सिंह जी।

धौलपुर शहर के गन्दे पानी का निकास

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान धौलपुर शहर में गंदे पानी का निकास न होने के कारण हो रही दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शहर से गंदे पानी का निकास न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर भरा रहता है, इससे मक्खी, मच्छरों की भरमार हो रही है तथा चारों ओर वातावरण प्रदूषित हो रहा है। रास्तों में पानी भरा रहने के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है इससे जनता में अत्यधिक असंतोष है।

धौलपुर नगरपालिका अध्यक्ष सीवर लाइन डालने में सक्षम नहीं हैं। जनता की परेशानी तथा मांग के मद्देनजर मैं सरकार से धौलपुर नगर में पानी के

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

निकास के लिए आवश्यक सहायता शीघ्र दिये जाने की व्यवस्था हेतु अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायणजी।

किशनगंज-शाहबाद एवं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के मध्य सूरथाक पार्वती नदी पर पुलिया

श्री शिवनारायण (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत किशनगंज–शाहबाद एवं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के मध्य सूरथाक पार्वती नदी पर पुलिया नहीं होने से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनता को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होने बाबत निवेदन करना चाहता हूँ।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पार्वती नदी पर सूरथाक में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की जनता की सुविधा हेतु मीडियम पुलिया का (रेपटा) होना बहुत ही आवश्यक है। शोपुर–बड़ौदा मध्य प्रदेश से डामर सड़क होती हुई बड़ौदा कुहंजापुर तक पार्वती नदी के किनारे तक बनी हुई है और राजस्थान में मांगरोल से बसौती कलां होती हुई सूरथाक नदी पार्वती तक पक्की गिट्टी रोड बनी हुई है। लेकिन नदी पर पुलिया नहीं होने से बारह मास आवागमन बंद रहता है। यदि पुलिया बन जाती है तो शोपुर कृषि उपज मण्डी को बारां कृषि उपज मण्डी से जोड़ती है। दोनों स्टेट के काश्तकारों का माल लाने ले जाने का यही एक मात्र सीधा रास्ता है और दोनों प्रदेश की जनता का आपसी आवागमन भी जुड़ता है। सूरथाक पार्वती नदी पर दोनों स्टेट से डामर एवं गिट्टी रोड पक्की बनी हुई है, पुलिया नहीं होने से जनता को आने जाने में परेशानी होती है।

अतः उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनता की सुविधा एवं दोनों कृषि उपज की बड़ी मण्डियों को एक दूसरी मण्डी से जोड़ने के लिए अविलम्ब ही पार्वती नदी सूरथाक पर पुलिया निर्माण किये जाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

ग्राम छाजला (कोटपूतली) में आयोजित भण्डारे में एक जाति विशेष के लोगों के साथ ज्यादती

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, जातिगत पंचायत द्वारा व्यक्तियों के शोषण बाबत, निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम छाजला (दांतिल) तहसील कोटपूतली में अगस्त, 2001 में हीरामन मन्दिर में एक विशाल भण्डारा आयोजित किया गया, जिसमें एक सौ एक (101) स्थानों को निमंत्रण दिया गया था। छाजला ग्राम के

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

सर्वश्री रामकरण, रामस्वरूप एवं हजारी गुर्जर सर्वजातीय समिति में थे जिन्होंने यह भण्डारा आयोजित किया था, किन्तु अन्य ग्राम तलिवा एवं गठ्याला के श्री सरदारा राम तथा श्री घासीराम ने जाति पंचायत की ओर से यह फतवा दिया कि कोई भी व्यक्ति एक विशेष धार्मिक स्थान को बुलावा नहीं देंगे। लेकिन चूंकि यह सभी जातियों की ओर से आयोजित हीरामन के मन्दिर पर भण्डारा था, अतः सभी 101 स्थानों को बुलावा दिया गया। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप श्री घासीराम एवं श्री सरदारा राम गुर्जर ने छजाला के गुर्जर जाति के श्री रामकरण, श्री रामस्वरूप एवं श्री हजारी को अलग से बुलवा कर धमकाया तथा प्रत्येक से 21,000/- रुपये वसूले। उन्होंने रकम न दिये जाने पर जाति से बाहर करने की भी धमकी दी। जाति से निष्कासन के भय से तीनों व्यक्तियों ने रुपये 63,000/- की रकम श्री सरदाराराम तथा श्री घासीराम को दे दी। बाद में तीनों व्यक्तियों ने जनता में गुहार की जिसके फलस्वरूप बीसियों गांव के लोगों ने दिनांक 17.12.2001 को एक सभा की। जिसमें उप प्रधान रामकिशोर सैनी, सरपंच कैलाश गुर्जर, उप सरपंच मिश्री देवी एवं सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित हुए। उन्होंने सर्वश्री रामकरण, रामस्वरूप एवं हजारी को निर्दोष पाया तथा व्यवस्था दी कि भण्डारा सभी जातियों की ओर से आयोजित किया गया था तथा सभी निमंत्रण समस्त समाजों की ओर से दिये गये थे। इससे गुर्जर समाज का अलग से कोई कार्य नहीं था। अतः इन व्यक्तियों को रकम वापस दी जावे लेकिन श्री सरदाराराम ने रकम वापस करने से इंकार कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, कानूनन अब कोई जातिगत पंचायत किसी को जाति से बाहर नहीं कर सकती। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह प्रताड़ित लोगों को पैसे वापस दिलावें तथा दोषियों को सजा दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीरामजी मेघवाल।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु पांच वर्ष के अनुभव के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से उपरोक्त विषयानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 7.3.2002 को जारी सैकण्डरी स्कूल प्रधानाध्यापकं की रिक्तियों के विज्ञापन में तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रेणी सहित सभी आवेदकों के लिए सैकण्डरी

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से रखा गया है अथवा नहीं। सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 (सम्पादित संशोधित एफ.1 (1) कार्मिक/ क–2/85 दिनांक 10.4.1995 से पूर्व तक एक ही शिक्षा निदेशालय था, तभी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक स्थानान्तरणीय थे। शिक्षा निदेशालय को दो भागों में, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बांटने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षकों से ऐसा कोई विकल्प प्राप्त किया गया था कि वे अमुक शिक्षा निदेशालय के अधीन सेवारत रहना चाहते हैं?

ऐसे शिक्षा स्नातक प्राप्त शिक्षक जिनसे विकल्प प्राप्त नहीं किया, सैकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने से वंचित रहे, जो ऐसी कक्षाओं को पढ़ाने की योग्यता रखते थे। ऐसे ही शिक्षक, जो स्नातक/अधिस्नातक एवं शिक्षा स्नातक की योग्यता रखते है, जिन्हें प्रारम्भिक शिक्षा में नियुक्त किया गया, उनके लिए भविष्य में सैकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव बिलकुल ही सम्भव नहीं है, क्योंकि सैट–अप परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम शिक्षक को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि ऐसे हजारों शिक्षक सैकण्डरी स्कूल पूल बजट से कार्यरत थे, एवं सैकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त कर रहे थे, उन्हें निदेशालय को प्रारम्भिक एवं माध्यमिक में बांटने के कारण समायोजन/समानीकरण के तहत प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कर दिया गया जिससे वे इस लाभ से वंचित रहेंगे।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में तृतीय वेतन श्रृंखला के वे अध्यापक जिन्हें सैकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव था, उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई रिक्तियों में सैकण्डरी स्कूल प्रधानाध्यापक पद हेतु आवेदन किया तथा आज तिथि में सैकण्डरी स्कूल हैडमास्टर के पद पर नियुक्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि समानता के संवैधानिक अधिकार के हनन से पीड़ित पांच वर्षों से सेवारत उन तृतीय वेतन श्रृंखला के स्नातक एवं अधिस्नातक (शिक्षा स्नातक सहित) शिक्षकों को इन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में आवेदन करने का मौका देकर उन्हें राहत दिलवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश खींची।

खेड़ली (अलवर) नगरपालिका क्षेत्र में जल आपूर्ति

श्री रमेश खींची (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगरपालिका खेड़ली, अलवर में 15 वार्ड हैं परन्तु पेयजल की सप्लाई विगत कई वर्षों से 5-6 वार्डों में सप्लाई है जिससे 10 वार्डों में लोगों को सप्लाई को लेकर भारी रोष है, टंकी का निर्माण आठ वर्ष पूर्व हो चुका था जो जर्जर अवस्था में है। यदि समय रहते नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई नहीं की गई तो लोग आन्दोलित हो जाएंगे। जिससे स्थिति बेकाबू हो सकती है। अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि शीघ्र पानी सप्लाई की व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी हैं, थोड़ा कह दें तो मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन। आज ब्यावर के हजारों की संख्या में लोग-बाग आये हुए हैं। ब्यावर की जनता की लम्बे समय से मांग चल रही है कि ब्यावर को जिला बनाया जाए। आज हजारों की संख्या के अन्दर यहां पर आये हैं, तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ब्यावर को जिला बनाया जाए। बहुत पुराने समय से यह मांग चल रही है। जैतारण से, रायपुर से, आसीन्द से, भीम से, पीसांगन से और मसूदा विधान सभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग-बाग आये है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दें। यह सरकार बनने के बाद राजस्थान में एक भी जिला इन्होंने नया नहीं बनाया है और ब्यावर की बहुत पुरानी मांग है इसलिए ब्यावर की जनता की मांग, जन भावनाओं को देखते हुए ब्यावर को जिला बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आप पहले डिमांड कर चुके हैं बजट भाषण में, डिमांड कर चुके हैं।

श्री सांवर लाल : आज आये हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सबसे बड़ा कस्बा है, दो लाख की आबादी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय हजारों...(व्यवधान) लोग धरने पर बैठे हैं कि ब्यावर को जिला बनाया जाए, ब्यावर को जिला बनाया जाए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा वहां पर बहुत सारे कार्यालय भी खोले हुए हैं। यह बहुत पुरानी मांग है और राजस्थान के 13 बड़े नगर हैं, उसमें ब्यावर का स्थान है और सभी प्रकार से वाजिब होते हुए भी, उपाध्यक्ष महोदय, आज लोग धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को थोड़ा आप निर्देश कीजिए कि पांच साल में आप कोई एक जिला भी नहीं बना रहे हैं, इस वाजिब मांग को मानना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह बहुत पुरानी मांग है और लोग आज आये हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : सरकार का वादा था, राजस्थान की सरकार का वादा था।

श्री सांवर लाल : एक भी जिला नहीं बना पाये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ब्यावर की अपने आप में दो लाख की आबादी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि इनकी समस्या है, ये अपनी मांग के लिए आये हैं और अपनी ज्वलंत समस्या को लेकर आये हैं कि ब्यावर को ज़िला बनाना है, किसी भी हालत में ब्यावर को जिला बनाना है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र है, बीड़ी का उद्योग है, सीमेन्ट उद्योग है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : इसके अलावा सभी प्रकार के आफिसेज़ वहां पर खुले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे ही तो प्रोटेक्शन चाहते हैं। लोग आये हैं अपनी ज्वलंत समस्या को लेकर और उनके लिए कौनसा मंच है। सारी जगह पर उन्होंने कोशिश की लेकिन... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं भी कह रहा हूं कि इसको जिला बनाया जाए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपका तो यूं ही नम्बर है। यू आर लिस्टेड।

एक माननीय सदस्य : आपका तो यूं ही नम्बर है, आप बैठो तो सही।

श्री हीरासिंह चौहान : यू आर लिस्टेड। आपका नम्बर कौन काट रहा है। आप बैठो ना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका नम्बर कहां कट रहा है अमराराम जी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिए यह एक ज्वलंत समस्या है, छोटे छोटे जिले बनते हैं तो जिला बनने से लोगों का विकास होता है। यह एक पहाड़ी भू-भाग है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। हम आपकी बात को समझ रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में पानी की समस्या थी... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पहाड़ी भू-भाग होने के कारण से ब्यावर के आसपास के लोगों की वर्षों पुरानी मांग है, इस मांग को मानना चाहिए और मान करके इसको जिला बनाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सरकार से हम चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय वित्त मंत्रीजी...

श्री रमजान खान (पुष्कर) : आज राजस्थान में ब्यावर सबसे बड़ा शहर है उसको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जिला नहीं बनाया गया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्यावर को जिला बनाया जाए वित्त मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : माननीय वित्त मंत्रीजी, धौलपुर से बढ़िया जगह ब्यावर है, पानी की कोई कमी नहीं है, बीसलपुर से पानी जा रहा है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप सुन नहीं रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप अपने कार्यकाल में भी जिला नहीं बनाओगे क्या? हमने सात जिले बनाये हैं और आप एक भी जिला नहीं बनाओगे क्या? कई बार आप आश्वासन देकर आ गये चुनाव के समय में, जो भी सरकार आई...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक भी जिला इन्होंने नहीं बनाया। वित्त मंत्रीजी, थोड़ा-बहुत तो रहमदिल रहिये, राजस्थान की जनता की कुछ तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, जब अजमेर स्टेट का विलीनीकरण हुआ था उस वक्त सरकार ने यह बात कही थी कि जब भी जिले बनेंगे, राजस्थान के ब्यावर को जिला बनाएंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो हिम्मत करो। आपको कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, सभी प्रकार के कार्यालय वहां पर हैं। आलरेडी सभी प्रकार के कार्यालय हैं, एक कलक्टर को बिठाना है खाली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंह जी, प्लीज, बिराजिये अब। आप बिराजिये, प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, एक वाजिब मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गई न बात, सुन लिया न उन्होंने।

श्री हीरासिंह चौहान : उस मांग को उठाने के लिए, हम कोई गलत बात नहीं उठा रहे।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी कहना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं यह बात, बजट में कह चुके...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके भी समीप है, आप भी रात-दिन आते-जाते हैं, जिला बनाने के लिए तो आपका भी दिल होता होगा। हम जो बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे कि जिला नहीं बनाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह नहीं रहा कि आप गलत बोल रहे हैं। अब बिराजो आप।

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान के तेरह बड़े नगरों में, कोई भी राजस्थान का एक भी शहर बता दें जिसकी इतनी आबादी है और वह आज दिन तक जिला नहीं बना है। दो लाख से ज्यादा आबादी है:...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा इनको कहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : छोटे-छोटे, जिनकी जनसंख्या कुछ भी नहीं है, किसी की 28 हजार है, किसी की 68 हजार है, किसी की 45 हजार है, उन सब को आपने जिला बना दिया। यह जिला क्यों नहीं बन पाता है, इसका कारण क्या है?

श्री सांवर लाल : आपके धौलपुर से बड़ा है माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्यावर के साथ अन्याय क्यों है, ब्यावर को क्यों नहीं जिला बनाया जा रहा?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मोहन लालजी सुखाड़िया जब मुख्य मंत्री थे उस समय...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र है, बीड़ी क्षेत्र है, टैक्सटाइल है, सीमेंट है, मार्बल है, दो लाख की आबादी है, ब्यावर को जिला क्यों नहीं बनाया जाता है, क्यों अन्याय हो रहा है ब्यावर के साथ में? ब्यावर को क्यों नहीं जिला बनाया जा रहा है, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, कारण क्या हैं, क्यों नहीं जिला बनाया जा रहा है? हम जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : करो न। मांग कर ली न तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मांग कर ली लेकिन आप घोषणा तो करो। वित्त मंत्रीजी से घोषणा कराएं, वित्त मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : लोग आये हैं, हजारों की संख्या में स्टेच्यू सर्किल पर आये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, प्लीज।

श्री रमजान खान : हजारों की तादाद में आये हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और जब अजमेर, मेरवाड़ा स्टेट का विलीनीकरण हुआ था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आये हैं तो मिल लेगी सरकार...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्यावर को जिला बनाया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वित्त मंत्रीजी, घोषणा करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान का पुनर्गठन हुआ उस समय...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार की मंशा क्या है, यह तो आ जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिंह चौहान : भू-भाग का भी देखें तो भू-भाग के हिसाब से भी बनना जरूरी है। छोटे-छोटे जिले बना दिये तो इसको क्यों नहीं जिला बनाया जा रहा है?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बनाया जाए इनका जिला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी, बिराजिये प्लीज।

श्री रमजान खान : यह ब्यावर के आसपास के चार लाख लोगों का अपमान है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, हो गई बात। बिराजिये प्लीज।

श्री रमजान खान : बात तो हो गई मगर वित्त मंत्रीजी बैठे हुए हैं, जिस वक्त अजमेर स्टेट का विलीनीकरण हुआ था अजमेर, मेरवाड़ा का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी कोई।

श्री सांवर लाल : सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है तो सरकार कह दे, सरकार की मंशा क्या है?

श्री रमजान खान : उस वक्त का वादा अब पैंतालीस साल हो गये, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री रमजान खान : पैंतालीस साल हो गये हैं, चार लाख की आबादी...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एक विधान सभा में मेरा सवाल था तो सरकार की ओर से यह आंकड़े आए हुए हैं, उन्होंने खुद ने मंजूर किया है कि राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंहजी, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रमजान खान : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री रमजान खान : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी। बिराजिए।

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय श्री अमराराम। माननीय सदस्य, अब बिराजें, अब हो गई बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सुराना साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय हीरासिंहजी, अंकित नहीं हो रहा।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री रमजान खान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमराराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्राम समेलों का तला (बाड़मेर) में भीषण अग्निकांड

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होली से पहले 24 तारीख को एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी गांव समेलों का तला, ग्राम पंचायत मिठडाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में, रात को दस बजे सब के सोने का टाइम हुआ, अचानक उस गांव के अन्दर आग लगी और एक घर से आग लगते-लगते पूरे 49 घर आग की लपेट में आ गये, पूरे गांव का सफाया हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब अनुसूचित जाति के 49 घर हैं वह आग से भस्म हो गये, अब वह आकाश की छत के नीचे सो रहे हैं। मेरा स्थगन प्रस्ताव भी था। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, सरकार की ओर से उनके मकान के लिए, उनके खाने के लिए और उनके पहनने के लिए आज दिन तक क्या व्यवस्था की गई। उपाध्यक्ष महोदय, जब आप यह कहानी सुनते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हालत है उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की, उन बच्चों की, हम लोग रंगीन महलों में, भवनों में बैठे हैं, आसमान को छूने वाले हैं और वे आकाश की छत के नीचे बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया, गांव का गांव उजड़ गया। कुछ

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे यहां की सहयोग संस्था ने और वहां के कुछ स्वयंसेवी लोगों ने वहां जाकर उनके दुःख दर्द की कहानी सुनी है, लेकिन मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि आज इतने दिनों के बाद में भी उन लोगों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हुई है।

मेरा निवेदन है कि श्वानों को दूध मिलता है। यहां भूखे बच्चे अकुलाते हैं और मां की गोदी से चिपक कर ये बुरे दिन बिता रहे हैं, उन बालकों के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए अभी तक मुझे उसका जवाब स्थगन आदेश का भी मिला नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं एक घर जल जाता है या थोड़ा सा हो जाता है, तो वहां फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है लेकिन वहां उस गांव में कहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, सारा गांव जो नष्ट हो गया उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र उनको कम से कम 16 हजार रुपये, करीब 8 लाख रुपये का खर्चा आएगा, उनके मकान बनाये जाएं। 8-9 लाख का खर्चा ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 9-10 लाख हो जाए, हम करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं आये दिन जब एक्सीडेंट्स होते हैं। सब कुछ हो रहा है लेकिन यह घटना कोई कम नहीं है। कम से कम 8-10 लाख रुपये का सवाल है उन सबके 49 घरों के वापस पुनर्वास के लिए। मेरा निवेदन है कि 16 हजार देकर उनके घर बनावें। इसके अलावा उनके खाने के लिए व्यवस्था करें। जब तक मकान नहीं बने उनके टैंटों की व्यवस्था की जाए, उनकी मेडिसिन की व्यवस्था भी की जाए और उनके लिए अनाज की भी व्यवस्था की जाए। अभी तक सरकार द्वारा क्या किया गया, यह बताया नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से कर बद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसी गरीबों की पीड़ा, अग्नि पीड़ितों की जो पीड़ा है, उसके बारे में आज ही आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार कुछ न कुछ उनके लिए करे। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये। (व्यंवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने 1500 रुपये का किया है अग्नि पीड़ितों को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें एक मिनट। आप बिराजिये। एक मिनट।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : ...(व्यवधान) 1500 रुपये देते हैं और चाहे करोड़ों का नुकसान हो गया हो, चाहे लाखों का हो गया...

श्री नन्दलाल बंशीवाल :... (व्यवधान) ...और आग लग जाए...(व्यवधान) 1500 रुपये देते हैं...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इस सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) ...तीन सौ रुपये और छह-छह सौ रुपये देते हैं...(व्यवधान) यह राशि बढ़ायी जानी चाहिए। यह वर्षों पुराना आज से 50 साल पहले...(व्यवधान) की थी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ...(व्यवधान) ...यह राशि बहुत कम है।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) इसको बढ़ाया जाना चाहिए। (व्यवधान) परम्परा अभी तक चल रही है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राज्य सरकार को यह सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) ...ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ...(व्यवधान) ...पारदर्शी और संवेदनशील सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) 25 हजार रुपये उसको दिये जाने चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, मेरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये। मदन दिलावर जी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : ...(व्यवधान) जैसा आपने बताया कि गांव स्वाहा हो गया। माननीय अमराराम जी बता रहे हैं कि पूरा गांव स्वाहा हो गया और वहां पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) ...कितना नुकसान हुआ है...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ...(व्यवधान) ...उसमें केवल पांच हजार रुपये दिये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को बढ़ाया जाए ताकि आगजनी से होने वाली...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय वित्त मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की उसकी जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराएं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो 1500 रुपये की राशि बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। बिराजिए न आप। अब क्या है, क्या चाहते हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा विभाग नहीं लेकिन मैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपका विभाग नहीं है लेकिन आप सरकार से जिसका विभाग है उसको सूचित कर दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय राहत मंत्री जी को इसके लिए निवेदन कर दूंगा और उनसे कहूंगा कि आपको अवगत करा दें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतनी ही तो बात चाहते हैं। अब क्या हुआ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : एक सैकण्ड कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ बाकी नहीं रहा अब तो कल बताएंगे तब बताना बिराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट के टाइम में कोई आसमान टूटने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसमें एम.पी. और एम.एल.ए. कोटे के पैसे में से वे उनको दे सकें यह तो आप करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आने दीजिए फिर बताएंगे न।

श्री हेमाराम चौधरी : हादी साहब पांच लाख रुपये उनको देना चाहते थे लेकिन प्रावधान नहीं होने की वजह से दे नहीं पा रहे हैं। एम.पी. साहब भी देना चाह रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाने दो। जानकारी आ जाने दो।

श्री हेमाराम चौधरी : पैसे दे सके ऐसा तो आप कर सकते हो। यह प्रावधान तो आप कर सकते हो।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की जानकारी आ जाने दें उसके बाद बात करना। बिराजिए प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इसमें एक निवेदन और है कि इसमें समय सीमा भी तय की जाए। इसमें समय सीमा भी तय की जाए। आग लगने के बाद 6-6 महीने तक।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये न। हो गयी न बात। अब क्या है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरा निवेदन है कि आप आग लग जाती है, 6-6 महीनों तक राशि देते नहीं उनको। राशि उपलब्ध नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ...(व्यवधान) ...समय सीमा भी तय कर लें कि आग लगने के बाद और सरकार की जानकारी में आ गया उसके बाद यह राशि तो उपलब्ध कराएं। 6-6 महीनें तक उनको चक्कर लगाते रहना पड़ता है कलक्टर और एस.डी. एम. के यहां पर। समय सीमा भी तो तय हो इसके अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी।

श्री हेमाराम चौधरी : एम.पी., एम.एल.ए. कोटे के पैसे ऐसी विभीषिका में वे मदद कर सकें उसमें वह प्रावधान होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

काश्तकारों के वैकल्पिक कुओं/ट्यूबवैल्स पर विद्युत कनेक्शन

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर्ची के माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान एक ऐसे बिन्दु पर आकर्षित कर रहा हूं जिस पर सदन के माननीय सदस्यों ने पहले भी चिन्ता व्यक्त की है। राजस्थान में हजारों-लाखों की तादाद में कृषि कनेक्शंस हैं। अनेक कुएं कई बार फेल हो जाते हैं और जब किसान का कुआं फेल हो जाता है, तो किसान के पास विकल्प ही यह रहता है कि वे दूसरे नये स्थान पर अपना कुआ बना ले, ट्यूबवैल बना ले। किसान ऐसा करता ही है और करने के बाद में वे आपके विद्युत विभाग को एप्लाई करता है। उसका जो कनेक्शन पुराना है वे नये स्थान पर, जो उसके नाम से है या उसके परिवार के नाम से है, बल्कि मैं अभी तो उसके नाम तक ही सीमित कर रहा हूं, जो उसके नाम से है वहां पर उसको स्थानान्तरित कर दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेक सर्कुलर इनके विभाग ने जारी किए हैं। मेरे पास यह 6.10.1999 का सर्कुलर भी है। विद्युत मंत्रीजी बावजूद सब सर्कुलरों के पचासों सैकड़ों हजारों मामले हमारे बीकानेर जिले के हैं, जहां पर कृषि कनेक्शन 10-15 हजार से ज्यादा नहीं हैं वहां पर भी ऐसे मैटर्स पैंडिंग हैं। मुख्य आपत्ति जो विभाग के द्वारा उठायी जाती है वह यह है कि नयी जगह आपने जो कुआं बनाया उसका आपके नाम से पांच वर्ष पहले विक्रय पत्र होना चाहिए या कुआं नामान्तरण पांच वर्ष पूर्व हुआ होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत हास्यास्पद निर्देश है अधिकारियों का। आपके सर्कुलर में यद्यपि मैंने पढ़ा लेकिन लगता है कि इस 6.10.1999 के सर्कुलर में तो नहीं है। किसी न किसी अन्य सर्कुलर में नीचे अधिकारियों को गया हुआ है कि पांच वर्ष पहले उसके नाम से यदि उसने विक्रय पत्र किया है और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उस जगह ट्यूबवैल बनाया है या कुआं बनाया है, तो उसका पुराना कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित किया जा सकता है।

मैं आपको एक ठोस उदाहरण दे रहा हूं। नोखा तहसील के गांव रोड़ा में श्री रूपाराम विश्नोई का कुआं ढाई साल पहले फेल हो गया और उसने रोड़ा सीवचीपते हिंयाजैसर में एक जमीन का टुकड़ा लेकर उसमें ट्यूबवैल बना लिया और बावजूद इसके कि उसका प्रार्थना पत्र निरन्तर आपके विभाग में पैंडिंग है, अधिकारीगण यही कह रहे हैं कि वह पांच वर्ष का नियम जब तक सरकार या विद्युत मण्डल या ये कम्पनियां नहीं बदले तब तक हम उसको...

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : यह विश्नोई का मामला ही नहीं है यह पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं वो ही कह रहा हूं कि यह पूरे, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप विद्युत मंत्रीजी के पास बैठे हैं और जो बात मैंने निवेदन की उसके समर्थन में यह तथ्य इनको बतला रहे हैं कि ऐसे हजारों मामले अन्य जिलों में पड़े हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी सिफारिश करने आये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बहुत आभारी हूं मैंने कहा न। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं विद्युत मंत्रीजी को कि राजस्थान के उन जिलों में, हमारे यहां से तो ढाई सौ फीट नीचे से हम पानी निकाल करके सिंचाई कर रहे हैं, हमारे यहां विनियोजन ढाई लाख, तीन लाख, चार लाख रुपये वह काश्तकार लगा रहा है। यह कोई नहरी जमीन का मामला नहीं है कि जहां फ्लों से पानी आ रहा है। हम अपने बिल चार-चार हजार रुपये के भर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उस काश्तकार की स्थिति उन सब हजारों काश्तकारों की स्थिति का आकलन करें कि क्यों अवरोध आ रहा है और जब नया कुआं बना लिया गया तो पुराने कनक्शन को आपने सब नियम दे रखे हैं कि उसी गांव में हो, तो एक हजार रुपये प्रति हार्स पावर का चार्ज होगा और उसमें मिनिमम चार्ज और मैक्जीमम चार्ज आपने दे रखा है अपने सर्कुलर में

(13.00 बजे)

इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं मुख्य बात यह कहना चाहता हूं कि उस गांव में या उसके पड़ौती गांव में, सींव चिपते गांव में जो बिलकुल उसकी बोर्डर से लगा हुआ गांव है, ऐसे सब मामलों में कितने मामले किस जिले में पैंडिंग है उसका आकलन आप खुद करें और इस सम्बन्ध में यदि पांच साल का कोई निर्देश दिया हुआ है, तो उस निर्देश को तत्काल निरस्त कराएं। आप अन्दाजा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लगाएं कि पांच साल पहले कैसे पता चलेगा काश्तकार को कि मेरा कुआं फेल होगा और मुझे फलां जगह नया कुआं बनाना पड़ेगा। यह तो कोई ऐसा नियम है जो अन्तरयामी को ही मालूम हो सकता है और व्यावहारिक बात यह है कि कुआं फेल होने के बाद वह जमीन खरीदेगा, वहां ट्यूबवैल बनाएगा। इसलिए यह पांच वर्ष पूर्व का जो नियम है उसको तत्काल निरस्त करें और इसमें न सिर्फ बहुत सरलीकरण करें बल्कि यह निर्देश दें कि डेढ–दो महीने के भीतर ऐसे सारे प्रकरणों में, जो भी आपको नियमानुसार चार्जेज लेने हैं, वह लेकर जो भी नये कृषि कनेक्शन हैं, जहां उन लोगों ने नये ट्यूबवैल बना लिये हैं पुराने ट्यूबवैलों के स्थान पर, पुराने कुएं और ट्यूबवैल फेल हो गये हैं उन नये स्थानों पर उनके कृषि कनेक्शन की तत्काल इजाजत दें।

मैं इसी पाइंटेड निवेदन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक निर्देश देंगे या इस सदन को कुछ और अवगत कराना चाहें, तो इस सम्बन्ध में तत्काल अवगत कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऊर्जा मंत्रीजी, यह पूरे राजस्थान का मामला है और आपकी हमेशा एक खासियत रही है कि आप...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजो। आप बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी आपकी खासियत रही है कि आपने हमेशा उत्तर दिया है। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, वह उत्तर देना चाहते हैं। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत दे दीजिए न। आग तो आज लगे और पांच साल बाद में कुआं खुदे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, बहुत बहस हो चुकी। इस पर और होगी अभी तो, बिराजो अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। मंत्रीजी तैयार हैं।

श्री केसाराम चौधरी : सिर्फ इतना सा कहना है कि इस सर्कुलर को वापस ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यहां का संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा, पूरे राजस्थान की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा अंकित नहीं होने के संकेत)

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लाल जी, आज आप ज्यादा बोल रहे हैं, क्या बात है आज? छुट्टियों से आये हो इसलिए कुछ हो रहा है क्या? बिराजो आप।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, आप चिन्ता क्यों करते हो बिजली पर अभी बहुत बहस होगी।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : तो भी हो जाएगी। कटारिया साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : हो गई बात, बिराजो।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज। श्री कटारिया जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आपको अलाउ किया है। क्या है जो अलाउ करूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजो प्लीज। माननीय कटारिया जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अभी जवाब आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज। माननीय कटारिया साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करो, बिराजो। अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप किसको पूछ रहे हो? अंकित ही नहीं हो रहा है। आप किसको पूछ रहे हो?

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया न सुराना साहब ने।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सुराना साहब कह चुके हैं, आप नयी बात क्या कह रहे हो?

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, मैं बताता हूं। आप बिराजो प्लीज। आप यह जानते हो कि ऊर्जा मंत्रीजी, जो भी प्रश्न उठता है उसका जवाब देते हैं। आज जवाब देना नहीं चाहते, तो नहीं चाहते। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को आज सदन के माध्यम से सब लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि हममें से हरेक की इच्छा है कि आज की आवश्यकता के अनुरूप हमारा बालक कम्प्यूटर शिक्षा को ग्रहण करे, उसको सीखे और इस युग में जिन्दा रहने के लिये जो आवश्यक है उसकी पूर्ति करे। पिछली बार भी हमने इस विषय को उठाने का प्रयास किया और मैंने लगभग शायद जितने माध्यम हो सकते हैं उन सब माध्यमों का नोटिस बराबर लगा रहा हूं लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि इसकी चर्चा जिस रूप में आनी चाहिए वह नहीं आ पाई और मुझे आज पर्ची के माध्यम से इस विषय को सदन में लाने के लिये मजबूर होना पड़ा। जिस कम्प्यूटर शिक्षा को लागू करने की इच्छा पक्ष-प्रतिपक्ष सबकी है लेकिन उसके लागू ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण हम जिस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं वह गौण हो गई, उसकी बुराइयां इतनी अधिक छा गई कि लोगों के मन में एक आक्रोश और गुस्सा

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उससे पैदा हुआ। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मेरी आपसे प्रार्थना इस बात की है कि मैंने जिन विषयों को पिछली बार भी उठाया उसको गहराई से देखने का प्रयास नहीं किया और इसके कारण जो हमारी मंशा थी वह मंशा व्यर्थ चली गई।

जिस दिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने विज्ञापनों के माध्यम से इसके बारे में जो विज्ञापन निकाले थे उससे आपकी और सबकी मंशा बहुत स्पष्ट थी और हम सब लोगों के मन में भी एक उत्साह पैदा हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ने मुख्य मंत्रीजी का, आपका और स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष का एक फोटो लगाकर विज्ञापन जारी किया था "कम्प्यूटर शिक्षा का ज्ञान नई सदी का आह्वान, सूचना क्रांति के आगे बढ़ता राजस्थान" लगा था कि लोगों में इससे उत्साह पैदा होगा कि निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत अच्छा काम करने के लिये हम जा रहे हैं। यह जुलाई के महीने में निकला था। दुर्भाग्य से कोई समझने की कोशिश नहीं करता, शायद हम बोलते हैं, तो हम सब फालतू के लिये ही बोलते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। यह काम बोर्ड का था ही नहीं। बोर्ड का काम तो केवल परीक्षा का संचालित करने का है लेकिन सबको ऐसा लालच लग गया है कि जहां से खाने को मिले वहीं वह मुंह मारने की कोशिश करते हैं। बोर्ड का काम नहीं है यह काम तो हमारे शिक्षा विभाग, बीकानेर का है कि यह शिक्षा किस प्रकार से लागू हो, एजेंसी कौन हो, उसका परीक्षा का परिणाम क्या आएगा, बच्चे में वह गुणवत्ता आई कि नहीं आई, यह काम बोर्ड का नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से बोर्ड अध्यक्ष और सब का फोटो छपने के कारण से वह फोटो का विज्ञापन जारी किया।

इसी तरह से शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित एक विज्ञापन आपने भी निकाला और इसके आधार पर स्वाभाविक रूप से यह लगा कि राजस्थान में, इसमें आपने संख्या दी है कि मैं उन सबको नहीं पढ़ना चाहता हूं, 11वीं और 12वीं के वाणिज्य और विज्ञान संकाय के सभी बच्चों को और बाकी के लिए आपने ऐच्छिक रखा है और इतने सालों में हम सारे बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा के घेरे में लगेंगे। इसके आधार पर आपने स्वाभाविक रूप से शार्ट टर्म टेण्डर नोटिस निकाला। इस शार्ट टर्म टेण्डर नोटिस में जो आपकी शर्तें थीं अगर इसको कोई ठीक प्रकार से देखे कि जिन शर्तों के आधार पर हमने टेण्डर दिये थे और जिन लोगों ने इसकी स्वीकृति देने के बाद, आज विद्यालयों में जाकर उसकी स्थिति को देखी जाए तो शायद हम 10 पर्सेंट भी उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। जिन शर्तों के आधार पर हमने टेण्डर लिया क्योंकि समय की सीमा रहती है, एक घंटे–दो घंटे तक भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसको डिस्कस करें तब भी शायद इसकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे लेकिन जो हमारी शर्तें थीं, शर्त नम्बर 33 में दिया था प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षक रखे जाएंगे, शिक्षकों के लिए न्यूनतम पात्रता नियमानुसार होगी। उसमें आपने प्रेसक्राइब किया कि किस प्रकार की डिग्री होगी, जिस प्रकार के इंजीनियर होंगे; टीचर होंगे। अगर इस दृष्टि से आपके चलने वाले कम्प्यूटर सेन्टर को देखो, तो शायद 5 प्रतिशत भी उसमें उपलब्धता नहीं हैं। उसमें आपने क्वालिफाइड टीचर नहीं रख कर बच्चों को और एक तरह से और ज्यादा गर्त में डालने का काम किया। एक तरफ तो उसने गरीब की जेब जैसे–जैसे काटी और मां–बाप ने सोचा कि शायद मेरा बच्चा कुछ पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाने वाले की कोई काबलियत है कि नहीं इसको भी आपने नहीं देखा। निविदा की शर्त में आपने जो 600 विद्यालयों में प्रारम्भ की पर राजस्थान में 5 प्रतिशत विद्यालयों में निर्धारित योग्यता के शिक्षक नहीं हैं। भुगतान की शर्त की अवधि में, जो आपने अनुबन्ध सात के अन्दर निर्धारित योग्यता के शिक्षक नहीं लगाए जाने पर निविदाकार को कोई भुगतान देय नहीं होगा, क्या किसी ने देखा कि यह हो रहा है कि नहीं हो रहा, सच में तो 80–90 प्रतिशत विद्यालयों को तो भुगतान ही नहीं हो सकता है, जो शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं।

इसके साथ ही जो भौतिक साधन वहां उपलब्ध कराएंगे उसमें आपने कहा था कि एयरकंडीशनर लगेंगे, 1000 क्यूबिक मीटर का कोई कमरा होगा वहां पर 1.5 का एयरकंडीशनर लगेगा, वहां टेलीफोन का कनेक्शन होगा, ई–मेल का कनेक्शन होगा, उसको उसमें से यह सुविधाएं वहां मिलेंगी। इनमें से आप अगर इस दृष्टि से आंकने की कोशिश करें, तो 10 प्रतिशत विद्यालय भी ऐसे नहीं होंगे जिनमें इस तरह से हो। दुर्भाग्य यह है कि जिस प्रकार से आपने यह टेण्डर नोटिस जारी किया जब यह टेण्डर नोटिस जारी किया तब आपने कहा था कि कम्प्यूटर भी आप लगाएंगे, इस तरह का कम्प्यूटर होगा, यह होगा। इन सब शर्तों के आधार पर यह टेण्डर नोटिस, शोर्ट टेण्डर नोटिस निकाला। इस शोर्ट टेण्डर नोटिस में जो इलिजिबिलिटी आपने दर्शाई है, मैं तो चाहता हूं कि अगर आपकी कृपा हो, तो एक बार इसकी विस्तृत चर्चा हो। हम इसके पक्ष, विपक्ष में नहीं हैं पर इसमें जहां–जहां कमियां हैं उन कमियों को निकालकर हमारे बच्चों की शिक्षा सही हो, क्योंकि राजस्थान में अभी भी 20–30 प्रतिशत बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जिनको 600 रुपये इकट्ठा करने के लिए भी 6 लोगों के यहां पर हाथ फैलाना पड़ता है, तब जाकर 600 रुपये की फीस स्कूल में जमा करा सकते हैं। उन बच्चों के मां–बाप पर क्या गुजरती होगी, इसमें इलिजिबिलिटी में जो कुछ भी लिखा है कि—"The tenderers must fulfil the

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

following conditions and must also submit documentary evidence in support of fulfilling these conditions while submitting the techincal bid." यह टैक्नीकल बिड देने के पहले आपने कुछ कंडीशन उसमें लगायी थी। आपने इसमें कैटेगरीज की हैं। चार कैटेगरीज के लिए—The bidder should have adequate infrastructure and financial resources to undertake the contract as mentioned below..." कौन-कौन इसमें भाग ले सकेंगे, उनकी क्या कंडीशन है इसको कभी देखने की कोशिश नहीं करते। "Category No. 1- A bidder tendering more than one district should have the turnover of at least 5 crores for the last 3 years." जो डिस्ट्रिक्ट की भरता है, उसके लिए यह कंडीशन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी तरह से आपने बिडर की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जरा इसको शार्ट कीजिए। वैसे ही एजुकेशन की डिमांड आ रही है। उस पर आप और बोल सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं शार्ट कर रहा हूं। एजुकेशन की डिमांड पर अगर आप एक घंटा दें तो भी, (व्यवधान) कारण क्या है, मैं समस्या उठा कर कोई वह नहीं कर रहा...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि जिन टर्म्स एण्ड कंडीशंस के आधार पर जिस कम्प्यूकाम को आपने दिया उसके बारे में, क्योंकि यह जो चार कैटेगरी बनाई है यह अपने आप में स्पष्ट है कि यदि कोई डिस्ट्रिक्ट की देना चाहे, तो ले सकता है। उसके साथ बिडर अगर वन डिस्ट्रिक्ट की लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, तहसील की लेगा तो उसकी क्या होगी, 10 स्कूलों की लेगा तो उसके पास किस प्रकार की फाइनेंशियल पोजिशन होगी। इसका मतलब इस टेण्डर की शर्त से यह तो स्पष्ट था कि इसमें फ्रेंचाइजेज का कहीं नहीं था लेकिन इस सबके बाद में जब इस टेण्डर की सारी शर्तें आपकी थीं, आपने शार्ट टर्म टेण्डर निकाला, उसके बाद आपने यह शर्तनामा निर्धारित किया कि सबसे लोएस्ट बिड कम्प्यूकाम की थी, प्रत्येक जिले की इसमें सूची है। 28 जिलों की उसमें रेट दे रखी है, उस रेट के आधार पर आपने लोएस्ट मानकर इन शर्तों के आधार पर आपने कम्प्यूकाम को दिया। इस शर्त नम्बर तीन में फ्रेंचाइज सबलेटिंग मान्य नहीं होगा तथा इसमें अलग से शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह था 27 दिसम्बर का जो शर्तनामा आपके बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी किया। इन टर्म्स एण्ड कंडीशंस के आधार पर आपको काम करना था क्योंकि उसकी लोएस्ट बिड थी। इस लोएस्ट बिड में भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उन्होंने एक पत्र 26 तारीख को लिखा था कि हमको इसमें कुछ दिक्कते हैं, तो बोर्ड ने अपने 27 तारीख के पत्र बिलकुल डिनाई कर दिया कि नहीं, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। जो टर्म्स एण्ड कंडीशंस हैं उन्हीं टर्म्स एण्ड कंडीशंस के आधार पर आपको काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने उस टर्म्स एण्ड कंडीशान पर काम तो नहीं किया और उसके बाद एक एग्रीमेंट किया। मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट किया है इस कागज को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना फर्जीवाड़ा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप फाइल सदन की मेज पर रख दीजिए, तो यह सारी पोल खुल जाएगी कि हमारा डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है। मैं सारा पढ़ूंगा तो आप मुझे फिर रोकोगे। एग्रीमेंट में चार शर्तें थीं और चार शर्तों के आधार पर नीचे की शर्त थी-"Now these present witnesses..." यहां केवल विटनेसेज के दस्तखत होने थे। यह पेज एण्ड हो रहा है और यहां दोनों के दस्तखत हो गए लेकिन उसके बाद में विटनेसेज के दस्तखत यहां नहीं होकर नया पेज जोड़ा गया बाद में और इसकी टर्म्स एण्ड कंडीशंस को बढ़ाया। चलो यह भी समझ में आता है 6 तक आपने आया, फिर दस्तखत कर दिए उन्होंने, दोनों ने, उसके बाद एक सातवां कालम और जोड़ा, इस टाइपराइटर से वह मैच नहीं कर रहा है। नए टाइपराइटर का एक नया पेज जोड़ कर उसको डाला वह जरूर पढ़ सकता हूं- "All disputes arising..." यह सातवां बाद में जोड़ा है। जिसकी टाइप बिलकुल भिन्न है, पेज भिन्न है दस्तखत हो गये, जहां एग्रीमेंट समाप्त हो गया उसकी जगह एक नया जोड़ा है- "All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the State Level Committee and the decision of the State Level Committee shall be final." यह 27 तारीख का है। यह अगला पेज आपने और जोड़ा। यह बिलकुल फर्जी है। इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा इस कम्प्यूकॉम को फ्रेंचाइज नहीं किया जाए इस बात से बाहर निकालने के लिए इस पेज को जोड़ा और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कंक्ल्यूड कीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि बच्चों का अहित...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और आएगा न अभी तो। (व्यवधान) फिर आपने पहले भी डिस्कस कर लिया, और डिमाण्ड आ रही है उस पर डिस्कस होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं डिस्कस नहीं...(व्यवधान) इसके बाद आपने देखा होगा कि...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, जो पर्ची में विषयवस्तु दी है उससे बिलकुल भिन्न बोल रहे हैं। पर्ची में विषयवस्तु बहुत संक्षिप्त है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी पोल खुल रही है तो विषयवस्तु से भिन्न हो गया है। +++ वस्तुस्थिति से भिन्न हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ और विषय वस्तु से भिन्न हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं तो बैठ जाऊंगा। (व्यवधान) राजस्थान के गरीब बच्चों का मामला है। +++ और इस प्रकार से कह रहे हैं कि वस्तुस्थिति से भिन्न है। (व्यवधान) कोई भी मामला गम्भीर आता है, तो वस्तुस्थिति से भिन्न हो जाता है।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) **:** मैं समझता हूं कि दिलावर साहब बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। कोई बात कहें, यहां पर लिख कर दें (व्यवधान) आप लिख कर दें, गुलाबजी कटारिया को मैं पूरे कागज रख देता हूं। (व्यवधान) एक पैसा खाया हो, तो सदन छोड़ देना। (व्यवधान) या मैं छोड़ दूंगा यहां पर राइटिंग में लिख कर दे दो आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह शर्तों के आधार पर... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप लिख कर दो यहां पर। (व्यवधान) राइटिंग में आप लिख कर दो यहां पर मैं कह रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शर्तों के आधार पर शिक्षित...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप लिख कर दीजिए, मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) आज के बाद किसी मंत्री के ऊपर, किसी मंत्री के बारे में कोई एलीगेशन नहीं लगाएंगे... (व्यवधान) मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं इस बात के लिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले लिख कर दें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने किया होगा। (व्यवधान) यहां पर जलील होने के लिए नहीं आए। (व्यवधान) कह रहे हैं कि +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हमेशा ऐसी बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं सुनना चाहते, तो मैं चर्चा समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मर्यादा में रह कर बात करें, हमेशा मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार की बात करते हैं। (व्यवधान) मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय कटारिया साहब, आप इसको कंक्लूड कीजिए और वैसे भी आप इसको पहले उठा चुके हैं। (व्यवधान) फिर भी आपको अलाउ कर रहे हैं। इसको कंक्लूड करें। (व्यवधान) यह प्रश्न पहले उठा चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके कारण से नई परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि बच्चों का शिक्षण नहीं हो रहा है और यह फ्रेंचाइज का जो आपने 18 तारीख को। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सदन में भी कहा और मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, पूरे कागज गुलाबजी कटारिया को समर्पित हैं। जिन्दगी में अपनी पार्टी के किसी सदस्य को और खुद को इस बात के लिए पहले शपथ लेनी पड़ेगी कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच कर लें। इसमें कमी हो सकती है, खामी हो सकती है। (व्यवधान) इससे मैं सहमत हूं लेकिन यह कहना कि यह भ्रष्टाचार है इस पर किसी का भी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिलावर जी, आप बैठ जाइए। (व्यवधान) आप इस तरह आरोप नहीं लगाएंगे। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिलावर जी बार-बार खड़े हो जाते हैं और +++ आरोप लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैंने पहले कहा, फिर कहा मैंने पिछले सदन में भी कहा है, (व्यवधान) जो भी जांच करनी है कर लें, (व्यवधान) लेकिन सदन में जलील होने के लिए नहीं आए हैं। (व्यवधान) आरोप सुनने के लिए नहीं आए हैं। (व्यवधान) अपने आपको बहुत बड़ा मानते हैं, आरोप लगाते हैं, मंत्री भ्रष्ट हैं, हरेक भ्रष्ट है। आपने हरेक बात में कह दिया कि मंत्री भ्रष्ट है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने उस समय भी आपसे आग्रह किया था, आसन से आग्रह किया था। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : आपने आज आरोप लगा दिया। (व्यवधान) आज के बाद आरोप लगाया तो ठीक नहीं होगा। (व्यवधान) बिलकुल झूठा आरोप लगाते हैं ये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ, बैठते क्यों नहीं?

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, तमाशा बना रखा है विधान सभा को। मर्जी आए जो आरोप लगा देते हैं ये, इस तरह का आरोप लगाया, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ। (व्यवधान) बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक विवादित विषय है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : आप भी बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना मैंने पहले भी की थी कि इतनी ही बात है सच्चाई के लिये हाउस की कोई कमेटी बना दें या आप अपनी फाइलें यहां रख दें।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपको सौंपता हूं, आपको कमेटी की जरूरत नहीं है। गुलाब चन्दजी कटारिया, उप नेता सारे कागज आपको सौंपता हूं, रख लीजिए। पर आज के बाद सदन में किसी पर भी आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करके आएं, मैं आप पर छोड़ता हूं। (व्यवधान) जांच कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान) मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है, आरोप का...(व्यवधान) मैंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज के बाद आरोप लगाए तो ठीक नहीं होगा। हां, समझ लेना, आज के बाद आप असत्य आरोप लगाएं तो...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह असत्य आरोप लगा दो, मन चाहे जो आरोप लगा देते हैं, दिलावरजी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बैठ रहे हैं सब हम तो, बैठा देगी जनता अपने आप आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आप पर छोड़ता हूं। (व्यवधान) मैं आप पर छोड़ता हूं न। (व्यवधान) हां, तकलीफ है, हां, तकलीफ है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुनिए फिर...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप कर दीजिए। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप जांच कर लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) हमें मंजूर है। हमें क्या तकलीफ है। (व्यवधान) आरोप लगाने से पहले आप नियमों का पालन कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप में हिम्मत हो तो लिख कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई आरोप नहीं लगाया...(व्यवधान) सच्चाई जो है, वह सच्चाई...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लिखित में दे। आप आरोप लगाना चाहते हो तो इस तरह असत्य आरोप मर्जी आए तब लगा देते हो। (व्यवधान) आप में हिम्मत हो तो लिखकर दीजिए...(व्यवधान) ऐसे असत्य आरोप नहीं लगाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पत्र का जो एक अंग है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मर्जी आए जब आरोप लगा देते हो...(व्यवधान) इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए आप...(व्यवधान) इनके खिलाफ कार्य करिए, असत्य आरोप लगाते हैं इस तरह...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) **:** आरोप लगाने से पहले नोटिस दिया जाए... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मर्जी आए जो कह देते हैं मंत्रियों के खिलाफ ये...(व्यवधान). क्या तमाशा लगा रखा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ, +++ एक टांग टूट गयी, एक टांग टूट गयी, हर अधिवेशन में एक टांग टूट गयी का +++ (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको जो एग्रीमेंट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजो। (व्यवधान) आप बिराजो, प्लीज। आप बिराजो, आसन पैरों पर। प्लीज... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इसी तेवर में पिछली बार भी कहा था...(व्यवधान)आपने मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा काम नहीं हैं यह मेरा काम नहीं है, मैं तो आज भी कह रहा हूं मेरा काम नहीं है आप करवाएं जांच, मैं तैयार हूं मैंने कब मना किया, पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं...(व्यवधान) मैंने कब मना किया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने आरोप नहीं लगाया, हमने आरोप नहीं लगाया... (व्यवधान) आपने पिछली बार भी यह कहा था... (व्यवधान) आपने इसी तेवर में, इसी तेज आवाज में पिछली बार भी कहा था... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आज भी कह रहा हूं, तकलीफ कहां है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो रख दो यहां सदन में...(व्यवधान) हां, तो फिर ठीक है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हां, एग्री हैं क्या तकलीफ है। हमें कोई डर थोड़े ही है। हम ऐसा काम नहीं करते हैं...(व्यवधान) हमें तकलीफ नहीं है किसी चीज से...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल इतना कहा... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है फिर भी बहस चल रही है। (व्यवधान) आसन पैरों पर है फिर भी बहस कर रहे हैं। (व्यवधान) कोई मर्यादा नहीं सदन की...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोई आरोप नहीं लगाया, केवल बात रखी। (व्यवधान) मंत्रीजी, इतने एक्साइटेड क्यों, कैसे हो रहे हो, गुस्से में क्यों हो रहे हो, गुस्सा किसको दिखा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया...(व्यवधान) केवल तथ्यों की जानकारी दे रहा था और मैंने कोई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने कोई ठेका लिया है ईमानदारी का, गुस्सा क्यों होता है...(व्यवधान) आपने ठेका लिया है ईमानदारी का...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : केवल तथ्य रखे... (व्यवधान) हमारी जो जानकारी में, हमारी जानकारी में जो तथ्य आएंगे, वे रखेंगे... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किस पर गुस्सा करते हो...(व्यवधान) +++ (व्यवधान) खुद पर आरोप लगा कर देखें, पहले क्या आरोप हैं...(व्यवधान) बोलने का नहीं है क्या? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, जोर से या तेज बोलने से क्या होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची की बहस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई आरोप नहीं लगाया।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करणसिंहजी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में ऐसा प्रावधान है कि पर्ची के ऊपर कोई आरोप...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह पर्ची के ऊपर बोल करके आरोप लगा देना, ये कौनसी मर्यादा है, कौनसा नियम है। (व्यवधान) आपकी मर्जी में आए जो आरोप आप लगा देते हैं। (व्यवधान) आप लिखित में दीजिए, अगर आरोप लगाने की हिम्मत हो तो... (व्यवधान) लिखित में दीजिए...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, मैंने न तो किसी प्रकार का आरोप लगाया...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपकी पार्टी मेम्बर ने लगाया...(व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी है। आप पार्टी के उप नेता है। आपकी जिम्मेदारी है...(व्यवधान) आप पार्टी के उप नेता हैं। आपकी पार्टी वाले आरोप लगाएं और मुझे मतलब नहीं है। यह क्या मतलब हुआ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उन्होंने लगाएं हैं, तो उनसे करिए आप चर्चा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो तथ्य रखना चाह रहा था...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप पार्टी के उप नेता हैं। आपकी पार्टी का सदस्य आरोप लगा रहा है, आप कहें मुझे मतलब नहीं है। आप पार्टी को आन करिये। (व्यवधान) आप हम पर आरोप लगाएं... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के आधार पर कभी भी आरोप नहीं लगता है। यह नियमों में प्रावधान है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है जिस फ्रेंचाइजी के माध्यम से... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन नियमों से चलता है...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी पर आरोप लगाने की कोई जरूरत थी तो आप दें लिख करके...(व्यवधान) जब चाहे खड़े हो जाते हैं, आरोप लगा देते हैं ये सारे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो फ्रेंचाइजी आप दे नहीं सकते थे, वह फ्रेंचाइजी देकर के आपने उन गरीब बच्चों को लूटा है जिन्होंने अपने मां-बाप की खून-पसीने की कमाई को...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप भी शिक्षा मंत्री रहे हो...(व्यवधान) वर्तमान मंत्री पर आरोप लगाने से पहले लिखित में देना चाहिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह 18.5.2001 को जब बात हुई थी और जिसमें आपने फ्रेंचाइजी अलाउ की थी लेकिन उसके पहले...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब। माननीय कटारियाजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कोई नियमों का ध्यान नहीं रख रहा है, आसन पैरों पर खड़ा है और बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, जब इतनी बात हो गयी, आपको कह दिया, आप सारा रिकार्ड, जांच कर लें उसके बाद जो भी आप कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा यह निपटारा तो हो जाएगा पर उस बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप हाउस को...(व्यवधान) एक सदस्य के करने से यह नहीं चलेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर और क्या हो सकता है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है...(व्यवधान) जांच हो जाएगी, जिसका दोष होगा, उसको सजा हो जाएगी लेकिन विद्यालय में जिस बच्चे को शिक्षा देनी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : अब भूलकर आरोप मत लगाना, दिलावरजी। आज तो आरोप लगा दिया, आज के बाद इस तरह भूलकर के आरोप मत लगाना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आरोप काहे का लगा दिया, किस बात का लगा दिया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : और क्या, बिना नोटिस दिये आपने आरोप लगा दिया, मंत्रीजी पर सीधा। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हो, वे मंत्री हैं। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) डा. करण सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि फ्रेंचाइजी को देने का अधिकार इनका नहीं था। उन्होंने लोगों को फ्रेंचाइजी देकर के एक-एक विद्यालय की और एक-एक डिस्ट्रिक्ट का काम दे दिया और उससे इस कम्प्यूकाम कम्पनी ने...उन गरीब लोगों से ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी, कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेज पर रखाओ आ गई, अब पुकारो...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपया ले करके रख दिया और उसके कारण से वह बच्चा बरबाद हो गया। मैं आपके सामने...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप किस मुंह से बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : खाली आरोप लगा दिया...(व्यवधान) काहे का बना रखा है... रोज धन्धा बना रखा है...(व्यवधान) चरित्र हनन कराने के लिये नहीं आए, आरोप पर आरोप लगाकर चरित्र हनन करना धन्धा बना रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस प्रकार से मंत्रीजी को दबाया जा रहा है। (व्यवधान) हम मंत्रीजी को नहीं दबने देंगे...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : जांच के लिये बोल दिया, रखने के लिये कागज, कहां दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप टेबल कर दो, बात खतम हो गयी। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मर्जी आए जो बोल दिया यहां...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार से असत्य आरोप लगाये जा रहे हैं। ये असत्य आरोप सदन में लगाये जा रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं है, इनके पास (व्यवधान) दिलावरजी, आप सीट पर बैठें जा करके...(व्यवधान) इस तरह असत्य आरोप लगाकर मंत्रीजी को दबाना चाहते हो नहीं दबेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि इन फ्रेंचाइज को इन्होंने अलाउ कर दिया। टर्म्स एण्ड कंडीशंस के आधार पर...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : सदन की मेज पर रख दिया गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री रामस्वरूप : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको कह दिया कि आप देख लो, जांच कर लो फिर क्या दिक्कत है। (व्यवधान)...माननीय कटारिया साहब...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री रामस्वरूप : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजो। इसका एण्ड क्या है? आपने अपनी बात कह दी। सुनिये, (व्यवधान) आपने पूरी अपनी बात कह दी। पहले भी आप कह चुके हैं और डिमाण्ड्स आएगी तब कहेंगे। अब आपको इन्होंने कह दिया कि आप जो चाहो जो जांच कर लो, पता कर लो, फिर कौनसा डिस्प्यूट है? What is the dispute? डिस्प्यूट क्या है? What is the end? इसका अन्त क्या है? What is the end of this?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सुन ली न। फिर वे खड़े हो गये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा जो उद्देश्य है, मैंने शुरू किया जहां से, हमारा जो अन्तिम उद्देश्य है, वह यह है कि बच्चे की कम्प्यूटर एजुकेशन ठीक प्रकार से होनी चाहिए और बच्चा जो पैसा देता है, अपनी गरीबी में, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। पर मेरी इस सारी बात से, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी कम्प्यूकाम ने दी वह इस ढंग से दी कि न तो वहां यह साधन उपलब्ध है, न वहां ट्रेंड टीचर उपलब्ध है, न आपको टेलीफोन की सुविधा वहां उपलब्ध है, न उनकी क्लासेज रैगुलर लगती हैं क्योंकि 300 बच्चों पर आपने दो कम्प्यूटर दिये। 300 बच्चों पर दो कम्प्यूटर का जो कोई भी टाइम टेबल बनाएगा मुश्किल से पूरे एक सप्ताह में 15 मिनट से भी ज्यादा नहीं मिल सकता है। वह भी आपके 15 पर्सेंट स्कूलों में तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है और आपकी शर्त यह थी कि कम्प्यूटर अगर तीन दिन भी खराब रह जाएगा और उसको ठीक नहीं कराएगा तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

सवाल यह है कि जिनको फ्रेंचाइजी आपने किया वह इतने सक्षम नहीं हैं कि 50 रुपए में से केवल उनको 21 रुपए देते हो। 12 रुपए से लेकर पांच रुपए एक्स्ट्रा, 17 रुपये कम्प्यूकाम बिना बात के, बिना

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मदद के, बिना किसी काम के वह उनका काट कर अपने पास रख लेता है। छह रुपए प्रति स्टूडेंट बोर्ड आपका काटकर रख लेता है जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है उसको तो मात्र 19 रुपए और 21 रुपए मिलते हैं। 19 रुपए और 21 रुपए में जहां पर कुल बच्चे ही 40 हैं वहां वह अपना कैसे तो सेंटर चलाएगा और कैसे वह अपना पेट भरेगा? मां-बाप की पेंशन और कर्जा लेकर के यह जो बेरोजगार नौजवान था उसने आपके इस छलावे में आकर, इस कम्प्यूकाम के छलावे में आकर, जिस प्रकार कहा कि हम बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उन बच्चों ने आकर यह काम ले लिया। आज वह इस काम को करने की स्थिति में नहीं है। दिवालिया हो रहे हैं। एक तरफ तो वे डूब रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे की एजुकेशन नहीं हो रही है क्योंकि यह डूबते हुए सब भाग रहे हैं। कोई भी उस काम को करना नहीं चाहता है। कोई चिन्ता करना ही नहीं चाहता है। कोई सुविधा जुटाना नहीं चाहता है। उस बच्चे की एजुकेशन कहां हो रही है? एक तरफ बच्चे की एजुकेशन नहीं हो रही है, फ्रेंचाइजी लेने वाला कर्जे में डूब रहा है और जिसका कोई योगदान नहीं है, वह कम्प्यूकाम माल उड़ा रहा है, फोकट में पैसा खा रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं, उसने एक कम्प्यूटर, एक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है, न कोई ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। पैसे तो वह खा रहा है और बच्चों को सफर कर रहा है।

इस सारे विषय में ऐसे उत्तेजना से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे उस बच्चे की एजुकेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही। उसमें अगर कोई कमी-खामी है, तो उस कमी-खामी को कैसे निकालेंगे अगर कोई कहीं फ्रेंचाइजी में गलती है, अगर इनको ठीक प्रकार से उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो हमको उसे देखना पड़ेगा। इन दोनों के झगड़ों के कारण उस बच्चे को तो बरबाद नहीं होने देना है। आप और मैं, पता नहीं आपको लगा या नहीं लगा, हम उस परिवार से पढ़कर आए हैं जहां पर पिताजी को 600 रुपए एक साथ निकालने के लिए चार लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ता था तब जाकर कहीं स्कूल का पैसा जमा करा पाते थे। गरीब ऐसे 10-20 परसेंट लोग हैं जो यह फीस नहीं दे सकते पर इस कारण से देते हैं, चलो, मेरा बच्चा कम्प्यूटर सीख जाएगा। मेरी गारंटी है कि अगर एग्जाम सही ढंग से लिया जाए, तो 80 परसेंट बच्चे पास नहीं हो सकते क्योंकि उनको 15 मिनट और 20 मिनट तो महीने भर में माउस घुमाने को नहीं मिले। कहां से सीखेगा, क्यों +++ करके बरबाद करना चाहते हो अगर एजुकेशन देकर आप पैसा लेना चाहते हो तो किसी को कोई एतरात नहीं है, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। हम भी चाहते

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं कि हमारा बच्चा, गांव का बच्चा भी कम्प्यूटर शिक्षा को लेकर आगे बढ़े।

लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि वह गरीब भूखे मरकर भी अपने बच्चे की फीस जमा कराता है लेकिन अन्त में रिजल्ट शून्य आता है। इस सिस्टम से आप जाकर, नहीं तो कहीं चलिए आप मेरे साथ दस-पांच कम्प्यूटर सेंटर देखते हैं। वहां बच्चों को बुलाकर आपके सामने माउस घुमाकर देख लेते हैं वह इसको आपरेट करके बता दे तो मेरी गारंटी है। वह बच्चा आपरेट नहीं कर सकता है। इस प्रकार का ज्वलन्त सवाल बनकर, केवल इस बात को हेकड़ी में, आप हम से टकराओ और हम आपसे टकराएं, इससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल तो उस बच्चे को इसका लाभ मिला या नहीं मिला, जिसने पैसे देकर इस सारी बात को वह भुगत रहा है और जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली वह सब रो रहे हैं क्योंकि वे इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। एक विद्यालय से मुश्किल से 500 रुपए उसे नहीं मिलते हैं, क्या वह दो टीचर, ट्रेंड टीचर रख सकेगा? क्या दो ट्रेंड टीचर की तनखाह उठा सकेगा? यह कम्प्यूकाम उठा सकता था क्या दो टीचर की तनखाह नहीं उठा सकता है केवल इसने आपको धोखा दिया है और धोखा देकर एक छूट केवल इसने ली कि वह फ्रेंचाइजी लेकर सारा पैसा और उसका कमीशन खाने का काम कम्प्यूकाम के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ठीक है।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस का कहां अन्त है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस विषय के बारे में मेरा मुख्य बिन्दु यह है कि उस बच्चे की शिक्षा, अगर होती है, 600 की बजाए 700 लगते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होगा। कहीं से भी लाकर उधार से भी दे देगा लेकिन देने के बाद भी उस बच्चे को एक कौड़ी का ज्ञान नहीं हो और इस तरह से यह पैसे लूटकर खाने का काम कर रहे हैं। अनियमितता यह कर रहे हैं और सजा बच्चा भुगत रहा है। इस बारे में आपसे यह प्रार्थना है कि मैंने हर प्रकार का प्रयास किया, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया, मैंने ध्यानाकर्षण भी दिया, पिछले सत्र में भी दिया लेकिन वह नहीं लगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके कारण मजबूरन मुझे पर्ची के माध्यम से आना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि पर्ची के माध्यम से इस विषय को उठाऊं। मैं विषय के तह में जाकर आपसे हल कराना चाहता हूं। उस बच्चे की शिक्षा कैसे हो, उसके लिए जहां-जहां कमियां हैं, उनको सुधारें और उसमें अगर कोई मीडिएटर पैसे खाकर बरबाद करना चाह रहा है और एक अच्छे काम को लिए हुए को रसातल में पहुंचाना चाहता है, उसे रोकना पड़ेगा, उसके साथ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कठोरता से पेश आना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा चले, यही उद्देश्य था, बाकी बातों की जांच के लिए आप रख दीजिए, हम उस फाइल को देखकर अपने मन को बनाएंगे कि वास्तव में कहां गलती है। हमें एक दृष्टि से देखने से लगता है कि यह पेज बदल–बदल कर जहां जहां इसने दस्तखत कराए हैं, वह सब गलत दस्तखत करवाए हैं और 18.5.2001 में इसने यह फ्रेंचाइजी करने की छूट ली जबकि यह विज्ञापन उससे पहले जनवरी के महीने में निकल रहा है कि मैं बोर्ड से मान्यता प्राप्त हूं। कोई बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं होता है। एफिलेटेड होता है। जनता को ठगने के लिए विज्ञापन जारी करे, फ्रेंचाइजीज फंसाए और फंसाने के बाद में स्कूलों में वहां कम्प्यूटर आपरेट नहीं हो, कम्प्यूटर पहुंचे नहीं, उसकी सुविधा मिले नहीं, यह मुख्य विषय है। इस विषय के बारे में मैं चाहूंगा या तो आप जिस दिन शिक्षा की डिमाण्ड हो, उस दिन अपनी तरफ से पूरा इसको ठीक प्रकार से देख कर वह हल निकालो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिससे बच्चे की शिक्षा ठीक प्रकार से हो सके और बीच के मीडिएटर अगर पैसे कमाने को पड़े हुए हैं, तो उन पर अकुंश लगाइये, उनको रोकिए और हमारे बच्चों को बरबाद होने से बचाइये।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब? यह क्या मतलब कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी। यह शिक्षा की डिमाण्ड थोड़े ही है। शिक्षा की डिमाण्ड पर आप कह देना।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मतलब वन साइड प्रेस में यह बात जाएगी, हम कोई गुनाह कर रहे हैं? बात भी नहीं सुनेंगे। फैक्चुअल बात तो ध्यान में आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नो–नो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बोलो न, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैक्चुअल बात तो सामने आनी चाहिए। पांच परसेंट भी नहीं, फिगर तो Let me ask you to speak that what is the truth. सारा रिकार्ड में आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए, मंत्री महोदय, उन्होंने यह डिमाण्ड की है कि...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : या तो आप क्यों न इस पर्ची को बन्द कर दीजिए या फिर आप हमको रिकार्ड में भी आने दीजिए। रिकार्ड वन साइड चला जाए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए तो।

श्री सी. पी. जोशी : हम अपनी बात कह नहीं सकें और प्रेस में यह जाए कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया या तो आप इस बात को बिलकुल क्लियर कर दें। मैं इनके हर बिन्दु का जवाब अभी देना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, मैं आपकी बात को रोक नहीं रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि जब आप शिक्षा की डिमाण्ड पर बोलें तो इस पर विस्तृत जवाब दे दें। आप बैठिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब तक राजस्थान के हर अखबार में यह लिखा हुआ पाएगा कि यह हो गया। इसका जवाब कौन देने जाएगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप उपाध्यक्ष हो, आप कहेंगे शिक्षा के, हम अभी देकर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप अभी बोलना चाहते हो? I have no objection.

श्री सी. पी. जोशी : हां, अभी बोलना चाहता हूं। मैं अभी बोलना चाहता हूं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर्ची के माध्यम से जो आरोप लगाये जाते हैं, उसका जवाब देना इसी वक्त जरूरी है। आप अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे को कोई आब्जैक्शन नहीं है।

श्री रामस्वरूप : अगर जवाब नहीं देंगे तो गलत मैसेज जाएगा जनता में। दीजिए जवाब आप तो।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आर्डर-आर्डर। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : अभी-अभी आया है। बोर्ड की कापियों का लिफाफा सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। समाज शास्त्र की कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाओं का लिफाफा सड़क पर पड़ा हुआ मिला है।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका भी जवाब दिला दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कक्षा 12 की समाज शास्त्र की...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दौसा में पड़ा हुआ मिला था उसका जवाब नहीं दिया था तब तो आपने। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कापियों का बण्डल मिला है।

श्री मदन दिलावर : बोर्ड की कापियों का बण्डल, राजस्थान की सड़कों पर बोर्ड की परीक्षाओं का बण्डल...(व्यवधान) बोर्ड की परीक्षाओं का बण्डल मिला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तो बण्डल ही होंगे। समझ गये न आप, मर्जी आए जब बोल लेते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक तो बोलो।

श्री सांवर लाल : पाइंट आफ इंफोर्मेशन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : यह महत्वपूर्ण है, आने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से हम जवाब चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए, यह सही स्थिति सदन में रखेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : मंत्रीजी, जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। दो-दो हाथ में लिए और मंत्रीजी बोल रहे हैं, जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए। मदन दिलावरजी, बैठिए।

श्री मदन दिलावर : जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, यह भी साथ में जवाब दीजिए। बहुत महत्त्वपूर्ण इंफोर्मेशन है। यह भी साथ में जवाब देना।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने इस प्रश्न को दो रूप में उठाया है। नम्बर एक, आपका कथन यह है कि इसमें फ्रेंचाइजी और टेंडर, उसकी कंडीशन लगाकर एक कम्पनी को फायदा देने का काम किया गया है। यह आरोप के रूप में पिछले सदन में भी रखा था तब भी मैंने कहा और फिर रिपीट करना चाहता हूं कि सारे कागजात आप देख लें, उसमें टेंडर की टर्म्स एण्ड कंडीशन में फ्रेंचाइजी की व्यवस्था थी या नहीं थी? सरकार को नियम-कानून बदलने का प्रावधान था या नहीं था, आप देख लें और उसके बाद उसमें जो भी निर्णय करना हो कर लें लेकिन यह आरोप लगाना कि उसको उसमें फ्रेंचाइजी की कंडीशन नहीं थी। फ्रेंचाइजी का नोटिस निकाल कर उसको उसमें लोगों को ट्रेप में डाला या कम्प्यूकाम को हम पेट्रोनाइज करके उसके साथ बेस्टेड इंटरेस्ट हमारा जुड़ा हुआ है, यह सत्यता से बिलकुल परे है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा थी कि राजस्थान में हम कम्प्यूटर एजुकेशन कैसे प्रारम्भ करें। वित्तीय संसाधनों की कमी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, 1980 में हिन्दुस्तान में कम्प्यूटर की क्रांति हो गई। आज साउथ के अन्दर कर्नाटक में 30 हजार इंजीनियर निकल रहे हैं, आन्ध्र में 30 हजार इंजीनियर निकल रहे हैं और चेन्नई में इतने ही निकल रहे हैं। सारी आई.टी. का सारा जो डवलपमैंट है वह साउथ इण्डिया में हो गया। हमारे यहां भी आई. टी. का इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो पाया कि हमने मन में सोचा ही नहीं कि कैसे हम बच्चों को कम्प्यूटर एजुकेशन के साथ जोड़ें। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के बाद भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन में कल्पना थी कि राजस्थान में हम कैसे कम्प्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाएं। हमने दो फेज में प्रारम्भ किया। एक कालेज में प्रारम्भ किया, कालेज में एप्टेक कर रहा है, आई.सी.ए. कर रहा है, 800 रुपए ले रहा है। उसका कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने एक प्रश्न नहीं उठाया, वहां पर भी एप्टेक कर रहा है, आई.सी.ए. कर रहा है। राजस्थान के कोने-कोने में हर लड़का जो बी.ए., बी.एससी., बी.काम. कर रहा है वह कम्प्यूटर एजुकेशन लेकर डिग्री प्राप्त करेगा। राजस्थान पहला प्रदेश है हिन्दुस्तान में जिसने इस तरह का काम किया, कालेज में सक्सेसफुल हुआ।

इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने स्कूल में प्रारम्भ किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने स्कूल में प्रारम्भ किया तब हमें मालूम था और उसका दूसरा आसपैक्ट बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य नहीं कहना चाहते। जब हमने टेण्डर निकाला तब हमने निकाला था तीन लाख बच्चों का। हर स्कूल में स्ट्रेंथ दी और हमने यह बिलकुल नहीं कहा कि आर्ट्स, साइंस, कामर्स सब जगह लागू होगा। हमको यदि कम्प्यूकाम को फायदा देना होता तो हम राजस्थान में तीन लाख का देते। आप दूसरी बात भी तो बोलें, उस टेण्डर में कंडीशंस हैं तीन लाख बच्चों की, यदि हमारे मन में बेईमानी होती तो हम तीन लाख बच्चों की जगह 98 हजार बच्चों को क्यों देते। हमारे मन में बेईमानी करने की होती तो हम तीन लाख का ही टेण्डर देते। हमें मालूम था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, तकलीफ होगी, तीन लाख बच्चों को रिड्यूस किया 98 हजार पर। यही हमारा इंडीकेशन है कि हमारे मन में बेईमानी नहीं थी।

नम्बर दो, 800 रुपए में कालेज के अन्दर कम्प्यूटर एजुकेशन ले रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर के अन्दर। हमारे मन में बेईमानी होती तो स्कूल का टेण्डर भी ज्यादा लाना चाहिए था। हमने इस टेण्डर को किया 600 रुपए के अन्दर। यदि हमारे मन में बेईमानी होती, बेईमानी करने की नीयत ही होती, तो 800 की जगह 900 रुपए

(श्री सी. पी. जोशी)

में करते। तब भी बेईमानी करने का मामला होता। इसलिए हमारी इंटेंशन पर आप यह प्रश्न उठाते हैं माननीय कटारियाजी, मैं इस पर सख्त एतराज करता हूं। मैं कहना चाहता हूं विनम्र शब्दों में जैसी पीड़ा आपके मन में है, वैसी पीड़ा हमारे मन में भी है। आपकी पीड़ा तो फ्रेंचाइज के लिए है, फ्रेंचाइज को 21 रुपए मिले, इसकी पीड़ा है। आपको यह भी पीड़ा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। आपके मन में पीड़ा थी क्या शिक्षा मंत्री की हैसियत से कि राजस्थान के लड़के कम्प्यूटर सीख लेते, चाहे कितना नुकसान होगा, इसका क्राइम करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कभी मन में प्रश्न खड़ा नहीं होता कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से राजस्थान में यह काम क्यों नहीं कर सका। यदि आप नहीं कर सके तो इसका दोष मेरे ऊपर नहीं है लेकिन हमने करने का प्रयास किया। उसमें कमी है, खामी है इसको मैं मना नहीं करता। मैं रिकार्ड लेकर आया हूं। आपको स्कूलें भी बता सकता हूं और मैंने आंकड़ा लेने के बाद मुझे पता है कि जो हमने क्वालिफिकेशन रखी थी, मैं कहना चाहता हूं सदन से, आज के दिन 624 स्कूलों में से केवल मात्र 15 स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। मैं एडमिट कर रहा हूं। 624 स्कूलों में से 15 स्कूलों में पढ़ाई प्रारम्भ नहीं हो सकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितने लोग पी.जी.डी.सी.ए. है, कितने एम.सी.ए. हैं, मैं नाम पढ़कर सुना दूं। आप चाहते हैं, मैं सबसे पहले बड़ी सादड़ी का सुनाता हूं जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तथ्य क्या हैं और मेरे पास तथ्य क्या हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक स्कूल का लेकर आया हूं। मुझे जानकारी है इस बात की कि यह कह देंगे कि साहब, वहां पर तो बिलकुल अन-क्वालिफाइड आदमी पढ़ा रहे हैं। आदमी क्वालिफाइड है ही नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले का ही देना चाहता हूं। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, अपने आपको करेक्ट कर लें या मुझे जानकारी होगी, तो मैं अपने आपको ठीक कर लूंगा। मैंने जो यह आंकड़े मंगाए हैं यह डायरेक्ट्रेट आफ एजुकेशन से मंगाए हैं, बोर्ड से नहीं मंगवाए हैं। मैंने आंकड़े मंगाए हैं वह बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन से नहीं मंगाए हैं। मुझे मालूम है कि बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के सम्बन्ध में जो आपका प्रश्न है, मैं भी सहमत हूं। अच्छा होता कि हम बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन से इसको नहीं जोड़ते। मैं इससे सहमत हूं कि यह काम डायरेक्ट्रेट के अन्दर होना चाहिए। इस सत्यता को मानने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि बोर्ड का काम एग्जामिनेशन कंडेक्ट करने का है। अच्छा होता हम बोर्ड की बनिस्बत इस काम को डायरेक्ट्रेट से करते, पर आप स्वयं जानते हैं कि डायरेक्ट्रेट के कितने

(श्री सी. पी. जोशी)

आदमी हमारे कम्प्यूटर एजुकेशन के बारे में जानकारी रखते हैं, कितने आदमी जानकारी नहीं रखते। इसलिए हमने सोच-समझकर कम्प्यूटर एजुकेशन को बोर्ड के साथ जोड़ा। यह गलत हो सकता है। इसको डायरेक्ट्रेट में लेना चाहिए, इस तथ्य से मैं अपने आपको अलग नहीं करता। लेकिन इसको करने के पीछे मंशा यह नहीं थी कि हम बोर्ड में करके कोई बेईमानी करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से चित्तौड़ जिले की जो स्कूलें हैं, उनका मैं नाम बताना चाहता हूं। चित्तौड़ में गवर्नमेंट हायर सैकण्डरी स्कूल श्री भूरसिंह को दे रखा है। यह पी.जी.डी.सी.ए. हैं। मिस्टर मनीष गांधी है, वह ओ-लेवल पास हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा यह नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उन्हीं के नाम बता रहा हूं। (व्यवधान) उन्हीं के नाम बोल रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखिये। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उन्हीं का पढ़ रहा हूं। मैं उन्हीं का पढ़ रहा हूं। मान्यवर, टेण्डर की जो क्वालिफिकेशन है, उसको पढ़ दूं। जो क्वालिफाइड आदमी हैं, उनकी मैं क्वालिफिकेशन भी पढ़ देता हूं जिससे ठीक रहेगा। जो मैं क्वालिफिकेशन पढ़ रहा हूं, वह क्वालिफिकेशन रिलेवेंट है कि नहीं? हमने यह क्वालिफिकेशन रखी थी :-

"One year PGDCA from a recognised University or Bechalor degree with one of the subjects of Computer Sceince/Computer Engineering/Computer Application from a recognised University or Post Polytechic Diploma in Computer Application/3 years Diploma from Govt. Polytechnic College in Computer Science/ Engineering/Application or "A" level/ "O" level with graduation degree certification from DOEAAC or any other higher qualification in the field of IT or graduation in any discipline with one year computer education and should have passed faculty; test to be conducted...

These were the conditions."

मैं नाम बता रहा हूं, वह बता रहा हूं जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे चित्तौड़ स्कूल में नाम बताया है श्री भूरसिंह, पी.जी.डी.सी.ए., दूसरा है मिस्टर मनीष गांधी, उसने ओ-लेवल कर रखा है। जो चित्तौड़ में स्कूल है उसमें पढ़ाने वाले है श्रीमती रूचि जैन, बी.एस.सी., पी.जी.डी.सी.ए. दैन चित्तौड़ प्रोपर में जो दूसरी स्कूल हैं, गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल उसमें पढ़ा रही है कुमारी स्वाति जोशी,

(श्री सी. पी. जोशी)

पी.जी.डी.सी.ए. दैन बेगूं में जो पढ़ाने वाली हैं। श्रीमती रेणु काबरा, ओ-लेवल, दैन बड़ी सादड़ी में पढ़ाने वाले हैं गुंजन दवे, डिप्लोमा इन पोलिटैक्निक, दैन कपासन में पढ़ाने वाले सुरेश चन्द, डी.सी.ए. दैन निम्बाहेड़ा में पढ़ाने वाले नितिश कुमार, पी.जी.डी.सी.ए. दैन प्रतापगढ़ में पढ़ाने वाले टेलर, पी.जी.डी.सी.ए.... (व्यवधान) जहां कामर्स और साइंस ही खोला है। मैं आपकी इस बात से, मैंने आपको बताया कि हम कोई भी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के कम्प्रोमाइज करके बच्चों को कम्प्यूटर एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं जो आपने फ्रेंचाइज यहां पढ़ी है इसमें, आपने टेण्डर डाकुमेंट बताया। जहां फ्रेंचाइज की लिस्ट लगी हुई है। यह फ्रेंचाइज की लिस्ट नहीं लगी हुइ थी तो फ्रेंचाइज की लिस्ट कैसी लगी इसमें? बाद में एड नहीं किया है। ओरिजनल टेण्डर की जो कंडीशंस हैं, उस टर्म्स एण्ड कंडीशंस में फ्रेंचाइज की लिस्ट मांगी है। यदि मन में फ्रेंचाइज की लिस्ट बाद में एड करने का होती, तो ओरिजनल टेण्डर में फ्रेंचाइज लिस्ट क्यों करते? जो मेन मुद्दा है, जिससे मैं सहमत हूं कि जिन सुविधाओं के अन्तर्गत हमें कम्प्यूटर व्यवस्था करनी थी, जिस में ए.सी. उपलब्ध करने की व्यवस्था थी, जिसमें इन्टरनेट की बात की गयी है, जिसमें टेलीफोन की बात कही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध नहीं हुई। उपलब्ध नहीं हुई, तो हमने इनका पेमेंट भी नहीं किया। हमने पेमेंट नहीं किया, हमारी नीयत यह थी कि जब हम पेमेंट कर देते तब भी आपका आरोप सही होता कि हमने कम्प्यूकाम को एडवांटेज देने के लिए सब लेट करवा दिया और सब-लेट करने के बाद में पेमेंट कर दिया। मेरे पास पूरा रिकार्ड है।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज के दिन चित्तौड़ में जो स्कूलों के नाम बताए हैं, जिनमें हमने पेमेंट ही नहीं किया अभी तक। आप हम पर आरोप लगाना चाहते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया उनको। हमारी नीयत ही, जब हमें मालूम है कि हम कैसे कम्प्यूटर एजुकेशन को ठीक करें, कैसे उसको बाध्य करें कि जो कंडीशंस एयर कंडीशनर की और टेलीफोन की, वह व्यवस्था ठीक करे। यह नहीं होने से हमने पेमेंट नहीं किया। यदि हमारे मन में बेईमानी करने की होती तो आज हमें पेमेंट कर देते। हम बिलकुल आनेस्टेली इस कम्प्यूटर एजुकेशन के आपके सहयोग से, आनेस्टली यह विश्व हिन्दू परिषद् का मामला नहीं है, यहां का लड़का कम्प्यूटर एजुकेशन पढ़ना चाहिये। इसलिए हम आनेस्टली चाहते हैं कि राजस्थान में कम्प्यूटर एजुकेशन लागू हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कमी और खामी है तो मैं आपके साथ बैठकर उस पर विचार कर लूंगा, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं...

श्री मदन दिलावर : घबराहट हो रही है। (व्यवधान) घबराहट हो रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, विषयान्तर क्यों हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हम तो सहयोग चाहते हैं कि राजस्थान में यहां का लड़का कम्प्यूटर एजुकेशन लेकर आए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उसमें विश्व हिन्दू परिषद् कहां आ गयी? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उसमें बच्चों का पैसा खा गए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप घुट रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कि जिसका परिवार आगे बढ़ेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप घुट रहे हैं क्या? मंत्री महोदय, विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी इसमें? (व्यवधान) इसमें विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : लेकिन जान-बुझकर...(व्यवधान) लेकिन कमी और खामी को इम्प्रूव करने का जहां तक प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बेईमानी करने की नीयत हमारे मन में बिलकुल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पढ़े-लिखे होकर प्रसंगहीन बात करते हैं। विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? इसमें विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिलावरजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? आप क्यों बोल रहे हैं? पढ़े-लिखे होकर के...(व्यवधान) विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किस बात पर आयी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विश्व हिन्दू परिषद् कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : विश्व हिन्दू परिषद् का नाम लेना ही गलत है क्या? नहीं ले नाम? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने कैसे जोड़ा इसको? (व्यवधान) कैसे जोड़ा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय +++ शिक्षा मंत्री। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, नाम ले, गलती क्या की? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ विश्व हिन्दू परिषद् का नाम नहीं लेओगे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप डराओगे तो नाम नहीं लूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई भी +++ विश्व हिन्दू परिषद् का नाम नहीं लेगा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : नहीं कहना पड़ेगा। मुझे डरा रहे हैं कि विश्व हिन्दू परिषद् का नाम क्यों ले लिया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई भी +++ विश्व परिषद् का नाम नहीं लेगा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैंने गुनाह किया क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक काम और कर दें। एजुकेशन की डिमाण्ड 15 तारीख का आएगी। इस पर सार्थक चर्चा हो इसलिए आप एक तो सैंटर के नाम, स्टूडेंट्स और उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिफिकेशंस और जो कुछ भी वहां उपलब्ध है, उसके बारे में और एक बच्चे को, आपका पीरियड का जो एडजस्टमेंट है, जितना भी समय आपको मिलता है उसमें से वीक में एक बच्चे को कम्प्यूटर का माउस पकड़ने का समय कितना मिलता है, यह तीन चीजें पहले दे दें। ताकि उस दिन के डिस्कशन में हम इस चीज को भी जोड़ते हुए, वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब इस वास्तविकता से दूर नहीं हटें। इसलिए आपको कह रहा हूं यह भले ही दो बड़े लोगों के झगड़े होंगे, कौन कमाएगा, कौन नहीं, यह हमारी प्राथमिकता नहीं हो हमारी प्राथमिकता यह है कि उस बच्चे को, जिसके लिए हमने यह स्कीम लागू की, उसकी प्रोपर एजुकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। वह गुणवत्ता के आधार पर कुछ सीख रहा है कि नहीं या इन दोनों के झगड़े के कारण से हमारे स्कूल सफर कर रहे हैं, बच्चे सफर कर रहे हैं। हम उस सही चीज पर पहुंच नहीं पा रहे हैं तो वह सूची अगर आप हमको दे दें, तो 15 तारीख के डिस्कशन में वह कौन–कौनसे ट्रेंड टीचर कहां–कहां पर कैसे–कैसे लगे हुए हैं... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : 624 स्कूलों में से जो भी डिस्ट्रिक्ट की दो–दो, तीन–तीन, चार–चार जो पढ़ाने वाले हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप एक डिस्ट्रिक्ट की दे दो हमको। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : चित्तौड़ की?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक डिस्ट्रिक्ट पूरी दे दो।

श्री सी. पी. जोशी : चित्तौड़ की पूरी डिस्ट्रिक्ट की हां मैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि इतने स्कूल हैं, इतने बच्चे हैं, इतने अध्यापक हैं और यह इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सी. पी. जोशी : एग्रीड। मैं भी सहमत हूं। चित्तौड़ जिले की पूरी सूची दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव। बैठिए-बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) और अब बच्चों के अंक कैसे जाएंगे? (व्यवधान) यह बोर्ड की समाज शास्त्र की कक्षा 12 की कापियां सड़क पर पड़ी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राठौड़ साहब, इनको रोक लो आप। आई हैव नोट अलाउड। बहुत हो गया।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। बहुत हो गया अब तो।

एक माननीय सदस्य : इनका कोई प्रस्ताव है क्या ऐसा? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनके खिलाफ बोलते हैं, तो बहुत हो गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं देता हूं प्रस्ताव।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए। डा. करण सिंहजी।

शहीद की विधवा को नियुक्ति

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा देश में 13 दिसम्बर को लोक सभा पर आतंककारियों द्वारा हमले को विफल करने में राजस्थान के नीमकाथाना के वीर जगदीश प्रसाद की भूमिका को सारे देश ने एप्रीशिएट किया। इस कृतज्ञ राज्य ने, कृतज्ञ राष्ट्र ने उसकी वीरता को सम्मान देते हुए अशोक चक्र से सम्मानित किया जो कि परमवीर चक्र के बराबर का सम्मान है।

शहीद जगदीश प्रसाद की अंत्येष्टि के दिन समूचा सीकर जिला वहां मौजूद था। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए स्वयं वहां गये। वहां जाने पर मृतक के वृद्ध पिता ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इस बात के लिए दिया कि राजस्थान सरकार ने बिना टाइम जाया किये हुए पहले दिन ही कारगिल पैकेज की घोषणा की। कारगिल पैकेज आम तौर पर सैनिकों को मिलता है, युद्ध में लड़ने वालों को मिलता है लेकिन इस विशेष सम्मान के रूप में जगदीश प्रसाद को कारगिल पैकेज दिया गया।

उनके पिताजी ने इस बात का भी निवेदन किया कि जगदीश प्रसाद की पत्नी पढ़ी-लिखी हैं उसको वहीं नीमकाथाना में नौकरी मिल जाए तो वह परिवार का और उन बूढ़े मां-बाप का लालन-पालन कर सके। राजस्था सरकार के मंत्रिमण्डल ने यह विशेष प्रावधान रखते हुए इस बात का निर्णय किया कि जगदीश प्रसाद यादव की पत्नी को राज्य सरकार में नौकरी दे दी जाए। इस बात के लिए हम सब राज्य सरकार

(डा. करण सिंह यादव)

को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं लेकिन अखबारों में पढ़ कर इस बात से जरूर दुःख हुआ कि जगदीश प्रसाद यादव की पत्नी को थर्ड ग्रेड टीचर की नियुक्ति राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल ने दी। देखिये, जगदीश प्रसाद की पत्नी डबल एम.ए. हैं, एम.ए. इन हिन्दी और एम.ए. इन पोलिटिकल साइंस और बी.एड. की हुई अच्छी योग्यताधारी पढ़ी-लिखी महिला हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री यहां पर विराजमान हैं, मुख्य मंत्रीजी से और मंत्रिमण्डल से इस बात की गुहार करता हूं कि देश के लिए इतनी बड़ी शहादत देने वाले ऐसे वीर सैनिक की पत्नी को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। वह डबल एम.ए. है, बी.एड. है उसे कम से कम उस सब्जैक्ट में, हिन्दी में या पोलिटिकल साइंस में व्याख्याता की नियुक्ति दें। यही प्रार्थना मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से राज्य सरकार से करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। जगदीश यादव मेरे यहां का रहने वाला है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। हो गयी न बात, बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरे हाउस ने ही कर दिया फिर, अकेला नीमकाथाना क्या पूरा हाउस।

श्री रामस्वरूप : पूरा सदन ही निवेदन कर रहा है।

श्री मोहन लाल मोदी : आश्वासन तो दें हमारे वित्त मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नीमकाथाना का कह कर छोटा मत करो।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 60 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या प. 4 (40) वित्त/कर-अनु/93-102 दिनांक 12.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (40) वित्त/ग्रुप-IV/93-39 दिनांक 5.2.1994 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/2000-103 दिनांक 12.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (1)वित्त/कर/2000-284 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

3. अधिसूचना संख्या प. 4 (11) वित्त/कर-अनु/95-104 दिनांक 12.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (11)वित्त/कर-अनु/2000-ग्रुप-IV/95-84 दिनांक 27.3.1995 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/2000-105दिनांक 12.11.2001 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम की निर्धारित शर्तों के अध्यधीन कर की दर अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सन्दर्भ में प्रारूप 'ग' या 'घ' को प्रस्तुत न किये जाने पर कर की दर 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

5. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2000-106 दिनांक 12.11.2001 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को गुटका, चूरी और जर्दा मिश्रित पान मसाले के 1.10.2001 से 31.3.2002 के बीच में किये गये आयात के सम्बन्ध में देय कर से निर्धारित शर्तों के अधीन कर से छूट प्रदान की गई है।

6. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/2000-107 दिनांक 12.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (1)वित्त/कर-अनु/2000-401 दिनांक 30.9.2000 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-108 दिनांक 13.11.2001 जिसके द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हालों के मामले में सशर्त स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-109 दिनांक 13.11.2001 जिसके द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हालों के मामले में सशर्त भूमि एवं भवन कर का परिहार किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-110 दिनांक 13.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (1)वित्त/कर-अनु/2000-322 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-111 दिनांक 13.11.2001 जिसके द्वारा बोर्डिंग/आवास इकाइयों, सफारी पार्कों, होली-डे रिसॉर्टों, मनोरंजन पार्कों, कैम्प स्थल, रज्जुमार्गों और मोटलों के सम्बन्ध में संदेय भूमि एवं भवन कर का सशर्त परिहार किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-112 दिनांक 13.11.2001 जिसके द्वारा बोर्डिंग/आवास इकाइयों, सफारी पार्कों, होली-डे रिसॉर्टों, मनोरंजन पार्कों, कैम्प स्थल,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रज्जुमार्गों और मोटलों के सम्बन्ध में संदेय विलास कर का सशर्त परिहार किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-113 दिनांक 13.11.2001 जिसके द्वारा बोर्डिंग/आवास इकाइयों, सफारी पार्कों, होली-डे रिसॉर्टों, मनोरंजन पार्कों, कैंप स्थल, रज्जुमार्गों और मोटलों के लिए क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में अन्तरण विलेखों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का सशर्त परिहार किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या प. 4 (43) वित्त/कर-अनु/2000-108 दिनांक 20.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (12)वित्त/कर-अनु/2001-27 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या प.4 (4) वित्त/कर-अनु/99-109 दिनांक 20.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (4)वित्त/कर-अनु/99-261 दिनांक 15.1.2000 में संशोधन किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या प. 4 (45) वित्त/कर-अनु/2000-114 दिनांक 24.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (15)वित्त/कर-अनु/2000 दिनांक 14.6.2001 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या प. 4 (22) वित्त/कर-अनु/2000-115 दिनांक 24.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (25)वित्त/अनुIV/92-पार्ट-II-21 दिनांक 28.9.1995 में संशोधन किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या प. 4 (22) वित्त/कर-अनु/2000-116 दिनांक 24.11.2001 जिसके द्वारा खल और तेल रहित खल के विक्रय को निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 17.9.2001 से छूट दी गई है।

18. अधिसूचना संख्या प. 4 (22) वित्त/कर-अनु/2000-117 दिनांक 24.11.2001 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में खल और तेल रहित खल के विक्रयों के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों के अधीन संदेय कर की दर 1 प्रतिशत की गई है।

19. अधिसूचना संख्या प. 4 (22) वित्त/कर-अनु/2000-118दिनांक 24.11.2001 जिसके द्वारा खल व तेल रहित खल के बारे में संदेय कर की रकम पर दिनांक 17.9.2001 से अधिभार की छूट दी गई है।

20. अधिसूचना संख्या प. 4 (22) वित्त/कर-अनु/2000-119 दिनांक 24.11.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (22)वित्त/कर-अनु/

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

2000-393 दिनांक 27.9.2000 में संशोधन किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या प. 2 (18) वित्त/कर/96 पार्ट दिनांक 26.11.2001 जिसके द्वारा उद्योग विभाग द्वारा लवण उत्पादन हेतु आबंटित लवण क्षेत्र के लिए निष्पादित लीज डीड एवं उसके नवीनीकरण पर मुद्रांक कर प्रतिभूति राशि एवं तीन वर्ष के वार्षिक किराए को जोड़ कर प्रतिफल के रूप में 11 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है।

22. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/2000-120 दिनांक 4.12.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (1) वित्त/कर/2000-299 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/2000-121 दिनांक 4.12.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (1) वित्त/कर-अनु/2000-298 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/97-122 दिनांक 4.12.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-12 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या प. 9 (4) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 6.12.2001 जिसके द्वारा न्यायिक या न्यायिकेत्तर स्टाम्पों के लिए डिस्काउंट की दर में संशोधन किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर-अनु/99-6-123 दिनांक 21.12.2001 जिसके द्वारा फ्लाई-ऐश से भिन्न कोल-ऐश को आकस्मिक वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या प. 5 (2) वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 24.12.2001 जिसके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के सदस्य श्री बद्री प्रसाद की 1.4.2002 से दिनांक 30.5.2002 तक सदस्य कर बोर्ड के रूप में कार्यावधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

28. अधिसूचना संख्या प. 2 (19) वित्त/कर-अनु/2000 दि. 26.12.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.2 (19) वित्त/कर-अनु/2000 दिनांक 29.10.2001 में संशोधन किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या प. 2 (5) वित्त/कर-अनु/99 दिनांक 26.12.2001 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या प. 2 (1) वित्त/कर-अनु/94 दिनांक 26.12.2001 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की उत्तराधिकारी कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले 450 करोड़ रुपए के अपरिवर्तनीय बंध पत्रों पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर 1 प्रतिशत की गई है।

31. अधिसूचना संख्या प. 4 (20) वित्त/कर–अनु/96–124 दिनांक 27.12.2001 जिसके द्वारा किसी परिष्करण इकाई द्वारा परिष्कृत करने के प्रयोजनार्थ अपरिष्कृत तेल के किये गये विक्रय को या क्रय को निर्धारित शर्तों पर दिनांक 25.3.1999 तक भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी गई है।

32. अधिसूचना संख्या प. 4 (30) वित्त/कर–अनु/97–पार्ट–125 दि. 28.12.2001 जिसके द्वारा भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे काम के बदले अनाज कार्यक्रम/अकाल राहत/मिड–डे मील कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार को विक्रय किये गये गेहूं, चावल और अनाज से सम्बन्धित पण्यावर्त के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को 1.4.2000 से पण्यावर्त कर (टर्न ओवर टैक्स) के उद्ग्रहण से निर्धारित शर्तों पर छूट दी गई है।

33. अधिसूचना संख्या प. 4 (58) वित्त/कर–अनु/98–126 दिनांक 2.1.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4 (2)वित्त/कर/ग्रुप–IV/87–47 दिनांक 7.9.1991 में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या प. 1(12) वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 7.1.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 1(12) वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 23.12.1998 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या प. 5 (2) वित्त/कर/97 दिनांक 7.1.2002 जिसके द्वारा श्री अरुण कुमार ओझा, राज. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अधिवार्षिकी आयु 31.5.2002 प्राप्त करने तक कालावधि के लिये सदस्य कर बोर्ड के पद पर नियुक्त किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/कर–अनु/99–127 दिनांक 10.1.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 14(8) वित्त/ग्रुप–IV/98 दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या प.2(26)वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 25.1.2002 जिसके द्वारा राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 99 के द्वारा यथा संशोधित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा (ख) (1) के अन्तर्गत उल्लिखित विक्रय इकरारनामे, मुख्यतारनामे या अन्य दस्तावेज पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर अदा किया हुआ है तो उक्त नियमन के बाद जारी पट्टे पर मुद्रांक कर 10 रुपये देय होगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

38. अधिसूचना संख्या प. 2(26) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 25.1.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (26) वित्त/कर/98 दिनांक 29.10.2001 में संशोधन किया गया है।

39. अधिसूचना सख्या प. 2 (26) वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 25.1.2002 जिसके द्वारा राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 99 के द्वारा यथा संशोधित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख)(1) के अन्तर्गत उल्लिखित विक्रय इकरारनामे, मुख्यतारनामे या अन्य दस्तावेज पर कंवेंस की दर से देय मुद्रांक कर का परिहार सशर्त किया गया है।

40. अधिसूचना संख्या प. 10 (8)वित्त/कर-अनु/96 दिनांक 29.1.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 10 (8) वित्त/कर-अनु/96 दिनांक 18.6.1996 में संशोधन किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या प. 4(53)वित्त/कर-अनु/89 पार्ट-128 दिनांक 30.1.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (19) वित्त/ग्रुप-IV/89-88 दिनांक 10.1.1991 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या प. 4 (26) वित्त/कर-अनु/89 पार्ट-128 दिनांक 1.2.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4(12) वित्त/कर-अनु/2001-12 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या प. 4(12)वित्त/कर-अनु/2001-130 दिनांक 1.2.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-108 दिनांक 13.11.2001 में संशोधन किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या प. 4(12)वित्त/कर-अनु/2001-131 दिनांक 1.2.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर-अनु/2001-109 दिनांक 13.11.2001 में संशोधन किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या प. 4 (30) वित्त/कर-अनु/97-132-पार्ट दिनांक 2.2.2002 जिसके द्वारा भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को विक्रय किए गए गेहूं, चावल और अनाज से सम्बन्धित पण्यावर्त (टर्न ओवर) और विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 1.4.2000 से बिक्री कर एवं पण्यावर्त कर से निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

46. अधिसूचना संख्या प. 4(20)वित्त/कर-अनु/96-133-पार्ट दिनांक 2.2.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. (12) वित्त/कर-अनु/2001-80 दिनांक 27.6.2001 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

47. अधिसूचना संख्या प.12 वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 7.2.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4(12) वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या प.8(3)वित्त/कर/2001 दिनांक 16.2.2002 जिसके द्वारा प्रसार भारती के स्वामित्व की जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, नगरीय क्षेत्र में अवस्थित अनुसूची में वर्णित भूमि एवं भवन कर के सम्बन्ध में वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक देय कर राशि में 50 प्रतिशत कर एवं ब्याज व शास्ति में छूट प्रदान की गई है।

49. अधिसूचना संख्या प. 2 (18) वित्त/कर-अनु/1996-134 दि. 18.2.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 2(18)वित्त/कर-अनु/1996 दिनांक 10.5.2001 में संशोधन किया गया है।

50. अधिसूचना संख्या प. 10(14) वित्त/कर-अनु/97-पार्ट-135 दिनांक 18.2.2002 जिसके द्वारा माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई में आफ सीजन होने के कारण उक्त अवधि में राज. (होटलों और वासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत देय विलासिता कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

51. अधिसूचना संख्या प. 10 (14) वित्त/कर-अनु/97-पार्ट-136 दिनांक 18.2.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4(1) एफडी/टैक्स-डिवी/2000-310 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

52. अधिसूचना संख्या प. 10 (14) वित्त/कर-अनु/97-पार्ट-137 दिनांक 18.2.2002 जिसके द्वारा ऐसी फिल्मों को जिनका फिल्मांकन 75 प्रतिशत राजस्थान में किया गया है को प्रथम प्रदर्शन की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर में सशर्त शत प्रतिशत परिहार किया गया है।

53. अधिसूचना संख्या प. 10 (14) वित्त/कर-अनु/97-पार्ट-137 दिनांक 18.2.2002 जिसके द्वारा नव निर्मित मल्टीप्लेक्स सिनेमा हालों तथा ड्राईव-इन-सिनेमा/थियेटरों के मामलों में व्यावसायिक प्रदर्शन प्रारम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए संदेय मनोरंजन कर का प्रथम वर्ष-75 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष-50 प्रतिशत, तृतीय वर्ष-25 प्रतिशत परिहार किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या प. 10 (47) वित्त/कर/93 दिनांक 18.2.2002 जिसके द्वारा बाल चित्र समिति मुम्बई द्वारा निर्मित 41 बाल फिल्मों को एक वर्ष की अवधि के लिए मंनोरजन कर से मुक्त किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

55. अधिसूचना संख्या प. 10 (47) वित्त/कर–अनु/93 दिनांक 21.2.2002 जिसके द्वारा बाल चित्र समिति मुम्बई द्वारा निर्मित बाल फिल्म 'हम भी कुछ कम नहीं' तथा 'कुकड़ू कू' को एक वर्ष के लिए मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

56. अधिसूचना संख्या प. 4 (10) वित्त/कर–अनु/2002–138 दिनांक 22.2.2002 जिसके द्वारा डी.एल.एफ. सीमेंट (अम्बूजा सीमेन्ट) को दिनांक 26.3.2006 की अवधि तक राज्य में उनके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट के अन्तरराज्यीय विक्रय को उक्त अवधि के कर दायित्व की राशि के 75 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित राशि के अधीन कर से मुक्ति प्रदान की गई है।

57. अधिसूचना संख्या प. 8 (1) वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 25.2.2002 जिसके द्वारा फूलेरिया माली समाज सम्पत्ति ट्रस्ट, भीलवाड़ा को भूमि एवं भवन कर में छूट प्रदान की गई है, किन्तु वाणिज्यिक उपयोग की भूमि पर भूमि एवं भवन कर देय होगा।

58. अधिसूचना संख्या प. 2 (9) वित्त/कर–अनु/2001–पार्ट दिनांक 27.2.2002 जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा पुरानी ऋण राशि व ब्याज राशि को नवीन ऋण राशि में शामिल करते हुए सम्पूर्ण राशि के सम्बन्ध में निष्पादित प्रतिभूति सम्बन्धित दस्तावेज जिन पर मुद्रांक कर देय है, उक्त ऋण राशि में से पुरानी ऋण राशि जिसके सम्बन्ध में पूर्व में मुद्रांक कर अदा कर किया जा चुका है, पर देय मुद्रांक कर का परिहार किया गया है।

59. अधिसूचना संख्या प. 1 (12) वित्त/कर/97 दिनांक 28.2.2002 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बसी आवासीय बस्तियों के नियमन हेतु अधिकारियों की सेवाएं पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त जयपुर शहर के अधीन दिनांक 1.3.2002 से 30.4.2002 तक दी गई है।

60. अधिसूचना संख्या प. 1(26) वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 2.3.2002 जिसके द्वारा विलेख या लिखत दिनांक 1.12.2000 से 21.1.2001, 1.4.2001 से 25.4.2001 तथा 1.10.2001 से 19.10.2001 की अवधि में निष्पादित और पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज को बाजार मूल्य के बजाय ब्याज, शास्ति दो वर्ष के औसत किराए तथा प्रतिफल की कुल रकम की राशि पर प्रचारित किया गया है।

समिति गठन प्रस्ताव

वित्तीय समितियों के सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ)(सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 अप्रेल, 2002 को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1), 231(1) सहपठित नियम 232 (1) 233(खा)(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क" व प्राक्कलन समिति "ख" तथा राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृति किया गया था।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231 (1) सहपठित नियमा 232(1), 233 (खा)(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथा सम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व किया जाए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें। इन कमेटियों का कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री वृद्धिचन्द जी जैन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में सुचारू पेयजल व्यवस्था

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

कृपया पहले जवाब दें ताकि इसके बारे में प्रश्न पूछ सकें।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय विधायक, श्री वृद्धिचन्दजी जैन, माननीय श्री हेमारामजी एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बाड़मेर जिले के बाड़मेर शहर एवं 411 गांव (तहसील बाड़मेर के 211 गांव, शिव के 88 गांव, बायतू के 105 गांव एवं चौहटन के 7 गांव) एवं जिला जैसलमेर के 147 गांव (तहसील जैसलमेर के 141 गांव, तहसील पोकरण के 6 गांव) की पेयजल व्यवस्था की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(1) बाड़मेर शहर : बाड़मेर शहर की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 68625 है। वर्तमान जनसंख्या लगभग 85000 है। बाड़मेर शहर की जलदाय योजना का मुख्य स्रोत बाड़मेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर भाड़खा गांव में स्थित है। भाड़खा में वर्तमान में 22 नलकूप कार्यरत हैं तथा औसतन 20 घंटे प्रतिदिन विद्युत उपलब्धता के आधार पर कुल उत्पादन लगभग 90 लाख लीटर प्रतिदिन है। इस स्रोत से उत्पादित जल की लगभग 50 लाख लीटर पानी की मात्रा बी.एस.एफ., एम.ई.एस. पोलीटैक्निक एवं ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने के बाद बाड़मेर शहर हेतु उपलब्ध हो रही है। इस स्रोत से इस प्रकार बाड़मेर शहर में वर्तमान पेयजल आपूर्ति स्तर लगभग 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा शहर में पेयजल की आपूर्ति 72 घंटों के अन्तराल से की जाती है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर शहर में वर्तमान में 59 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पीने के पानी की व्यवस्था संतोषजनक एवं नियंत्रण में है।

भाड़खा एवं उसके आसपास बने नलकूपों में भूजल का स्तर विगत 15 वर्षों में तीन से पांच मीटर नीचे चला गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 85 मीटर गहराई पर भूजल उपलब्ध है। विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अधिकतम मानदण्डों के अनुसार यह जल पीने योग्य है। इस क्षेत्र में भूजल में लिग्नाइट की उपस्थिति के कारण नलकूपों की केसिंग/स्ट्रेनर तथा जी.आई. पाइप खराब होने की सतत् समस्या है। इस कारण से इस क्षेत्र में बने नलकूपों की औसत आयु 5-6 वर्ष है। वर्ष 1964-65 से अब तक कुल 86 नलकूपों का निर्माण किया गया है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में कार्यरत 22 नलकूपों में से 6 नलकूप 8 से 11 वर्ष, 3 नलकूप 4 से 6 वर्ष एवं शेष 14 नलकूप 1 से 3 वर्षों से कार्यरत हैं।

ग्रामीण क्षेत्र (1) बाड़मेर जिला : प्रस्ताव में बाड़मेर जिले के 410 गांवों को संदर्भित किया गया है। प्रस्तावित लिफ्ट परियोजना में बाड़मेर जिले के 412 मुख्य गांव एवं 1350 अदर हैबिटेशन लिये गए हैं। इन ग्रामों में से ज्यादातर स्थानों पर जलापूर्ति क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के तहत की जा रही है। इन योजनाओं के मुख्य जल स्रोत निम्बला, भीमड़ा, नागाना तला, खानजी का तला, नागरदा, कानासर, भीयाड, झापली कलां, सवाड़ा, बालासर, स्वामी का गांव, राजड़ाल, जुनेजों की बस्ती, जोगासरिया,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गंगाला, दांता, सिहाणी, राणी गांव, पालेरा, जूना–पतरासर, उण्डखा, मारूडी, महाबार है। उपरोक्त स्रोतों में से तहसील शिव एवं बायतू के नलकूपों में जल स्तर पिछले 15 वर्षों से करीब तीन मीटर एवं बाड़मेर तहसील के जल स्रोतों में जल स्तर लगभग पांच मीटर नीचे चला गया है।

(14.00 बजे)

विद्युत आपूर्ति में कमी एवं व्यवधान तथा कम वोल्टेज की समस्या के कारण क्षेत्रीय योजनाओं से जुड़े हुए अन्तिम छोर के गांव में जल आपूर्ति अनियमित हो जाती है। साधारणतया क्षेत्रीय जल योजनाओं के अन्तिम छोर के गांव में 20–25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल उपलब्धता रहती है लेकिन लगभग 54 गांव ऐसे हैं जिनमें जल उपलब्धता 0–10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रहती है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस क्षेत्र में 377 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। समस्याग्रस्त गांवों में ग्रीष्मकाल में आवश्यकतानुसार टैंकर से पेयजल परिवहन कर उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) जैसलमेर जिला : प्रस्ताव में सन्दर्भित लिफ्ट परियोजना में जैसलमेर तहसील के 155 गांव, पोकरण तहसील के 6 गांव इस प्रकार जैसलमेर जिले के कुल 161 गांव प्रस्तावित किए गए हैं। इन ग्रामों में से एक ग्राम हैण्ड पम्प योजना से, 6 गांव पम्प टैंक योजना से, एक गांव टांका योजना से तथा शेष 153 गांव क्षेत्रीय जल योजना से लाभान्वित हैं।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि पीने के पानी की व्यवस्था संतोषजनक एवं नियंत्रण में है। विद्युत आपूर्ति में कमी एवं व्यवधान तथा वोल्टेज की समस्या के कारण इस जिले में भी क्षेत्रीय योजनाओं से जुड़े हुए अन्तिम छोर के गांवों में जल आपूर्ति अनियमित हो जाती है।

इस क्षेत्र की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु इन्दिरा गांधी नहर के जल को स्रोत लेकर एक प्राथमिक योजना अनुमानित लागत लगभग रुपए 455.81 करोड़ की बनायी गयी है जो कि स्वीकृति पूर्व जांच की प्रक्रिया में है। इस परियोजना में बाड़मेर जिले के एक शहर एवं 412 गांव जैसलमेर जिले के 161 गांव शामिल किये गये हैं। इस योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब प्रस्तुत किया है उससे मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसकी काफी पुष्टि होती है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि यह पहले जो योजना थी 1994 में ही इसका सर्वेक्षण हो चुका था और इसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए था, परन्तु इसमें विलम्ब हुआ तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दूसरा प्रश्न, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अभी आपने जो नलकूप बताए उन नलकूपों को विशेष तौर से भाड़खा, निम्बला, भीमड़ा, नागाना तला, खानजी का तला, नागरदा, कानासर, भीयाड़ बालासर, फतहगढ़, देवीकोट, राणीगांव इतने जल स्रोतों का जल स्तर गिर रहा है और एक वर्षा कम होने से रिचार्ज भी नहीं हो रहा है जिसके कारण प्रतिवर्ष जल उत्पादन में कमी व जल वितरण में कमी हो रही है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति है और बाड़मेर शहर में भी इसी प्रकार की स्थिति है। 411 गांव बाड़मेर जिले के एवं 147 गांव जैसलमेर जिले के हैं उनमें यह स्थिति है। क्या यह सही है कि भाडखा, भियाड़, भीमड़ा क्षेत्र में कृषि कुओं के अत्यधिक विस्तार के कारण, पानी की अधिक निकासी के कारण, रिचार्ज नहीं होने के कारण और पांच वर्षों में इनकी जल उत्पादन की कमी हो जाएगी? जैसे रणसी गांव और मथानिया में हो गयी है। पांच वर्षों में इन कुओं की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पानी की जो योजनाएं हैं विशेष कर शहर की योजनाएं हैं और ऐसी और भी योजनाएं हैं, इस प्रकार की योजनाएं कामयाब नहीं हो सकेंगी, चल नहीं सकेंगी, इस प्रकार की स्थिति है?

क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सेना का दबाव हजारों की संख्या में होने से पानी की खपत और बढ़ गयी है, खपत बढ़ने से पीने के पानी का संकट ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में विशेष कर ज्यादा हो गया है और वहां पानी नहीं पहुंच रहा है? कहीं-कहीं तो ऐसी स्थिति है कि एक महीने में एक बार भी पानी नहीं पहुंच रहा है और कुछ क्षेत्रों में तीन महीनों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। शहर में सप्लाई सप्ताह में दो बार और कभी सप्ताह में एक बार और वह भी कम मात्रा में पानी पहुंच रहा है, क्या इस प्रकार की स्थिति है?

क्या यह भी सही है कि पशुधन की संख्या बढ़ रही है और जनता की आबादी बढ़ रही है? जैसाकि आपने भी स्पष्ट मान लिया है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बाड़मेर शहर की बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ रही है। चार लाख की जनसंख्या से सम्बन्धित जो योजनाएं हैं उनसे इस जिले के दूर-दराज के जो गांव हैं उनमें पानी बिलकुल नहीं पहुंच रहा है। अन्तिम छोर के गांवों में तो बिलकुल पानी पहुंच ही नहीं रहा है इसके कारण बहुत ही विकट समस्या पैदा हो रही है।

क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में हफ्ते में कभी एक बार, कभी दो बार, कम प्रेशर और कम अवधि के लिए आपूर्ति हो रही है? बाड़मेर और जैसलमेर जिले के ये 557 गांव एवं शहर की समस्या के समाधान हेतु सरकार बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इसी वर्ष, यद्यपि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

आपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि यह दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है। हम चाहते हैं कि इस योजना को इसी वर्ष इसी अप्रैल माह में स्वीकृत किया जाए और स्वीकृत करके इसको तीन वर्ष में कम्पलीट किया जाए। केन्द्रीय त्वरित वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र का हो सकता है और शहर के लिए भी व्यवस्था हो सकती है इसलिए इसे तीन वर्षों में कम्पलीट किया जाए क्योंकि अभी बाड़मेर शहर की जो अभी टेम्परेरी योजना बनायी है दस करोड़ पन्द्रह लाख रुपए की, उस योजना में भी अभी न कोई स्टोरिंग की व्यवस्था हुई है और न किसी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था हुई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की विकट स्थिति है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस योजना को इसी वर्ष और इसी अप्रैल माह में स्वीकृत किया जाए। कोई कठिनाई नहीं है। दो प्रश्न सामने आए हैं कि पीने का पानी उपलब्ध है, पीने का पानी मोहनगढ़ में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त इनसे पूछ सकते हैं और बिजली की व्यवस्था हो सकती है और इसी माह में पूरी जानकारी करके स्वीकृत किया जा सकता है इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में ही शामिल किया जाए। इसी वर्ष से यह काम शुरू किया जाए ताकि पीने के पानी का संकट निवारण किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि पानी की गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। फ्लोराइड, क्लोराइड और टी.डी.एच. के हिसाब से जो प्रस्ताव में रखा है उसको देखते हुए गुणवत्ता घट रही है, पानी पीने के लायक नहीं रहा है। केन्द्र सरकार ने जो नोर्म्स दिए हैं उसके अनुसार पानी नहीं है इसलिए भी इसकी व्यवस्था की जाए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसी वर्ष, इसी अप्रैल माह में इसको स्वीकृत करवाकर इस कार्य को शुरू कराया जाए ताकि यह जो गम्भीर समस्या बाड़मेर और जैसलमेर जिले के अन्दर है, इस समस्या का परमानेंट तरीके से हल हो सके। यह निवेदन मेरा आपसे है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। और कुछ कहना है आपको मंत्रीजी?

श्री रामसिंह विश्नोई : दो तीन माननीय सदस्य बोल जाते हैं तो फिर मैं कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दो तीन माननीय सदस्य इसमें नहीं बोल सकते। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री रामसिंह विश्नोई : जैसलमेर से और हेमारामजी का दोनों का सम्बन्ध भी इससे है।

श्री उपाध्यक्ष : कल्लाजी का भी है।

श्री हेमाराम चौधरी : है, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में है।

श्री उपाध्यक्ष : हेमारामजी, आप बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट के जरिए बाड़मेर शहर और शहर के अलावा बाड़मेर जिले के 412 गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की स्वीकृति के बारे में था। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, अभी मौजूदा जो पेयजल योजनाएं हैं, सरकार की ओर से आपने अभी जो उत्तर दिया उसमें बताया कि वह सुचारू रूप से चल रही हैं, संतोषजनक हैं और लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार का उत्तर है। मैं समझता हूं यह मंत्रीजी का उत्तर नहीं है। मुझे तो कभी ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मंत्रीजी अपनी तरफ से ऐसा उत्तर देंगे। सरकार का यह उत्तर हो सकता है। सही है कि सरकार का हमेशा उत्तर पोजिटिव ही होता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : सरकार और मंत्री में क्या फर्क है?

श्री हेमाराम चौधरी : सरकार और मंत्री में, रामसिंह जी में बहुत फर्क है। मंत्री में फर्क नहीं है पर रामसिंह जी में तो फर्क है। इस सरकार में जितने मंत्री है उनमें और रामसिंह जी में मैं हमेशा फर्क देखता हूं पर आज रामसिंह जी में भी फर्क लगा नहीं। दूसरे मंत्रियों के जैसा ही मुझे जो महसूस हुआ, मैं प्रकट कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की जो मौजूदा योजनाएं हैं वह योजनाएं ठीक से नहीं चल रही हैं। खास करके जोगासरिया स्रोत की जो भी योजनाएं हैं जोगासरिया, सनपा सोमेसरा, जोगासरिया रावतसर चवा और खाजी का तलां से बायतू, भीमड़ा से बायतू, नागाणा से सरली, यह जो स्रोत हैं, यहां की जो भी योजनाएं अभी चल रही है उनसे जुड़े हुए बहुत से गांवों और ढाणियों में पाइप लाइन लगी हुई है, हौदियां बनी हुई हैं पर पानी कतई नहीं जा रहा है। पिछले पांच छह महीनों में बिलकुल ही कई हौदियों में पानी नहीं गया। फिर भी इसको अगर आप संतोषजनक मानते हैं, तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पानी नहीं पहुंच रहा है और फिर भी संतोषजनक है, तो इससे ज्यादा हमारे लिए कोई दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती।

अभी कल ही वृद्धिचन्दजी और मैं बायतू गये थे। वहां पर हमारी क्या स्थिति हुई, वृद्धिचन्द जी तो उसको कहना उचित नहीं समझते, बुजुर्ग आदमी हैं। हमारा घेराव किया था लोगों ने बड़ी मुश्किल से वृद्धिचन्दजी ने उनको आश्वस्त किया। मेरे से तो यह आश्वासन भी नहीं दिया जाता है कि आज ही एक्स.ईएन. से बाड़मेर जाकर बात करूंगा बाड़मेर आकर वृद्धिचन्दजी ने एक्स.ईएन. को फोन लगाया। कल छुट्टी थी। छुट्टी के दिन एक्स.ईएन. कहां मिलने वाले थे। वर्किंग डे पर भी नहीं मिलते हैं, कहा जाता है कि बाहर हैं, टूर पर हैं, इधर है, उधर हैं, बड़ा मुश्किल होता है सम्पर्क

(श्री हेमाराम चौधरी)

करना ही। छुट्टी के दिन वृद्धिचन्दजी ने कहा तो मैंने तो उसी समय लिया था वृद्धिचन्दजी इनसे किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए यहां से वापस बाड़मेर पहुंचना चाहते हैं। शाम को छह बजे वाली बस पकड़ करके जयपुर आना था। दुर्भाग्य से बीच में बस भी खराब हो गयी। रात भर बीच में ही रहे, सुबह पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है। बायतू में लोगों ने जिस तरह की हमारे सामने समस्या रखी, पीने का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वह लोग जानबूझकर तो हमारे लिए भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते थे। हमारा बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारे को इतने भारी मतों से जिताकर भेजा है और हमारा उनके प्रति विश्वास भी है लेकिन कल तो वास्तव में ही स्थिति बहुत ही विचित्र थी। यही स्थिति रही और स्थिति को अगर समय रहते ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत खराब होगी। मेरे को तो उन लोगों ने कहा कि 13 तारीख तक हमारी कुछ व्यवस्था में सुधार हो जाता है तो ठीक है। नहीं तो 13 तारीख को हम बाड़मेर जिला मुख्यालय पर धरना देंगे, घेराव करेंगे। उसमें उन्होंने मुझे भी बाध्य किया कि आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आखिर उन लोगों से दूर कहां भागकर छुपूंगा। इसलिए मुझे भी उनके साथ रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, हमारी इज्जत बचाओ आप, आपके हाथ में है और उनको पीने का पानी दो। हम आपसे मांग क्या रहे हैं, मांग तो सिर्फ पीने का पानी रहे हैं। आप नहर अभी नहीं ला सकते। ठीक है, बात समझ में आ सकती है पर अभी जो मौजूदा योजनाएं हैं वह तो ठीक चलें, उनमें तो पीने का पानी बराबर आए। आप अगर यह मानते हैं कि सरकार जो जवाब है यह सही है, तो आज ही अभी चलें, अगर वास्तव में पानी की व्यवस्था है, रामसिंहजी अगर वहां मौके पर चलकर के कह देंगे कि बिलकुल जो मैंने कहा उसमें कोई अन्तर नहीं है, तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं मेरी बात में फर्क हो तो। मैं कह रहा हूं उसमें एक पाई भर भी फर्क नहीं है।

आपने बाड़मेर शहर का कहा कि बाड़मेर शहर में भी पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। मैं खुद टैंकर से पानी डलवाता हूं। इसमें कोई फर्क हो तो आप जांच करवा लें। टैंकर से पानी डलवाता हूं, कोई तो देखता ही होगा हमारा अड़ौसी-पड़ौसी कि इसके यहां पानी का टैंकर आता है और टांके में डलवाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा है, मुझे इसकी खुशी है कि मेरे यहां पानी नहीं आता है, टैंकर से डलवाता हूं। कम से कम इससे मुझे तो आभास होता है कि पानी की समस्या है। मेरे यहां अगर पानी पूरा आ जाता और टैंकर से डलवाने

(श्री हेमाराम चौधरी)

की नौबत नहीं आती, तो हो सकता है मुझे भी गलतफहमी रहती कि पानी आता है और लोग ऐसे ही शिकायतें करते रहते हैं।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्रोत बताएं और इन स्रोतों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उनसे जुड़े हुए गांव और ढाणियों में पानी बिलकुल नहीं जा रहा है। अब उसमें क्या कमी खामी है, मैं नहीं कह सकता परन्तु इस समय तो बिजली की भी शिकायत नहीं है। अभी तो 24 घंटे बिजली भी मिल रही है। विभाग के अधिकारियों से जब भी बात करते हैं बिजली के बारे में तो वे, हमेशा यही कहते हैं कि आज की तारीख में तो बाड़मेर जिले में बिजली की कमी है नहीं, चौबीस घंटे मिल रही है क्योंकि एग्रीकल्चर लोड तो अब बिलकुल है नहीं। जब 24 घंटे बिजली मिल रही है फिर भी पानी आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर इस समस्या का आखिर समाधान होगा कैसे? इसलिए आप इसको तुरन्त देखें। अकाल इस साल है, बरसात हुई नहीं है, टांके में पानी बिलकुल आया नहीं है। जब टांकों में पानी आ जाता है तो भी कुछ राहत मिल जाती है। टांके बिलकुल खाली पड़े हुए हैं और पुराने जो कुएं वगैरह थे वह भी बन्द पड़े हुए हैं। नहीं तो उनसे भी जैसा कैसा भी खारा कड़वा-मीठा उसको भी काम में ले लेते थे वह भी आज है नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसको आप सुधारें।

इस योजना के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि स्वीकृति की प्रक्रिया में चल रही है, यह स्वीकृति की प्रक्रिया आपकी कब पूरी हो जाएगी और कब तक आप स्वीकृत कर दोगे? इसकी हमारे को अगर कोई निश्चित डेट, महीना, साल कुछ बता दें, तो हम आपको याद रखेंगे और आपका नाम वहां स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। समय गुजर जाता है, आदमी का आदमी काम कर देता है, तो फिर उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इसलिए आप अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखावें और हमारे को भी इस पीने के पानी की समस्या से निजात दिलावें। हम ही नहीं, हमारे वहां की जनता आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगी। मैं तो आपको यही विश्वास दिला सकता हूं और आपसे यही गुजारिश कर सकता हूं कि आप मेहरबानी करके इस योजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाकर करेंगे तब ही होगा क्योंकि कुओं का जलस्तर घटता जा रहा है और पानी का स्वाद भी बदलता जा रहा है। इस प्रकार की समस्या हमारे जिले में है तब ही यह मामला हमने आपके सम्मुख रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रीजी हमारा पूरा खयाल रखेंगे। मैं तो यही कह सकता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आपका तो है ही नहीं इसमें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अब जैसलमेर की चर्चा आयी और मैं ही नहीं कहूं तो कौन कहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लो आप भी।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान–बाड़मेर–जैसलमेर में पेयजल मुख्य समस्या है हमारी। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हैण्ड पम्प से हम पानी सप्लाई करते हैं। पांच गुना पशु हैं हमारे गांव में। केवल हैण्ड पम्प से मनुष्य तो पानी पी सकता है पर पशु नहीं पी सकते। इसलिए हैण्ड पम्प के बारे में कृपया विचार करें।

दूसरी जो हमारी पेयजल योजनाएं हैं, जो बिजली से जुड़ी हुई हैं, बिजली के साथ में जहां कृषि के कनेक्शन जुड़ गये तो निश्चित वहां पानी नहीं मिलता और ट्रांसफार्मर जल जाए तो पांच–पांच, सात–सात दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचता है। मैं केवल सुझाव दे रहा हूं, अधिक नहीं कहूंगा। धन्यवाद तो दूंगा कि बहुत बड़ी योजनाएं मेरे जिले के लिए हुई हैं और साथ में जो अभी प्रस्ताव रखा है माननीय वृद्धिचन्दजी, ने और हेमाराम जी ने, बाड़मेर लिफ्ट के साथ जैसलमेर जिले के गांव भी लाभान्वित होंगे।

इसी योजना के साथ में पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना भी प्रस्तावित की गयी थी जो आठ वर्षों से बन्द पड़ी है। कृपया पोकरण लिफ्ट योजना जो बनी है सिंचाई की वह न तो पोकरण में आ रही है, न पोकरण ब्लाक में आ रही है, न पोकरण नगर में आ रही है। पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना यदि दें, तो बाड़मेर जिले के भी कुछ गांव और जैसलमेर जिले का वह क्षेत्र, मान्यवर, अभी बीच में मैं दो दिन कांस्टीट्यूएंसी में घूमता रहा वहां पानी की त्राहि–त्राहि मची हुई है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। यदि विद्युत कनेक्शन खराब होता है तो वहां पुराने जनरेटर्स अपने पास उपलब्ध हैं। बड़ी–बड़ी स्कीम्स राजमथाई से फलसूण है, करीबन पचास गांवों में पानी जाता है। लम्बी योजनाएं तीस–तीस, चालीस–चालीस किलोमीटर की योजनाएं हैं जहां आपको पचास गांव कवर करने हैं वहां बिजली के साथ यदि डीजल सैट्स इमरजेंसी के लिए आप रखें तो मुझे लगता है जो समस्या बार–बार आएगी...वह नहीं निकलेगी। हैण्ड पम्प निश्चित हमारा पेरेलल सोर्स बन चुका है। इन्दिरा गांधी नहर का मुख्य हमारा सोर्स यह था कि हम पीने के पानी की व्यवस्था पश्चिमी राजस्थान में कर पाएंगे तो कृपया जैसे जोधपुर नगर में आपने पेयजल की

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

व्यवस्था की है इस तरह से बाड़मेर-जैसलमेर दोनों जिले में पेरेलल सोर्स हमारे पास इन्दिरा गांधी नहर का है। अण्डर ग्राउंड पानी कम होता जा रहा है। अभी पानी के सोर्स जो भी हैं वह सूखते चले जा रहे हैं। सारी योजनाएं, पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना और बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना जो आठ वर्ष पहले माननीय इन्दिरा गांधीजी वहां पधार कर घोषित करके गयी थीं, उस समय राजस्थान नहर थी, कि मैं इन गांवों में पानी इन्दिरा गांधी नहर से पानी पिलाऊंगी। कृपया यह दोनों पेयजल लिफ्ट योजनाएं-पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना और बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना, इन दोनों का काम तुरन्त शुरू करें। वर्तमान सरकार का जो डेढ़ वर्ष रह गया इसी में स्वीकृत कराएंगे तो बहुत कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्यों ने बाड़मेर-जैसलमेर जिले में पानी की समस्या के बारे में, उसके समाधान के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं खुद मानता हूं और पूरा सदन भी जानता है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले सीमान्त क्षेत्र हैं और बहुत ही विशाल जिले हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर बड़े जिले हैं। पानी की समस्या भी है और मिलिटरी का पड़ाव भी पिछले पांच-छह महीनों से वहां पर होने के कारण पानी की वास्तव में ही ज्यादा समस्या वहां बनी हुई है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और हेमारामजी भी जानते हैं कि वहां पर सोर्सेज लिमिटेड हैं। केवल जैसे उंडू है, भाड़खा है, यहां पर केवल एक-एक गांव में ही 25-25 ट्यूबवैल हैं। एक ट्यूबवैल से पचास किलोमीटर जब पानी जाता है, बीच में गांव और ढाणियां आती हैं और बीच में लोग पाइप लाइन को डिस्टर्ब भी करते हैं तो पानी पहुंचता नहीं है, यह बात सही है। पानी पांच-सात मीटर और नीचे चला गया तथा पानी की क्वालिटी में भी फर्क पड़ा है। सारी बातें जानते हुए हमने स्कीम को बनाया है और हम चाहते हैं कि स्कीम जल्दी स्वीकृत हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वीकृत कर सकता हूं लेकिन यह पैसे का मामला है। पैसे के मामले के अन्दर यहां करीब सौ करोड़ रुपये हमारी सरकार को, राजस्थान सरकार को और विशेष कर वित्त मंत्रीजी यहां हैं नहीं, इनको वह देने पड़ते हैं। जैसे बीसलपुर की योजना ग्यारह सौ करोड़ की है जयपुर के लिए, वह मंजूर भी हो गयी, उद्घाटन हो गया और अटकी पड़ी है। केवल गारंटी देनी थी।

अब मैं जो बात कहता हूं पानी की समस्या है लेकिन इस समस्या के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

समाधान के लिए मेरे अलावा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। यह तो मैं अपेक्षा करता हूं। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य जिनकी चिन्ता है, यह बात सही है कि पानी की सही ढंग से व्यवस्था बाड़मेर, जैसलमेर जिले में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। पानी नीचे चला गया, पानी की क्वालिटी में फर्क पड़ गया, मिलटरी का बहुत भारी पड़ाव वहां पर है और योजना हमारी 50-60 किलोमीटर लम्बी है, 70 किलोमीटर लम्बी है। ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था हम कर सकते हैं, वह तो की है लेकिन उसमें सुधार करने के भी बहुत प्रयास किये हैं। बहुत ज्यादा योजनाएं हमने बाड़मेर और जैसलमेर जिले में करोड़ों रुपयों की स्वीकृत की हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। लोगों, की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं।

जैसा हेमारामजी ने कहा है जब 72 घंटे में बाड़मेर शहर में पानी सप्लाई होता है और हेमारामजी अगर पानी का ज्यादा उपयोग करेंगे तो टैंकर से तो पानी लाना पड़ेगा। 72 घंटे में पानी नहीं देवें, तो तीन दिन होते हैं 72 घंटे में। तीन दिन के अन्दर पानी आता है घर के अन्दर और घर परिवार बड़ा है, तो उसको पानी तो लाना पड़ेगा। और 72 घंटे से पहले कर दें तो पानी उसको मिलेगा नहीं। सारी व्यवस्थाएं सोच समझकर की हुई हैं। पानी बाड़मेर शहर में मिलता है लेकिन वह हमेशा मिलना चाहिए वह स्थिति वहां पर नहीं है। पानी की क्वालिटी में भी बहुत फर्क है इसलिये सारी बातों को समझकर और माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए मैं पांच सौ करोड़ की योजना की आज स्वीकृत करता हूं और पोकरण लिफ्ट केनाल, बाड़मेर जिले, इसकी योजनाएं यूं वैसे ही स्वीकृति की स्थिति में है, इस महीने के अन्दर यह योजना टैक्निकली और सारी स्वीकृति करके तीन साल के अन्दर इस योजना को पूरी करने का आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय ने, एक सुझाव एक ही लाइन में कि अभी जैसे आर्मी की गतिविधियां बोर्डर क्षेत्र में बढ़ी हैं, पी.डब्ल्यू.डी. को जैसे उदाहरण के रूप में बीकानेर में उन सड़कों का उपयोग करने के कारण 76 लाख रुपए डिफेंस ने तुरन्त दे दिये। इसी प्रकार आप यदि आर्मी से डिमांड करेंगे, तो वह तुरन्त देने के लिये तैयार हो जाएंगे उनको आवश्यकता है, इसके लिए आप जरूर प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छे नतीजे आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी ...(व्यवधान) प्लीज...

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): उन्होंने हमारे को इस बात का विश्वास दिलाया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजो। माननीय मंत्रीजी। सिंचाई मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : सुझावों पर भी बात होनी चाहिए। केवल भाषण ही दिलाने से मतलब है, तो ठीक है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित, के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,54,27,33,000 (तेरह अरब चोवन करोड़ सत्तांइस लाख तैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि की सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या-46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. इन्दिरा गांधी नहर पर आबंटित भूमि पर खाले न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड शाखा में डेजर्ट नैशनल पार्क बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
3. इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड शाखा का कार्य पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

4. एस.पी.डी. माइनर को मानक थेड़ी तक बढ़ाया जावे तथा कानौर डिस्ट्रीब्यूटरी की स्वीकृति दी जावे एवं जेड.डब्ल्यू.डी. माइनर के साथ साथ रासमसर तक तथा भैरूसरी के पास सेमनाले से भैरूसरी के उत्तर की तरफ सूरतगढ़ जाखड़ावाली सड़क की ड्रेने तैयार करवाकर सेमा का उपाय किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

5. विधान सभा क्षेत्र जालौर में खैड़ा (सुमेरगढ़) बांध टूटने से उत्पन्न समस्या की स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. विधान सभा क्षेत्र जालौर में जागनाथ एनीकट धूल से भर जाने के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

7. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में मेज नदी पर समेलिया झरना, पार्वती सागर व अन्य 20-25 संचालित लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण तथा सिंचाई तालाबों का विस्तार करने तथा बनास नदी पर बैराज व एनीकट बनाकर तथा नये बांध तालाबों पर बीसलपुर सिंचाई परियोजना के पेमेंट के नाम पर लगी रोक हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

8. सयेजा (एन.पी.) नहर तथा भोमपुरा माइनर का वाटर डिस्चार्ज 2.56 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

9. अजमेर जिले को चम्बल नदी का सरप्लस पानी लिफ्ट कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. वाटर हार्वेस्टिंग, भू-संरक्षण व एनीकट के समस्त कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. अजमेर में सिंचाई खण्ड-द्वितीय को भंग या अन्यत्र स्थानान्तरित करने की स्थिति में उसमें कार्यरत कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन तालाबों का रख-रखाव व भू-संरक्षण के कार्य पर लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12. अजमेर जिले के करीब 800 क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत व मोरिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

13. नीमकाथाना तहसील में जुगलपुरा के पास बांध निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में बांधों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

15. विभाग द्वारा मुण्डोती स्थित सरवाड़ बांध के विस्थापितों को मुआवजा राशि न देने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

(श्री सांवर लाल)

16. बीसलपुर बांध को 315 मीटर स्तर पर न भरने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

17. सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की छंटनी में मनमानी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र भिनाय के देकरिया, दोधली, झाड़ोव में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. विभाग द्वारा तालाबों को पंचायतों में देने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

20. डूंगरपुर जिले की जीर्ण-शीर्ण नहरों की मरम्मत कराने, तालाबों व एनीकट का निर्माण कराने एवं अमरपुरा योजना की डूब में आयी किसानों की जमीन, कुएं व अन्य का पूरा मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा)

21. कमाण्ड क्षेत्र में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने, एनीकटों का निर्माण कराने, पुराने तालाबों का रख-रखाव कराने एवं सिंचाई के लिये नदी नालों पर बिजली के कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

22. जिला टोंक में सिंचाई विभाग के अधीन तालाबों की मरम्मत व रख-रखाव हेतु और अधिक धन राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विभाग द्वारा राज्य में सिंचाई प्रणाली पर कानून बनने के बाद भी उसका पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. जिला टोंक में गलवा बांध के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत राशि का अभी तक उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

25. इन्दिरा गांधी नहर का पानी गढ़रा रोड तक पहुंचाने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

26. मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांध मुण्डावर, खोरी, इटोली, जिन्दोली बैराज का निर्माण कराने एवं पानी के गिरते स्तर को रोकने के लिये एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

27. जैसलमेर जिले में खड़ीनों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. जैसलमेर जिले में पोकरण लिफ्ट को सिंचाई हेतु पोकरण-सांकड़ा ब्लाक तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. इन्दिरा गांधी नहर की गढ़ड़ा शाखा के निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा के लिए।

30. जैसलमेर जिले में भू-जल स्रोतों के द्वारा सिंचाई क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए गठित बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

32. जिला बारां के किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के गोपालपुरा तलाब की रामगढ़ नहर की चेन नं. 0 से 113 तक बेड कटिंग की तीन फट तक की गहराई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के गोपालपुरा तलाब के रेलावन माइनर को खुदवाये जाने तथा मोखी बड़ी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. जिला बारां के किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के गोपालपुरा तलाब की रामगढ़ केनाल के छत्रपुरा माइनर की मोखी बढ़ाये जाने एवं छत्रपुरा माइनर की खुदाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के काली स्रोत के तलाब की भराव क्षमता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां के बिसाली परियोजना के बांध के वेस्ट वीयर को दो फीट ऊंचा करने व बिसाली बांध के माइनर नं. दो का परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जाने एवं माइनर नं. एक को ठिकोनिया से सहरियों के खेतों तक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

37. गंगनहर का पुनर्निर्माण अतिशीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. लौहगढ़ हैड से इन्दिरा गांधी नहर के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. "ए" माइनर को श्री गंगानगर शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

40. अम्बापुरा बांध से सिंचाई चालू कराने व ग्राम पंचायतों से सिंचाई तालाब पुनः सिंचाई विभाग को सौंपने एवं बीसलपुर बांध से अंजमेर जिले के समस्त गांव मजरों व ढाणियों तथा नगरों को सिंचाई के साथ-साथ पेयजल से जोड़ने एवं मेवदाकला के खसरा नं. 1454 में बने एनीकट का पूर्ण निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

41. खारची विधान सभा क्षेत्र में जोडकिया, जामुडा, नाला की बाली निचली निम्बड़ी, बाणगंगा निचला कामवाला केसरगढ़ राइको की ढाणी तथा राणाजी की पाल जीवत में एनीकटों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. खारची विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनला के ग्राम कोलपुरा में जनता द्वारा बनाये गये एनीकटों पर पेचिंग कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. खारची विधान सभा क्षेत्र के गंगा बाला एनीकट फुलाद की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर गंगा बाला एनीकट को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. खारची विधान सभा क्षेत्र के गोडा दड़ा बांध एवं अणेवा की नहर को 20 चैन से आगे पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. खारची विधान सभा क्षेत्र के मगोड़ा पंचायत के बासोर गांव के बीचपुरिया एनीकट को ऊपर उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

46. कोटा की सावन भादों सिंचाई योजना की नहरों की लम्बाई बढ़ाने व नहरों की मरम्मत करने तथा आलनियां बांध की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. चम्बल दाईं मुख्य नहर प्रथम बड़ौद सब ब्रांच में बने साइफनों को ठीक कर अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. हरिशचन्द्र बांध परियोजना से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दीगौद के पानाहेड़ा, नाहरिया, देगन्या, मंडाप, मकड़ावद, खुराड़िया आदि गांवों को पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. चम्बल नहरों की मरम्मत व ड्रेन्स की सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

50. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बंधों की अधिकांश नहरों की मरम्मत नहीं कराने तथा पूर्णतया नष्ट होने से उपयोग में नहीं आने के बावजूद भी किसानों से विभाग द्वारा सिंचाई की दर लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

51. विभाग द्वारा सब डिविजन इटावा व मांगरोल में मरम्मत व सफाई हेतु कम राशि स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. चम्बल बांध की दायीं मुख्य नहर व बाईं मुख्य नहरों के पुनर्उद्धार हेतु विभाग द्वारा और राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. सिंचाई विभाग को आबंटित बजट में चम्बल कमाण्ड एरिया कोटा की नहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

54. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा राज्य से शीघ्र पूरा पानी लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. भाखड़ा सिस्टम की अमरसिंह सब ब्रांच के तहत झांसल वितरिका के टेल पर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के तहत मलसीसर सब माइनर की टेल को आगे बढ़ाने व राखी सब माइनर के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. भाखड़ा सिंचाई सिस्टम की अमरसिंह सब ब्रांच के तहत "बिहारीपुरा माइनर" के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की सिद्धमुख वितरिका एवं रतनपुरा वितरिका पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

59. कोटा बेराज की बाईं नहर एवं बूंदी जिले की कापरेन ब्रांच तथा समस्त वितरिकाओं के आधुनिकीकरण एवं मेज व कुरेल नदी के संगम बासखेड़ा में बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

60. विभाग द्वारा कालख बांध को सिंचाई योग्य बनाने एवं विधान सभा क्षेत्र दूदू के छापरवाड़ा बांध की नालियों व बांध की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

61. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा तलाई खुदाई के कार्य को मानव श्रम द्वारा कराने तथा दूदू विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों में नाबार्ड द्वारा बनाये गये अधूरे एनीकटों को पूरा कराने व निर्माण में हुई लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

62. माही बजाज सागर परियोजना की आनन्दपुरी नहर को पूर्ण कराने एवं अरधूना नहरों की लाइनिंग कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

63. वर्षाती पानी को रोकने के लिए कोटड़ी नदी, गुहाला नदी, कांवट नदी पर एनीकट, बांध बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. अधूरे पड़े कारोई बांध को स्वीकृत सुदा राशि से चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. कोटड़ी, लुहारवास बांध स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

66. विधान सभा क्षेत्र करौली में सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. सिंचाई नहर की दरे बढ़ाकर उससे प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत सिंचाई साधनों के विकास पर खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

68. राज्य में संचालित लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)

69. बाड़ी बांध का मुआवजा एवं जनजाति क्षेत्रों के बांध की समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

70. जिला टोंक की तहसील देवली में स्थित चदवाड़ तालाब की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लिया जाकर काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. टोंक व सवाईमाधोपुर जिलों के बीच ईशरदा बांध का शीघ्र निर्माण करवा कर काश्तकारों को राहत प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

72. इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना, चम्बल एवं पांचना बांध के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

73. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पल्लोई, घाघड़ा, कवाड़िया खाल, कदमाली बांध की स्वीकृति एवं बूजड़ा मेनाली एवं सांकड़ के नाफे की सिंचाई परियोजना वन भूमि से निकालकर स्वीकृति दिलाने एवं डोराई, ओराई काला देह व महेसत बांध को ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

74. इन्दिरा गांधी नहर को मेड़ता जिला नागौर में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. पंचायत समिति मेड़ता, रियां बड़ी के अन्तर्गत आने वाली लघु सिंचाई योजना के मरम्मत, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम रोहिसा के निकट लूनी नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अन्तर्गत तालाबों की खुदाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

78. सीकर जिले को सिंचाई हेतु नहरी पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. सीकर जिले के ग्राम हर्ष में बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. राज्य में नहरी पानी अलाटमेंट का पूर्ण उपयोग सिंचाई हेतु नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

81. इन्दिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा में वाटर अलाउंस की मात्रा भिन्न भिन्न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. सीकर जिले के आतरी ग्राम में टूटे हुए बांध का पुनः निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

83. इन्दिरा गांधी नहर के लिये सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास फण्ड में अत्यधिक राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

84. जिला बाड़मेर की नाचना पोकरण लिफ्ट केनाल से ग्राम दूधवा तक पीने के पानी हेतु लिफ्ट केनाल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम बरिया वरेचा, कीटनोद और आसोतरा में एनीकट्स का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

86. जिला नागौर तहसील परबतसर के राबडियाद बांध के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. तहसील परबतसर में ग्राम जालमपुरा बांदिया बेरा, हथेली, लीला की ढाणी के पास ग्राम बंवाल एवं भैरूंघाटी पर एवं आजवा ग्राम में एनीकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पांचोलई नाड़ी, भैयाखुर्द, हिंगोनिया, नाड़ी, मोड़ी खुर्द, सार्वजनिक तालाब रिउ, सार्वजनिक तालाब खेड़ी खीवसी के तालाबों का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. नाड़ा तोड़ा बांध ग्राम पीलवा तहसील परबतसर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. ग्राम रिउ तहसील परबतसर में तालाब के पास एनीकट का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

91. सिंचाई विभाग की परिधि में जयपुर जिले में निर्मित एनीकट, बांधों आदि स्थानों पर लगे महत्वपूर्ण वृक्षों को काटकर ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के लिए सिंचाई विभाग द्वारा एनीकट बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में फाल्यावास बंध सहित अन्य बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अपूर्ण बंध दोपुर, लालगढ़ एवं मटेसरी आदि को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र बस्सी, दौसा, जमवारामगढ़ के किसानों से नहरों के अभाव में नहरी लगान की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

96. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के लिए नवीन एनीकट निर्माण कार्य हेतु स्थानीय विधायक द्वारा की गई सूची के अनुरूप स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. ग्राम पंचायत धौवड़ा माना का अधूरे तलाब को पूर्ण करने एवं ग्राम पंचायत खेरकटा के नया तालाब अबरखेजाड़ा को बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

98. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत सीलोर के पुराने बांध की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायतें डापेता, हिण्डौली पंगारा, बड़गांव-सूरी एवं ग्राम पंचायत बसौली के अपूर्ण बांधों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)

100. बाणियावास बांध के पुनर्निर्माण तथा हेमावास बांध को एक फुट ऊंचा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

101. चूरू विधान सभा क्षेत्र को अभी तक किसी भी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. चूरू जिले को यमुना का पानी नहीं मिलने तथा इस सम्बन्ध में बनी योजना को पर्याप्त धनराशि वित्तीय वर्ष में उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

103. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के सीता माता वन क्षेत्र में वर्षभर बहने वाले नाले को रोक कर पानी का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. सिंचाई विभाग द्वारा बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र का स्तर प्लान के अनुसार कहां-कहां एनीकट्स बनाए जा सकते हैं एवं इस हेतु केन्द्र से सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित पिण्ड बांध एवं भानाखेड़ी योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. बड़ी सादड़ी क्षेत्र की एक मात्र बाघन बांध सिंचाई योजना में नहरों एवं अन्य रख-रखाव पर बजट आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पारसोली तालाब की भराव क्षमता बढ़ाने के लिये सर्वे कराये जाने एवं फूटा तालाब से पानी पारसाला तालाब में ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

108. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में की गई अनियमितताओं एवं घोटालों में लिप्त अभियन्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

109. जयपुर जिले के रामगढ़ बांध से निकलने वाली नहरों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. जयपुर जिले के रामगढ़ बांध के पेटे की भूमि पर की जा रही अवैध खेती को रोके जाने में सिंचाई विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

111. जयपुर जिले की नदियों के बहाव क्षेत्र में किये जा रहे अवैध कब्जों को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

112. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना निश्चित समयावधि में पूरा न होने से इसकी लागत में हो रही राशि की वृद्धि पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

113. जिला बाड़मेर की सिवाना तहसील में छोटे-छोटे एनीकट एवं बांध बनाने तथा लूनी नदी के दोनों तरफ किसानों के खेतों की रक्षा हेतु तटबन्दी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र बालोतरा के उप-खण्ड कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिंचाई बांध मेली की मरम्मत एवं ऊंचा उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

116. हरियाणा (गुड़गांव) से राज्य के भरतपुर जिले को पानी का पूरा हिस्सा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र रूपवास के ग्राम बड़का, जटवास, कोलरी अर्थात् गुलपाड़ा के पहाड़ों से आने वाले पानी से किसानों के खेतों की रक्षा हेतु एनीकट के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हुसेपुर सीकरी के बंध को जोड़ने वाली चिमारवाली नहर की मरम्मत व सफाई कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. रूपारेल नदी पर बांध अवरोध उत्पन्न कर भरतपुर जिले का पानी रोकने से नगर सीकरी पहाड़ी के किसानों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120. जय श्री (बेरू) के दो मोरा की क्षतिग्रस्त स्थिति को सुधारने एवं टूटी हुई पुलियों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

121. पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में गत वर्ष सिंचाई विभाग द्वारा खुदाये गये तालाब को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

122. गजनाई बांध से पिपलाज (सोजत) गांव के किसानों की असिंचित भूमि को नहर से पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. रायपुर दीपावास बांध के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों से नहर के किनारे जिन किसानों की भूमि बिना मुआवजा दिये नहर बनाने के प्रयोग में ली गयी भूमि को कमाण्ड एरिया में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. पाली जिले के हीदलसिल बांध से बिराटियां कलां के किसानों को पानी देने एवं सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जैतारण को हटाकर राज्य सरकार के गत वर्ष के आदेशों की पालना करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. वाटर हार्वेस्टिंग योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के पूर्व निर्मित अपूर्ण एनीकट तथा तीकली, नाका (कानूजा) कवलासिया (रामावास) बड़ा तालाब कालवकलां रीछीयां कलालिया तथा माता जी व केलवाड़ को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. कोटा बैराज से नहर निकाल कर चम्बल नदी का सिंचाई का पानी अजमेर जिले के केकड़ी, नसीराबाद, मसूदा, भिनाय तथा ब्यावर और पाली जिले की रायपुर तहसील तक पहुंचाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

127. पाल बिचला ठैफ अजमेर के स्वरूप परिवर्तन तथा तालाब के पेटे में बसे लोगों को बेघर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. आनासागर स्केप चैनल के शेष रहे निर्माण कार्य आर.डी. 5700 से 6710 के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. आनासागर स्केप चैनल के आर.डी. 5465 से 5700 मीटर तक पक्का बेड, साइडवाल व नाली निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130. अधिशासी अभियन्ता एण्ड द्वितीय अजमेर द्वारा आनासागर स्केप चैनल रिमोडलिंग के अन्तर्गत अधूरे छोड़े आर.डी. 5070 से 5465 तक के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

131. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का रख-रखाव न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से किसानों को सही समय पर पानी उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

133. भाखरा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

134. सोम-कमला अम्बा परियोजना के विस्थापितों के बकाया मुआवजे व पुनर्वास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. घटिया निर्माण के कारण सोम कमला-अम्बा एवं सोम का गदर नहरों के टूटने से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)

136. सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

137. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एनीकट निर्माण कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की व माही परियोजना का पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139. बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना की नहरों का कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के टिडिया देव, करमदिया, कोटड़ी बगायचा की अधूरी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. गोपलपुरा, पीपलोन, देवकी नाका, वसुनी सिंचाई परियोजनाओं को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

142. सिद्धमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत राजगढ़ (चूरू) के गांवों में नहर का निर्माण अतिशीघ्र चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. सिद्धमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, जिला चूरू के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. सिद्धमुख नहर परियोजना में विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, जिला चूरू तहसील के गांव ढाणी बड़ी को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-46 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 21 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से उनकी पार्टी के सचेतक महोदय ने कहा है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को दस-दस मिनट में बोलने का अवसर देंगे। प्रथम वक्ता थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं। आप ज्यादा बोल सकते हैं राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए आपने मुझे सबसे प्रथम वक्ता के रूप में जो अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं।

सिंचाई के मामले में राजस्थान सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वास्तव में वह पूरा ग्रंथ लिखने लायक है और मेरे खयाल से हम कई महीनों तक इसकी प्रशंसा करते रहें तो शायद कम होगा, लेकिन आपने समय में बांधा है। सिंचाई के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने, पूरी केबिनेट ने और खास कर हमारी सिंचाई मंत्री ने वह कुछ करके दिखाया है जो आज से 70-75 साल पूर्व महाराजा गंगासिंहजी ने किया था। आज

(14.28 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

तक लोग उनको इसलिए याद करते हैं कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था, उसके बाद कोई ऐसा सज्जन नहीं आया चाहे सरकार किसी की भी रही हो । बड़े प्रयास किए गये। निरन्तर हम लोगों ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से आने वाले हमारे जितने भी विधायक साथी रहे, 1980 से तो मैं निरन्तर इस सदन के अन्दर चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा हूं। न जाने कितनी बातें कितनी बार, जितनी भी हमारे इस विधान के अन्दर बातें होती हैं, जिस तरीके से भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं उस हिसाब से हमने बहुत दफा यहां रखा है, सभापति महोदय, आप भी उस वक्त मौजूद होते थे । लेकिन एक ऐसी सुंदर कोई घड़ी हमारे लिए आई गंगानगर, हनुमानगढ़ के निवासियों के लिए कि वास्तव में 440 करोड़ रुपये एक प्रोजेक्ट के लिए, तीन साल तक अकालग्रस्त रहे इसलिए उसके महत्व को जानकर कि यहां की जनता उजड़ जाएगी, नीचे का पानी खारा है। सरकार कितनी संवेदनशील है, इस सरकार की कैसी सोच है, यह आप आंको कि चार साल तक जिस राज में निरन्तर अकाल हो और इस तरह का 440 करोड़ का गंग कैनाल का पैकेज, श्रीगंगानगर जिले का है, क्योंकि श्री शब्द महाराजा गंगासिंहजी ने सोचकर लगाया था। श्री शब्द बहुत कम शहरों के साथ लगता है। उस श्रीगंगानगर के 30 लाख व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति राजस्थान सरकार और खास तौर से हमारी बहन कमलाजी का कर्जदार है। इन्होंने वह भागीरथी प्रयास किया या तो हमारे शंकर भोलेजी जटाओं में गंगा को लेकर आए थे या हमारी राजस्थान सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने ऐसा किया है। हमने कल्पना नहीं की थी। हमने कहा, भाई, हम तो रोते-रोते चले जाएंगें, अब 20-30 साल पहले से चिल्ला रहे थे। किसी ने सुना नहीं। एक दफे, अब जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, श्री परसरामजी मदेरणा साहब वह सिंचाई मंत्री थे, शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे, उस वक्त 1980-81-82 में हम बड़े

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चिल्लाये थे। ग्यारह में से ग्यारह विधायक, दोनों जिलों के, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजयी हुए थे। दस प्रधान होते थे वह भी कांग्रेस के थे, प्रमुख भी कांग्रेस का तो जनता यही कहती थी कि और क्या चाहते हो आप। बड़े चिल्लाये हम, हमारे चिल्लाने के बाद केबिनेट में यह फैसला हुआ कि श्रीगंगानगर चलो, केबिनेट की मीटिंग श्रीगंगानगर करेंगे। वहां की स्थिति को देखकर, इसका आकलन करके वहीं निर्णय करेंगे।

1982 में केबिनेट की मीटिंग श्री शिवचरणजी माथुर, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई। वहां यह फैसला हुआ कि चाहे पैसे की कमी हो पर यह योजना ऐसी है कि इसको तुरंत हाथ में लेना अति आवश्यक है। मेरे खयाल से उस वक्त करीबन 97 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था जिसकी कीमत आज 446 करोड़ हो गई। निरंतर प्रयास करने के बाद एक लिंक चैनल, क्योंकि यह मैन कैनाल जब बनेगी तो पानी कहां से आएगा ताकि काश्तकारों को पीने के पानी की कोई दिक्कत न हो। हमारे उस वक्त के सिंचाई मंत्री सम्मानीय श्री परसरामजी मदेरणा साहब मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर और उनकी पूरी केबिनेट के साथ मिलकर उस लिंक चैनल का शिलान्यास किया था। लेकिन उस शिलान्यास को देखते–देखते 17–18 साल हो गये। वह लिंक कैनाल बन तो गई लेकिन उसको चूहों ने खोद दिया। यह लगने लगा कि पता नहीं यह हमारे जीवन में मैन कैनाल पूरी होगी या नहीं।

लेकिन बड़ा सुखद समाचार मिला जब इससे पहले वाला हमारा सदन था उसके अंदर प्रवेश किया था, आते ही हमने यह प्रार्थना रखी तो फौरन मुख्य मंत्री ने हमारी प्रिय नेता श्रीमती कमलाजी को आदेश दिया कि आप तुरंत वहां जाकर पूरा सर्वे करके देखो, सारे जन प्रतिनिधियों को साथ लो, सारे अधिकारियों को साथ लो और पूरा अवलोकन करो और इसकी आकर मुझे रिर्पोट दो। मैं आभारी हूं सिंचाई मंत्रीजी का कि उस वक्त बड़ी गर्मी थी, बड़ी धूल भरी आंधियां चलती थीं, आप वहां पहुंची, पूरी कैनाल का ठेठ फिरोजपुर हुसैनी वाला तक, जहां शहीद भगत सिंह और राजगुरु की समाधियां बनी हुई हैं वहां तक हम लोगों ने एक–एक बुर्जी को जाकर देखा। मैडम अभी हाउस में मौजूद हैं, यह खुद अपने भाषण में बताएंगी कि उस वक्त क्या हालत थी। वह गंग कैनाल जिसमें चिड़िया पानी नहीं पी सकती थी, महाराजा गंगासिंहजी की सोच देखो, पानी वहां से चलेगा, श्रीगंगानगर के अंदर ही आकर कोई बूंद ले सकेगा। उससे पहले नहीं ले सकेगा। ऐसा पुख्ता काम किया गया था। उस कैनाल के अंदर भैंसें नहा रही हैं, तालाब बने हुए हैं, उस कैनाल में हमारे पंजाब के मित्रों ने जगह–जगह पम्प लगाकर पानी की चोरी कर रहे हैं। जगह–जगह से वह टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल या परसों

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

में यह खतम हो जाएगी। इस तरह की हालत जब हमारी सिंचाई मंत्री ने अपनी आंखों के सामने देखी तो मेरे खयाल से उनको न तो रात को नींद आई, न दिन को आराम किया, लग गई एकदम। सोचा कि चाहे तो उस तरफ से रामप्रतापजी बोले, चाहे इधर से राधेश्याम या हमारे साथी विधायक बोले। जितने भी हमारे विधायक साथी हैं यह नहीं कि किसी एक का सहयोग हो, सभी का इसमें सहयोग था। सब लोगों ने निरंतर प्रेशर बनाया, सरकार ने जाकर खुद सर्वे कराया और यहां आकर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया गया। बार-बार डेपुटेशन मिले, हमारे किसान संगठनों ने और सब लोगों ने मिलकर इस मामले में निरंतर सहयोग करते हुए सरकार पर अपना दबाव बनाये रखा। उसका रिजल्ट यह हुआ कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने केबिनेट में रखकर, एक ऐसा शानदार पैकेज जो मेरे खयाल में राजस्थान में किसी और को नहीं मिला है। 32 जिले हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर नक्शे में सबसे ऊपर है और हम बोर्डर पर निवास कर रहें हैं। हमारा जो किसान है वह पूरे हिन्दुस्तान का पेट भर सकता है, केवल राजस्थान का ही नहीं, इतना वह मेहनतकश है। मुझे वह दिन भी याद आता है जब 1992 के अन्दर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय वहां जाकर इस गंग कैनाल के लिए कलक्टर के आगे धरना दिया था। लोग हम पर हंसा करते थे कि कमाल है जब चीफ मिनिस्टर थे और अभी यह खुद अपने भाषण में फरमा रहे हैं कि मैं तो छुट्टी पर आया हुआ हूं और छुट्टी से लौटते ही सबसे पहले गंग कैनाल का काम मैं हाथ में लूंगा। अच्छा होता, उन्होंने परिस्थितियां देखी थी, उनकी पार्टी के भी लोग जो हमारे साथी थे, वे उनको हर वक्त निवेदन करते रहते थे। लेकिन जिसके भाग्य में जो चीज लिखी होती है उसको वही मिलती है। बहुत बड़ा हुजूम 25 हजार आदमियों का कलक्टर के आगे धरना दिया और गंग कैनाल की मांग रखी। उसके बाद हम लोगों ने एक किसान आंदोलन के नाम से, आंदोलन चलाया, उसमें बी.जे.पी. को छोड़ कर और कई दलों ने हमारा सहयोग किया, किसान संगठनों ने सहयोग किया और हमें लाठियां भी पड़ीं।

जिस वक्त देश आजाद कराने की बात आई थी उस समय हमारी कई डिमाण्ड्स थीं। गंग कैनाल की डिमाण्ड, हमारे कपास नरमे की फसल खराब होने पर मुआवजे की डिमाण्ड और भी अनेक डिमाण्ड्स थीं। हमारा 18 मांगों का एक डिमाण्ड चार्ट था। वह घटना जब याद आती है, मैंने उस विधान सभा में, जो इससे पहले थी उसमें अपना कुर्ता उतार कर यहां दिखाया था कि किस तरह से हमें डण्डे पड़े। हमारी महिलाओं के बाल खींच कर घसीटा गया, गोलियां चलीं। इस गंग कैनाल की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। घोड़ों पर चढ़कर पुलिस वालों ने हमें खींच-खींच कर बाहर फेंका, बुरी हालत हुई। हमारे ऊपर केस चलाये गए लेकिन गंग कैनाल की सुध किसी ने नहीं ली। गंग

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कैनाल की सुध ली तो आज की सरकार ने, जिस सरकार ने राजस्थान में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह कोई तारीफ़ करने की बात नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य करेगा अगर आप उसकी तारीफ या उसके लिए दो शब्द न कह सकते तो इसका मतलब आप संकोच कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरों ने हमारे टैक्नीकल लोगों ने बिलकुल नेक रीति और ईमानदारी से ऐसा बढ़िया प्रोजेक्ट बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत किया, चाहे वह हमारे चेयरमैन हों अरुण कुमारजी और उस वक्त के जितने भी अधिकारी थे उनको लगन थी कि वास्तव में गंग कैनाल का समूचा कार्य होना अति आवश्यक है। उस पर मैं जितनी भी कथा कहूं, कम है। उसके बाद यहां आकर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, पैकेज मिल गया, बहुत खुशी हुई। यहां अनाउंस कर दिया गया और हमने मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना की, सिंचाई मंत्री डा. कमलाजी से प्रार्थना की कि आप वहां पधार कर किसानों के बीच में चल कर घोषणा करें।

हमारा वायदा था लोगों से कि हमारी पूरी केबिनेट यहां आएगी और वह घोषणा करेगी। हमारे दूसरे साथी कहते थे, बेटे, सपने लो सपने, सरकार के पास एक पैसा नहीं, आपका सूपड़ा साफ हो जाएगा, असत्य बात कहते हो। उनको यकीन नहीं आया था। कई बार हमारा भी विश्वास डगमगा जाता था। इतना बड़ा अकाल और ऐसी घाटे की परिस्थिति में हमने सरकार सम्भाली। अभी तो शुरूआत ही नहीं हुई, मैं भूमिका बना रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भूमिका में रह जाओगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है दो-दो घंटे...

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य, सदन के दोनों पक्षों के द्वारा जो निश्चय किया गया है, उस निर्णय से आसन बंधा हुआ है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो-तीन मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, मैं बिलकुल आपका सम्मान करता हूं। मैं तो इस सारे बजट सत्र में पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा यह इश्यू है और मैं इससे निरन्तर 20 साल से जुड़ा हुआ हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, पहली बार बोल रहे हैं, पर कुछ तथ्य तो बोलो। स्तुति गान कर रहे हो मंत्री महोदय का, आरती उतार रहे हो आप तो।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, बिराजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं कहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आरती उतार रहे हैं। कोई तथ्य ही नहीं है, कोई बात तो कहें सभापति महोदय।

श्री सभापति : वह भी कहेंगे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह काम आप कर लेते न।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, यही श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो आज सरकार का बखान कर रहे हैं। इन्होंने इस राज को +++ बताया था, आपने खुद ने और आज और तब में क्या फर्क हुआ? यह भी आपने ही बताया था, +++ (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगागनर : हां, हां, अभी बताता हूं वह भी।

मोहम्मद माहिर आजाद : और आज यहां पर महाराजा गंगासिंहजी और वह और वह, आप आज तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तब क्या हो गया था और आज क्या हो गया?

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, मंत्री पद दूर है, मंत्री पद दूर है। इस तरह +++ से मंत्री नहीं बनते हैं।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है चूरू से आने वाले मेरे प्यारे छोटे भाईजी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : तब अच्छा काम की शोभा कह रया हा, अच्छा काम करयो, अच्छा काम की शोभा न्यारी...

श्री सभापति : आप बिराजिए माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : श्रीमान् जी, कमलाजी और मुख्य मंत्रीजी की आरती आपको उतारनी चाहिए अगर वास्तव में ऐसा है। हम तो उतारेंगे लेकिन जिस बात के लिए निरन्तर आप और हम मिलकर चिल्लाते रहे, आपको याद है, आपने भी मेरा सहयोग किया था, भूल गये, याद है न? यही गंग कैनाल और तब देवीसिंहजी कह रहे थे कि यह राधेश्याम ठीक कह रहा है। आज भूल गये? और आज कह रहे हो कि आरती, आरती क्या आरता उतारना चाहिए आपको, आप आरती उतारने की बात कर रहे हो, आरता। यह जो काम है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, यह आरता 10 साल उतारना पड़ेगा। 400 करोड़ की योजना में इस साल सिर्फ 40 करोड़ ही दिये हैं, 10 साल लगेंगे, 10 साल, क्यों झगड़ा करते हो?

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है, मैं वह भी निवेदन कर देता हूं। शायद आपको गलतफहमी है। आपकी पार्टी के लोग ऐसे कमाल के लोग हैं गलतफहमी डालने में और अफवाहें फैलाने में कि भाई कमाल है, आपका कोई सानी नहीं है। यही बात मैं मान गया। यह कहते हैं कि घोषणा तो कर दी वहां बैठकर, पैसा कहां से आएगा, बननी ही नहीं। जब शुरू हो गया काम तो धरना दे दिया। फिर जब काम शुरू हो गया तो कहते हैं कि काम अच्छा नहीं होगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(व्यवधान) सुनो। अभी सुनने का भी थोड़ा ध्यान रखो, मेरे प्यारे भाई, ऐसा न करो। जब शुरू हो गयी, पहले तो कहते थे कि काम शुरू नहीं होगा। यह राधेश्यामजी, इनके मुख्य मंत्री, इनकी जो भागीरथी डाक्टर कमला है, ये सारे ही गप्प मार रहे हैं। काम-कूम कुछ नहीं, पैसा है ही नहीं, कहां से काम चालू होगा। जब काम चालू हो गया, वहां केबिनेट चली गयी। कुदरत का नजारा देखें। सभापति महोदय, इतनी भारी सर्दी, ऊपर से बारिश और बिलकुल अंधड़ सा, हालत यह थी कि दिन के एक बजे यूं लग रहा था कि रात के 8 बजने वाले हों। उस हालत में हमें निराशा हुई कि हमारे केबिनेट के साथी तो पहुंच गये। मुख्य मंत्री साहब दिल्ली पधारे हुए थे। दिल्ली से अब उनके पास प्लेन भी नहीं था, हमारा प्लेन खराब था, बड़ी मुश्किल हुई। मैं बार-बार उनसे फोन से कांटेक्ट कर रहा था। मैंने कहा कि मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा अगर आप नहीं आए तो। लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने निवेदन किया तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि चाहे मैं कैसे भी आऊं, आप चिन्ता मत करो, मैं आऊंगा और वहीं आकर घोषणा करूंगा और अपनी बात को उन्होंने सिद्ध किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप यह बता दो कि मुख्य मंत्रीजी का नाम +++ किसने निकाला? मुख्य मंत्रीजी को +++ किसने कहा?

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने कहा था। उसका जवाब दूंगा। मेरे पास जवाब है कि क्यों कहा था। आप मैनिपुलेशन करते हो। मैंने कहा था पोपाबाई और वह आज आपको बताउंगा कि कैसे कहा था, मौका ही अब मिला है कहने का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो एक निर्णय हो गया, उसमें आप सहयोग कीजिए, उसका पालन करें और आप अपनी बात कहिए। यह तो कुछ भी कहते रहेंगे। इनका थोड़े जवाब देंगे। आप अपनी बात कहेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है, यह डिस्टर्ब करेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : नहीं, यह डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इनको सुनो ही मत आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपका आदेश, सभापति महोदय का जो आदेश। सभापति महोदय, यह निवेदन है कि जब घोषणा हो गयी और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से कैसे प्लेन लिया, पता नहीं और लेकर यूं छूं करते हुए, उड़ते हुए मुख्य मंत्रीजी वहां आ गए। लोग क्या कहते हैं? हमारी पार्टी के लोग कहते हैं कि यह अशोक गहलोत की शक्ल का

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कोई आदमी यहां आएगा, अशोक गहलोत तो नहीं आएगा। वाह भले लोगों, और वह आ गये, घोषणा की और काम चालू हो गया। चालू होने के बाद फिर क्या कहते हैं कि यह पांच-सात करोड़ रुपये दे देंगे, यह 20-30-50 सालों में पूरी होगी, बजट में तो इसका प्रोविजन ही नहीं किया। फिर उस तरह का भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। हम तो रोज इसी काम में लगे रहे, इनकी जो गलतफहमी थी उनको पब्लिक में दूर करने के लिए। ये ऐसे मास्टरपीस लोग हैं कि भगवान ही बख्शे इनसे। फिर क्या हुआ जी, जब वह काम शुरू हो गया तो रोज वहां धरने, रोज जुलूस, इस बात का कि काम घटिया हो रहा है और इंजीनियर है वह खा गये, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एण्टी करप्शन ब्यूरो से कम इंक्वायरी नहीं। लोगों ने कहा कि चीफ इंजीनियर कर लेगा, टैक्नीकल आदमी है, सब है, बहुत बड़े-बड़े आदमी बैठे हैं। नहीं एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट करे, यहां का चीफ, यहां का एस.ई., एक्स.ईएन., जिनके हमें आभारी होना चाहिए, जिन लोगों की कृपा से, मेहनत से यह ठीक है कि सरकार की सूझ-बूझ थी लेकिन काम करने के लिए व्यक्ति तो कोई चाहिए। उन लोगों ने दिन-रात एक करके वह काम किया और उनको सिला क्या मिला कि यह बेइमान हैं, इनकी इंक्वायरी कराओ।

हमारे मुख्य मंत्रीजी, इतने संवेदनशील, उन्होंने कहा, याद किया भगवान राम के टाइम में सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, राधेश्यामजी अपन देंगे। इंक्वायरी डी.आई.जी. लेवल का आदमी, तीन-तीन एस.पी. पूरा डिपार्टमेंट लगा दिया। एक-एक कागज छान मारा और उस इंक्वायरी में यह कहा गया कि इतना बढ़िया काम और कहीं नहीं हो रहा। यह बात कही गयी कि इतना बढ़िया काम कहीं नहीं हो रहा। उसके उपरान्त क्या हुआ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पोपाबाई क्यों कहा था?

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह सब बताऊंगा मेरे राजा, दिल थाम कर बैठो। आपके आदेश का पालन करूंगा, ऐसी प्रार्थना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है कि अभी गंग कैनाल है जी, अब तो सिद्ध मुख आएगी, भाखड़ा आएगी, हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल है जो हमारी जीवन रेखा है।

श्री सभापति : आप अपने चीफ व्हिप साहब से पूछ लीजिए कि कितने घण्टे आपको दिए हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी एक प्रार्थना है, मुझे तो कहेंगे तो मैं अभी बैठ जाउंगा।

श्री सभापति : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो आपका आदेश मान लूंगा, जैसा आप हुकुम करेंगे।

श्री सभापति : मैं नहीं कह रहा हूं, यह निर्णय है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी प्रार्थना तो सुन लो।

श्री सभापति : आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो, आप मेरी भी तो प्रार्थना सुनें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय जब बिराजमान थे तो उन्होंने यह कहा था कि फर्स्ट वक्ता के लिये कोई बैन नहीं है।

श्री सभापति : यह नहीं कहा था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगर नहीं कहा तो वह आ जाएंगे, मैं बैठ जाता हूं। आप पूछ लेना।

श्री सभापति : फिर कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, यह इश्यू ऐसा है, इसको आप मामूली बात मत समझो। जो 70 साल पहले की चीज आज, सभापतिजी, सब जानते हैं, माहिर आजाद साहब आप हमारे दु:ख को नहीं जानते, मेरे राजा क्या-क्या तकलीफें हमने पायी हैं। अगर आप वहां होते तो आपको पता लगता। जहां 8 बीघा पानी चाहिए था वहां दो बीघा डेढ़ बीघा, आप हिसाब लगाओ, किसानों की क्या हालत है? किसानों की यह हालत थी माहिर आजादजी कि किसान की जेब में, उसके बच्चों के लिये दवा के लिए पैसे नहीं थे, चार साल से मारा-मारा फिर रहा था। आज हमें आशा की किरण, यह तो आपके लूणकरणसर से आने वाले महोदयजी, जो भाई हमारे बैठे हैं, उनसे पूछो इस दर्द को ये हमारे पड़ोसी हैं और जानते हैं या डाक्टर रामप्रतापजी से पूछो या हमारे देवीसिंहजी साहब बैठे हैं इनसे पूछो कि क्या दर्द था हमारे दिनों में, आपको महसूस नहीं हो रहा है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस गंग कैनाल के लिये जब इसका कार्य शुरू हो गया और उसके लिए जब यह तय किया गया कि मुख्य मंत्री महोदय और हमारी डाक्टर कमलाजी पधार कर उसका पानी राजस्थान को, जिस दिन लिंक कैनाल से छोड़े, मैन कैनाल को बनाने के लिये, उसका शिलान्यास करें, तो ऐसा बावेला फैलाया वहां हमारे साथियों ने, हमारे मित्रों ने कि तूफान खड़ा कर दिया। पर हमारे सूझवान मुख्य मंत्रीजी और डाक्टर कमलाजी ने कहा कोई बात नहीं, काम शुरू हो जाए, हम बाद में कर लेंगे, हमें कोई शिलान्यास करने का ज्यादा शौक नहीं, हम तो काम शुरू करना चाहते हैं। काम शुरू हो गया। अब सारे किसान संगठन, बी.जे.पी. के लोग, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों ने जाकर देखा। मैं पंजाब सरकार का भी आभारी हूं। पंजाब सरकार ने पार्टी के बारे में, हालांकि मुझे इतनी नोलेज नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लम्बे अर्से से इस इश्यू से जुड़े हुए हैं, जब भी मैं खुद गया, हम लोगों ने जाकर देखा तो वाकई पंजाब का जो सुनते थे कि पंजाब वाले आदमियों के पास काम नहीं है, ये लूट लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं ऐसे सुन्दर तरीके से काम, इतना बढ़िया काम हो रहा है कि आप अगर जाकर देखें, मैं आप लोगों को दावत देता हूं, हालांकि मुझे यह अधिकार नहीं है, यह तो डा. साहब कहेंगी, किन्तु मैं भी आपका एक साथी हूं, आप चलकर देखें। उसमें अपने कोई और सुझाव हो, तो दो और जहां भी उसमें कमी है, क्योंकि हमारा बड़ा पैसा लग रहा है, आने वाले 100 साल तक यह चीज रहेगी। आप और हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी और हमारी जो सन्तान हैं और आने वाले जो किसान घरों के लोग हैं वे आपको और हमको याद करें यह एक इतिहास बन रहा है, आने वाला समय याद रखेगा।

इसके साथ-साथ सिद्धमुख कैनाल, जिसका भादरा में हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था, जिसका कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। मेरे अन्य साथी इस बारे में काफी कुछ रोशनी डालेंगे, मैं दो शब्द कहकर अपनी इस सिद्धमुख की बात को समाप्त करूंगा। सिद्धमुख कैनाल आ जाने से नोहर-भादरा का एरिया एक ऐसा खुशहाल एरिया है। वर्षों से वहां का किसान तरस रहा था। उसकी वहां की मिट्टी और जमीन ऐसी है कि जिसमें पानी लगते ही ऐसी हरियाली हो गई। जमीन की ग्रोथ ऐसी है, मैं कहता हूं राजस्थान का एक इतिहास बदल जाएगा इस सिद्धमुख से। पानी का टेस्ट आपने कर लिया है, कैनाल पूरी हो गई है मेरी तो डा. कमलाजी से यही निवेदन और डिमाण्ड रहेगी कि हमारी प्रिय नेता सोनिया गांधी को लाकर उसका जल्द से जल्द आप उद्घाटन कराएं, क्योंकि राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था और सोनियाजी हमारी नेता हैं, उनके हाथों से उसका उद्घाटन हो।

सम्मानीय सभापति महोदय, इसके अलावा तकरीबन 800 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से जो सिंचाई योजनाओं के लिए पैकेज लिया गया जिसमें गंग कैनाल भी है, इन्दिरा गांधी कैनाल का भी कुछ पोर्शन है, साथ ही भाखड़ा का भी है और राजस्थान की अनेक जगहों का, जिनका मैं ज्यादा लम्बा जिक्र करूंगा तो आप फिर रोकेंगे, उसके लिए वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।

सिंचाई के मामले में राज्य सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वह मेरे खयाल से पहले 50 साल बीत गये और आगे आने वाले 50 साल तक ऐसी सम्भावना नहीं है, ऐसे काम जिनकी हम केवल कल्पना किया करते थे। इसके साथ-साथ श्रीगंगानगर में शहर के बीचों बीच, आधा शहर इधर रामनगर है उधर श्रीगंगानगर है, ए माइनर उसके बीच में होकर गुजर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

रही है। उस ए माइनर से आगे जाकर बहुत चकों को और गांवों को पानी की सुविधा उससे मिलती है और उस ए माइनर में लोग कुत्ते डालते हैं, मुर्गे काटकर डाल देते हैं, लोग अपने नाजायज बच्चे उसमें डाल देते हैं, मुर्दे डाल देते हैं, वही पानी हमारा किसान आगे जाकर पीता है और अपने खेत में लगाता है। निरन्तर 20 साल से मैं हमेशा इस बात को चिल्ला रहा हूं, मेरे साथी भी कह रहे हैं उस ए माइनर को श्रीगंगानगर से बाहर जैसे रिंग रोड बनती है इस तरह रिंग कैनाल बनाकर उसको बाहर निकाला जाए क्योंकि उसके किनारे पर होटल, ढाबे, बस स्टैण्ड सब चीजें उसके सामने हैं और बड़ी भारी दिक्कत है। इतना बड़ा काम किया है उसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन न जाने मेरी प्यारी बहन से, डा. कमला से यह बात ओझल कैसे रह गई, मैं प्रार्थना करूंगा सदन के माध्यम से...

डा. (श्रीमती) कमला : जमीन नहीं दे रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जमीन नहीं है, ऐसा है साहब, वह प्रबन्ध तो अपने को ही करना पड़ेगा।

डा. (श्रीमती) कमला : आप कराओ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : या उसका कोई ऐसा प्रबन्ध हो, क्योंकि आप चल कर देखें पिछली बार उसी से पीलिया हुआ था, हजारों आदमी उससे प्रभावित हुए थे, 10-20 आदमी की तो उसके कारण डैथ हो गई थी। गन्दा पानी भी शहर का उसमें डाला जाता है और लोगों को, खासकर वहां किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं उन लोगों की इतनी परेशानी हैं, आप पिछला रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, देवीसिंहजी साहब ने दो बार घोषणा की थी, सामने बैठे हैं। इन्होंने कहा था एक चुटकी में अब लो, अगली बार आपको यह शिकायत नहीं आएगी। विधान सभा में यह घोषणा की थी। न जाने किस कारण से, इनका मन भी था, लेकिन कई बार संजोग होता है नहीं बन पायी। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा कि ए माइनर, जो शहर के बीचोंबीच में है, जो बीमारी का एक बहुत बड़ा घर है उससे बड़ी बीमारियां फैल रही हैं आने वाली गर्मियों में...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : इनकी इनके नेता के सामने चली नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह है बिलकुल। धन्यवाद, आपने मुझे करक्ट कर दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब तो सहयोग कीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करूंगा। वैसे मन में तो बहुत तड़फ है, साहब।

श्री सभापति : मन में मेरे ही बहुत थी सुनने की।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कुछ हुआ नहीं।

श्री सभापति : मन में सबके सुनने की है, लेकिन समय नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अच्छा एक मिनट तो इजाजत दे दो। निवेदन यह है कि हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल, जो हमारा भविष्य है, उस इन्दिरा गांधी कैनाल पर, लौहगढ़ के पास वह डैमेज हुई है, मैंने खुद जाकर देखी है और कहीं लिंक चैनल में जो पानी हमें मिल रहा है वह अगर उसके कारण से अवरुद्ध हो गया या कहीं दिक्कत आ गयी तो भारी मुसीबत, जो हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसका यश सरकार को मिल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि यह खतरा हमारे ऊपर ऐसा लग रहा है मंडरा रहा है, उसके लिए हमारे इन्दिरा गांधी कैनाल के मंत्री बी. डी. कल्ला साहब से निवेदन है कि उस जगह खुद जाकर उसका अवलोकन करके अपने इंजीनियरों को, चीफ साहब को साथ ले जाकर उसका तुरन्त उपाय करें, उसके लिए बजट रखें ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत खड़ी न हो।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर : भाखड़ा के लिए दो मिनट।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं एक बात तो कहूं साहब। हमारे प्यारे छोटे भाई माहिर आजाद साहब ने यह फरमाया था कि इसी सरकार की आप बड़ी तारीफ कर रहे हो और इसी सरकार को आपने यह कहा था कि +++ है। यही फरमाया न आपने? शायद आपको सुनने में बड़ी भारी गलती रही है। मैंने यह कहा था, मैंने यह बात कही थी कि +++ है, लेकिन उसका अर्थ क्या था? मैंने यह कहा था कि 153 का बहुमत है और कहीं हमारे अधिकारी या कर्मचारी यह न समझ लें कि +++ है, उड़ा देंगे भक्की और जो हमने वादे किये, एक-एक वादा पूरा करना पड़ेगा, +++ मत समझना, मैंने यह कहा था।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह भी पार्टी मीटिंग की बात थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : इनको समाप्त करने दो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने जो +++ का शब्द प्रयोग किया था वह +++ आपके ऊपर लागू किया था कि उन वाला राज मत समझ लेना। हो गया उनके राज में...(व्यवधान) हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय कलक्टर के सामने धरना दे रहे हैं गंग कैनाल बनाने के लिए। +++ नहीं हुआ तो क्या हुआ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो सही कहा है, यह राजेन्द्रजी ने इसका अर्थ गलत बता दिया। आपने सही कहा, इन्होंने अर्थ गलत बता दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करने दो भाई इनको। समाप्त करने दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राधेश्यामजी, आप भक्की उड़ाने की बात कह रहे हो, यह भक्की क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर : भक्की शब्द मुझे आता ही नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : पोपाबाई कहा या नहीं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : +++ जो आपका राज था वो... +++ था, हमारा राज था वो जनता का राज है। (व्यवधान) इसका मतलब यह है कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्मानीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय देवीसिंहजी।

श्री देवीलाल बैरवा : +++ में तो न जाने कितने ही मुख्य मंत्री गये और माथुर साहब (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपके सामने एक ऐसा इतिहास रखना चाहता था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, +++ का जिक्र इस सदन के अन्दर कई बार हुआ है। माननीय सदस्य ने कई बार कहा। (व्यवधान) आप यह बता दो +++ कहां की रहने वाली थी?

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगर आप 10 मिनट का समय मुझे और दें तो मैं इनकी ऐसी पोल खोलूंगा कि इनके कान बहरे हो जाएंगे। मेरे पास ऐसी-ऐसी चीजें है, ये रोज जो +++ करते हैं इनकी +++ एक मिनट में बन्द हो जाएगी। आप मुझे 10 मिनट का समय दे दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राधेश्यामजी, आप हमें यह बता दो पोपाबाई कहां की रहने वाली थी? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पोपाबाई का बैकग्राउण्ड तो बता दो माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : कमला बाई को पोपाबाई तो नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : कमला बाई को +++ तो नहीं कहा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य, यह तो पता दो पोपाबाई कौन थी, क्या थी, कैसे राज गया? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब।

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय सदस्य, कल अखबार में आ जाएगी पोपाबाई कौन थी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सदस्य, हनुमानगढ़ में बाढ़ आयी थी, 600 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ था, आप घोषणा करके आए थे और आपने उस घोषणा को क्रियान्वित नहीं किया, यह है +++

श्री सभापति : माननीय राधेश्यामजी, बिराजिए आप।

श्री सांवर लाल : हमने जो किया वह आपकी सरकार कर नहीं सकती, यह चैलेंज है मेरा। क्या कर दिया आपने?

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, बिराजिए आप। सांवर लालजी। माननीय भाटी साहब। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पोपाबाई का जिक्र कई बार माननीय सदस्य ने किया है। यह सदन की सम्पति है, हम जानना चाहते हैं।

श्री सभापति : सदन की बहुत बड़ी सम्पति है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पोपाबाई क्या है, इनके पिताजी कौन थे, कहां की रहने वाली थी...(व्यवधान) आपका इससे क्या सम्बन्ध है? बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह विश्लेषण, आप मेरे सामने रहते हैं, अपन दोनों भाई बैठकर कर लेंगे, आपको बता दूंगा।

श्री सांवर लाल : वहां नहीं, यहां बताओ, सबके सामने हमें पोपाबाई के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, शुरू कीजिए।

श्री देवीलाल बैरवा : आपके सामने में भी बैठता हूं, मुझे भी बुला लेना। मैं बताउंगा जितना आपको पता नहीं है।

श्री सभापति : देवीभाई, बिराजिए, माननीय भाटी साहब। ठीक तीन बजे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ठीक तीन बजे हैं और माननीय सदस्य अभी 33 मिनट बोले हैं।

श्री सभापति : शुरू कीजिए, शुरू कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है बिजली, परिवहन के साधन और सिंचाई। सिंचाई के बारे में, इस सरकार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अभी श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैं आंकड़ों के ऊपर बताउंगा और जो सबसे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री देवीसिंह भाटी)

बड़ी योजना इस प्रदेश के लिए बनी है, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और उससे पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक बहबूदी का सपना, जो हमारा सोच था, वह पूरा हुआ है। उसको किस प्रकार से आज यह सरकार नकार रही है, इसकी आवश्यकताएं सोच सारी बदल गयी हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आई.जी.एन.पी. मंत्री महोदय, आपके साथ, आपके विभाग के साथ, आपकी नहर के साथ, उस क्षेत्र के लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं आंकड़ों के ऊपर बताउंगा।

सभापति महोदय, 1996 और 1997 में आई.जी.एन.पी. के लिए बजट प्रावधान रखा गया था 146 करोड़ रुपए और 45 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र खोलना उस समय तय हुआ था। 1997-98 में 145 करोड़ रुपए और क्षेत्रफल 40 हजार हैक्टेयर, 1998-99 में 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया था आई.जी.एन.पी. के लिए और 50 हजार हैक्टेयर का क्षेत्रफल सिंचित करने के लिए खोला गया था। जब से यह सरकार आयी है, इस आई.जी.एन.पी. और सिंचाई के बारे में इसका क्या सोच है, 2000-2001 में सीधे 200 करोड़ से 120 करोड़ का बजट प्रावधान किया और मात्र 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल खोला, 2001-2002 में फिर नीचे आए। 115 करोड़ का प्रावधान किया और मात्र 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र खोला और इस वर्ष का भी प्रावधान, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है मंत्री महोदय, लगता है कि आपकी इस मंत्रिमण्डल में आवाज सुनी नहीं जाती। इस दफे जहां हमने 1998-99 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और 2002-2003 में आपने इस साल रखा है 115 करोड़ रुपए और 25 हजार हैक्टेयर का क्षेत्रफल सिंचाई के लिए खोलेंगे। अब इतनी बड़ी परियोजना जिसके लिए इनकी सोच, इनके ही आंकड़ों से बजट प्रावधान से सदन के सामने प्रदेश की जनता के सामने है। इस नहर क्षेत्र से जो फ्लो का क्षेत्र है उसके लिए तो आपने सारे सपने ही, जो रोज हमारे जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य फरमाते हैं कि आप इतना बड़ा सिस्टम तो बनाने जा रहे हो लेकिन सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, न तो बजट प्रावधान और न जो हमारा हिस्सा है पानी का वह हम ले पा रहे हैं।

इस फ्लो के अलावा आपने लिफ्ट नहरों के बारे में क्या किया है, कैसी इनकी सोच है, सभापति महोदय, 6 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें साहवा, गजनेर, कोलायत, पोकरण, फलौदी, बांगड़सर है। अब आज के दिन, सभापति महोदय, गजनेर सिस्टम के ऊपर दो पम्पिंग स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं, तीसरी और चौथी में सिविल वर्क आपका पूर्ण है, आगे भी आपकी नहरों का निर्माण हो चुका है लेकिन इसकी सिंचाई कैसे होगी इसके लिए कोई बजट प्रावधान आपने इस साल नहीं किया है। पम्पिंग स्टेशन कैसे बनेंगे, इसके ऊपर अब तक करोड़ों रुपए का, गजनेर और कोलायत पर आपने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है,

(श्री देवीसिंह भाटी)

उसके अन्दर खालें कैसे बनेंगे, सिंचाई कैसे होगी, उस रेगिस्तानी क्षेत्र में, इसके लिए भी आपने नहीं सोचा है। इन लिफ्ट नहरों का क्या हश्र होगा।

आप स्वयं जानते हैं कि गजनेर लिफ्ट से सिर्फ सिंचाई ही नहीं पीने का पानी बीकानेर और उसके आसपास के गांवों को मिलेगा। कोलायत लिफ्ट से इसके आसपास के गांवों को पेयजल मिलेगा उसके लिए आपकी सोच नहीं है। प्राथमिकताएं इस सरकार की सारी बदल चुकी हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार की सरकार की सोच होनी चाहिए जिससे पूरे प्रदेश का विकास हो। ठीक है, हमारा प्रदेश ज्यादातर अकालग्रस्त रहता है।

सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था अकाल राहत कार्यों के बारे में कि 1951 से लेकर पिछले वर्ष तक हम 4200 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और उसके अन्दर निश्चित तौर पर आवश्यकताएं हैं, लोगों को सहायता देनी पड़ती है, जैसे भी काम हुए, 30-35 परसेंट उसके रिजल्ट लोगों को मिले। लेकिन इस राजस्थान कैनाल के ऊपर अब तक जो आपने आंकड़े दिये हैं, कुल 2091 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और उससे आज के दिन वार्षिक कृषि उत्पाद हमें मिल रहा है। 1700 करोड़ रुपये का, जो रिटर्न देता है, जो उस पूरे क्षेत्र में आज हम अकाल के माध्यम से इतनी राहत नहीं दे पाए लेकिन एक टीबों के बीच में से लाइन खींच दी। आज वहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति, उनका पहनावा, सोच, शिक्षा, स्वाथ्स्य, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सारा कुछ उपलब्ध हो गया है, मण्डिया बन गयी, व्यापार हो गया, इस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करते हैं अब तक अरबों-खरबों रुपया खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आप सिंचित क्षेत्र में जाकर देखिए, लोगों का काया पलट हो गया है, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में और चाहे किसी के पास भूमि भी नहीं हो उसको भी रोजगार वहां मिलता है। अब यह सब हमारे सामने है लेकिन अगर कहीं इसके लिए बजट प्रावधान करना है तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं, गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए हम नाटक करते हैं। यही आप अगर सिंचित क्षेत्र के लिए चाहे वह पूर्वी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, उसमें आप सिर्फ सिंचाई के ऊपर खर्च कीजिए, हर आपके उस गरीब का, वहां के वाशिंदे का, वहां के काश्तकार का, वहां के व्यापारी का, सब का विकास हो जाएगा लेकिन यहां कहना तो व्यर्थ है, क्योंकि जैसी सोच है उसी हिसाब से आप चलेंगे।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अब इन नहरों में हम हमारे हिस्से का पानी कहां से आएगा, सभापति महोदय, पानी नहीं ले पा रहे हैं, हम समझौते के अनुसार हमारा हिस्सा पंजाब से नहीं ले पा रहे हैं। अभी पिछले तीन साल का देखिए, मंत्री महोदय, आपने ऐसा मारा है उस क्षेत्र के किसानों को मात्र इसलिए कि यहां के मंत्री जितने भी हैं, चाहे सिंचाई मंत्री हैं, चाहे आई.जी.एन.पी. मंत्री हैं उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए। सिर्फ आपको सूचना दे देता है अधिकारी वर्ग कि सब पानी का हिस्सा लोगों को, काश्तकारों को मिल रहा है, सारा सिस्टम ठीक चल रहा है। अभी हाल ही में इस वर्ष हमने इधर तो रबी की सिंचाई शुरू नहीं की उससे पहले नोटिस जारी कर दिए, प्रेस-नोट जारी हो गये कि सिर्फ आप कम पानी की फसलें बीजें और उसके बाद दिसम्बर में यह घोषणा कर दी गयी कि 24 जनवरी से सिर्फ आपको पेयजल मिलेगा। एक तरफ तो आपने कहा कि कम पानी की फसलें बीजो और उसी के बीच में आपने कह दिया कि 24 जनवरी से आपको पेयजल मिलेगा। चलो कम पानी की सरसों, चना, जीरा, वगैरह बीजा, वह कैसे पक जाता? फिर दबाव बना किसानों का, लोगों का तो फिर आपने कह दिया कि आगे भी पानी मिलेगा, 13 मार्च से तो हम बिलकुल इस पानी को बन्द कर देंगे। आपका कैसा सोच, फिर दबाव पड़ा और उसके बाद में आपने फिर कह दिया कि 7 अप्रैल तक नहरें चलेंगी अपनी वरीयता के अनुसार। हम हमारे हिस्से का पानी नहीं ले पा रहे हैं। जो आया है उसका सही वितरण नहीं और लोगों के सामने हम इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि वास्तव में हमने जो फसल बीजी है वह हम ले पाएंगे या नहीं। सिर्फ आप घोषणा नहीं कर सकते थे, आपके पास जो सामान है वह तो कम से कम लोगों के सामने रखो, पानी बार-बार, कल्ला साहब कहां से आया? एक तरफ तो आपने कह दिया कि पानी नहीं मिलेगा फिर भी पानी आया और इस प्रकार से हालात के अन्दर हमारे उस क्षेत्र का किसान बर्बाद हो गया। आज उसको कोई भी हजार रुपए भी उधार देने के लिए तैयार नहीं है।

मैं यह कहूंगा स्पष्ट तौर पर, अगर आपने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से आन्ध्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में सामूहिक रूप से परिवार आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह हालात इस क्षेत्र के भी हो जाएंगे। हम बंध गये हैं। हमने इस सारी परिस्थिति के अन्दर यह बात नहीं देखी कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, शिवचरणजी माथुर के समय जो 1981 में समझौता हुआ, हम किन बंधनों में बंधे हुए हैं? सभापति महोदय, यह रावी-व्यास का 1981 का अनुबंध है। उसमें लिखा है सन् 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के

(श्री देवीसिंह भाटी)

बाद हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो 1955 के अनुबन्ध के अनुसार तत्कालीन पंजाब राज्य को आबंटित रावी–व्यास जल का हिस्सा नवीन रूप से सृजित पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच वितरित किया जाना था। अनेक बैठकों में लम्बे विचार–विमर्श के बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अधिशेष पानी के वितरण के लिए 31.12.1981 को एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये। कैसे बंधे हुए हैं आप? इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. निश्चित किया गया जो उपलब्ध अधिशेष पानी का 52.7 प्रतिशत है। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी कि जब तक राजस्थान अपना पूरा हिस्सा उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं हो जाए, पंजाब अनुबन्ध की धारा दो के अनुसार राजस्थान के हिस्से के पानी का उपयोग कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक–दूसरे से जुड़ा हुआ मसला है चाहे बजट का है, चाहे पानी का है। जब तक आप नहरें समय पर पूरी नहीं करेंगे, इनके सिस्टम्स को पूरा नहीं करेंगे, वाटर कोर्सेज पूरे नहीं बनाएंगे तब तक आप पानी लेने की स्थिति में नहीं होंगे और यह सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पंजाब की नहरें ओवरटाप चल रही हैं, मैं कई बार वहां इन में जाकर देखकर आया हूं। हमारा हिस्सा नहीं मिल सकता जब तक हम नहरों का पूरा निर्माण नहीं कर देंगे। लेकिन कैसे हो? जब बजट का प्रावधान हो। बजट का प्रावधान इस सरकार में नहीं हो सकता क्योंकि यह सोच सब के सामने स्पष्ट है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने एम.पीज. को पत्र लिखा था उसमें इन्होंने यह मैटर दिया कि राजस्थान अब अपने हिस्से के 52.7 प्रतिशत पानी का उपयोग करने की स्थिति में है इसलिए राजस्थान को इसका पूरा 52.7 प्रतिशत पानी का हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन मौके पर क्या स्थिति है?

श्री राधेश्याम गंगानगर : 40 करोड़ रुपए काट लिए, वे दे नहीं रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : वह मरे हुए हों, कौन देगा आपको? मरी हुई आत्माओं को मिलता है कभी?

श्री सभापति : माननीय राधेश्यामजी, यह जवाब देने के लिए मंत्री महोदय बहुत सक्षम हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, क्या फरमाते हैं इस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रगति प्रतिवेदन में?

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कहो। उनकी छोड़ो, अपनी बात कहो।

श्री देवीसिंह भाटी : 2000–2001 में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 2.8 लाख हैक्टेयर रहा। इस प्रकार लक्षित सिंचाई सघनता 80

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रतिशत के विरुद्ध 28 प्रतिशत ही रही, कम सिंचाई सघनता के कारण 8.73 लाख हैक्टेयर के विरुद्ध 5.2 हैक्टेयर में ही खाले पक्के बनाने हैं और क्षेत्रफल आपका कम्पलीट हुआ नहीं क्योंकि आपके पास बजट का प्रावधान नहीं है। इसलिए नहरों का निर्माण आप कर नहीं सकते और उस स्थिति में हम अपना हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए मेरा अब अनुरोध भले ही है, मुझे अपनी बात कहनी है, यह पता है मुझे कि न तो बजटीय प्रावधान में कोई चेंज होने वाला है, न आपकी आवाज सुनी जाने वाली है लेकिन यह कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारे हिस्से का पानी जो 1981 में तय हुआ वह हम नहीं ले सके और आंकड़ों के अनुसार मैंने बताया कि हमारे शासनकाल में किस प्रकार बजटीय प्रावधान रहे, किस प्रकार से 50 हजार हैक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र खोला और आपके समय में अब 25 हजार तक आप आ गये हो और 115 करोड़ का आपने बजट प्रावधान किया है।

अब इसमें सबसे बड़ा संकट और आ रहा है। पोंग बांध का जो हमारा हिस्सा है उसमें पंजाब अपनी किन्हीं परिस्थितियों में 1988 में पौंग बांध के सम्बन्ध में समझौता हुआ था कि उस पौंग बांध को आप डिजाइन के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार पूरा नहीं भरोगे। अब पंजाब सरकार ने यह समझौता करवा लिया कि आप इस बांध को एज-पर-डिजाइन, कितना सोच समझकर हमारे इंजीनियर्स, तकनीकी लोगों ने इसका डिजाइन किया था और उसके अनुरूप आप इसको भर नहीं पाओगे। क्यों? पंजाब कहता है कि बाढ़ आ जाती है, हमारे लोग बरबाद हो जाएंगे, एक दफे पानी का फ्लो थोड़ा बढ़ गया। हो तो हो, हमने यह सारी चीजें सोची थीं और उसके बावजूद इनफ्लो जब तक रहता है, वर्षाकाल के दौरान पानी खोल दिया जाता है और यह व्यर्थ पाकिस्तान में जाता है। हम पूरी उस कैपेसिटी तक भर नहीं सकते। हम बंध गये उन बंधनों में 1988 में और उसके बाद में आज झगड़ा किस बात का रहता है कि इसका जो डैड स्टोरेज लेवल है, जहां तक पानी नहरों में चलाया जा सकता है वहां तक भी हम इसको खाली नहीं करेंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे। हमने डिजाइन किया है इसको, हमने यह सोचा है कि किस महीने तक जब बरसात का इनफ्लो चालू हो जाएगा उस तक हमने सारा सोच रखा है, वहां तक इसको खाली किया जाना चाहिए। लेकिन वह भी वह नहीं करते हैं क्योंकि बी.बी.एम.बी के अन्दर हमारा प्रतिनिधित्व जरूर है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब का इसके ऊपर कंट्रोल है। उसमें हम सब को प्रयास करना चाहिए, पार्टी का इसमें कोई मतलब नहीं है लेकिन हमें हमारा हिस्सा लेने के लिए, हमारा उसमें शेयर रहे इसके लिए प्रयास होने चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पौंग डैम में डीसिल्ट करवाओ।

श्री देवीसिंह भाटी : डीसिल्ट तो करवाएं लेकिन उसके पहले पानी है वह तो काम में लें अब इसी जुड़े हुए छोटे-छोटे मसले तो बहुत हैं पर उनमें नहीं जाता। मैं तो सिर्फ पालिसीज के ऊपर बात करूंगा।

अब सी.ए.डी का क्या हाल है? यही की यही स्थिति है क्योंकि आपने समय काल में बांध रखा है तो मैं आंकड़ों में फिर नहीं जाऊंगा। यही की यही स्थिति सी.ए.डी. के अन्दर, हमारा क्षेत्रफल खोलने के लिए, वाटर कोर्सेज बनाने के लिए है। हर साल उसके अन्दर बजटीय प्रावधान कम होता जा रहा है, वाटर कोर्सेज कम बनते जा रहे हैं और इसी कारण से हमारे पूरे क्षेत्रफल को, जो नहरें बन चुकी हैं उनका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब तो इन्होंने एक घाटे की कम्पनी है, यह सरकार घाटे की कम्पनी है और उस कम्पनी ने यह कर दिया कि वाटर कोर्सेज बनाएंगे, मुरब्बे की कीमतें ले लीं आपने उससे, विशेष आबंटन के 5-5 लाख रुपए के लिए, साधारण आबंटी से आपने पैसे ले लिए लेकिन टैल एण्ड पर जाकर के 4-4 से लेकर 6-6 मुरब्बे तक कच्ची शाखाएं छोड़ दीं। अब उस रेगिस्तानी क्षेत्र में वह पानी कैसे खेत तक पहुंच पाएगा यह मेरी समझ में नहीं आता लेकिन यह लोगों के साथ धोखाधड़ी है कि पैसे लेने के बाद में भी आप उसे पक्के वाटर कोर्सेज जो उसका हिस्सा बनता है वह पानी अपने खेत में नहीं ले पा रहा।

अब इस सी.ए.डी. का क्या है? कमांड एरिया डवलपमेंट। उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, दूरदराज का क्षेत्र है, नहरें बनी हुई हैं, लोग 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर मण्डियों से दूर हैं और मण्डियों की क्या स्थिति है? जैसलमेर के लिए इन्होंने प्रचार किया कि सुधारवाला मण्डी बनने जा रही है जो एशिया की बिगेस्ट कृषि मण्डी होगी। इसके लिए क्षेत्रफल लिया करीबन 2400 बीघा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक धेला खर्च नहीं किया। उसके अन्दर सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं और लोगों को आबंटन कर दिया। कैसी धोखाधड़ी की, लोगों का आह्वान किया कि आइये, मण्डी एशिया की सबसे बड़ी है और उसके अन्दर आप दुकानें खरीदिए, प्लाट खरीदिए। लोगों ने प्लाट ले लिए लेकिन वहां सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, पुरानी हमारी घोड़ू मंडी, उसके अन्दर आपने करीब-करीब 70-75 प्रतिशत प्लाट्स बेच दिये। ऐसी धोखाधड़ी की उनके साथ में, हुआ जरूर यह हमारे शासनकाल में, उस समय हुआ था, सड़क बना दी गई उस समय लेकिन उसके बाद में तो हम सोचते कि इनका क्या हश्र हुआ होगा। जिन्होंने वहां आबंटन करवाया और उस क्षेत्र के लोग आखिर अपना माल कहां ले जाएंगे? उसको अपना

(श्री देवीसिंह भाटी)

माल ले जाने के लिए 70 से 100 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, उसमें छीजत का, यह सारा उस किसान को भुगतना पड़ता है लेकिन इस सी.ए.डी. के तहत मण्डी विकास के काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता।

अभी सी.ए.डी. के तहत कृषि सहायता, किसानों को बीज के बारे में, खाद के बारे में, खेती कौनसी की जाए, खेती में हम किस प्रकार के नये-नये उपयोग करें, उसके लिए दिग्दर्शक बने हुए वह कृषि पर्यवेक्षक एक नजर नहीं आते उस क्षेत्र में। घोड़ू के अन्दर एक आफिस बना रखा है। आप कभी भी चले जाइये। उसके अन्दर कम से कम 175 लोग कार्यरत हैं कागजों में लेकिन आपको 3-4 चपरासी लेवल के अलावा, एक-आध बाबू मिलेगा, और कोई नहीं मिलता। दो साल पहले भी बैठक हुई थी सी.ए.डी. कार्यालय के अन्दर। सी.ए.डी. सेक्रेटरी आए थे, वहां के सी.ए.डी. कमिशनर थे, हम जनप्रतिनिधि और सारे थे, उसमें मिनट्स तय हुए कि यह काम इस तिथि को हो जाएगा, यह काम इस तिथि को हो जाएगा लेकिन आज दो साल के बाद में भी उस बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। यह अब तो यहां सुधारवाला और घोड़ू मण्डी के बारे में कह रहा हूं लेकिन उस किसान के पास क्या है। आज यदि उसे चिक्की, कोई आटा पिसवाने के लिए जाना पड़े, विभाग और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। कोई अपने आप जाकर कोई एक डीजल का इंजन लगाकर बैठ जाए, घुड़घुड़ करता रहे लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा। 100-100, 200-200 किलोमीटर और उसके गवाह हैं हमारे जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य। कुछ भी नहीं है, कोई आटा नहीं पिसवा सकता...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मण्डी वाले मंत्रीजी मेरे पास हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, नहीं, मण्डी सी.ए.डी. वालों की बात कर रहा हूं। यह तो छोटा सामान है इनके पास। अब इसमें सारों को कालोनाइज करना था। किस प्रकार से कालोनाइज हो रहे हैं। वहां आबादी में प्लाट्स दिए जा रहे हैं जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकान होते हैं। अब वह कहां तो अपनी गाय बांधेगा, कहां वह अपनी घास, लकड़ी, कोई मेहमान आ जाए तो चार खाट डालनी पड़े तो डालेगा, वह भेड़-बकरी भी रखता है लेकिन हाउसिंग बोर्ड वाली साइज के प्लाट्स दे रहे हैं। अब उनके आने जाने के साधन का, कोई सड़क हो, कोई विकास हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यह सारी बातें तब ध्यान में आए, सभापति महोदय, जब सरकार के प्रतिनिधि जो सरकार में बैठे हैं, ये लोगों के बीच में जाएं, वह समस्या का समाधान बताएंगे।

(श्री देवीसिंह भाटी)

वहां के कृषक हैं, वह आपको सब समस्याओं का समाधान बता देंगे। आप एक तरफ अधिकारियों को बैठाइए और एक तरफ किसानों को बैठाइए और उनके सामने चर्चा कीजिए, जो आपको सही लगे, उसका तुरन्त आप निर्णय ले लें। जो बेकार लगे, वह फेंक दें लेकिन यह जो कम्युनिकेशन गैप है कि एक तरफा टेलीफोन से हम सिर्फ अधिकारियों से रिपोर्ट ले लें, वह रिपोर्ट कभी सही नहीं आएगी। यह तभी होगा जब मंत्री दौरा करें। कौन दौरा करे, किसको पड़ी है? यह हालात है इस सरकार के जो अपने आपको संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह कहती है और अब कैसी सरकार है।

अब इसी सिंचाई विभाग में हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्घर बैड का हमारे कार्यकाल में निर्णय लिया था वर्षों से यह विषय लम्बित था, लोगों का विरोध था लेकिन हमने निर्णय लिया था कि छह बीघा घग्घर बैड में कोई भी नया बांध नहीं करेगा, जो है उसे छेड़ेंगे नहीं। सिर्फ जहां बोटल नैक्स है कि जहां एकदम नदी को हमने कर दिया कि एक बीघा में या पौन बीघा में तो वहां बाढ़ का खतरा रहता है, बस्तियां डूब सकती हैं तो हमने उसके लिए प्रावधान किया। यह हमने तय नहीं किया था कि सारे ही बांध तोड़ दो, वह बुलडोजर का खर्चा उसके गले डाल दिया और उसके बाद वारंट निकाला जाए, उसकी वसूलियां निकालीं। इस प्रकार का आतंक फैलाकर यह कहां करने की जरूरत थी जिसमें हमारा पानी सुचारू रूप से चल रहा है, चलने देते, जहां बोटल नेक्स है, उनको तोड़ देते, बाकी सबको तोड़ने की बात कह कर क्या निर्णय लिया, मैं नहीं जानता।

अब इसी प्रकार से इच्छा शक्ति का निर्णय, केबिनेट में निर्णय हुआ कि फर्स्ट स्टेज के अन्दर जहां पानी हमारा है, 5.23 प्रतिशत जो वाटर अलाउंस है, उसे हम 3.5 प्रतिशत पर लाएंगे, यह केबिनेट का निर्णय है। लागू करने के लिए आदेश जारी हो गये, लोग आए वापस विरोध में और उसको बन्द कर दिया। यह बार बार आतंक फैलाते हो, क्यों लोगों को दौड़ाते हो। आप यह तो सोचो कि इस नहर के बारे में री-डिजाइन करने के लिए हमारे पास पैसा है? 3.5 प्रतिशत आप कैसे कर पाओगे? जब तक उसको री-डिजाइन नहीं करोगे तो आप इस नहर के अन्दर यह वाटर अलाउंस चेंज नहीं कर सकेंगे लेकिन लोगों से बात नहीं करेंगे, यहां जो कह दिया, यहां जो मीटिंग हो गई वही निर्णय लागू कर देंगे। अब यह...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं समाप्त करता हूं। इसलिए मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता इस सरकार से, पर मैं यह चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था है। जिसमें सारे ही क्षेत्र

(श्री देवीसिंह भाटी)

के लोगों का विकास हो, हम अपने पानी को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करें, बांध बनाएं, नहरें बनाएं जिससे हम हर क्षेत्र को सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। अगर वह करेंगे तभी होगा लेकिन इच्छा शक्ति इनकी तो मुझे लगती नहीं। पहले तो वह वाहवाही लूटी कि साहब जयपुर में बरामदा प्रकरण, अब जाकर देखिए बरामदे स्टेशन के सामने, आज सुबह ही मैं उतरकर आया, उन बरामदों पर वापस वही जम गये। वही आप दूसरे बाजारों में चले जाओ, वही स्थिति है। फिर निर्णय हुआ कि साहब, पोलीथिन की थैलियां बन्द-बन्द-बन्द, उन पोलीथिन की थैलियों का क्या हो रहा है? यह मैं बता रहा हूं। इच्छा शक्ति किस प्रकार कि साहब, चिकित्सा मंत्री ने ओहो, वाहवाही लूटी, फोटो खींची, कितने एड दिये कि साहब धुम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर बन्द, क्या हश्र हो रहा है? आप और हम सब जानते हैं, क्या स्थिति है क्योंकि हम तो स्वयं जानते हैं। जिस समय ये सत्ता में नहीं थे, आपके लीडर अशोकजी गहलोत, उस समय की कोटरी ने तय किया कि साहब, अब जातिवाद नहीं, अब अशोक गहलोत ठीक नहीं, अब अशोक भाई कहेंगे। अब अशोक भाई कई दिन चला। फिर क्या हुआ जोशीजी, अशोक भाई उड़ गया। वह खुद ही अशोक गहलोत लिखते हैं, दूसरे भी सारे अशोकजी गहलोत, अशोकजी गहलोत...(व्यवधान) तो यह सारी स्थिति है इसलिए मैं कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं

(15.28 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

करता पर फिर भी क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है इसलिए मैं कह रहा हूं। आप सिंचाई के बारे में बजट प्रावधान तो नहीं करोगे, यह मैं जानता हूं लेकिन कम से कम आप लोगों के बीच में जाना शुरू करो। आप अधिकारियों को और किसानों को सामने बैठाकर बात करें वह समस्या का समाधान बताएंगे, लेकिन आप नहीं सुनते, यह तो +++ हमारे जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : वह सेन्टर के 60 करोड़ तो कह दीजिए। सेन्टर के जो 60 करोड़ आते थे बी.ए.डी.पी. के वह तो कह दीजिए एक बार। सेन्टर से बन्द हो गये...।

श्री देवीसिंह भाटी : वह मेरे पास हो तो वह मैं दस्तखत कर देता, वह सेन्ट वाले पावर मेरे को दिखाओ, मैं काया पलट एक मिनट में नहीं कर दूं तो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 60 करोड़ जो आते रहे, वह तो बन्द हो गये सेन्टर से, वह तो कहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री घनश्याम जैन।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सिंचाई पर मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आभारी हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब और डाक्टर कमला जी का, उन्होंने वित्तीय संकट के बावजूद भी सिंचाई पर अच्छे प्रावधान रखे हैं। मैं आभारी हूं डाक्टर कमला जी का, जब से ये सिंचाई मंत्री बनी हैं, बनते ही इन्होंने हर सम्भाग स्तर पर सभी अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग ली और हाथों हाथ इसमें जो भी फिजिबल परियोजनाएं थीं, उनको तत्काल इसी टेबल पर स्वीकृत किया।

मैं बहुत आभारी हूं डाक्टर कमला जी का कि जिन्होंने मेरे अकेले बेगूं क्षेत्र की सात परियोजनाएं स्वीकृत कीं जिसमें तीन योजनाएं हैं, मूंझरा की 85 लाख रुपए की, आपने गत वर्ष शिलान्यास किया, दो करोड़ 17 लाख रुपए की भंवर फीबला जिसका भी आपने शिलान्यास किया और अभी–अभी खोकी की सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है, परियोजना दो करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृत की है। मैं सोचता हूं कि यह मेरे लिए गौरव की बात भी है और मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और डाक्टर कमला जी का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं।

वैसे देश की आबादी 80 प्रतिशत किसानों की है और उस नाते बिजली और पानी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों के लिए सरकार ने खूब पैसा दिया है।

मैं इस मुतल्लिक एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे अभी विश्व बैंक से पांच सौ करोड़ स्वीकृत हुए उसमें 681 लाख की मेरी भी एक ओरई की स्कीम है, 25 वर्ष पूर्व जो बांध ओरई बना था उसकी नहरें आज भी कच्ची हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि वह योजना इस विश्व बैंक की स्कीम में है, मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही इसे पूरा करवाने का कष्ट करावें।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में रूपारेल बांध जिसकी लागत आठ करोड़ थी, विगत तीन साल में पूरा हुआ और माननीय कमलाजी ने इसी वर्ष उसका शुभारम्भ अपने कर–कमलों से किया। चूंकि पहला वर्ष था उसमें कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे भिंचोर गांव के पास जमीन कंकरीली होने की वजह से उस नहर में सीपेज हो रहा है और उससे पूरा गांव प्रभावित हो रहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि उस पर्टीकुलर स्थान पर भिंचोर के आस पास की जो नहर है और कच्ची है, जो पानी का सीपेज हो रहा है उससे कई मकान, हास्पिटल, स्कूल और आबादी क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है। उसकी स्कीम भी शायद वहां से भेज दी गई है, करीब 35–40 लाख का खर्चा है, मेहरबानी करके इसके लिए आप बजट दिलाने का कष्ट करावें।

मेरे क्षेत्र में जंगल भी है, पहाड़ियां भी है लेकिन एक आराम है उसमें कि नदियां भी बहुत हैं। मेरा निवेदन है इस मुतल्लिक कि जो बाकी स्कीम्स रही हैं जैसे जलसागर, कबाड़िया खाल, धांधड़ा और पतलोई, यह

(श्री घनश्याम जैन)

चार स्कीम मेरी और उन सात स्कीमों से रह गई है, इनकी फिजीबल रिपोर्ट भी आ गई है, सर्वे भी हो चुका है, मेहरबानी करके इनके लिए आवश्यक बजट दिलाने का कष्ट करावें। कुछ पुराने बांध जिसमें ओरई, डोरई, कालादेह और मंडेसरा और कदमाली जिनमें पानी की आवक भी है, यदि उनकी क्षमता को कुछ दो-दो फीट ऊंचा कर दें तो मेरा अनुमान है कि सिंचाई उससे डेढ़ी होगी और किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।

इसके अलावा राणा प्रताप सागर से कुछ रावतभाटा क्षेत्र में सिंचाई होती है जिसकी नहरों की लम्बाई ज्यादा से ज्यादा दस-बारह किलोमीटर है, जावरा कैनाल के नाम से है, 35 वर्ष पूर्व उस नहर का निर्माण हुआ था लेकिन आज यह नहर ऐसी क्षतिग्रस्त हो गई है कि यदि उसके लिए केवल 15-20 लाख रुपए मिल जाएं तो रावतभाटा क्षेत्र की जो भी नहरें हैं जावरा तक की, मैं सोचता हूं उसके लिए बहुत पानी का उपयोग हो सकेगा। मेरे क्षेत्र में कुछ बांध ऐसे हैं, नदियां ऐसी हैं, जैसे भूजर, मेनाली और सांकड का नाका, इनमें पानी की बहुतायत है लेकिन भराव क्षेत्र वन क्षेत्र में है उसकी वजह से यह स्कीम स्वीकृत नहीं हो पा रही है। हमारे पास रेवेन्यू की बिना नाम जमीन है और रेवेन्यू विभाग से अगर तसदीक करें तो रेवेन्यू विभाग की तरफ से यह लिख कर भी शायद दिया जा सकता है कि इतनी ही बराबर जमीन हम सरेण्डर कर देंगे। अतः मेरा निवेदन है आपसे कि इन दोनों-तीनों स्कीमों पर आप राज्य सरकार से वन विभाग को लिखवाकर इन स्कीमों को स्वीकृत कराने का कष्ट करावें।

इसके अलावा मेरे यहां कई पुराने बांध हैं। मानसरोवर, नाहरगढ़, श्रीपुरा, उमरचा, धांमचा, काटूंदा का तालाब, मोरड़ा बांध, मोहना का तालाब और बांडा का तालाब, यह पुराने स्टेट टाइम के बने हुए हैं, इनसे अच्छी पिलाई होती है लेकिन वर्षों से इन पर पैसा नहीं लगने की वजह से यह जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं और अधिकतर पानी बह कर निकल जाता है। यदि इनके लिए बजट में कुछ प्रावधान रखा जाय तो मैं सोचता हूं, इससे किसानों को फायदा हो सकता है। राणा प्रताप सागर बांध जब बना तो उनके डूब विस्थापितों के लिए मध्य-प्रदेश और राजस्थान चम्बल बोर्ड ने एक पेरीफेरी रोड का निर्माण सिंचाई विभाग के माध्यम से करवाया। इसकी लम्बाई 90 किलोमीटर है। आज उसको बने हुए 20 वर्ष हो गये लेकिन उस सड़क की स्थिति यह है कि उस पर मोटर साइकिल भी नहीं जा सकती है कम से कम बीस किलोमीटर की स्थिति ऐसी है। लम्बी-लम्बी जो पुलियाएं हैं जैसे पलसार खोरी ऐसी कई नदियां हैं जिनकी पुलियाएं टूट चुकी हैं, चूंकि यह सिंचाई विभाग ने बनाई है और अभी तक पी.डब्लू.डी.

(श्री घनश्याम जैन)

को हैण्डओवर भी नहीं की गई है, सड़क की स्थिति बहुत खराब है। इस हेतु भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करावें। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, मेहरबानी करके इस सड़क के लिए भी आवश्यक बजट दिलाने का कष्ट करावें।

मेरे यहां ब्राहम्णी नदी है और उस पर श्रीपुरा के पास और सुठाला के पास यदि हम दोनों जगह बांध बना दें तो उस पर हाइडल स्कीम भी बनाई जा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि मैंने जो कुछ सुझाव रखे हैं, मेहरबानी करके इन पर अमल कराने का कष्ट करावें और माननीय कमलाजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 92 परियोजनाएं जिस पर आपने स्वीकृति अभी दिलाई उसमें यह खोखी स्कीम भी है, मेहरबानी करके इसी माह उसका शिलान्यास आपके कर-कमलों द्वारा हो, यही मेरा निवेदन है आपसे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद जी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह सदन आज सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मांग पर यहां पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, आज यहां गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और बेगूं से आने वाले सदस्य ने सिंचाई मंत्री आदरणीय डाक्टर कमलाजी की बहुत तारीफ की। काश हमारे भरतपुर और नगर क्षेत्र के लिए भी कोई कार्य आपके सिंचाई मंत्रीकाल में ऐसा किया जाता तो मैं भी आपकी इनसे ज्यादा भूरि-भूरि प्रशंसा इस सदन में कर सकता था।

डा. (श्रीमती) कमला : गुड़गांवा नहर में ला रहे हैं पानी।

मोहम्मद माहिर आजाद : गुड़गांवा नहर की अच्छा हुआ आपने याद दिला दी। सभापति महोदय, आपको भी याद होगा, माननीय सिंचाई मंत्रीजी जिस गुड़गांवा कैनाल की बात यहां कर रही हैं, पिछले साल इसी हाउस में माननीय वित्त मंत्रीजी ने आपकी सिफारिश पर एक करोड़ रुपऐ इस गुड़गांवा कैनाल की मरम्मत और सफाई करने के लिए यहां घोषित किऐ थे। मैं आपसे सभापति महोदय के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या इस पर इस एक करोड़ में से एक पैसा भी खर्च हुआ अब तक? बताइए, क्या स्थिति है? इस हाउस में घोषणा कर दी, माननीय कुंवर अरुण सिंहजी और हम लोग वहां गये, जाकर के वहां हमने इस बात का खूब प्रचार किया कि इस गुड़गावा से, हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का पानी इसलिए नहीं ले पाते हैं कि इस नहर की क्षमता इतनी नहीं है कि यह उस पानी को ले सके और उसको सम्भाल सके। अब घोषणा कर दी है, एक करोड़ से शुरूआत की है, आगे इसमें और बढ़ोतरी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

होगी और इस गुड़गांवा कैनाल की मरम्मत हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो राजस्थान के हिस्से का जो पानी है वह राजस्थान को मिल जाएगा, लेकिन वह नहीं मिल पाया। डीग एस्केप की मरम्मत हेतु अभी तक कोई राशि आपने नहीं दी। यमुना का पानी लाने की जो सारी बात थी, इंतजाम थे, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। यमुना का पानी हमारे हिस्से का हम अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या अभी-अभी हरियाणा और पंजाब से कोई समझौता इस पानी के बारे में कुछ हुआ है? हुआ है, तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी अपने उत्तर में उससे हमको अवगत कराएंगी, गुड़गांवा कैनाल पर अब तक कितनी राशि खर्च की है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो सिंचाई विभाग की पुस्तिक हमको दी है, मैं इसको देख रहा था। इसमें गुड़गांवा नहर पर तो जो 3600 लाख का प्रावधान था उसमें से 2709.72 इन्होंने मार्च, 2001 तक व्यय किया है लेकिन यमुना नहर का जो पानी लाने की बात थी... जिसका आपने 48,500 का प्रावधान रखा था और उसमें मार्च, 2001 तक केवल मात्र 30 आपने खर्च किया है। यह ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। मतलब आप अंदाज लगाइए आपकी अनुमानित लागत कितनी है और उसमें से आपने अब तक कितना खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भरतपुर जिसमें डीग और नगर का भी कुछ हिस्सा आता है, आप हरियाणा से गुड़गांवा का हमारे हिस्से का जो पानी है वह दिलवाने की मेहरबानी करें। इस नहर की मरम्मत के लिए मैंने पिछली बार भी, माननीय सभापति महोदय, कहा था कि आखिर यह कार्य जून में शुरू क्यों होता है? क्यों नहीं आप अभी अप्रैल में और मई में यह काम करा लेते? ये काम शुरू होंगे, सभापति महोदय, पांच जून के आसपास और एक फीट मिट्टी निकलेगी, थोड़ी बहुत मरम्मत होगी, 10-5 दिन में वहां पहली बरसात जब हो जाएगी तब काम रुक जाएगा, कहेंगे वापस चार फीट मिट्टी आ गयी, दो फीट मिट्टी आ गयी और लीपापोती करके उस काम को खतम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप जो सीमित साधन हैं, आर्थिक मन्दी का दौर है, पैसा सरकार के पास है नहीं, तो जितना पैसा है कम से कम उसका तो सही उपयोग हो उसका सदुपयोग हो। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर और खास करके मैं अपने नगर विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हमारे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जो चिमरवाली नहर आती है, जो रूपारेल से आती थी, अब उस रूपारेल नदी का भी पानी हमारे भरतपुर के हिस्से का जो उस वक्त के समझौते के हिसाब से हमको 55% हिस्सा मिलता था वहां भी बांध बना करके उस पानी को भी रोक दिया है। इससे पहाड़ी, कामां, सीकरी, गोपालगढ़ गुलपाड़ा, नगर कुछ डीग का हिस्सा, इसके आसपास का जो हिस्सा है वहां के किसानों के सामने भारी संकट पैदा हो गया है। काश्तकारों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। अबके भरतपुर में भी औसत से कम वर्षा हुई है। हमेशा वहां बाढ़ की स्थिति रहती थी। माननीय सभापति महोदय, पिछले दो सालों से वहां पर बारिश कम हो रही है और बाढ़ भी नहीं आई इसलिए पानी का भी बड़ा संकट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूपारेल बांध से, जो एकमात्र सिंचाई का साधन था, हमारे उसेपुर वितरिका पर और चिमरवाली नहर पर जो हमारे हिस्से का पानी है, हमको ज्यादा मत दिलाइये पर कम से कम जो हमारे हिस्से का पानी है वह तो कम से कम आप हमको दिलवाएं। इसके अलावा जयश्री और वेरू में हमारे जो दोमोरा हैं, वह पूरे क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं उसकी मोरी टूटी हुई है। पुनाय की जो पुलिया है लोग बड़े संकट से उस पर से जा रहे हैं। वहां खाली दो पाइप लग जाएं, कुलाबें लग जाएं, उसका काम हो जाए। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में भी इसकी तरफ माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आशा करता हूं और मुझे अपेक्षा है कि इस तरफ आप ध्यान देकर इसमें काम करेंगे।

एक मेरा कटौती प्रस्ताव मिसप्रिंट विधान सभा सचिवालय से हो गया यह इसमें लिख दिया गया विधान सभा क्षेत्र रूपवास। यह विधान सभा क्षेत्र रूपवास नहीं है. माननीय सिंचाई मंत्री महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है रूपवास इसलिए मैंने उसमें विधान सभा क्षेत्र नहीं लिखा था। यह रूपवास, बड़का, जटवास, कोलरी यानी गुलपाड़ा कस्बे के आसपास का जो क्षेत्र है वह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रसूलपुर है उसमें, पचलेड़ी है, भुआपुरघड़ी है, उड़कीदल्ला है, ये जो गांव हैं इनमें पहाड़ों का जो पानी आता है उससे किसानों की खेती की जमीन खराब हो जाती है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि एनीकट बना करके पानी को रोका जाए तो वह रुक सकता है इससे एक तो वह बाद में सिंचाई के काम भी आ जाएगा और जो काश्तकारों के खेत में पथरीली मिटटी आ जाती है, जो खराबा हो जाता है, जो खेत खराब हो जाते हैं उससे भी किसानों को बचाया जा सकता है। यह मेरा आपसे पुनः निवेदन है। पोखरों को खुदाई में लिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मेरे क्षेत्र के भी काफी पोखर उसमें आए हैं और खुदाई का काम किया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन उनमें अभी एक बूंद भी पानी नहीं है। हमको हरियाणा और गुड़गांवा का जो पानी पिछली बार आपने छुड़वाकर दिलवाया था, इस गर्मी के मौसम में भी आप अगर वह पानी हमको दिलवाएंगे तो वहां के लोगों को उससे बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो गुड़गांवा का पानी हमको मिले, रूपारेल से जो हमारा हिस्सा है वह हमको मिले, एक बार उस पानी से इन पोखरों में पानी मिले और ये जो क्षेत्र हमारे डूब में आ रहे हैं इनके लिए भी एनीकट बना करके कुछ काम किसानों की मदद का आप करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लाल।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज तो टाइम में बोल गया न साहब?

श्री सभापति : बिलकुल टाइम से।

श्री सांवर लाल (भिनाय): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत बड़ा भू-भाग है। हिन्दुस्तान की 10% जमीन राजस्थान के अन्तर्गत है और राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के भी विभिन्न प्रकार के साधन हैं जहां पर नदियां निकल रही हैं वहां पर बड़े-बड़े बांध बनाने की आवश्यकता है। कहीं पर छोटे स्तर पर बांध बनाए जाते हैं और कुछ एरिया अजमेर, भीलवाड़ा इस प्रकार का है जहां पर छोटे-छोटे तालाब बना करके सिंचाई की जा सकती है। सिंचाई के लिए बांध हो गया, तालाब हो गया इसके अलावा कुएं, माननीय मंत्री महोदया, इस आर्थिक समीक्षा में कुएं भी दिए हैं कि कुएं से इतना इर्रिगेशन होता है। पहला निवेदन तो मेरा यह है कि कुओं पर किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं होती है। जितने भी कुएं बने हुए हैं लगभग हर जगह निजी काश्तकारों ने कुए बनाए हैं और काश्तकार अपनी मेहनत से चाहे वह ट्यूबवैल लगाए चाहे डीजल पम्प लगाए, सिंचाई करता है और अपने राजस्थान के उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, चाहे उसको नुकसान हो या नफा हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदया ने जो फैसला लिया छोटे-छोटे जो तालाब थे पहले इर्रिगेशन में थे वह सारे तालाब पंचायतों को सम्भला दिए। अब इनका संकल्प क्या है, सोच क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है यह मैं नहीं समझ पाया हूं केवल तालाब इन्होंने सम्भलाएं हैं। तालाब टूटे-फूटे हैं, किस हालत में है तालाबों से इन्होंने सिंचाई विभाग का

(श्री सांवर लाल)

20 वर्षों का पैसा वसूल किया उसके बाद पंचायतों को सम्भलाया और पंचायतों के पास कोई फण्ड की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। जो पैसा इन्होंने वसूल किया पिछले बीस वर्षों का वह भी अपने इस विभाग में रख लिया इस वजह से हमारे जो जिले हैं, अजमेर हो चाहे टौंक हो, भीलवाड़ा, हो कई जिले हैं जहां के काश्तकार बड़े परेशान हैं। अगर तालाब टूट भी जाता है तो ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार की प्राथमिकता क्या है यह प्राथमिकता मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि इसके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिए और जो तालाब टूटे पड़े हैं उनको बरसात से पहले आप ठीक करवाइए। आप ठीक करवाएंगे और बरसात होगी तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा और किसानों को लाभ होगा तो आपकी सरकार को भी सम्बल मिलेगा। क्योंकि जब-जब बार-बार आपको यह कहना पड़ता है कि अकाल पड़ गया, लगातार तीन साल से हमारा सकल उत्पादन नहीं हो रहा है इसकी वजह से सरकार की माली हालत खराब है। अब इस हालत को आप कैसे ठीक करवाना चाहते हैं, कैसे ठीक करना चाहते हैं इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य गरदन हिला रहे हो। आपके एरिया में अलग परिस्थिति हो सकती है पर मैं जो कह रहा हूं आपके भले के लिए कह रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है। बीसलपुर बांध को आपने समुद्रतल से 311 मीटर रोका है, वह बना हुआ कम्पलीट है। जितना पैसा लगना था लग गया, अब यह सरकार 315 मीटर जो रोकना चाहिए वह नहीं रोक पा रही है। किसान यह उम्मीद वर्षों से लगाए बैठे हैं कि यह बांध का पानी पूरा रुक जाए तो हमारे खेतों में भी पानी आए। हमारे भी जीवन स्तर में कुछ सुधार हो।

मंत्री महोदया, आप सरकार पर या वित्त मंत्री पर इतना थोड़ा-बहुत प्रेशर बना कर जो डूब में आने वाले लोग हैं उन लोगों को उठाने के लिए मुआवजे की राशि की व्यवस्था नहीं करवा सकती हैं इतनी कमजोरी किस बात की है। जब आज यह पूरा बांध भर जाता तो पानी ले जाने की बातें हो रही हैं जयपुर ले जाएंगे, रायपुर और वहां तक की भी बात हो गयी और टौंक के लोग प्यासे बैठे हुए हैं उनके खेतों में पानी नहीं जा रहा है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बीसलपुर बांध को पूरा रुकवाने में आप मदद करिए और सरकार पर सौ करोड़ रुपए कोई विशेष बात नहीं है, अगर आप किसानों के बारे में कुछ सोच रखती हैं तब तो कोई खास बात नहीं है। बाकी आपकी सरकार जब-जब रही है राजस्थान में 1952

(श्री सांवर लाल)

से लगा कर आज तक हमने तो यह देखा कि आपके दिल में, इस कांग्रेस सरकार के दिल में, कभी भी किसानों के प्रति कोई भावना नहीं रही। कर्ज भी माफ नहीं किया। हासल भी माफ नहीं किया। यह सब किया हमने किया। काम करवाए हैं, तो भैरोंसिंह जी की सरकार ने करवाए। आपने तो बीस वर्षों के पैसे वसूल कर लिए छोटे-छोटे तालाबों के। पता नहीं लगातार अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है फिर भी नहीं, रिकवरी हो रही है। अब आपके आने के बाद सिंचाई विभाग में कर्मचारी खतम किए जा रहे हैं। उसमें मनमाने तरीके से भेजे जा रहे हैं। चपरासियों में भी यह कौनसी पार्टी का है चाहे सीनियरिटी है या जूनियरिटी है इसका कोई नहीं, मर्जी आए जिसको भेज दिया घर भेज दिया। पदों की कटौती अब पदों की कटौती करोगे। बरसात में तालाब टूट गये। आपके गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। आपके ए.ईएन. जे.ईएन. के पास साधन नहीं है। आप-आप कैसे तालाबों को रुकवाएंगे बरसात हो गयी, पर आपकी तो सोच यह है न कि आपके समय में अकाल ही अकाल पड़ता है। भगवान जाने इस बार कैसे बरसात हो गयी। हमारे टाइम में मूंडोती बांध बना मंत्री महोदया, आज भी लोगों का मुआवजा बाकी है। आज इतने वर्ष हो गये। आप कम से कम ये व्यवस्था तो करवाएं कि जो मुआवजा लेना चाहें उनको मुआवजा दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि थोड़ी सी बरसात अबकी बार हुई उसमें भी वह बांध फुल भर गया तो इसकी हाइट को अगर एक मीटर ऊंची आप करवा दें, तो निश्चित रूप से वहां के काश्तकार और ज्यादा लाभान्वित होंगे।

इसी प्रकार हमने दो तीन तालाब बनाने के लिये आपसे अनुरोध किया था, देवरिया, धोधली, झाड़ोल। छोटे तालाब बन जावे तो आपको भी फायदा, हमको भी फायदा और काश्तकारों को भी फायदा। सरकार के अधिकारी बैठे हैं पता नहीं वह कौनसा रेशो केलकुलेट करते हैं यह फलाना रेशो नहीं बैठा, यह फलाना नहीं बैठा। मुख्य मंत्रीजी तो कहते है खेत का पानी खेत में रोकना, गांव का पानी गांव में रोकना है और यह अधिकारी पता नहीं कौनसा रेशो लगा कर और जो भी योजना बनती है उस योजना को फेल कर देते हैं। मंत्री महोदया मेरा निवेदन यह है कि इस पर आप थोड़ा विचार कीजिए। सिंचाई के साधन बनाने के लिए अपन कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं। अगर 100 बीघा की जमीन की सिंचाई भी किसी तालाब से होती है चाहे उसकी लागत कितनी ही हो वह वर्षों तक लाभ देती है और वह लाभ देगी, तो निश्चित रूप से सरकार को भी उसका फायदा मिलेगा, सरकार को भी ताकत मिलती है। जब हिन्दुस्तान में खेती नहीं होती है तो पूरी भारत सरकार की स्थिति डावांडोल हो जाती है। सकल

(श्री सांवर लाल)

उत्पादन आपका बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको भी ताकत मिलेगी।

मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, अजगरा एक बांध है। उस बांध में पेटाकाश्त में जिन्होंने मुआवजा लिया वह मुआवजा वापस जमा करा दिया। सरकार का नियम भी है कि जो मुआवजा वापस दे देंगे उनको अस्थाई परमानेंट अलाटमेंट हो जाएगा। पर पता नहीं यह फाइलें कहां पड़ी हुई हैं, आज तक लोग चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर भी आप विचार कीजिए।

दूसरा, समुद्र में पानी जा रहा है, आज चम्बल नदी का पानी बह कर जा रहा है। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं और लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि चम्बल का पानी आप लिफ्ट योजना या किसी से लाइए। उसका पानी टौंक में आ सकता है, टौंक के बाद अजमेर में आ सकता है, अजमेर के बाद और भी कहीं जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पैसा ऐसी योजनाओं पर खर्च कीजिए जिससे काश्तकारों का फायदा हो।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : आप टौंक का नाम बार-बार ले रहे हैं।

श्री सांवर लाल : मैं आपके भले के लिये ही कह रहा हूं। क्योंकि हम देख रहे हैं 3-3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद आप कुछ नहीं करा पाए। टोंक में हालत बड़ी खराब है। लोग हमसे रोज मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे मंत्री तो अबकी बार पता नहीं कहां जाएंगे। उनकी समस्याओं के बारे में हमको कहना पड़ता है। (व्यवधान) मेरा आपसे यही अनुरोध है और जो तालाब आपने वापस पंचायतों को सम्भलाएं हैं पर आपने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। मंत्री महोदया, उन तालाबों को वापस आपके डिपार्टमेंट में लेओ या ठीक कराओ, कोई न कोई व्यवस्था कराओ। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या-46 सिंचाई पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी, सिंचाई मंत्री माननीय डाक्टर कमलाजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने करोड़ों रुपए का सिंचाई के रूप में प्रावधान रखा है। मैं राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने अमरपुरा लघु सिंचाई परियोजना, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, उसकी स्वीकृति आपने प्रदान की और इस वित्तीय वर्ष में आपने उक्त परियोजना पर काम प्रारम्भ करवा दिया है जिसकी लागत 14 करोड़ रुपए के लगभग

(श्री शंकरलाल अहारी)

है। यह शत-प्रतिशत आदिवासी क्षेत्रों में आपने जो योजना दी है हम आदिवासी क्षेत्र से चुन कर आने वाले विधायक आपका हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करते हैं कि आपने मूलभूत आदिवासी क्षेत्र की जो समस्या थी उसका निदान किया है। पानी नहीं है तो किसान अपना खेत जोत नहीं सकता। आपने हमारे लिये वह काम किया है जिसके लिए हम जीवन-जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। कुल सिंचाई का औसतन 1820 हैक्टेयर में उसकी सिंचाई होती है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेवाड़ परियोजना है उस पर आपने बहुत फुर्ती से काम प्रारम्भ करवाया। इसी क्षेत्र में हमारे वहां बांध स्थल में पानी भराव हुआ है। उस पानी भराव को देखकर हमारे किसान खुश हुए और वह क्षेत्र भी आदिवासी क्षेत्र है। राइट और लैफ्ट जो कैनाल है वह भी आपने बनवा दी हैं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, हमारे एरिया में तो कुछ नहीं बना। माननीय सिंचाई मंत्रीजी सब विकास के काम कांग्रेस-कांग्रेस वालों का ही कर रही हैं। हमने भी बहुत कहा, हमारा तो कोई हो नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : पूरे राजस्थान में हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : कौने-कौने में हो रहा है।

श्री संजीव कुमार : आपने नहीं किया नौ साल में (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई एक पैसा नहीं लग रहा। हमारे एक पैसा नहीं लग रहा है, फालतू की बात है।

श्री संजीव कुमार : आपने नहीं किया नौ साल में।

श्री संयम लोढ़ा : आप सब राजनीति से प्रेरित हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप असत्य बोल रहे हैं, एक पैसा भी नहीं लगा। हमें चुना है वह भी जनता है। माननीय सभापतिजी, वह भी जनता है जिसने हमें चुना है।

श्री सभापति : आप बिराजो। आपका समय आएगा आप बोल लेना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोलेंगे, लेकिन हमारे यहां कुछ नहीं हो रहा, कुछ निर्माण नहीं हो रहा।

श्री सभापति : आप व्यवधान न करें।

श्री शंकरलाल अहारी : यह जो काम है वह न कांग्रेस के हैं, न दूसरे के हैं। माननीय मंत्रीजी ने, माननीय सरकार ने यह बिलकुल देखा है कि किस एरिया में हमारा विकास नहीं हुआ है उस एरिया में किये हैं, फिर यह तो आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है। मेरे खयाल से तो आप सबको खुशी होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने क्षेत्र की बात कहो, नहीं तो समय चला जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा : यह उस जमात के लोग हैं जो 5000 साल से आपका शोषण कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : ठीक बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप उन बनियों में ही हो, हमारे लिये काहे को कह रहे हो। शोषण करने वाले खुद हमारे को कह रहे हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : मेरा आपसे डूंगरपुर जिले के लिए निवेदन है कि आपने पहले जो बड़े–बड़े डैम बनाएं हैं, पर जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बांध स्थलों में पानी तो भर जाएगा परन्तु जो नहरें जीर्ण–शीर्ण हो रही हैं उनसे हम पानी जिस टेल पर ले जाना चाहते हैं वह पानी नहीं ले जा पाते। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि कम से कम इस वित्तीय वर्ष में हमारी नहरों के रख–रखाव और मरम्मत के कार्य कराएं। जैसे गोरिया, बिलपुर, करावाड़ा, आकुरसुल, कात्रेसिल, वातरस, शीथल, बादल, गजपुर, मण्डी, यह सारी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में तालियादरा और शीथल दो लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में करने का प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। हमारी मांग है कि जो पानी बहकर गुजरात की तरफ चला जाता है उसको रोकना अत्यन्त आवश्यक है। मैं शुरू से आपसे निवेदन करता आ रहा हूं कि वहां ऐसे एनीकटों का निर्माण कराया जाए जिससे हमारा पानी रुक सके और किसान उन दोनों साइडों में, एनीकटों के साइडों में अपने पम्पों से सिंचाई कर सके। आपने गत वर्ष अकाल में छोटे–छोटे तालाबों का काम कराया 123 तालाब इर्रिगेशन के माध्यम से हुए जो पंचायत समिति के थे। आज जो भी पानी पड़ा वह उस तालाब में है। हम असत्य नहीं बोलते। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं हमको आप इस प्रकार के कार्यक्रम दो जिससे कि आदिवासी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके।

इसके साथ–साथ मैं आपका ध्यान माही बांध की तरफ ले जाना चाहता हूं। माही बांध द्वारा एक लघु सिंचाई परियोजना हाराखेड़ा पिक अप वीयर जाखम रिवर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उसी पिकअप वीयर से दाईं केनाल निकलती है जो आसपुर, सागवाड़ा और सीमनवा क्षेत्र के लोगों को

(16.00 बजे)

जोड़ती है। जिस नहर की लम्बाई 124.5 किलोमीटर है और 18391 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा इससे हम लोगों को उपलब्ध हो सकती है। वर्ष 1985 में

(श्री शंकरलाल अहारी)

इस नहर की लागत लगभग 100 करोड़ बताई गई थी तथा आज 366 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है। वर्ष 1985-86 में, 1988-89 के मध्य अकाल राहत एवं डी.आर.ई.जी. कार्यक्रम के अन्तर्गत 170.71 लाख रुपए इस कैनाल पर व्यय हुए हैं। तत्पश्चात् 1989-90, दिसम्बर 1999 तक 994.75 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। अब तक इस नहर पर 11 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मंत्रीजी, पिछले समय में आपका प्रवास हुआ, हम सबको आपने बुलाया। हम सभी विधायक आपके साथ में थे। उक्त नहर का आपने अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है और आपके मन में भी यह तड़पन है कि इस आदिवासी क्षेत्र में अगर यह कैनाल स्वीकृत कर दी जाती है तो शत-प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र को ही लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस आदिवासी क्षेत्र की योजना जो माही बांध से निकलती है, वह हमारी महत्वाकांक्षी योजना है इसलिए इस योजना पर आपको ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इससे कम से कम डूंगरपुर जिले की तीन पंचायत समितियां जुड़ती हैं-आसपुर, सागवाड़ा और सीमलवाड़ा। इस आदिवासी क्षेत्र में जिस ढंग से आप रात-दिन एक करके चहुंमुखी विकास की ओर हमको आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसी संदर्भ में मैं अनुरोध करते हुए यह आशा करता हूं कि इस कैनाल का काम इस सत्र में लिया जाए जिससे कि हमको लाभ मिले।

वर्तमान में वहां अकाल का समय है और इस अकाल में कैनाल की जो मिट्टी खोद रखी है उस पर अगर काम चलाएंगे तो लोगों को राहत भी मिलेगी और उस कैनाल से हमको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मैं इन्हीं बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान दिलाता हुआ यह अनुरोध करूंगा कि पुनः आप डूंगरपुर में पधारें। आपने जो योजना दी है उसका निरीक्षण करें और अपने हाथ से उद्घाटन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : डाक्टर रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 में शामिल होने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, लगातार दो-तीन साल से, सिंचाई मंत्रीजी, मैं आपको भाखड़ा सिस्टम की सार्दुल ब्रांच की कैपेसिटी रिवाइज करने के बारे में आपका ध्यान भी आकर्षित किया और सवाल भी पूछे हैं। सवाल का जवाब आप

(श्री रामप्रताप)

थोड़ा सा खुद देखा करो, यह अधिकारी लोग गड़बड़ कर देते हैं। मैं उदाहण के तौर पर पिछले बजट सत्र के इसकी कैपेसिटी के बारे में सवाल पूछा इत्तफाक से अतारांकित भी लग गया और तारांकित भी लग गया। अतारांकित का जो जवाब दिया कैपेसिटी के बारे में, मैं उसका थोड़ा सा आपको पढ़ कर सुनाता हूं कि क्या सरकार का उक्त शाखा की क्षमता संशोधित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? इसमें जवाब मिला जी नहीं। उक्त नहर में वांछित अतिरिक्त 52.76 क्यूसैक्स क्षमता नहर की निर्धारित कुल क्षमता 1245 क्यूसैक्स का मात्र लगभग 4 परसेंट है। इसलिए इस बढ़ी हुई मात्रा को इस नहर में सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यह तो है आपका 18.4 का जवाब।

दूसरा, मेरे पास तारांकित है यह 22.5 का है इसमें है कि क्या सरकार द्वारा भाखड़ा नहर की आधुनिकीकरण की योजना का तखमीना केन्द्रीय जल आयोग को भिजवा दिया गया है? यदि हां, तो तखमीना की प्रति सदन की मेज पर रखें। इन्होंने कहा है कि भिजवा दिया है।

दूसरा, मैंने पूछा कि क्या तखमीने में सार्दुल ब्रांच की क्षमता को संशोधित किया गया है? यदि हां तो कितनी क्षमता का प्रावधान रखा गया है? तब यह फरमाते हैं, एक महीने बाद में कि जी हां। संशोधित अनुमान में सार्दुल ब्रांच की क्षमता 1422 की स्वीकृत हुई। मतलब एक महीने के अन्तर में दो इस किस्म की इतनी महत्वपूर्ण योजना के जवाब इसलिए थोड़ा सा आप इसको देख लें। मेरा दूसरा निवेदन आपसे एक और है कि सार्दुल ब्रांच की क्षमता 75 में तय की गई थी उसके बाद में इसमें पी.एच.ई.डी. सिस्टम, इण्डस्ट्रियल एरिया है दूसरा आपका कमाण्ड क्षेत्र भी शामिल हुआ। इसके साथ लोसेज भी कम दिये गये। यह शायद आपने शामिल कर के 1422 का इसको दुबारा बनाया।

लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह और है कि रावी व्यास के सरप्लस पानी में से 21 एम. एफ. जो भाखड़ा सिस्टम को दिया गया, उस वक्त में .21 एम.एफ. भाखड़ा का दिया और .33 एम.एफ. गंग कैनाल को दिया। इन दोनों सिस्टम को जो पानी दिया गया था यह इनकी कैपेसिटी में शामिल नहीं किया गया था। अब जब गंग कैनाल का माडर्नाइजेशन हुआ तो उसमें तो उसको शामिल करके उसकी कैपेसिटी, आपको जानकारी है 2700 समथिंग थी जिसको बढ़ा कर 3000 किया। उसका आधार है .33 एम.एफ. है। उसको शामिल करने की वजह से है। माननीय सभापति महोदय, माडर्नाइजेशन है वह सिस्टम का कोई सिर्फ सीमेंट और ईंट लगाने से नहीं होता। माडर्नाइजेशन का मतलब आज की तारीख में जब

(श्री रामप्रताप)

हाइब्रिड सीड्स आ गये हैं तो सायल का, क्रोप का और पानी का बहुत ही तगड़ा रिलेशन है। अगर आप पानी इसको सही समय पर नहीं देओगे तो यील्ड पर बड़ा भारी असर पड़ता है। अब सारे सिस्टम को एक साथ अगर आप पानी देना चाहते हैं, पहली बात तो पानी नहीं है लेकिन खुदा न खास्ता आपको पानी मिल भी जाए, तो आपका केरियर चैनल है वह इस क्षमता में भी नहीं है कि पूरा पानी ले ले, तो फिर आगे आप पानी देओगे कहां से। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं है, आप इसका तखमीना बना करके दुबारा भिजवाएं। उस वक्त में कम से कम गंग कैनाल का जो पेंटर्न लिया गया जिसमें 33 एम.एफ. शामिल किया गया है उसी आधार पर क्योंकि सेम सायल कण्डीशन है, सेम क्लाइमेटिक कण्डीशन है, सारा कुछ है, तो इसको उसी तरीके से किया जाए। क्योंकि अगर इसकी कैपेसिटी रिवाइज प्रोपरली नहीं हुई तो उसके बाद में सिंचाई के आंकड़े तो आप बुक कर लोगे लेकिन उसकी उपज में लाभ नहीं मिलेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, पिछली दफा मैने साउथ घग्घर कैनाल का जिक्र किया था। यह मामला आपके 1982 में जो एग्रीमेंट हुआ था नोहर और सिद्धमुख कैनाल का, उससे रिलेटेड है। उसमें जब यह नोहर और सिद्धमुख दोनों बन जाएगी तो उनको पानी साउथ घग्घर कैनाल और खारा सब ब्रांच का मिलेगा और इन दोनों सिस्टम को आई.जी.एन.पी. में शामिल कर लिया जाएगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है पिछली दफा भी मैंने आपसे कहा था और आपने इस बात को एप्रीशिएट भी किया था। मैंने पर्ची के माध्यम से इसको उठाया था कि जितना भी एरिया आपने आई.जी.एन.पी. में शामिल किया है जब उसको आपने वाटर अलाउंस एट पार किया आई.जी.एन.पी. के तो इस एस.जी.सी. ने ऐसा कौनसा गुनाह किया है कि इसको उसके बराबर नहीं रखें। सिंचाई मंत्रीजी, आज की तारीख में फर्स्ट स्टेज में जितना भी एरिया है उसमें सिर्फ यह साउथ घग्घर कैनाल एक ऐसा है इस समय जिसका वाटर अलाउंस 2.4 है और दूसरे जो पूर्व में मैंने आपको बताया जिस तरीके से नोर्थ घग्घर कैनाल का एरिया शामिल किया गया उसका वाटर अलाउंस 5.23 किया गया। इसी तरीके से आपके राठीखेड़ा माइनर का सृजन किया गया उसका भी इतना ही किया गया। इसी तरीके से आई.जी.एन.पी. के डाइरेक्ट आउट लेट्स थे, वह भाखड़ा का एरिया था किसी वक्त में उसको शामिल किया तो उसको भी एट पार किया गया। इसी तरीके से भाखड़ा और गंग कैनाल का क्षेत्र जितना भी आई.जी. एन.पी. में गया उसको भी 5.23 दिया गया। फिर इसको क्यों 2.4 दिया

(श्री रामप्रताप)

जा रहा है। यहां तक, माननीय सभापति महोदय, दो सिस्टम जो शामिल किये गये हैं इनमें भी खारा सब ब्रांच है उसका वाटर अलाउंस 3.55 है। इसलिए इसका इतना कम होना जबकि सारा कुछ एक जैसी जमीन है, सब कुछ एक जैसा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अधिकारियों से रिपोर्ट तो मांगी लेकिन शायद वह रिपोर्ट आपको सही नहीं मिली। मैं, सिंचाई मंत्रीजी, यह दो-तीन लाइन पढ़ना चाहता था अगर आप इधर आ जाएं तो...(व्यवधान) यह सुनने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति : आपने पहले भी बताया, उसकी जानकारी करने के लिए गए हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : नहीं, नहीं साहब, यह एग्रीमेंट है इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। इसलिए उनकी तवज्जह आपके माध्यम से चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने जो पाइंट उठाया था, उसी की जानकारी करने के लिए गई है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं इनको समझा दूंगा। वह जानकारी गलत दे रही थीं, यही तो रोड़ा पड़ रहा है न। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप चालू रखिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं इसकी इंटरप्रिटेशन निवेदन करना चाहता हूं। आप वहां पर खड़ी हैं, फिर मेरी बात का फायदा क्या होगा। (व्यवधान) इतने में दूसरी बोल लेता हूं, लेकिन दूसरी बोलूंगा वह भी इसी किस्म की है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : वह यहां पर आकर बैठा जाएं, तब बोलना आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : नैचुरली यही बात है। जब इतना इम्पोरटेंट मसला मैं कह रहा हूं और उसमें आपकी तवज्जह नहीं है तो फिर फायदा क्या होगा? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपकी तवज्जह भी चाहूंगा। मैं 82 के एग्रीमेंट का, जो इर्रिगेशन सैक्रेटरी, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने फैसला दिया था उसकी चार पांच लाइन पढ़कर सुनाता हूं। आपसे विशेष आग्रह है कि आप अधिकारियों से नहीं पूछकर यह चार पांच लाइन अकेले में पढ़ना, इस पर मनन करना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में कितना तथ्य है। सभापति महोदय, "The Bhakhara areas of Rajasthan now being served by South Ghaghar Canal & Jhandwala Distributory should be transferred to Rajasthan Feeder and this water thus saved be diverted to Nohar-Sidhmukh area via Fatehabad Branch and

(श्री रामप्रताप)

Kishangarh sub branch and Bharwal Distributory by modeling the system to convey. .30 MAF at Nangal at the capacity-factor for the Bhakhara system.'' इसलिए मैं दो बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं। मैंने जैसा ऊपर निवेदन किया कि भाखड़ा एरियाज, इसमें पानी का मुद्दा नहीं है, सिंचाई मंत्रीजी, इसमें भाखड़ा एरिया का है। एरिया का मतलब है- सिंचित क्षेत्र। जब सिंचित क्षेत्र-The Bhakhara areas of Rajasthan now being served by this system should be transferred. एरिया ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब सिंचित क्षेत्रफल ट्रांसफर हुआ न कि उसका वाटर अलाउंस वैसा रहेगा। जब आपने एरिया ट्रांसफर कर दिया तो उस हिसाब से उसका वाटर अलाउंस भी वही होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपकी तवज्जह फिर चाहूंगा कि जो नोहर और सिद्धमुख है उसमें इन्होंने एरिया नहीं लिखा है। इसमें इन्होंने नीचे लिखा है कि .30 MAF at Nangal at the capacity factor... यहां पर कैपेसिटी फैक्टर का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां तो आप कैपेसिटी फैक्टर के हिसाब से रखें। लेकिन यहां पर एरिया ट्रांसफर हुआ है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुद इस बात को देखकर, अकेले में बैठकर मनन करें, निश्चित तौर पर आप मेरी बात पर इत्तफाक करेंगी तो इस क्षेत्र के किसानों के साथ न्याय होगा।

सभापति महोदय, पिछली दफा ओटू की चर्चा आई थी बजट के टाइम में, चर्चा में जवाब देते वक्त शायद यह कहा था, अगर मैं गलती करूं तो आप दुरुस्त करेंगी, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जब आप जवाब दें तो कम से कम आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आया आप सुप्रीम कोर्ट में गए? और गए तो आज की तारीख में उस केस की क्या स्थिति है? आप निश्चित तौर पर यह बताएं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : किस सम्बन्ध में? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह ओटू वीयर की जब क्षमता बढ़ा दी, हरियाणा हाईकोर्ट में गए। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में, उसके बाद में जब हम लूज कर गए तब आपने फरमाया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हम किस स्थिति में बैठे हैं, आप यह जवाब के समय बताएं।

सभापति महोदय, यह घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र का जिक्र है। सिंचाई मंत्रीजी, कोई भी चीज, जैसे लम्बाई है, तो उसको गज, फीट में रखें। अगर कोई स्क्वायर है, तो उसको इतने स्क्वायर मीटर कहेंगे, लेकिन यह बड़ी विचित्र स्थिति कहेंगे कि घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र है उसकी चौड़ाई है वह बीघा में नाप रहे हैं, हमें गज में, फीट में नापना चाहिए। हम 150 फीट

(श्री रामप्रताप)

चौड़ा रखना चाहते हैं, 500 फीट चौड़ा रखना चाहते हैं, तो यह तो मिसनोमर शुरू से ही हो गया। सभापति महोदय, एक चीज हैड रीच पर भी उतनी चौड़ी है और 150 किलोमीटर जाकर टेल रीच पर जाकर भी उतनी ही चौड़ी होगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप इस फैसले से और इस कार्यवाही से कतई संतुष्ट नहीं हैं। हर साल वहां पर काश्तकारों के साथ झगड़ा होता है। आप डोजर ले जाकर पहुंच जाते हैं और उनके डोले तोड़ते हैं, उनकी बाहरियां काटते हो, पुलिस कैसेज होते हैं। इसलिए इससे बेहतर यह होगा कि माननीय न्यायालय का पूरा मान-सम्मान करते हुए आप अच्छे वकील से राय लेकर इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि इतनी वीड्थ की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इसकी थोड़ी सी खुदाई कर दोंगे तो पानी की बेलोसिटी ज्यादा होने से कई गुणा पानी इससे निकाल सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम इतना गम्भीर विषय है थोड़ा ध्यान से सुनकर इस पर निश्चित तौर से कार्यवाही करेंगी, अगर मैं सही हूं तो। कार्यवाही की मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि यह पूरे राजस्थान में सिंचाई महकमे में सेलुटिंग इफेक्ट देगा और काश्तकार की आत्मा को शांति मिलेगी। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास भी गैजेज हैं, 10 दिन की गैजेज है जिसके अन्दर सैकण्ड स्टेज के लिए पानी दिया गया है। पानी की मात्रा दस दिन के लिए तय की गई है और उसके बाद में उतना पानी आगे छोड़ना है, इसका कंट्रोल चीफ इंजीनियर (नोर्थ) करता है। चीफ इंजीनियर (नोर्थ) ने 25.7.2001 से लेकर बीच-बीच में, 31.7.2001 तक की मेरे पास गैजेज हैं। आपके महकमे के मेरे पास कागज हैं, मेरी तरफ से नहीं बनाए हुए हैं। 3700 क्यूसेक्स इंडेंट था उसके अगेंस्ट में 3930, 4065, 4300, 4300, 4332 और यहां तक कि 4580 क्यूसेक्स पानी भी बिरधवाल से डाउन स्ट्रीम में दिया 3700 इंडेंट के अगेंस्ट में, 3700 और 4500 मतलब 800 क्यूसेक्स से भी ज्यादा पानी। मंत्री महोदय, 800 क्यूसेक्स पानी का मतलब क्या होता है? यानि की 3 लाख 20 हजार एकड़ सी.सी.ए. का पानी आपने बिना जरूरत के आगे बहाया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और कोई अपराध नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, अगर इस केस में भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, मेरे खयाल से आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह पानी राजस्थान में चाहे जैसलमेर में काम आता है, चाहे बाड़मेर में काम आता है, वह हमारे भाई हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इंडेंट के अगेंस्ट वहां से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वाटर

(श्री रामप्रताप)

मैनेजमेंट के उसने बाकायदा कैनालवाइज दिए हैं कि हमें 3700 के इंडेंट से ज्यादा पानी नहीं दिया जाए, बावजूद इसके पानी चीफ इंजीनियर (नोर्थ) ने डाउन स्ट्रीम में छोड़ा। आपकी इजाजत से मैं उसको कैनालवाइज पढ़कर सुनाता हूं

"From Executive Engineer, Water Mangement, Chhatargarh to C.E., Irrigation (North), Hanumangarh.

Information: Executive Engineer, Feeder Division, Hanumangarh and C.E. Irrigation, CAD-IGNP, Bikaner." उसमें लिखा है।

"The excess releases more then indent are being released down stream R.D. 243. On 19th, 20th and 21th July at 6 a.m. the water released 4065 cusecs, 4065 cusecs and 4300 cusecs respectively. Kindly release only indented supply down stream R.D. 243 as 3700 cusecs."

माननीय सभापति महोदय, वहां से बार-बार कैनाल वेयर आ रहे हैं और यहां पर इंडेंट जो सप्लाई है उससे ज्यादा पानी वहां बरबाद किया जा रहा है। बरबाद करने के बाद, अगर कहीं जरूरत नहीं है तो बरबाद भी कर दो। यह साथ में जो गैजेज हैं...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप बरबाद कैसे कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : बरबाद कैसे किया जा रहा है? (व्यवधान) पानी हो तो, लोगों की फसल सूख गई, पानी कैसे बरबाद किया जा रहा है? (व्यवधान) आप कैसे कह रहे हो कि पानी बरबाद कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : बरबादी का जरा एक्सप्लेन करें कि क्या बरबाद हो गया। अगर हमने पानी इंडेंट से ज्यादा लेकर किसी एरिया में दिया है तो बरबादी कहां हुई। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पानी पीने को नहीं है, आप बरबादी की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। सैकण्ड फैज में पानी बरबाद हो गया, हाउस में ऐसा बयान दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : ऐसी बात है, कल्ला साहब को तो मैं खड़ा होता हूं उसी वक्त रोळा पड़ता है। मेरा आग्रह यह है कि मैं कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मिसलीड न करें। किसी ने इंडेंट किया, एक्स.ईएन. ने, डाउन स्ट्रीम में पानी कहां है आप मुझे यह बताइये, पानी बताइये न। आप कह रहे हैं कि पानी एक्सेज छोड़ा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार का पानी मर गया...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आपका मरा हुआ था। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, अगर मेरे यह डाकुमैंट फाल्स हैं तो I should be hanged. और अगर यह सही है तो either the Chief Engineer is at fault.

डा. (श्रीमती) कमला : देखिए, आप जो कह रहे हैं कि इंडेंट से ज्यादा ड्रा किया, वह हो सकता है। लेकिन बरबादी हो गई, उसमें थोड़ा बताएं कि क्या बरबादी हुई। अगर हम कम ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपने ज्यादा क्यों ले लिया। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आप थोड़ी सी तवज्जह दे दीजिए। मैं आपको बैठकर समझा देता हूं। पानी का मामला है, सैकण्ड स्टेज...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप बरबादी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : सुना आप। इंडेंट जब होता है तो पीछे से जितना पानी आता है उसमें सैकण्ड स्टेज के लिए वहां से चीफ इंजीनियर, एक्स.ईएन. और वाटर मैनेजमेंट बैठकर तय करता है कि हमें 10-20 दिन के लिए इतना क्यूसेक्स पानी रोजाना चाहिए। उस हिसाब से सैकण्ड स्टेज के इंजीनियर्स ने 3700 क्यूसेक्स रोजाना पानी मांगा और 3700 के अगेंस्ट में चीफ इंजीनियर (नार्थ) ने 8900 से लेकर 4300 यह सारे इसमें लिखे हुए हैं इतना पानी दिया, इतना पानी देने के बाद में वहां से फर्स्ट स्टेज के किसी एक्स.ईएन. ने, कोई कैनालवेयर नहीं दिया है। वहां का जो वाटर मैनेजमेंट का एक्स.ईएन. है वह लिखता है कि हमें इंडेंट से ज्यादा सप्लाई नहीं चाहिए, हम लेने की स्थिति में नहीं हैं। यह तार अगर गलत है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें न आप। अगर सही है, तो उस चीफ इंजीनियर को...

डा. (श्रीमती) कमला : हम उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करके हम इस बात को देख रहे हैं कि अगर किसी समय में हमें पानी ज्यादा मिल रहा है तो वह पानी हमें अगर ऊपर के स्ट्राटा में नहीं चाहिए, तो हम नीचे के इलाके में उसको सप्लाई करेंगे। चाहे हमारा अधिकारी इस हिसाब से कम मांग रहा होगा कि हमेशा उनको इतना ही मिलता रहा है।

श्री रामप्रताप : आपने इसको फालो नहीं किया।

डा. (श्रीमती) कमला : मुझे मालूम है, इस बात की जानकारी है, मैं बताऊंगी आपको मैं रिप्लाई में बताऊंगी आपको।

श्री रामप्रताप : तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

डा. (श्रीमती) कमला : I am very much aware of this fact.

श्री रामप्रताप : आप फालो नहीं कर रही हैं, मैडम। मैं यह कह रहा हूं कि उसके पास पानी लेने की क्षमता नहीं है, सिल्ट्रेट आफ मैटर है आगे। और 3700 से ज्यादा पानी वह ले नहीं रहा है। मुद्दा यह है। या तो वह गलत है तो उसके खिलाफ करिए आप। यह आपका डाकुमेंट है, यह डिपार्टमेंट का कैनाल वेयर है। अगर यह सही है, तो चीफ इंजीनियर (नार्थ) के खिलाफ कार्यवाही हो। इसमें लम्बी चौड़ी बात कहां है। अगर डाउन का स्ट्राटा आपका पानी लेता है तो It is well and good. लेकिन वह पानी ले नहीं रहे हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माफ कीजिए, डाक्टर साहब, क्षमा करें मुझे इस बात पर। फर्स्ट स्टेज पर आज भी 5.23 क्यूसेक्स पानी ले रहा है, कैबिनेट के डिसीजन के बाद भी। आप मंत्री महोदय को फोर्स करके पानी ले रहे हैं। अब केबिनेट ने फैसला किया कि आपका वाटर अलाउंसेज 3.5 होगा...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : एक तो, सभापति महोदय, यह मुद्दा कहां से मेरे से रिलेटेड है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप 3.5 वाटर अलाउंसेज से ज्यादा 5.23 वाटर अलाउंसेज पर पानी ले रहे हैं आज भी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : फिर भी आप हमें कह रहे हैं...(व्यवधान) आपने कैबिनेट के फैसले के बाद, आपने मंत्री महोदय को प्रेशर करके 5.23 वाटर अलाउंस का पानी ले रहे हैं। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आप मेरे पर गलत आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान) आप मेरे पर गलत इलजाम लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप पानी कम नहीं कर रहे हैं...(व्यवधान) हमारा पानी...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक मिनट बिराजिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप हाउस को मिसलीड कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मेरे पास तो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का रिकार्ड है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मेरे सामने आप किसी टाइम पर आ जाना। मेरे को असत्य बोलने की आदत नहीं है। यह रिकार्ड गलत है मैं इसको फाड़ कर फैंकता हूं। (व्यवधान) या तो आप एक्स.ईएन. के खिलाफ कार्यवाही करिए या चीफ इंजीनियर (नार्थ) के खिलाफ कार्यवाही करिए। यह मैं टेबल करता हूं इस हाउस के अन्दर।

डा. (श्रीमती) कमला : आपके इस रिकार्ड को देने से कार्यवाही नहीं करूंगी। हमें उसकी जरूरत थी या नहीं, इस फैक्ट को सामने रखते हुए कार्यवाही करेंगे।

श्री रामप्रताप : आप कार्यवाही नहीं करेंगी...(व्यवधान) आपको फैक्ट्स की... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : और जो आप आन्दोलन करके, घेराव करके मुख्य अभियन्ताओं से जबरदस्ती लिखाते हो कि बजाय 3.5 के हमें 5.23 देने के लिए लिखो, नहीं तो हम घेराव से बरी नहीं करेंगे, यह सही नहीं है।

श्री रामप्रताप : यह आपकी जानकारी में नहीं है, यह जितना एजीटेशन हुआ उस श्रीमान् की वजह से हुआ और उसके जाने के बाद में अगर क्राइसिस हैं ज्यादा तो भी मेनेज हो रहे हैं और यह उसी की कारस्तानी है। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मुझे लगता है आपको निजी रूप से कहीं कोई नहीं चोट आयी है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : नहीं, नहीं, मैं सबसे ज्यादा फेन था उस आदमी का। यह आपको जानकारी और दे दूं। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): वह हकीकत में गया-बीता इन्सान था। उसने काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बिलकुल हकीकत है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह जन-प्रतिनिधि, यह पीलीबंगा से और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य everybody was so much angry with that Chief Engineer. (व्यवधान) वह किसी की सुनता नहीं है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उसने काश्तकारों का गला घोंटा है और उनके साथ बहुत अन्याय किया है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभी पक्ष के लोग नाराज हैं, क्योंकि वह पानी होते हुए व्यवस्था सही नहीं करता था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो स्वयं मंत्री रहे हुए हैं इस विभाग के और आपको सब ज्ञान है, आप बिराजो। (व्यवधान) आप बिराजो। उनको कह लेने दो। (व्यवधान) अपको तो बहुत ज्ञान है।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, इसलिये तो मैं बता रहा हूं, मेरी बात को समझिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आप इतनी बड़ी गलती को फालो नहीं कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : दो में जब फैसला नहीं हो तब तीसरा पक्ष बनकर मैं फैसला कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को पूरी बात कह लेने दें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, आप अपनी बात कह दें...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं मेरी बात कह रहा हूं (व्यवधान) और अगर यह पूरा सदन, जो सर्वोच्च सदन है, वह नहीं समझ रहा है तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट, (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। आप मेरी बात सुन लें, आप सुनिए पहले। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : हां? (व्यवधान) हां, बोलो न आप।

श्री सभापति : हां, क्या? मैं कह रहा हूं आप जो बात कहेंगे, मंत्री महोदया अपने उत्तर के अन्दर पूरा जवाब दे देंगी।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को समझ में नहीं आ रहा है तो जवाब कैसे देंगी।

श्री सभापति : आपस के अन्दर आप विवाद में न पड़ें। (व्यवधान) आपकी भावनाएं भी सदन में अच्छी तरह आ जाएंगी और बात का उत्तर भी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मेरी भावनाएं आएं या नहीं आएं, मुद्दा इस चीज का नहीं है, गलत बात को मैं सहन नहीं करूंगा। फैसला आपके हाथ में है, आप सरकार हो, रब हो लेकिन ये गेजेज बोल रहे हैं जो सैकण्ड स्टेज के इंजीनियर्स ने दी हैं। और उसके बाद सैकण्ड स्टेज में चीफ इंजीनियर (नार्थ) ने ज्यादा पानी छोड़ा है। ये डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं और ज्यादा छोड़ने की वजह से वहां सैकण्ड स्टेज के एक्स.ईएन. ने यह कैनाल वेयर्स दी हैं, मेरी कैनाल वेयर से नहीं दी हैं। इसको भी आप एप्रिशिएट नहीं कर रही हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे को कह रही हैं आप दबाव दे रहे हो।

श्री देवीसिंह भाटी : इसका एक ही इलाज है कि सिंचाई मंत्रीजी, लोगों के बीच में जाएं, उस क्षेत्र में घूमें। वह नहीं कर रहे हैं, सिंचाई मंत्रीजी, आप। इसलिए ये समस्याएं आती हैं।

श्री रामप्रताप : आपको तो जानकारी नहीं है इस बात की। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आपसे तो ज्यादा ही घूमती रहती हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर यह समस्या खड़ी नहीं होती।

डा. (श्रीमती) कमला : आप तो समस्या खड़ी करने के लिए ही निरन्तर सचेत रहते हैं।

श्री रामप्रताप : हां, सचेत रहते हैं तो यह...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हां, मैं तो करता हूं और समाधान भी करवा लेता हूं। (व्यवधान) सारे जन-प्रतिनिधि उस मीटिंग में आये थे, सी.ए.डी. कमिश्नर के वहां

(श्री देवीसिंह भाटी)

उस वाटर रेगुलेशन कमेटी में, सारे के सारे नाराज थे कोई पार्टी या पक्ष का कारण नहीं था। वह किसान की बात कर रहे थे। सिस्टम की बात कर रहे थे। पानी होते हुए भी सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना...

श्री रामप्रताप : पानी नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजो।

श्री देवीसिंह भाटी : हम रोना रो रहे हैं, वह भी रोने नहीं दोगे आप।

श्री रामप्रताप : हां, देखो तो सही।

श्री देवीसिंह भाटी : हमें पता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।

श्री सभापति : आपकी बात सुन ली।

श्री रामप्रताप : मुझे पूरा यकीन है, सभापति महोदय, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आप ध्यान से सुन लेना, आप इस आदमी को प्रोजेक्ट कर रही हैं, बिलकुल गलत कर रही हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मैं किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूं। न मैंने कभी किया है। लेकिन मैंने आपसे जो कहा वह भी सुनिए...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : इससे बड़ा सबूत मेरे पास नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह रिकार्ड है, इस रिकार्ड को आप कैसे झुठला सकती हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मैंने आपसे कहा कि वह सुनिए।

श्री रामप्रताप : मैंने सुन लिया।

डा. (श्रीमती) कमला : चीफ इंजीनियर ने अपने बिहाफ पर किया है या गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर किया है, यह देख करके ही फैसला होगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैंने अच्छी तरह से सुन लिया। यह आपके समझ में नहीं आएगा। (व्यवधान) यह जब तक आपके समझ में नहीं आएगा आपको इस तरह से गुमराह करते रहेंगे। मै दूसरा आपको उदाहरण दे दूं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप तो चीफ इंजीनियर के बाबत दुःखी हैं, न कि आप उसके एक्शन के बारे में... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई चचेरा भाई नहीं आया उसकी जगह।

डा. (श्रीमती) कमला : तो फिर क्या?

श्री रामप्रताप : मैं सिस्टम की बात कह रहा हूं। (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाह रही हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : आप सुनना चाह रहे हैं। मैं कह रही हूं चीफ इंजीनियर ने यह काम अपने लेवल से किया है या गवर्नमेंट के डायरेक्शन से किया है यह देखने के बाद ही फैसला होगा कि उसने गलती की है, या ठीक किया। यह कह रही हूं मैं।

श्री रामप्रताप : ठीक है। लेकिन आप बात बताओ, यह क्या है?

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, सी.ए.डी. कमिश्नर के वहां वाटर रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई, सारा रेगुलेशन तय हो गया, अनूपगढ़ शाखा सैकण्ड प्रायोरिटी में थी उसका पानी काट कर पूल को दे दिया। अनूपगढ़ शाखा वालों ने हैड पर जाकर कब्जा किया तो वह उसमें पानी चला गया और वह सूरतगढ़ ब्रांच का काट लिया। वहां वालों ने रौळा किया तो जाकर के वह रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी के सिस्टम में पानी काट लिया। यह किस ने किया, यह आन रिकार्ड है। जो रेगुलेशन तय होता है उस पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है।

श्री रामप्रताप : अगर ये रिकार्ड को समझें तो न, रिकार्ड को समझते ही नहीं हैं। यह अगर आप समझते हों, तो एक और सुन लीजिए। गंग कैनाल का लिंक चैनल इतना डिस्टर्ब रहा जिसका अन्दाज नहीं है, सभापति महोदय, और लिंक चैनल ब्रीच हो गया। मैं इस चीज की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं किस वजह से हुआ, यह एक जांच का विषय है। ब्रीच होने के बाद में उस सज्जन की वजह से, आपने जब मुझे इस बात के लिए उत्तेजित किया तब मैं इस बात पर जा रहा हूं। मुझे तो यह भी पता है कि आप करने वाले कुछ नहीं हैं लेकिन इस सर्वोच्च सदन को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस आदमी की वजह से ब्रीच होने के बाद में जब्र उसको प्लक किया गया उसने धीरे-धीरे इस तरीके से पानी रिलीजेज किए, शायद वह नार्म्स के हिसाब से सही होंगे लेकिन 1500 क्यूसेक्स के ऊपर आकर वह खड़ा हो गया। पानी चाहिए 1800 क्यूसेक्स, 10 दिन उस पीक लेवल पर पानी नहीं मिला, वह किसी वजह से नहीं मिला होगा उसमें चीफ इंजीनियर का दोष नहीं है। लेकिन 1500 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी उस आदमी ने बढ़ाया और 1800 क्यूसेक्स के लिये जब वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस.ई. ने कहा तो उनको बुला करके श्रीमानजी फरमाते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : उसकी तो ए.सी.डी. में जांच होगी।

श्री रामप्रताप : आप सुनो मेरी बात। उनको फरमाते हैं कि मुझे लिखित में दो कि 1800 क्यूसेक्स पानी चलेगा तो यह कैनाल ब्रीच नहीं होगी। उस श्रीमान् से कोई पूछने वाला हो, लिखित में अगर

(श्री रामप्रताप)

नहीं दो तो उस एस.ई. और एक्स.ईएन. की ड्यूटी नहीं है क्या ब्रीच होती तो वह उसकी जिम्मेदारी नहीं है? इस बात के लिये 3 दिन तक उसने पानी रोके रखा और उसके बाद में 1800 क्यूसेक्स पानी दिया। पर उन लोगों ने समझाया उसको चीफ साहब यह हमारी ड्यूटी, लिखित में हो कि नहीं हो, हमारी ड्यूटी बनती है। यह आप देख लेना कि कितने दिन तक पानी उसने नहीं दिया, उस टाइम में जब पहला पानी गेहूं को चाहिए और आप कह रहे हो, मैं देखूंगी।

डा. (श्रीमती) कमला : उसके लिए तो ए.सी.डी. में जांच होगी न।

श्री रामप्रताप : अब यह भी कोई देखने की बात है। सभापति महोदय, यह एक ले-मेन इस बात को समझता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आप 3 साल तक इर्रिगेशन मिनिस्टर रहीं, माननीय देवीसिंहजी कह रहे हैं उस बात को भी आप रिफ्यूज कर रही हैं। फील्ड में आप गयी कहां, और गयीं, जाने के बाद में भी इस चीज को आप फालो नहीं कर रही हैं तो गयीं, नहीं गयीं, एक बराबर है। क्या फायदा हुआ। क्या हुआ इससे। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : फालो करना, आप जो आपत्ति लगा रहे हैं उसकी ए.सी.डी. में जांच चल रही है। (व्यवधान) ए.सी.डी. में जांच दे रखी है उसके बाद आप इस तरह की बात बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, इसकी भी जांच होगी?

डा. (श्रीमती) कमला : यानि कोई कार्यवाही नहीं कर रही हूं, इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : यह डाकुमेंटरी प्रूफ है। इस आदमी के खिलाफ डिपार्टमेंटली उसी वक्त कार्यवाही होनी चाहिए थी। आप आगे की कार्यवाही बाद में कर देते। आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? A.C.D. is a different thing. आपके विभागीय कार्यवाही क्या हो रही है उसके अन्दर? सभापति महोदय, मैंने मेरा इतना समय जाया किया, मेरा बीच में टाइम डिस्टर्ब हुआ, मैं मेरी बात को, गंग कैनाल को नहीं कहूंगा, तो मैं शायद अपने कर्तव्य से विमुख होऊंगा।

श्री सभापति : आप कह सकते हैं, आपको रोक नहीं है पर समय सीमा का भी ध्यान रखिए।

श्री रामप्रताप : सीमा घनी है, सीमा की चौकस रखते हैं। अब एक इर्रिगेशन मिनिस्टर, उनका डिपार्टमैंट अगर डाकुमैंट की ओथेंटिसिटी को भी नहीं समझते तो उसके बाद में क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : अगर आपकी पार्टी का सारा समय आपको दे दें तो क्या आपत्ति है?

श्री मदन दिलावर : अच्छी बात कह रहे हैं।

श्री रामप्रताप : मैं इनके, माननीय सभापति महोदय, शुरू में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें यहां पर कहीं। मैं उनके व्यवहार के बारे में और उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन उन्होंने महाराज गंगासिंहजी के बराबर माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को पता नहीं कहां-कहां पहुंचा दिया और कहा कि गंग-कैनाल का माडर्नाइजेशन सारा कुछ उनके हाथ से हुआ है। मैं दो मिनट इस सर्वोच्च सदन की तवज्जह इसलिए चाहूंगा कि इसी तरीके से, गलत तरीके से गुमराह करना इस सदन और इस सदन के मार्फत पूरे राजस्थान की जनता को और खास तौर से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की जनता को, इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि माडर्नाइजेशन की प्रोसेस, मैं यह आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि सिंचाई मंत्रीजी तो डाकुमैंट की कोई वैल्यू ही नहीं समझतीं। यह डाकुमैंट है आपके गवर्नमेंट आफ राजस्थान का और "From the Addl. Chief Engineer, Command Area Development R.C.P. Bikaner to the Chief Engineer-cum-Addl. Secretary, Irrigation, Government of Rajasthan, Jaipur" यह लिखा गया है, दिसम्बर 1979 में, वह डाकुमैंट है-गंग कैनाल के माडर्नाइजेशन के एस्टीमेट का और वह है आपके 87.40 करोड़ का। यानि कि माडर्नाइजेशन की प्रोसेस है वह राधेश्यामजी के घर से ही शुरू नहीं हुई थी, यह भैरोंसिंहजी के टाइम से शुरू हुई थी और मैं इस सदन को यह भी कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : यह इसको कह चुके हैं जो आप कह रहे हैं, वह कह चुके हैं। इस बात को कि पहले किस समय हुई।

श्री रामप्रताप : एक मिनट, वे जा चुके हैं लेकिन मैं आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं था कि हम भी इस लोएस्ट स्तर पर आ जाएंगे, अदरवाइज मैं वह डाकुमैंट भी लाता जो मैंने कटमोशन लगाया था और आपके विभाग का जवाब भी मुझे कुछ इस किस्म का मिला है, यह बहुत ही शर्म की बात है। जिस आदमी ने जो कुछ किया है उसकी हम तारीफ नहीं करते तो यह माडर्नाइजेशन की स्कीम वहां से शुरू हुई है, 1979 में, जिस वक्त में भैरोंसिंहजी की गवर्नमेंट थी और उसके बाद में 1983 में इसका पार्टली सी.डब्ल्यू.सी. से एग्री हुए हैं। आपके माध्यम से पूरे सदन का मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यह एक मेजर प्रोजेक्ट है। वह राज्य सरकार अपने आप नहीं कर सकती, इसके एस्टीमेट्स हैं वह केन्द्रीय जल आयोग से मंजूर होते हैं फिर

(श्री रामप्रताप)

प्लानिंग कमीशन से मंजूर होते हैं तो यह मामला सारा प्लानिंग कमीशन में गया। 1983 में जब यह मंजूर होकर आया तो पार्टली इसको मंजूर किया गया था, लिंक चैनल किया गया था और बाकी का हिस्सा यह विथ आब्जैक्शन आ गया था। श्रीमान्जी चले गये उनका राज था और वह विथ आब्जैक्शन पड़ा रहा। दुबारा यह भैरोंसिंहजी शेखावत हैं, यही आया था जिसने 1993 में उस एस्टीमेट को दुबारा बनाकर भेजा और दुबारा जब भेजा, फरवरी, 1993 में 250 करोड़ का भेजा। सुनते जाना आप, और 1998 में फिर भेजा प्राइस एस्केलेशन की वजह से केन्द्र में सरकार आपकी थी, सी.डब्ल्यू.सी. ने क्लियर नहीं किया और 1998 में भेजने के बाद में मैं मैरिट्स और डी-मैरिट्स में नहीं जाना चाहता लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में थी जिसने मार्च या अप्रैल में सी.डब्ल्यू.सी. में इसको क्लियर किया था। अगर इसको क्लियर नहीं करती तो आप इसको लिए बैठे थे 20 साल से और उसके बाद में यहां पर माननीय राधेश्यामजी ने बहुत कुछ कहा, पैकेज की बात कही।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री रामप्रताप : एक मिनट। मेरा समय बीच में डिस्टर्ब हो गया, सर। इन्होंने पैकेज की बात कही। उस पैकेज की मैं थोड़ी पोल देना चाहता हूं आपको। माननीय, राजनीतिक भाषण एक अलग होता है। एक पैकेज और एक कमिटमैंट अलग होता है। सिंचाई मंत्रीजी से कहना तो चाहूंगा फिर भी, मानें या नहीं मानें इनकी मर्जी की बात है। पैकेज का महत्व होता है। आप उस पैकेज को उसके नजदीक नहीं पहुंच कर राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, जो उसका विश्वास खो रहे हो वह हमारे सबके लिए घातक होगा। माननीय सभापति महोदय, उस पैकेज के अन्दर इन्होंने 2000-2001 में घोषणा की थी, किसने की? मुख्य मंत्रीजी ने। 15 करोड़ रुपए देंगे, उसके पेटे इन्होंने दिये 2 करोड़ रुपए। 2001-2002 में 110 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, बजट में प्रावधान रखा आपने 48 करोड़ का और वह भी पूरा नहीं किया। आपने दिया 35 करोड़। 2002-2003 में पैकेज की घोषणा 135 करोड़ की और आपने इसको 50 करोड़ रखा है, यह आपकी दी हुई है, इससे भी इनकार कर दो और आगे जाकर आप जब इसका रिवाइज्ड करोगे, मुझे पता है आप पचास करोड़ नहीं दोगे। माननीय सभापति महोदय, इसमें इन्होंने यहां तक ही नहीं, वहां पर लोगों को इतना बरगलाकर आए, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। यहां पर गंग-कैनाल के, यहां यही नहीं, राज्य सरकार ने गंग-कैनाल को सिम्बोलिक प्रोजेक्ट घोषित कर दिया।

डा. (श्रीमती) कमला : इसमें क्या दिया है?

श्री रामप्रताप : जिसके मुताबिक यह परियोजना सर्वोच्च प्राथमिकता पर आ गई है। यह सर्वोच्च प्राथमिकता पर यह इनकी योजना आ गई और इन्होंने 400 करोड़ रुपए देने, मतलब यह श्रीमान्‌जी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। सी.डब्ल्यू.सी. में जब क्लियर नहीं हुआ था तो यह भैरोंसिंह था जिसने यह लाइनिंग की 250 किलोमीटर माइनर्स की और डिस्ट्रिब्यूटरीज की जिसकी वजह से हमें पानी की सेविंग हुई और उसके बाद में आपको अगर यह यकीन नहीं है, जो आदमी बात की एक्युटनैस को फालो नहीं करता, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसको मैं ठीक नहीं समझता। आप आंकड़े देख सकते हैं इर्रिगेशन के, 1993 से लेकर आप 1998 तक के उठा कर देख लो और आप वाले पिछले पचास साल के उठा कर देख लेना, कितना आपने निहाल किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपको इस सदन के मार्फत कहता हूं, सिंचाई मंत्रीजी तो शायद फिर भी ध्यान नहीं देगी, आप इसको 2015 तक पूरी नहीं कर सकते जिस स्पीड से आप चल रहो हो। जब आप घोषणा 100 करोड़ की करते हो, पैसा वहां पर 35 करोड़ ही देते हो, सात परसेंट आपका इन्फ्लेशन रेट मिलाकर आप इसको 2015 तक पूरी नहीं कर सकते और राजस्थान की इससे महत्वपूर्ण परियोजना आपके पास नहीं हो सकती। आपके सी.डब्ल्यू.सी. में, इसको

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप ध्यान से सुनो। मेरी पार्टी का टाइम आपको मिल जाएगा, सी.डब्ल्यू.सी. में जाने के बाद में आप अपने इंजीनियर से पूछ लेना कि इसको क्लियर होने में कितना टाइम लगा था?

श्री संभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। सहयोग करें।

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इतनी देर में मैं कर ही देता। यह सी.डब्ल्यू.सी. में गंग-कैनाल का माडर्नाइजेशन का प्रोजैक्ट आप इन इंजीनियर्स से पूछिए कि कितने टाइम में यह क्लियर हुआ था? रिकार्ड टाइम में हुआ था। जो भी परियोजनाएं वहां सी.डब्ल्यू.सी. में जाती है, आपस में झगड़ कर लम्बी उसकी मीटिंग चलती रहती है तब बाद में इतनी होती है। इसका इतना बड़ा बी.सी. रेश्यो 700 क्यूसैक्स पानी की सेविंग जिसमें हो रही हो, एक टाइम हम बूंद-बूंद पानी के लिए रोते हैं और 700 क्यूसैक्स पानी है, उस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आप अकाल का बहाना लेते हो। अकाल की चुभन कम करने के लिए इस गंग-कैनाल के माडर्नाइजेशन से अच्छी चीज आपके पास क्या हो सकती है जो आपको इतने आउट-पुट देगी।

(श्री रामप्रताप)

माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सर्वोच्च सदन के सामने इस बात के लिए भारी अफसोस के साथ मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं कि इतने बड़े डाकुमैंटरी प्रूफ के बावजूद मुझे इस किस्म का रेस्पांस एक ऐसे मंत्रीजी से मिला है, जिनकी मैं इतनी कद्र करता था, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और दूसरी तरफ वह सज्जन आज नहीं है, शायद वे इसीलिए सदन से उठकर चले गये कि उस हद तक आदमी को नहीं जाना चाहिए। कोई चीज तारीफ के काबिल है, तो निश्चित तौर पर तारीफ करो लेकिन जब वह चीज तारीफ के काबिल नहीं हो और फिर भी हम उसकी तारीफ करते हैं, उसका नाम मैं आपसे माफी चाहते हुए चाहूंगा कि उसको भाण्ड कहते हैं। यह क्योंकि इससे बड़ा सबूत नहीं है आपके सामने और कहां महाराजा गंगासिंह जिसको हिन्दुस्तान के रूलर्स में अगर कोई इंसान था, जिसको सही मायने में अन्नदाता कहा जाता था तो गंगासिंह था। उसके पीछे एक रीजन था। आज तो दुनिया अन्नदाता बनी फिरती है। उसका कारण था छप्पनिया का काळ। 1900 के अन्दर जब भयंकर अकाल आया था उस अकाल की स्थिति में वेस्टर्न राजस्थान में वह एक अकेला इंसान था जिसने कहा कि मुझे इस अकाल से पीछा छुड़ाना है और वह आदमी पानी लेकर आया। पानी के साथ में अन्न लेकर आया। अन्न पैदा हुआ इसलिए उसको अन्नदाता कहते थे। आज तो मेरे जैसे बहुत से ही अन्नदाता बने फिरते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप : इसलिए उस आदमी से मुकाबला करना, अगर किसी को करना है तो वह इंसान यहां से उठकर चला गया, उसके पैर पूजने चाहिए, गंगानगर जिले की जनता ने, जिसने इसका माडर्नाइजेशन का काम शुरू किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : सम्माननीय श्री संजीव बेनीवाल।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सिंचाई पर चर्चा चल रही है मैं भी अपने आपको मांग संख्या 46, सिंचाई की चर्चा में शामिल करते हुए माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान हमारे इलाके की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ जिले की भादरा और नोहर तहसील तथा चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के बहुत बड़े मरूस्थलीय भू-भाग को सिंचित करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र की प्यासी धरती को पानी देने के उद्देश्य से 1989 में हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के भिराणी गांव में

(श्री संजीव कुमार)

सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के रूप में एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी नहर की शुरूआत की थी। माननीय सभापति महोदय, आज यह कहते हुए बहुत खुशी है कि उपरोक्त सिद्धमुख सिंचाई परियोजना करीब-करीब पूरी होने को है और राजीवजी के उस सपने को साकार करने के लिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है और इस सिंचाई परियोजना से भादरा क्षेत्र के 62 गांव, नोहर तहसील के 37 गांव तथा चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 14 गांव के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी किसानों का खरीफ की फसल की बीजाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, अत: मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में हरियाणा सरकार से शीघ्रातिशीघ्र पानी लिया जाए। इस विषय में मेरा अनुरोध है माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कि सोनियाजी के कर-कमलों द्वारा इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना का उद्घाटन कराकर इलाके के किसानों को पानी देने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की दो महत्वपूर्ण माइनर, सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका की मांग भादरा विधान सभा क्षेत्र के किसान लम्बे समय से कर रहे थे। पिछली भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते उपरोक्त दोनों वितरिकाओं की स्वीकृति नहीं हो पायी। मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, माननीय अशोकजी गहलोत साहब का और किसानों के हितों की चिन्ता करने वाली हमारी लोकप्रिय सिंचाई मंत्री, डा. कमलाजी का, कि उनके अथक प्रयासों से लम्बे समय से लम्बित पड़ी सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका की स्वीकृति इन्होंने दिलवायी। 30.6.1999 को स्वयं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कमलाजी वहां पधारी और उन्होंने सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका का शिलान्यास किया। आज उन दोनों वितरिकाओं का काम भी करीब-करीब पूरा होने को है। इस बजट के समय सिद्धमुख और रतनपुरा वितरिका पर आठ करोड़ रुपए का आगामी वर्ष हेतु प्रावधान रखा गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस राशि को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि इन दोनों वितरिकाओं का काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका का जिक्र

(श्री संजीव कुमार)

यहां चल रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान भी और समय-समय पर इन दोनों वितरिकाओं से सम्बन्धित किसानों ने सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका पर कई पुल और पुलिया के निर्माण की मांग है। गांव से गांव जाने के ऐसे कई रास्ते स्वीकृत हैं और राजस्व रेकार्ड में खेतों तक जाने वाले रास्ते हैं जिन पर आवश्यकता होते हुए भी पुल और पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में उन गांवों के किसान, जिनको एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या रेवेन्यू रेकार्ड में रास्ता स्वीकृत होकर खेतों में जाना हो, उनकी परेशानियों को देखते हुए उपरोक्त दोनों वितरिकाओं पर उन पुलों और पुलियाओं का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। उन दोनों वितरिकाओं के एल-सैक्शन की स्वीकृति में करीब बीस ऐसे पुलों का, जो राजस्व रेकार्ड पर स्वीकृत रास्ते हैं, उन पर मंजूरी दी गयी। लेकिन विभाग ने बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक उन पुलों की संख्या घटा दी और बहुत कम पुल उसमें स्वीकृत हुए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया एल-सैक्शन में स्वीकृत कर उन पुलों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की मलसीसर सब माइनर की टेल को आगे बढ़ाने की मांग काफी समय से वहां के किसान कर रहे हैं। वर्तमान में मलसीसर सब माइनर 2.5 किलोमीटर तक बनी हुई है। शुरू में इस सब माइनर की लम्बाई 5300 मीटर प्रस्तावित थी लेकिन इसको 2500 मीटर तक ही अनुमोदित किया गया। ऐसी स्थिति में करीब 823 एकड़ का महत्वपूर्ण रकबा मलसीसर और उसके पास के गांवों का सिंचाई की सुविधा से वंचित हो गया। इस को मद्देनजर रखते हुए पिछले वर्ष मलसीसर सब माइनर की टेल को 2.5 किलोमीटर से 5.3 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए किसानों की पुरजोर मांग पर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों ने एक प्रस्ताव बनाकर मलसीसर सब माइनर की टेल को आगे बढ़ाने की अभिशंसा की। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इस बात की बड़ी पीड़ा है कि उच्च अधिकारियों ने उस अभिशंसा पर ध्यान नहीं दिया और उस मलसीसर सब माइनर की टेल को आगे बढ़ाने को उस माइनर को कटिंग में होने का बहाना बनाकर आज तक मंजूरी नहीं दी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बन्धित किसानों की इस महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए और मलसीसर सब माइनर की टेल को आगे बढ़ाया जाए।

इसी तरह से सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की ही राखी सब माइनर का निर्माण करने के सम्बन्ध में भी किसान

(श्री संजीव कुमार)

काफी समय से मांग कर रहे थे। राखी गांव के किसानों की मांग थी कि डूंगराना माइनर से राखी सब माइनर का निर्माण किया जाए, क्योंकि शुरू में राखी गांव के उत्तर और दक्षिण की तरफ का जो सिंचाई योग्य क्षेत्र है, उसको डूंगराना माइनर पर सिंचित होने में प्रस्तावित किया गया था। लेकिन पूर्व में की गयी प्लानिंग के मुताबिक उस धरती को पानी देने के लिए करीब छह-सात किलोमीटर लम्बें खाले की आवश्यकता थी। माननीय सभापति महोदय, अधिक लम्बाई के कच्चे खालों से सिंचाई करने से होने वाली असुविधा तथा अत्यधिक जल रिसाव से बचने हेतु राखी माइनर को प्रस्तावित किया गया था और 2.57 क्यूसेक्स और 1.900 किलोमीटर लम्बाई की प्रस्तावित यह सब माइनर डूंगराना माइनर के 4.135 किलोमीटर से निकाला जाना प्रस्तावित था और इस राखी सब माइनर वितरिका के लिए सम्बन्धित किसानों की मांग पर इसकी अभिशंसा करके प्रस्ताव तैयार करके 12.4.2000 को एडिशनल चीफ साहब, हनुमानगढ़ के यहां भिजवाया गया। लेकिन अभी तक इस राखी सब माइनर के निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उन गांवों की मांग को देखते हुए राखी सब माइनर को स्वीकृत करके उसका निर्माण करवाया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, भाखड़ा सिस्टम की झांसल वितरिका के टेल पर पिछले काफी समय से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि झांसल वितरिका सिद्धमुख फीडर की बुर्जी जीरो से 32.200 तक बायीं ओर की पटरी के समानान्तर बनी हुई है और सिद्धमुख फीडर का जो बैक है, उसका जो पटड़ा है, वह झांसल वितरिका के बैक से लगभग 15 फीट ऊंचा है। झांसल वितरिका का सिद्धमुख फीडर के पैरेलल बनने की वजह से वर्षा व आंधी के मौसम में सिद्धमुख फीडर के बाहरी बैक की मिट्टी झांसल वितरिका में आकर पानी के बहाव को अवरुद्ध कर देती है जिसका सीधा प्रभाव टेल के काश्तकारों पर पड़ता है। झांसल वितरिका के 8, 9, 10 झांसल के टेल के काश्तकारों को पिछले छह-सात साल से पानी नहीं मिल रहा है। झांसल वितरिका की आर.डी.-41 तक ही पानी पहुंचता है जबकि झांसल वितरिका की टेल आर.डी.-56.00 पर स्थित है। झांसल वितरिका के टेल के काश्तकारों ने इस सम्बन्ध में समय-समय पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कई बार अनुरोध किया और उनके सामने अपना अनुरोध प्रकट किया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों ने एक अच्छा प्रस्ताव बना कर राज्य सरकार को भी भिजवाया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर के झांसल वितरिका

(श्री संजीव कुमार)

के टेल पर पानी पहुंचा कर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें।

सभापति महोदय, भाखड़ा सिंचाई सिस्टम की अमरसिंह सब ब्रांच से बिहारीपुरा माइनर के निर्माण का प्रस्ताव काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। मुनसरी वितरिका की बुर्जी 15.500 पर पूर्व में ही बिहारीपुरा माइनर के लिए हैड रैगुलर बना हुआ है। उक्त बिहारीपुरा माइनर 1990 से ही प्रस्तावित है और निर्माण से सम्बन्धित सिंचाई विभाग की विस्तृत रिपोर्ट 1998 में राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस छोटे से बिहारीपुरा सब माइनर को चालू करवाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्माण करवाया जाए। सभापति महोदय, पानी की जहां तक बात है, अभी राजस्थान सरकार आर.डब्ल्यू.आर.एस.पी. के तहत इन माइनर को पक्का करने जा रही है। इस माइनर का पक्का निर्माण होने से जो पानी के लोसेज की बचत होगी अतः बिहारीपुरा माइनर का निर्माण शीघ्र करवाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की कुछ अन्य सिंचाई समस्याओं की ओर दिलवाना चाहता हूं। भाखड़ा सिंचाई सिस्टम की अमर सिंह सब ब्रांच में जो पानी लिया जाता है, हरियाणा सरकार हर बार हमारे किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करती है। भाखड़ा सिंचाई सिस्टम की अमर सिंह सब ब्रांच और जसाना वितरिका में प्रथम और द्वितीय वरीयता से जितना पानी हमें मिलना चाहिए उतना पानी हरियाणा सरकार हमें समय समय पर उपलब्ध नहीं कराती है जिससे किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रयास किए जाएं ताकि प्रथम और द्वितीय वरीयता में अमर सिंह सब ब्रांच में हरियाणा सरकार से पूरा पानी लिया जाए।

सभापति महोदय, सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कि हमारे भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण की अति आवश्यकता है। करीब-करीब कच्चे खाले होने की वजह से किसानों को काफी असुविधा होती है और पानी का लोसेज भी ज्यादा होता है। सभापति महोदय, वर्तमान बजट के समय भी, 2002-2003 के बजट में आई.जी.एन.पी. और चम्बल परियोजना के सी.ए.डी. के तहत बजट का प्रावधान किया गया है लेकिन हमारे भाखड़ा सिस्टम में खाले निर्माण के लिए बजट का प्रावधान शायद नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में भी खालों को पक्का करवाने का काम करवाया जाए क्योंकि सी.ए.डी. के तहत खालों को पक्का करने की योजना भारत सरकार से पहले ही अनुमोदित हो चुकी है।

(श्री संजीव कुमार)

सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना है जो लगभग पूर्ण हो चुकी है। उस सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में कमांड-अनकमांड एरिया सर्वे और चकबन्दी का सर्वे का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। सभापति महोदय, पहले इस काम के लिए विभाग ने बार-बार टेण्डर किये, बार-बार उनको स्थगित किया गया और उसके बाद विभाग ने फैसला लिया कि इस कार्य को विभाग के जरिए करवाया जाएगा। इसके लिए तीन एक्स्ट्रा डिवीजन भी भादरा में खोले गये लेकिन फिर भी कमांड-अनकमांड एरिया सर्वे और चकबन्दी का काम ढीला चल रहा है। मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम इस प्रोजेक्ट में पानी लेने जा रहे हैं अतः किसानों के हितों को देखते हुए जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करवाया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संजीव कुमार : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : आपके पांच मिनट खतम नहीं हो रहे। अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री संजीव कुमार : सभापति महोदय, इसी तरह से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से मेरे क्षेत्र के करीब 15 गांव जो शुरू में प्रस्तावित थे उन 15 गांवों को इस परियोजना से अभी तक नहीं जोड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना से जो पहले 15 गांव प्रस्तावित थे उनको इससे जोड़ा जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : आपका भी धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

मांग संख्या-46 पर विचार

श्री नन्दलाल पूनिया (सार्दुलपुर) : सभापति महोदय, आज इस विधान सभा भवन में सिंचाई की मांग पर चर्चा हो रही है। सिंचाई का सम्बन्ध विकास से जुड़ा हुआ है। जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है उस क्षेत्र का विकास स्वतः हो

(श्री नन्दलाल पूनिया)

जाता है। सिंचाई का सम्बन्ध हमारी आने वाली पीढ़ी से भी है और सिंचाई होने से अकाल का स्थायी हल भी है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में 30-40 साल से सुन रहे हैं कि गोगामेड़ी का मेला भरता है जब सिद्धमुख नहर परियोजना का जिक्र आता है। हमारे पूर्वजों ने भी सुना है, हमारी पीढ़ी भी सुन रही है। लोगों को बड़ी आस थी कि एक दिन हमारे क्षेत्र की प्यासी भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हम भी खुशहाल होंगे। योजना बनी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर और राजगढ़ के 14 गांव शामिल किये गये थे जबकि सिद्धमुख, जिसके नाम से यह प्रोजेक्ट है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है लेकिन इस योजना में सिर्फ 14 गांव शामिल किये गये थे। आगे चलकर वह 14 गांव भी उस योजना से वंचित रख दिए, उनको भी उस सूची से हटा दिया गया। मैं राज्य सरकार को, हमारे मुख्य मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उन 14 गांवों को उस सूची में पुनः शामिल तो कर लिया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदया काश्तकार परिवार से सम्बन्धित हैं। किसान की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख-दर्द हैं उनसे यह वाकिफ हैं लेकिन जब तक उस क्षेत्र में उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा तो वाफिक होने से क्या फायदा? आज सरकार संवेदनशील है, जवाबदेही है, सब कुछ है, पारदर्शी भी है लेकिन उसका फायदा लोगों तक, किसान वर्ग तक पहुंचेगा तब तक तो बहुत बढ़िया है लेकिन नारों ही नारों से कुछ काम नहीं चलता। सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 14 गांव शामिल तो कर दिये उस योजना में लेकिन शामिल करने से क्या हुआ? क्या हमारे खेतों में पानी आ गया? क्या हमारी भूमि में सिंचाई हो गयी?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): नन्दलालजी, वह 14 गांव जो पहले सम्मिलित थे, उन गांवों को किसने काटा, किसने हटाया?

श्री नन्दलाल पूनिया : वह तो यह बैठे हैं न राजेन्द्र राठौड़जी साहब, इनकी सरकार ने काटा होगा, हमें तो क्या पता। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : राठौड़ साहब, मैं बताऊं?

श्री संजीव कुमार : आपने काटा क्या इनका नाम?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इन 14 गांव को काटने का कुकर्म तो नहीं कहूंगा मैं, आप ही के जिनको पूर्व में आशीर्वाद प्राप्त था उन्हीं की देन है यह।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : तो अब आशीर्वाद प्राप्त नहीं है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्हीं को है क्या आशीर्वाद प्राप्त?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, आपका बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मेरे को तो है ही।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप पर ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने काटा था। चन्दन मलजी बैद की कृपा से कटे थे वो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह बिलकुल गलत काम हुआ और यह गलत काम करने से ही आशीर्वाद हट गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जारी रखें।

(17.00 बजे)

श्री नन्दलाल पूनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वाकई में यह सरकार काश्तकारों के प्रति संवेदनशील है तो हमारे चौदह गांव इस योजना में शामिल किये जाएं, उनके लिए बजट में अवश्य प्रोविजन करें ताकि लोगों को, एक उम्मीद है इस सरकार से, अशोक गहलोत की सरकार से, पारदर्शी, संवेदनशील सरकार से। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस बजट में गांव शामिल करने से हमें क्या मिला? आज उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि किया हो लेकिन इस बजट में कम से कम प्रोविजन करें और उस योजना को हमारे चौदह गांवों में चालू करें ताकि हमें उम्मीद बंधे कि वाकई में सरकार काश्तकारों के प्रति संवेदनशील है। सभापति महोदय, मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से।

दूसरा, मेरा एक और निवेदन है, आपने चौदह गांव जोड़ तो लिए, "ढाणी बड़ी" गांव जो चौदह गांवों के बीच में बसा हुआ है उस गांव का पता नहीं क्या कारण हो गये कि इस योजना से वंचित कर दिया गया है। लेवल भी उसका नीचा है, वहां की भूमि भी नीची पड़ती है। ठीक है, दूसरे चौदह गांवों में तो पानी नहीं आया लेकिन आएगा कभी, योजना में जुड़ गये तो। उन लोगों की पुरजोर शब्दों में मांग है। सभापति महोदय, मैं भी आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस गांव को भी इस योजना में जोड़कर वहां के काश्तकारों को भी वह सुविधा उपलब्ध करायी जाए। क्योंकि मांग तो वहां पुनर्गठन की हो, दूसरे लोगों ने बात चलायी है, अपनी मांग करते हैं, वे इसलिए करते

(श्री नन्दलाल पूनिया)

हैं कि वहां सिंचाई की सुविधा है। हमारे यहां तो सिंचाई की सुविधा ही नहीं है। हम क्या पुनर्गठन की बात करें और क्या दूसरी बात करें? मैं तो एक ही मांग करना चाहता हूं कि यदि सरकार कुछ कर सकती है, तो इसी बजट में प्रोविजन करे और चौदह गांवों में निर्माण कार्य शुरू करें तो वाकई में यह सरकार काश्तकारों के प्रति संवदेनशील है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चौदह गांवों के नाम बता दो।

श्री नन्दलाल पूनिया : वे उन अधिकारियों के पास है, बैठे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक गांव जो रह गया है वह कौनसा है?

श्री नन्दलाल पूनिया : वह "ढाणी बड़ी" गांव है। चौदह गांवों के बीच में हैं। वह रह गया। बाकी चौदह गांव राजगढ़ तहसील के हैं जो सम्मिलित तो कर लिये गए हैं, लेकिन इस बार के बजट में एक पैसे का प्रोविजन नहीं किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. किरोड़ी लाल।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कल्ला साहब, आप यह काम करवाओ। आपकी ज़िम्मेदारी है और नहीं हुआ, तो आपके आशीर्वाद पर विचार किया जाएगा।

श्री नन्दलाल पूनिया : आप हमारे बीकानेर डिवीजन के सीनियर मंत्री हैं। डिवीजन की समस्याओं का समाधान करने का आपका दायित्व है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां, डिवीजन के नेता हो आप। आप अपनी शक्ति को समझो, अगुवाई करो और इसकी जो मांग है वह आप पूरी करवाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, संख्या बल के आधार पर सदन में तीन कांग्रेस के माननीय सदस्य बोलने के बाद प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य को अवसर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी हमने ज्यादा मौका चूंकि प्रतिपक्ष को बोलने का दिया है, दो और एक का रेशो रखा, आसन ने यह तय कर दिया, हमने उसको स्वीकार किया। अब यहां बिलकुल उल्टा कर दिया। प्रतिपक्ष के दो सदस्य बोलें तब सत्ता पक्ष का एक सदस्य बोला। मुझे कोई एतराज नहीं है डाक्टर साहब बोले लेकिन इनके बाद जो क्रम है, कृपया दो कांग्रेस के सदस्य बोलने के बाद एक प्रतिपक्ष के सदस्य को मौका दें। धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी जो माननीय सदस्य बोले वह आपके एसोसिएट मैम्बर की तरह हैं। उसमें कहां दिक्कत है आपको?

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, कानूनी तौर पर नहीं हैं।

श्री सभापति : आपने आसन का ध्यान दिला दिया।

(17.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : आप थोड़ी देर और बिराजते साहब। इनको थोड़ी देर और बैठे रहने देते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी महत्वपूर्ण सिंचाई की डिमांड पर बहस चल रही है और श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, गंगासिंहजी तो भागीरथ थे जो गंग नहर को लाए लेकिन उन्होंने कमलाजी को भागीरथी कह दिया और गहलोत साहब को भागीरथ कह दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बिलकुल सही कहा है। इससे ऊपर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह आपको भी कहना पड़ेगा, कुछ दिन बाद कह दोगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह बात अगले बजट भाषण के लिए भी तो सुरक्षित रखिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जो आदेश आपका।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां गंगानगर में फंस गये फालतू ही।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, रहिमजी ने कहा "रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।" जब से कमलाजी और गहलोतजी यहां पर बिराजमान हैं, पानी ही गायब हो गया। न तो कांग्रेस की आंखों में पानी है और न ऊपर से पानी बरस रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जनता के तो है न पानी?

डा. किरोड़ी लाल : जनता के है। उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान अब देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 342.52 लाख हैक्टेयर है जिसमें लगभग 257 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य है जो कि क्षेत्र का लगभग 11 प्रतिशत है और प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधन पूरे भारत के कुल उपलब्ध जल संसाधनों का मात्र एक प्रतिशत है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है और उसको सरसब्ज बनाने के लिए जिस ढंग से प्रयास होने चाहिए वह प्रयास इस सरकार ने किये नहीं। नदी और नालों का पानी बहकर बेकार जा रहा है, अन्तरराज्यीय विवादों को निपटाने में सरकार ने कोई रूचि नहीं ली। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 90 प्रतिशत पानी बहकर नदियों की ओर चला जाता है और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, जिनमें सरकार ने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की। मुख्य सचेतकजी सामने बिराजे हैं इनके इलाके में एक टुड्याना इर्रिगेशन प्रोजेक्ट कभी बना था, वह बाण गंगा नदी पर है उसको अगर

(डा. किरोड़ी लाल)

बना दिया जाए तो बसवा और महुवा के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिल सकता है। गम्भीर नदी पर श्रीमहावीरजी पर एनीकट्स की मांग है, कटकड़ पर है, पहाड़ी पर है, कंजौली पर है लेकिन सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, दो अच्छे प्रोजेक्ट एक पीपल्दा के नाम से है जो चम्बल नदी पर है।

डा. (श्रीमती) कमला : बना रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : जिसमें 34 गांवों की 31950 एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। दूसरी पिपलाद लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट है जो 1982 में बनास नदी पर बनाया गया था। तैंतीस गांवों की 23930 एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। बनास नदी का भी हम सुन रहे हैं कि ईसरदा के पास बांध बनेगा। उससे पीने का पानी जयपुर लाया जाएगा और सिंचित पानी लालसोट, बामनवास और सवाईमाधोपुर के आसपास के इलाके में भेजा जाएगा। इसी प्रकार से ओलवाड़ा, डंगरिया और रौदई ये चम्बल के कुछ प्रोजेक्ट हैं किन्तु चम्बल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इन्दिरा लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर सवाईमाधोपुर, करौली का पाट और धौलपुर में 210 किलोमीटर की लम्बाई तक चम्बल का सरफेस वाटर बह कर जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने चिन्ता नहीं की कि उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाएं सिंचाई का। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले को, जब मैं लोक सभा में था, वहां भी उठाया, पहले भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, इससे एक लाख चालीस हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। यह दुर्भाग्य का विषय है, माहिर आजादजी ने एक मामला उठाया था कि पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, 210 किलोमीटर में चम्बल बह रही हो, सवाईमाधोपुर सूखा रहे, करौली सूखा रहे, भरतपुर का बयाना सूखा रहे और धौलपुर सूखा रहे और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे, तो यह उपेक्षा नहीं तो क्या है। चम्बल, खाली पानी बहता रहा, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का भिंड, मुरैना, श्योपुर कलां, सम्भलगढ़, ग्वालियर का भाग एम.पी. से पानी ले रहा है, पानी ले रहा है मध्य प्रदेश का यह हिस्सा और वह हिस्सा सरसब्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ने चम्बल के जलग्रहण क्षेत्र में अनेक बांध बना डाले। हमारी सरकार सो रही है। एनीकट बना डाले और उन पर किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह 30 मई, 1987 को जब शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे, अन्तरराज्यीय बिजली और पानी नियंत्रण मण्डल की बैठक हुई थी। चम्बल के पानी का सदुपयोग कैसे हो, इस पर

(डा. किरोड़ी लाल)

चर्चा हुई। उसमें यह भी चर्चा हुई कि रोहू घाट पर बिजली का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। जिससे 440 मेगावाट बिजली अपन को मिल सकती है। वह मण्डशायल के पास है। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात का आक्षेप नहीं किया उस मीटिंग में कि चम्बल के जलग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो बांध बना रहा है उस पर किसी प्रकार की रोक लगायी जाए। इस प्रकार की चिन्ता सरकार ने नहीं की। अभी फिर गहलोत साहब और कमलाजी 3 जून, 1999 को चम्बल नियंत्रण मण्डल की बैठक हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी अध्यक्षता गहलोत साहब ने की। मैंने 2.6.1999 को एक पत्र लिखा था कि सवाईमाधोपुर जिले में जो चम्बल के पानी की स्कीम बनी है रामेश्वर घाट से, त्रिवेणी संगम से, उस पानी को लिफ्ट किया जाये। इसमें चूंकि मध्य प्रदेश ने अपना आब्जेक्शन कर रखा है उस बात पर विचार-विमर्श किया जाए। मैंने लिखा अब मौका है कि आपको मध्य प्रदेश को केन्द्रीय जल आयोग पर जोर डालकर चम्बल के जलग्रहण क्षेत्र में बांध बनाने की एक तरफा कार्यवाही पर फैसला करवा लेना चाहिए ताकि चम्बल में जल की मात्रा बढ़ सके। वर्षा का औसत गिरने से जलसंग्रहण पहले ही अपर्याप्त रहता है इसके बावजूद यदि पानी पड़ौसी प्रदेश के द्वारा परबारा ही उपभोग में लिया जा रहा है, स्वाभाविक है कि चम्बल में पानी की कमी रहेगी जिससे सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा क्षेत्र के लिए घाटे का सौदा होगा और प्रस्तावित इन्दिरा लिफ्ट इर्रिगेशन परियोजना का आधार समाप्त हो जाएगा।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि अध्यक्षता राजस्थान का मुख्य मंत्री करे पर इस बात पर किसी प्रकार की इन्होंने चिन्ता नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट की तरफ कमलाजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कमलाजी आप बैठी हैं, किसान की बेटी हैं और आप यह जो चम्बल लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट है क्या हुआ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट से आप ज्यादा नहीं बोल सकते।

डा. किरोड़ी लाल : दस मिनट तो नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : आई एम सारी।

डा. किरोड़ी लाल : दस मिनट में तो नहीं होगा। मामला बहुत ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। पहले ही कह दिया है। अब समाप्त कीजिए आप। (व्यवधान) समय बढ़ाने के बाद भी चाहिए इतना ही टाइम।

डा. किरोड़ी लाल : फिर पूर्वी राजस्थान के साथ आप उपेक्षा कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी तो मुद्दा ही नहीं आया।

डा. किरोड़ी लाल : अभी तो असली मुद्दा ही नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए आगाह किया है। भूमिका बांधने में ही पन्द्रह मिनट लग जाते हैं फिर बोलेंगे कब?

डा. (श्रीमती) कमला : चम्बल वाटर का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और मैं अभी बोलूंगी तब आपको बताउंगी, जो आप गिना रहे हो सब उसमें हैं।

डा. किरोड़ी लाल : इन्दिरा लिफ्ट प्रोजेक्ट को कंसीडर किया है आपने?

डा. (श्रीमती) कमला : है उसमें।

डा. किरोड़ी लाल : बहुत कट करना पड़ेगा मामला।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कट करो प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : यह पानी वहां से लिफ्ट होगा, उपाध्यक्ष महोदय, और पानी को लिफ्ट करके इससे सवाईमाधोपुर, करौली, बयाना और दौसा का कुछ हिस्सा सिंचित किया जा सकेगा। इसका सर्वे कब हुआ, कब साइल सर्वे और कब केन्द्रीय जल आयोग को चला गया हुआ इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कमलाजी मैं कहना चाहूंगा कि यह मामला डायरेक्ट इंटर स्टेट मैटर्स के यहां जांच हेतु पड़ा हुआ है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह से और अपने मुख्य मंत्रीजी को बैठाकर जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है पानी का उसको आप खतम करें। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला आपकी नजर में और लाना चाहूंगा। धारूखेड़ा के पास ही यमुना कैनाल आ रही है। उसका डेड एंड वहां पर है। मैंने पहले भी विधान सभा में उठाया था, लम्बी पूरी चर्चा नहीं कर सकूंगा, आपने घंटी बजा डाली, उस यमुना कैनाल के डेड एंड से अगर अपन पानी लेंगे शाहजहांपुर तक, अपने राजस्थान की शाहजहांपुर वहां पर सीमा है, शाहजहांपुर से लाकर उस पानी को अगर जमवारामगढ़ के बंधे में डाले और इसके दो एनीकट या दो बांध दो जगह बनाए जाएं, बहरोड़ और कोटपूतली के मध्य या कोटपूतली और शाहपुरा के मध्य में तो, उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से यही पानी बाण गंगा में आ सकेगा और बाण गंगा में पानी जब आ जाएगा तो जयपुर, दौसा, अलवर का पार्ट और भरतपुर तक 200 किलोमीटर की लम्बाई तक यह पानी अपन को उपलब्ध हो सकेगा। रामगढ़ के बंधे में पानी अगर आप ला सकें तो रामगढ़ के

(डा. किरोड़ी लाल)

बंधे से जो ढूंढ़ नदी जा रही है वह पानी ढूंढ़ नदी से मोरेल में जाएगा और मोरेल से बनास में और बनास से चम्बल में मिलान किया जा सकता है।

तो, यमुना कैनाल का पानी का अपन चम्बल से मिलान कर सकते हैं और बारह मास बहने वाली नदियों के पानी का मिलान अगर अपन ने कर डाला तो सवाईमाधोपुर ही नहीं जयपुर, चूरू, झुंझुनूं, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर सबका कल्याण हो जाने वाला है। एक जीवनदायिनी योजना है। इसलिए कमलाजी, मैं आपको कहना चाहूंगा आपने झुंझुनूं में पानी ले जाने के लिए तो सर्वे कराया और ताजेवाला हैड से जो पानी झुंझुनूं के लिए आएगा, अगर आप इसका भी सर्वे करा लें कि जो डेड एंड है यमुना कैनाल का धारूहेड़ा के पास, उसके पानी को अपन जयपुर और जयपुर से आगे ले जा सकें। जैसा मैंने एक लिंक बताया है ढूंढ़ नदी से मोरेल और मोरेल से बनास और बनास से होते हुए चम्बल में, तो एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी योजना इस पूर्वी राजस्थान के इलाके के लिए हो सकती है। इसलिए इस पर आप कोई सर्वे कराएं और सर्वे कराकर इस जीवनदायिनी योजना को आप लागू कराएंगी, ऐसा मैं विश्वास करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी का डर लग रहा है पर मुझे ऐसा लग रहा है कमलाजी की चलती नहीं है। मैंने एक मामले में देखा है। माहिर आजादजी ने उठाया था रूपारेल बांध का मामला। यह रूपारेल जब से बना है, अलवर का जयसमन्द सूख गया और भरतपुर का सीकरी बांध सूख गया। यह तरूण भारत संघ ने बनाया जिसके राजेन्द्र सिंहजी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। उनके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता। हमारी तहसील में भी एक घोटाला कर डाला था। जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था मुख्य सचेतकजी के इलाके में और कई मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, मैं उनमें जाना नहीं चाहता लेकिन कमलाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं गैर कानूनी रूप से जो बांध बना जिसमें इरिगेशन एक्ट, 1954 की धारा 55 और 58 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और इसके तहत किसी भी नदी और बांध के कैचमैंट क्षेत्र में कोई भी निर्माण का कार्य नहीं हो सकता।

अलवर और भरतपुर जिले की, उपाध्यक्ष महोदय, 1928 में संधि हुई। उस संधि का भी उल्लंघन इसमें हुआ है और यह फिर से बहने लगी रूपारेल नदी। यह राजेन्द्र सिंहजी ने ही छपवाई है और उसमें 1928 में जो फैसला हुआ उसका विवरण दिया है। इस नदी का निपटारा 1928 में हुआ जिसमें भरतपुर और अलवर के महाराज इकट्ठे हुए और इस निपटारे में नटनी का बारां में एक

(डा. किरोड़ी लाल)

समतल जगह बनाकर हिस्सेवार लम्बाई देकर नदी का बंटवारा हुआ। अलवर राज्य को चार खाने तथा भरतपुर राज्य को पांच खाने पानी मिला। इस पानी को अलग-अलग राज्य में पहुंचाने के लिए बीच में एक ऊंची लम्बी दीवार बनाकर पानी की धारा को बांटा गया। अब उस पानी की धारा को बंद कर दिये जाने से, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माहिर आजादजी कह रहे थे सीकरी का बांध तो सूख ही गया, इनका इलाका भी सूख गया और जयसमंद भी सूख गयी।

अब इसमें हुआ क्या, उपाध्यक्ष महोदय, 1928 की संधि का उल्लंघन हुआ, इर्रिगेशन एक्ट, 1954 की धारा का उल्लंघन हुआ और रूपारेल नदी पर इस बांध के बनने के कारण भरतपुर में विरोध हुआ, अलवर में भी विरोध हुआ। सिंचाई मंत्रीजी ने तो कई बार कह दिया कि यह गैर कानूनी है इस बांध को तोड़ दिया जाए। यहां शायद विधान सभा में भी इन्होंने कहा था कि मैं जांच कराउंगी। जांच में उसको दोषी पाया गया और दोषी पाये जाने के बाद इन्होंने निर्देश भी दिये लेकिन वह बांध नहीं टूटा। मुख्य मंत्री पर बांध नहीं तोड़ने का दबाव है, उपाध्यक्ष महोदय, 10, जनपथ से, इसलिए बांध नहीं टूट रहा है, 1 नवम्बर, को जयपुर में मुख्य मंत्री ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अधिकारियों व एन.जी.ओ. तरूण भारत संघ की एक बैठक बुलायी जिसमें इस पानी को एक चैनल से निकासी की व्यवस्था की लेकिन उस पर भी कोई उस राजेन्द्र सिंह ने ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चीफ इंजीनियर का आदेश है बांध को तोड़ा जाए। एक्स.ईएन. का नोटिस है दो दो। उपाध्यक्ष महोदय, एक्स.ईएन. का 20.6.2001 का नोटिस है राजस्थान सिंचाई तथा जल विकास अधिनियम, 1954 की धारा 55 के अन्तर्गत है और उन्होंने लिखा है इस बाबत पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1562 दिनांक 22.7.2000 के द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था लेकिन उक्त निर्माण कार्य आप द्वारा नहीं रोका गया, निर्माण कार्य अबाध रूप से चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान नोटिस दिया गया। फिर 22.5.2001 को नोटिस दिया गया। एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार ने मंगायी। उसमें भी इस बांध को तोड़े जाने का आदेश है। तोड़े जाने की अनुशंसा एक्स.ईएन. और नीचे के अधिकारियों ने की है।

कमलाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी चाहती हैं बांध टूटे, आपके एक्स.ईएन. भी चाहते हैं बांध टूटे, आपके चीफ इंजीनियर भी चाहते हैं बांध टूटे। आप अलवर पधारी थीं, वहां आपने अखबार वालों को कहा था मैंने बांध तोड़ने के आदेश

(डा. किरोड़ी लाल)

दे दिये हैं। आपके बांध तोड़ने के आदेश दबाव के कारण नहीं तोड़ रही हैं।

मैं आप पर लांछन लगाना चाहूंगा कि आपने जानबूझकर जब अधिकारियों ने रिपोर्ट दे डाली कि टैक्निकली वह बांध फिजीबल नहीं है, उसने भरतपुर को सुखा डाला, उसने अलवर को सुखा डाला और इर्रिगेशन एक्ट का उसमें उल्लंघन कर डाला, 1928 की रियासत के समय की जो दो राजाओं की संधि है उसका उल्लंघन कर डाला और उसके बाद भी आप उस बांध को नहीं तोड़ रही हैं।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पर किसी न किसी इस प्रकार का दबाव है जैसे 10, जनपथ का दबाव हरीसिंहजी को पता है। मुकदमा दर्ज हुआ सलेमपुर में राजेन्द्र सिंह मैग्सेस के खिलाफ। 10, जनपथ का दबाव आया, हरीसिंहजी भी चुप पड़ गये और मुख्य मंत्री ने कह दिया मुकदमे को रफा दफा कर डालो। इसमें भी कहना चाहूंगा कमलाजी पर दबाव है। 10, जनपथ के दबाव के रहते आप महरूम नहीं कर सकते अलवर को, न आप भरतपुर को कर सकते हैं।

हरीसिंहजी की तो हालत बड़ी खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो ही मुख्य हैं। या तो मुख्य मंत्री हैं या मुख्य सचेतक हैं। बाकी तो मंत्री मंत्री है और मुख्य होने के बाद भी इनकी चलती नहीं है। मुकदमों में चालान नहीं करा सके और राजेन्द्र सिंह मैग्सेस के कारण ऐसा डर लगा कि घिग्घी मारकर आज तक बैठे हुए हैं और उसका पैसा नहीं दिला सके। 467 का मुकदमा इस राजेन्द्र सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं।

कमला जी, मैं कहना चाहता हूं आप पर भारी दबाव है। आपने फाइल पर इस बांध को तोड़ने का निर्देश दे दिया है। आप मौके पर पहुंच गयीं, आपका चीफ इंजीनियर पहुंच गया, आपके एक्स.ईएन. ने लिख डाला तो आप क्यों भरतपुर को सुखा रही हो, क्यों अलवर को सुखा रही हो? इस बांध को हटाओ और उनके इलाके को सरसब्ज करो। इतना ही मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीवाल मेघवाल। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप लोगों ने भी तो 10, जनपथ का खण्डन नहीं किया दबाव का। मंत्रीजी ने भी नहीं कहा कि तोड़ेंगे, कि नहीं तोड़ेंगे। क्या हुआ आदेश का? आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो मंत्रीजी जवाब देंगी, मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी जवाब देंगी। बीच बीच में जवाब देने की परम्परा तो है नहीं...

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर को ऐसे नहीं सूखने देंगे...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज। श्री घासीलालजी, बोलो।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले दिये हैं न बीच में। डा. रामप्रतापजी बोले थे, बाबूलालजी बोल रहे थे तब दिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने दो बार बीच में जब हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे जब जवाब दिया है। जब भिनाय से आने वाले सदस्य बोल रहे थे तब जवाब दिया है। आप रोक थोड़ी सकते हो? उनको सारी जानकारी है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब जिनको उपयुक्त समझेंगी वह जवाब मंत्रीजी की तरफ से मिल जाएगा आपको...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : सब जानकारी है और सफा असत्य बोल रहे हैं। लीजिए अब जवाब सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आप मान रही हैं कि 10, जनपथ का दबाव है आप पर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : मतलब आप दबाव के कारण...

डा. (श्रीमती) कमला : मैं कह रही हूं आप असत्य बोल रहे हो सफा, यूं कह रही हूं। सत्य बोल रहे हैं, यह नहीं कह रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बांध तोड़ने के आपने आदेश दिये थे फिर टूटा क्यों नहीं? वह रूपारेल का, नटनी के बेरा वाला बांध टूटा क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी।

डा. (श्रीमती) कमला : आपके पास है क्या आदेश मेरा दिया हुआ? कहीं कापी है, या कहीं फाइल पर है...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, माननीय सदस्य...(व्यवधान) वह रहा, उनके पास है। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य के पास है।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी।

डा. (श्रीमती) कमला : गलतबयानी है। गलतबयानी है। अगर आप...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर के हिस्से का पानी तो दिलवाएंगी।

डा. (श्रीमती) कमला : हां, वह बात दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजो प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका अखबार में दिया गया बयान पढ़कर सुनाऊं आपको ...(व्यवधान) सिंचाई मंत्री ने बताया कि रूपारेल प्रकरण में उन्होंने पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर बांध तोड़ने के निर्देश...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी। श्री घासीलालजी, बोलो।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, यह दबाव...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साफ लिया है सिंचाई मंत्री ने बताया कि रूपारेल प्रकरण में उन्होंने पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर बांध तोड़ने के निर्देश दिये थे...

डा. (श्रीमती) कमला : तो यह अखबार का है, न कि मेरा आदेश है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह प्रेस कांफ्रेंस में कहा था आपने।

डा. (श्रीमती) कमला : न कि मेरा आदेश है, प्रेस कांफ्रेंस में नहीं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : डा. साहब, कहीं यह दबाव राजेन्द्र सिंहजी का तो नहीं है। आपने उल्लेख किया है राजेन्द्र सिंह का नाम।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह राजेन्द्र सिंह कोई दूसरे हैं। इनकी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, प्लीज कापरेट करिए। यह क्या बात है।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मांग संख्या-46-सिंचाई पर चर्चा हो रही है। हिन्दुस्तान की 80 परसेंट जनता गांवों निवास करती है और उस 80 परसेंट जनता में 90 परसेंट जनता खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है और खेती पानी के बिना असंभव होती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करते हुए सर्वप्रथम मुझे चूंकि चम्बल सिंचित क्षेत्र से जिसमें कोटा, बूंदी और बारां तीन जिले पड़ते हैं, उन हाड़ौती को 5.15 बजे बोलने का समय मिला और उपाध्यक्ष महोदय, आपने दिया है, मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको ही मिला है...

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मुख्य सचेतक महोदय ने कहा था कि संख्या के अनुपात में तीन सत्ता पक्ष के बोलेंगे और एक विपक्ष के बोलेंगे लेकिन आज यहां उल्टा हुआ और तीन विपक्ष के, एक सत्ता पक्ष के बोले। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद दे रहे हैं आप...

श्री घासीलाल मेघवाल : मुख्य बात मेरी यह है कि...(व्यवधान) मैं मेरे मतलब की बात तो बोलकर ही रहूंगा और आराम से बोलूंगा क्योंकि आराम से ही मुझे समय मिला है।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल नहर 42 साल पुरानी हो चुकी है। जैसा कि मैंने इस सदन में नियम 295 के तहत प्रस्ताव दिया था, उसके जवाब में भी माननीय सिंचाई मंत्री महोदया ने स्वीकार किया है कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की नहरों को बने हुए 42 वर्ष हो चुके हैं। सभी नहरें कच्ची होने की वजह से इनकी हालत काफी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है तथा जब से नहरी तंत्र का निर्माण कार्य हुआ है तब से नियमित रूप से रख-रखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण रूप से करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु, आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से ऋण लिया जा रहा है उसमें उस योजना में हमारे चम्बल कमाण्ड एरिया को शामिल किया जाए। चम्बल से निकलने वाली बायीं मुख्य नहर की पाटन, कापरेन और बूंदी ब्रांच के माध्यम से 1.02 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किये जाने की व्यवस्था है तथा तीन शाखाओं के माध्यम से 26 वितरिकाएं निकली हुई हैं। वहां से छोटी-छोटी नहरों से किसानों द्वारा सिंचाई की जाती है।

जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आयी, हमारे यहां के लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार बनते ही सिंचाई मंत्री महोदया कोटा आयी। कोटा आकर उन्होंने सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और नहरों के सम्बन्ध में सभी जनप्रतिनिधियों को साथ बुलाकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उसके बाद चूंकि मैंने निवेदन किया था कि जब से यह नहरें बनी हैं तब से पर्याप्त मात्रा में बजट नहीं मिल पाया है। आज हमारी चम्बल की जो नहर है, एक जमाने में जिसे राष्ट्रीय उत्पादकता का पुरस्कार मिला करता था वह चम्बल नहर आज मरम्मत एवं रख-रखाव के अभाव में काफी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। उसको बजट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सिंचाई मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना राज्य सरकार की है उसमें हमारे चम्बल कमाण्ड क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करें। साथ ही जैसा कि मेरे पूर्व में बोलने वाले सम्मानीय बड़े भाई साहब किरोड़ी लालजी ने कहा कि आज गांधी सागर पर कितने ही एनीकट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बना दिए गए हैं। यह बात सही है कि आज लगभग 300 एनीकट गांधी सागर के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनोथराइज्ड रूप से बनाए हुए हैं जिनकी वजह से पूरा पानी हमारे गांधी सागर में नहीं आ पाता है और हमारे यहां के किसानों को पानी से वंचित रहना पड़ता है।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सिंचाई विभाग का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ करीबन 30 करोड़ रुपया सिंचाई मद में बकाया चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वह 30 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार से लेकर हमारी चम्बल सैक्टर की नहरों के विकास में उसको लगाएं। इसी प्रकार से 5-6 करोड़ रुपया हमारे कोटा के जो उद्योग हैं उनको कम पैसे में बहुत ज्यादा पानी दिया जाता है। फिर भी उनकी तरफ 5-6 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग के बकाया चल रहे हैं उनकी भी वसूली करके हमारी नहरों में लगाया जाए।

मैं इस बात के लिए तो माननीय सिंचाई मंत्री महोदया का आधार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सी.ए.डी. में 6 करोड़ रुपया व्यय किये जाने का प्रावधान किया है लेकिन माननीय मंत्री महोदया आप इस बात को भली-भांति जानती हैं, आप कोटा जाकर आई थीं, इनसे उन नहरों का कुछ होने वाला नहीं है। उन नहरों में जो आंकड़े और बबूल काफी उग गए हैं, मैं इस बात के लिए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अकाल राहत के वक्त कुछ कार्य नहरों का सिंचाई मंत्री माननीय कमलाजी के निर्देशों पर सिंचाई विभाग द्वारा करवाया गया जिसकी वजह से इस बार हमारे क्षेत्र के किसानों को कुछ मात्रा में पानी मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो कापरेन ब्रांच और पाटन ब्रांच हैं तथा उनके निकलने वाली समस्त डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें पानी जिस पर्याप्त मात्रा में चलना चाहिए वह नहीं चल पाता है वह मिट्टी से भर चुकी हैं। अतः जो विभाग की मशीनें फ़ालतू पड़ी हुई हैं उनका उपयोग लेते हुए, उन मशीनों के माध्यम से इन नहरों की खुदाई करवाई जाए। हमेशा टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने की समस्या बनी रहती है, मैंने पूर्व में भी आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन किया था कि घाट का बराना जो गांव है वहां से चम्बल नदी की दूरी मात्र एक किलोमीटर पड़ती है। यदि घाट का बराना गांव से पानी लिफ्ट करके पाटन ब्रांच में डाल दिया जाए, तो टेल पोर्शन में जो समस्या है उससे निजात पायी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बाटड गांव हैं वहां पर खाल है, वह 12 महीनों बहता रहता है, उसमें सीपेज का पानी आता है। अगर उस खाल पर भी एनीकट बना दिया जाता है, तो टेल पोर्सन की जो समस्या है, टेल क्षेत्र के जो दर्जनों गांव हैं उनको इससे काफी मात्रा में लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक ओर चम्बल नदी है दूसरी ओर मेज और मोरेल नदी बहती है बीच में मेरा क्षेत्र पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से अनुरोध करना

(श्री घासीलाल मेघवाल)

चाहूंगा कि मेज और मोरेल नदी के संगम पर बांसखेड़ा गांव पड़ता है। वहां पर यदि बांध बना दिया जाता है, तो आप चाहें तो उसका लघु सिंचाई परियोजना के रूप में ले सकते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में ले सकते हैं या वृहत् सिंचाई परियोजना के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि अगर वहां बांध बनाया जाता है तो वहां से रामगढ़ अभयारण्य की दूरी मात्र 40 किलोमीटर पड़ती है और जब वहां बांध बन जाएगा, तो रामगढ़ अभयारण्य का तीव्र गति से विकास होगा तथा साथ ही अगर सरकार चाहे तो बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो राजस्थान सरकार द्वारा 734 करोड़ रुपया विश्व बैंक की सहायता से नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च किया जा रहा है उसमें हमारी चम्बल क्षेत्र की नहरें 40 साल पुरानी हो चुकी हैं उनको शामिल करते हुए हमारे क्षेत्र की नहरों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई जाकर कार्य रूप प्रदान करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी नागर (व्यवधान) हो गया ना, धन्यवाद दे दिया। अब क्या बचा है?

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, हमारा कमाण्ड क्षेत्र है और जो हमारे यहां ड्रेनेज बनी हुई हैं वह बहुत पुरानी हैं वह मिट्टी से भर चुकी हैं जिसकी वजह से सीपेज की समस्या का सामना क्षेत्र के किसानों को करना पड़ रहा है। यदि इन ड्रेनेजों को भी खुदवा दिया जाता है, तो सीपेज की समस्या से निजात पाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पुनः मैं आपको धन्यवाद कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी नागर। (अनुपस्थित) श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, देसी रियासतों के एकीकरण के बाद जब यह राजस्थान बना तो हमने अपनी चार लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा के द्वारा राजस्थान की विकास यात्रा शुरू की। 53 साल गुजर जाने के बाद राजस्थान की जनता के खून-पसीने की कमाई से बने एक्सचेकर से हर बजट के अन्दर बहुत बड़े-बड़े प्रोविजन किये गये हैं और जब आकलन करते हैं कि हमने कितना कृषि क्षेत्र सिंचित करके खोला है, तो बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि वह पैसा आखिर गया कहां? केवल 29 लाख हैक्टेयर जमीन में हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाए हैं।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो विधान सभा की प्रमुख नीति थी कि कृषि विभाग में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाए शायद इसको तो भूल गए लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बरात को बढ़ा दिया और दीमक की तरह से इस एक्सचेकर को चाटा है। जब इस तरह से रिकार्ड और आंकड़ों को देखते हैं तो अफसोस होता है कि कोई मैनेजमेंट भी नहीं है। नार्थ जोन मुख्य अभियन्ता, 6 सर्कल और एक मुख्य अभियन्ता के पास 2 सर्कल, मेहरबानी करके इस राजस्थान की गरीब जनता पर आप दया फरमाओ। आपने पीछे एक कदम उठाया जिसको कि प्रगतिशील कदम बताया कि हम पदों में कटौती कर रहे हैं, किनकी कटौती की? कनिष्ठ अभियन्ताओं की। मैं कहता हूं कि यह जो 6 मुख्य अभियन्ता बिठा रखे हैं उनके साथ 6 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता और हैं, वह काम क्या करते हैं? काम यह करते हैं कि जहां-जहां हमने सिंचित क्षेत्र का विकास किया और योजनाएं बनाईं उनमें सिंचित क्षेत्र का विकास भी करते रहे और उसके साथ-साथ गलत नीतियों के कारण सेम का भी विस्तार करते गये। सेम बढ़ी, जो 28 लाख हैक्टेयर जमीन में हम सिंचाई सुविधा देना बताते हैं उसमें से एक बहुत बड़े भाग पर हमारी गलत नीतियों के कारण सेम भी आया है। आज वह नासूर बनकर पूरे श्रीगंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले को लील रहा है और आगे जैसलमेर तक उसने अपने पंजे फैला रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि रिसर्च और एनेलेसिस विभाग के नाम से जो अधिकारी बैठा रखे हैं, क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं थी? उन्होंने उस मिट्टी की क्वालिटी क्यों नहीं देखी कि यहां से जब हम सिंचाई व्यवस्था करेंगे तो सेम को पैदा करने में यह मिट्टी सहयोग देगी। क्यों नहीं उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही हुई? वजह क्या है? और उनको बढ़ाए जा रहे हैं, पदोन्नतियां दिये जा रहे हैं। अगर यही राजस्थान का विकास होना है, तो हम एक कल्पना बजट के माध्यम से बेशक कर लें, राजस्थान की धरती पर हमको विकास दिखायी नहीं देगा। सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है।

सरफेस ड्रेन के माध्यम से रावतसर की सेम को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी अच्छी योजना थी और उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा, परन्तु जो पैसा केन्द्र सरकार दे रही थी और उसमें कुछ पैसों का हिस्सा हमारा भी था, हमें अंशदान जमा कराना था लेकिन राज्य सरकार वह अपना हिस्सा नहीं दे पायी। मेहरबानी करके ऐसी महत्वाकांक्षी योजना आप चाहे कहीं से भी करें ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के पैसों को न रोकें।

माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोना उगलने वाला वह क्षेत्र जिसके अन्दर सेम इतनी बुरी

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

तरह से फैली हुई है, उस पर इस विभाग की गलत नीतियों के कारण ट्यूबवैल स्कीम बनायी गयी, 12 करोड़ रुपए राजस्थान के एक्सचेकर का बरबाद कर दिया गया और इस विभाग को शर्म के मारे हां करनी पड़ी कि यह अनुपयोगी है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरफेस ड्रेन ही केवल मात्र उस सेम का इलाज है। आप दो सरफेस ड्रेन खुदवाइए। भरूसरी से लेकर जाखड़ावाली, सूरतगढ़ पक्की सड़क के साथ-साथ एक सरफेस ड्रेन कराइएगा, उसको 18 एस.पी.डी. के पास, एस.पी.डी. माइनर के अन्दर उसका इनलेट करिए तो पीछे का जो पानी होगा वह एस.पी.डी. माइनर के अन्दर फीड होकर सिंचाई सुविधा के लिए उपयोग आएगा और उसके आगे का जो पानी आएगा, आगे की सरफेस ड्रेन में उसका इनलेट रंगमहल गांव के पास जो रेगुलेटर बना हुआ है उसके अन्दर, उसके लेवल तक पानी है... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी हमको लाठी से धमका रहे हैं साहब, सदन में। (व्यवधान) भीखा भाईजी तो हैं नहीं, एक तो उनकी लाठी झपट ली और हमीं को धमका रहे हैं साहब, लाठी से।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री): उन्होंने रख रखी है, हमने नहीं रखी है। आप लाठी की दे रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): धमका भी आदिवासी को रहे हैं। किसी अन्य को नहीं धमका रहे हैं। आदिवासी की लाठी से आपको धमकाया जा रहा है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा जीरो पाइंट से स्टार्ट मानिए, यह सारा गड़बड़ कर दिया इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानबूझकर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप तो आतंक मत फैलाइए ।

मैं निवेदन कर रहा था कि उसके साथ-साथ सेम नाले के पास जहां सूरतगढ़ ब्रांच क्रोस करती है, उस एक जैड.डब्ल्यू.डी. माइनर निकलता है। जैड.डब्ल्यू.डी. माइनर के साथ-साथ अगर आप एक दूसरा सरफेस ड्रेन तैयार करवाएंगे, माणक थेड़ी तक तो मंत्री महोदया, उस इलाके से सेम नदारद हो जाएगी और वह इलाका फिर सोना उगलने लगेगा। मेहरबानी करके आप राजस्थान पर कृपा करिए। यह महत्वपूर्ण दो सरफेस ड्रेन तैयार करवाने की योजना बनाकर, जिसमें केन्द्र सरकार भी हमको सहयोग दे रही है और उस इलाके पर एक बहुत बड़ा अहसास होगा सरकार का अगर आप ऐसा काम करेंगे। (व्यवधान)

उप सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां मैनेजरियल स्कीम मैनेजमेंट की...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): उपाध्यक्षजी हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उपाध्यक्षजी ही कह रहा हूं। (व्यवधान) सारी। मैं क्षमा चाहता हूं अगर निकल गया तो, आप ऐसा मत कहिएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं इसलिए आपको बोलने नहीं देना चाहते।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदया, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, छोटी-छोटी बातें हैं, उनमें ज्यादा पैसा बरबाद भी नहीं होगा और हम बहुत बड़े कृषि भू-भाग को सिंचाई की व्यवस्था के नीचे ला सकते हैं ।

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आई.जी.एन.पी. के जी.एम.डी. माइनर के आउटलेट नम्बर श्री से अगर उसका साइज बढ़ा कर उसको आगे एक्सपाड करते हैं, तो 800 बीघा भू-भाग फ्लो से सिंचित होगा। सरदारपुरा बीकां, भादवावाली और घमण्डिया का क्षेत्र है, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जब गंग कैनाल आयी तो भी टेल एण्ड, भाखड़ा आयी तो टेल एण्ड, जब आई.जी.एन.पी. आयी तो भी उसका टेल एण्ड। एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में छूट गया जो फ्लो से सिंचित हो सकता है परन्तु हमारे इंजीनियरों की नजरों से वह इलाका महरूम रह गया। बार-बार वहां का काश्तकार यह पूछता है कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम इस देश के काश्तकार नहीं हैं? हमको सिंचाई के लिए पानी क्यों नहीं मिलता? जब उनकी आंखों के सामने दूसरे लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं, ऐसा असमानता का व्यवहार आप न करें और उसकी व्यवस्था करवाइए।

इसी तरह से भाखड़ा कैनाल पूरे सेण्डी जोन से गुजरती है। कच्ची नहर है, उसका वाटर लोसेज सबसे ज्यादा है और इंटेंसिटी बहुत गिरी हुई है उस क्षेत्र की। एस.टी.जी. ब्रांच जहां सूरतगढ़ ब्रांच से क्रोस करती है, मंत्री महोदया, अगर आप उसको सूरतगढ़ ब्रांच से फीड करो और पी.बी.एन. कैनाल भी प्रेमपुरा के पास उसी सूरतगढ़ ब्रांच को क्रोस करती है। अगर उसको भी सूरतगढ़ ब्रांच से फीड करो, उसका प्रोविजन किया हुआ है सूरतगढ़ ब्रांच में, जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। वह आज कोई नयी मांग नहीं है, एंटीसिपेट किया हुआ था कि ऐसा लेटरआन हमें करना पड़ेगा। इससे करीब 200 क्यूसेक्स पानी की बचत होकर भाखड़ा के काश्तकारों को एक्सेस पानी मिलेगा। जब तक आप ऐसी व्यवस्था नहीं कराएंगी तब तक भाखड़ा के काश्तकार बड़ी परेशानी के अन्दर हैं। वह अपनी आवश्यकताओं को मीट आउट करने के लिए ट्यूबवैल खुदवा चुके हैं। अब उस काश्तकार के साथ जो अन्न उत्पादन कर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

रहा है, एक तरफ डीजल से वह अपना सैट चलाता है तो उसे पैसा देना पड़ता है, अगर बिजली का कनेक्शन है तो बिजली का पैसा देना पड़ता है, वह अपने साधन से सिंचाई व्यवस्था करता है लेकिन सिंचित जोन होने के कारण आप ज्यादा बयाना ले रहे हैं उनसे। आप मेहरबानी करके यह काश्तकार पर तीन लड़ी जो मार पड़ रही है उससे उनको बचाएं, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी।

एक मुझे यह समझ में नहीं आता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृपा निधान...

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ऊपर कृपा करो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : कृपा निधान, हम दुःखी हैं। बीच में इन लोगों ने मेरा समय बरबाद किया।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब टाइम का हिसाब है मेरे पास।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : दयानतदार हैं साहब, आप थोड़ा सा मेहरबानी करके...

श्री उपाध्यक्ष : बोलो-बोलो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जो मोगे लगते हैं, वह काश्तकार नहीं लगाते हैं। वह इंजीनियर लगाते हैं और मुझे बड़ा अफसोस है कि जब से यह सिस्टम बना है, एक ऐसा मोगा अगर सिंचाई मंत्री महोदया, अनटच्ड छोड़ा हुआ बता दें आप, मैं गुलाम बन जाउंगा आपके सिंचाई विभाग का। जब उनके पीपों के अन्दर आटा खतम हो जाता है तो वह मोगों पर जाकर खड़े हो जाते हैं पक्के मोगे भी फ्लेक्सीबल नहीं हैं। और हर रोज कहते हैं कि यह मोगा ओवरड्रा कर रहा है। मेरे उनकी इंजीनियरिंग समझ में नहीं आयी कैसे ओवरड्रा करता है। मेहरबानी करके आप हर सेक्शनवाइज इंजीनियरों के साथ काश्तकारों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाइए, एक बार मोगे का डिजाइन तय कर दीजिए और मोगा लगा दीजिए फिर उसके बाद उस मोगे को हाथ लगाने का इन इंजीनियरों को अधिकार नहीं होना चाहिए। यह हमारी रोजाना की लूट बन्द करवा दीजिए। काश्तकार बहुत परेशान है इनकी इस प्रवृत्ति से। जो हालात हम फेस कर रहे हैं, यह हमारा दुःख है मंत्री महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं यह हमारा कष्ट आप मिटाइए।

एस.डी.पी. माइनर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया अगर उस एस.पी.डी. माइनर को आप 14 बुर्जी एक्सटैंड कर देते हैं माणकखेड़ी तक, उससे बहुत बड़ा भू-भाग फ्लो से सिंचित होगा, लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

इसी तरीके से आई.जी.एन.पी. की कानोर डिस्ट्रीब्यूटरी है, अगर उसको 6 बुर्जी आप आगे और एक्सटैंड कर देते हैं तो वह भी एक फ्लो से बहुत बड़े भू-भाग को सिंचित करेगी, काश्तकारों का जीवन सुधर जाएगा। मेहरबान, आप इन छोटी-छोटी बातों को, जो मैनेजमेंट की कमी के कारण हमें कष्ट हो रहा है, आप उधर जरूर ध्यान फरमाएंगी।

मैंने पिछले बजट सैशन के अन्दर सुझाव दिये थे कि दोहरी मैनेजरियल सिस्टम है जो सारे सिस्टम में आपने अपना रखा है। हनुमानगढ़ के अन्दर दो अधिकारी बैठते हैं, एक सिद्धमुख को देखने जाएगा, एक भाखड़ा सिस्टम को देखने जाएगा। उस मशीनरी का मिसयूज हो रहा है। आज भाखड़ा का जो क्षेत्र है वह सिद्धमुख के इंजीनियर्स को क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते। गंग कैनाल का इंजीनियर जो श्रीगंगानगर बैठता है वो जाकर अनूपगढ़ तीनों सिस्टम को क्रोस करके जाएगा और वहां छोटे से हिस्से को देखकर आएगा। जबकि विजयनगर के अन्दर आपका खुद का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमैंट है। अब सवाल यह आता है कि पैसे की कमी है। मंत्री महोदय, मैं उसके साथ-साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैंने कई दफे इस बात को उठाया है कि हमारी अरबों की 18 सम्पत्तियां पंजाब प्रान्त के अन्दर हैं। पंजाब वालों ने उनमें से कुछ सम्पत्तियों को बेच खाया है और आज आप उनसे मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। हम उनके मालिक हैं। आप मेहरबानी करके उन सम्पत्तियों को उनके कब्जे से छुड़वाने की कोशिश करें।

इसी तरीके से एस.ई.एम. माइनर का हिस्सा, उसमें से सारा एरिया आई.जी.एन.पी. सूरतगढ़ ब्रांच में ट्रांसफर हो गया। उस कैनाल के अन्दर दबी हुई करीब एक मुरब्बा जमीन है। उसको आप नीलाम कराएं, वह बेकार पड़ी हुई है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

इसका मतलब यह नहीं कि आप बोले जाओ।

मांग संख्या-46 पर विचार

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेरी बात तो पूरी कर लूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये बातें बहुत पहले आ चुकी हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इनमें से एक भी नहीं आयी। सचेतक महोदय, अगर कोई एक बात साबित कर दो..

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो, आप।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वहां सरदारगढ़ के अन्दर 27 बीघा जमीन और हमारा रेस्ट हाउस जो आज बेकार पड़ा हुआ है उसके अन्दर अवांछनीय तत्व नाजायज कब्जा कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप ऐसी सम्पत्तियां जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं अनेक सम्पत्तियां हैं। जब राजस्थान कैनाल का निर्माण हो रहा था उनकी वर्कशाप्स की जगह उन वर्कशाप्स के अन्दर मशीनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जगह-जगह पर स्टोर किया हुआ है उसमें से करोड़ों रुपए की सम्पत्तियां चोरी हो गई। आप मेहरबानी करके जो ऐसी सम्पत्तियां हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, दूरदराज के इलाके में बिखरी पड़ी हैं, आप उनको नीलाम क्यों नहीं करवाते जिससे राजस्थान का एक्सचैकर बढ़े और आपके विभाग को पैसा और मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हुए निवेदन करूंगा कि मैंने जो कुछ बातें कही हैं मंत्री महोदया उनका जवाब देते वक्त कुछ न कुछ जरूर चर्चा करेंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलालजी गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री धर्मपालजी। नहीं बोलना है? श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग की मांग संख्या-46 पर निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य देवीसिंहजी ने शुरूआत में यह निवेदन किया कि मौजूदा सरकार आने के बाद सिंचाई विभाग के अन्दर जो बजट का प्रावधान रखा गया है उससे राजस्थान के अन्दर सिंचाई विभाग के द्वारा जो समृद्धि आयी थी उस समृद्धि का रास्ता बिलकुल बन्द हो चुका है और एक निराशा की भावना पूरे राजस्थान के अन्दर पैदा हो गई है। अगर 280 करोड़ रुपए 1998-99 के वर्ष के अन्दर इस सिंचाई विभाग के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान हुआ करता था उसमें से 200 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च हुआ करते थे जो आज की स्थिति के अन्दर 100-110 करोड़ रुपए पर आ चुका है। ऐसी स्थिति में सिंचाई में किसी भी प्रकार का कोई नया विकास का काम नहीं हो सकता।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से फलौदी और पोकरण लिफ्ट की दो योजनाएं स्वीकृत की गई थीं और उन दोनों योजनाओं का सिस्टम राजस्थान में मरूस्थलीय इलाके के अन्दर और कोई दूसरा विकास का रास्ता था नहीं। फलौदी लिफ्ट योजना से करीब 37 ग्रामों की 30 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होने वाली थी। इसी प्रकार फलौदी पोकरण लिफ्ट के अन्दर भी करीब 18 ग्रामों की लगभग 15 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होने वाली थी। फलौदी योजना से करीब एक लाख 40 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा मिलती और प्रति वर्ष एक लाख 16 हजार टन खाद्यान्न, दलहन व तिलहन आदि के उत्पादन का अनुमान था। प्रति वर्ष लगभग 2.70 लाख टन चारे के उत्पादन की सम्भावना थी। इस योजना से खाद्यान्न एवं चारे के उत्पादन के अतिरिक्त पशुपालन, दुग्ध एवं ऊन उत्पादन में सहायता मिलती। सिंचित क्षेत्र में पेयजल संकट दूर हो जाता और आसपास के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ता।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भली प्रकार से जानते हैं यह पूरा फलौदी सब डिवीजन सम्भाग मरूस्थलीय सम्भाग और इसके अन्दर और कोई विकास की योजना नहीं है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पिछले तीन साल से करीब-करीब फलौदी और पोकरण लिफ्ट योजना का काम ठप्प पड़ा है। पिछले साल इस योजना के लिए फलौदी लिफ्ट योजना के अन्दर 535 लाख रुपए का अनुमान बजट के अन्दर लगाया गया था, परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस पर 535 लाख रुपए का वापस संशोधित अनुमान 2001-2002 के बजट में आधा करके 270 लाख रुपए रखा गया और इस साल 435 लाख रुपए आय-व्ययक अनुमान के अन्दर प्रावधान किया गया है। हम जिससे यह उम्मीद लगा सकते हैं यह करीब-करीब ज्यादातर संस्थागत खर्च के अन्दर खर्च होकर कोई नया काम शुरू होने वाला

(18.00 बजे)

नहीं है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सितम्बर माह में डायरेक्शन कमेटी द्वारा यह निर्णय ले लिया गया बताते हैं कि फलौदी लिफ्ट योजना में जहां 7 पम्पिंग स्टेशनों का कार्य पूरा किया जाना था। वहां पर पम्पिंग स्टेशन नम्बर एक और नम्बर दो का काम चल रहा था वह काम भी अभी तक पूरा हुआ नहीं है और दोनों योजनाओं में, पोकरणों और फलौदी लिफ्ट योजनाओं में करीब 80-85 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी आज एक बीघा जमीन भी सिंचित हो नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अनुमान यह था कि...

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय, सी.ओ.डी. में आपकी अध्यक्षता में फैसला हुआ कि इनको ड्राप कर दिया जाए, आगे की लिफ्ट योजना में जो पम्पिंग स्टेशन हैं? ठण्ड पिए हुए हो या क्या कर रहे हो? बरबाद कर दोगे इस इलाके को।

श्री बुलाकी दास कल्ला : वह कमेटी आफ डायरेक्शन है सैक्रेटरीज, मीटिंग लेते हैं सी. एस.।

श्री देवीसिंह भाटी : वह आपके ऊपर हावी हो गए। इसका मतलब यही होता है कि...

श्री बुलाकी दास कल्ला : कोई हावी नहीं होने देंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बीच में क्यों हाइजेक कर रहे हो?

श्री देवीसिंह भाटी : कमेटी आफ डायरेक्शन के ऊपर आपकी यह कोई भी किसी प्रकार की लगाम नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : किसी को हावी नहीं होने देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : बरबाद कर दिया आपने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बीच में कहां हाइजेक कर गये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको किसने बुलाया, यह हमारे आपस की, बीकानेर की बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तो वहां लाबी में जाकर कर लो न।

श्री रामनारायण विश्नोई : डायरेक्शन कमेटी के अन्दर यह निर्णय लिया गया और आई.जी.एन.पी. चेयरमैन को यह बाधित किया गया कि फलौदी लिफ्ट स्टेशन के पम्पिंग स्टेशन 6 और 7 का कार्य आइंदा शुरू नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले और दूसरे पम्पिंग स्टेशन का काम अभी पूर्ण हुआ नहीं, तीसरे और चौथे पम्पिंग स्टेशंस का प्रस्तावित था, पिछले साल तक वह काम भी अभी तक अधूरा चल रहा था। पूरी लिफ्ट योजना को एक तरह से बन्द करने की नौबत आने की स्थिति में इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया है वह बहुत ही घातक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस लिफ्ट योजना की करीब 160-70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत थी उस योजना को अगर इस तरह से अधूरा छोड़ दिया जाएगा, 2005 के अन्दर फलौदी लिफ्ट योजना सम्पूर्ण की जानी थी उस योजना की आज तक शुरूआत ही नहीं हो सकी है तो इस योजना की क्या स्थिति होगी, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे जोधपुर फलौदी सब डिवीजन का विकास का कार्य पूरा हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल बजट अनुमान में आपने पैसा रखा है उसको

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बढ़ाकर कम से कम इतना बजट अनुमान दीजिए ताकि आगे के जो पम्पिंग स्टेशन हैं, पम्पिंग स्टेशन्स नम्बर 5, 6 और 7 फलौदी लिफ्ट के इनका कार्य भी बराबर थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे चालू कर दिया जाए। यह तो विकास की सतत् प्रक्रिया है। अगर किसी लिफ्ट योजना का पम्पिंग

(18.02 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

स्टेशन का कार्य साथ-साथ नहीं चलेगा तो एकदम से कोई पम्पिंग स्टेशन के कार्य नहीं होंगे। औजार, सामान वगैरह भी खरीदना होता है, टेंडर भी मंगाने पड़ते हैं और इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया, वह लिफ्ट कैनाल योजना की बन्द नहीं होनी चाहिए।

इसी तरह से, पोकरण लिफ्ट का भी पम्पिंग स्टेशन नम्बर 4, 5 और 6 तीनों स्टेशनों का भी कार्य एक बार आगे शुरू नहीं करने का जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को भी आप बदलकर वापस यह निर्णय दें कि यह दोनों लिफ्ट योजनाओं का काम बराबर चालू हो और जल्दी से जल्दी 2005 में फलौदी लिफ्ट योजना सम्पूर्ण होने वाली थी। 2006 के अन्दर पोकरण लिफ्ट योजना सम्पूर्ण होने वाली थी जिससे इन गांवों के अन्दर जो एक आशा की किरण बंधी थी। अकाल की मार से जो लोग टूटे हुए थे और पानी की जलदाय योजना भी इस लिफ्ट योजना के आधार पर ही गांव के अन्दर पेयजल प्राप्त होना था। इन स्थितियों से निपटने के लिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं की अगर शुरूआत नहीं की गयी तो यह वह इलाका, आपसे छिपा हुआ नहीं है मंत्री महोदय, जहां पर अभी गर्मियों के दिनों के अन्दर करीब 10-10, 12-12 घंटे तक बच्चों और औरतों को पानी के टेंकर आते हैं उनसे पानी लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह जलदाय योजनाएं केवल इसी आधार पर रुकी हुई पड़ी हैं, कोई जलदाय विभाग की तरफ से नयी योजनाएं नहीं बनायी जा रही हैं, कोई प्रबंधन नहीं किया जा रहा है कि लिफ्ट योजनाओं का काम होने के बाद में आपके इस एरिया के अन्दर पानी का प्रबन्धन किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर लेकर दोनों लिफ्ट योजनाएं, फलौदी लिफ्ट योजना और पोकरण लिफ्ट योजना का काम अतिशीघ्र गति से किया जाए। जैसा मैंने निवेदन किया कि पिछले साल आधा बजट कटौती कर दिया गया और इस साल के जो अनुमान हैं उनके मुताबिक यह कार्य कम से कम अगले 15-20 साल में, अगर यही गति रही तो यह पूर्ण होने वाला नहीं है। इस पूरे जिले में जहां से कि मुख्य मंत्री श्री अशोकजी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

गहलोत हैं, बार-बार वह विकास की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। वहां आज की स्थिति यह है कि पूरे सब डिवीजन के अन्दर भयंकर असंतोष है और लोग आन्दोलन करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट को संशोधित अनुमान करके इन दोनों के कार्यों को दिसम्बर, 2005 और 2006 तक पूरा किया जाए। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : बहुत, बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती मधु दाधीच।

श्री नाथूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, मैं था नहीं, अब आ गया।

श्री सभापति : बिराजो। अब तो अन्दर आ गए न? बिराजो फिर।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, लगातार तीन वर्ष तक अकाल की विभीषिका से जूझने के उपरान्त भी सुदृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प के साथ विकासोन्मुख बजट देना और उसके अन्तर्गत सभी क्षेत्रों के अन्दर विकास की धाराएं विकसित हो उस रूप में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। सभी क्षेत्रों में जहां शिक्षा, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था उन आयामों को स्थापित किया गया उसी रूप में विशेषतया कृषकों का ध्यान रखा गया और कृषकों के संवर्द्धन के लिए सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह है सिंचाई। माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो संदेश है "गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और अकाल को विकास से जोड़ना।" इन दोनों संदेशों के तहत सिंचाई सुविधाएं चाहे बहुउद्देशीय हो, मध्यम हो और चाहे लघु सिंचाई योजना हो, तीनों सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत विशेष योगदान प्रदान किया गया है। जब बार-बार किसी प्रदेश के अन्दर अकाल की विभीषिका होती है, तो सबसे बड़ी जो चीज होती वह जल संग्रहण की होती है। राजस्थान के अन्दर वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हम धन्यवाद देंगे सिंचाई मंत्रीजी को कि अकाल के जो कार्य प्रारम्भ किए गए वह सबसे पहले सिंचाई के द्वारा प्रारम्भ किए गए। उसके अन्दर पुरातन जल स्रोत जिसके अन्दर कुएं, बावड़ी, तालाब उनका कार्य प्रारम्भ किया गया। साथ ही एनीकट्स बनाने में, जिससे जल का संग्रहण हो सके और उस क्षेत्र में चाहे कुएं हों, चाहे ट्यूबवैल हों उनका वाटर लेवल ऊपर हो सके। इस बात की विशेष व्यवस्था की गयी। जिससे काश्तकार की सुख-समृद्धि के अन्दर वृद्धि हो सके। मैं धन्यवाद दूंगी कि जल संग्रहण और संरक्षण के तहत ही 2000-2001 में ही

(श्रीमती मधु दाधीच)

676 वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स स्वीकृत कर दिए गए थे उसके बाद 773, उसके बाद अकाल राहत कार्यों की सम्बद्धता से 3388 पारम्परिक जल स्रोतों के साथ के कार्य पूर्ण किए गए। जो सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए वह है वाटर लेवल को किस प्रकार से ऊंचा लाना। उसके अन्तर्गत सिंचाई मंत्रीजी और सिंचाई विभाग का विशेष योगदान है। मैं अपने क्षेत्र की बात करते हुए कहूंगी कि उस क्षेत्र की जनता के माध्यम से ऐसे इलाके के अन्तर्गत जिसके लिए 50 साल तक नहीं सोचा गया, निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कनेरा घाटा एक पठारी भू-भाग है, मध्य प्रदेश की सीमा को पार करते हुए, उस क्षेत्र के अन्दर सब लोग जाते हैं लेकिन उस क्षेत्र के काश्तकार के बारे में कोई सोच स्थापित नहीं की गयी। प्रथम बार इस सरकार का विशेष योगदान है कि उस छह पंचायतों के भू-भाग के अन्तर्गत दो लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करके उस क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस सन्दर्भ में कनेरा घाटा क्षेत्र में भावलियां बांध एवं सरसी बांध के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय सिंचाई मंत्रीजी का हृदय से उस क्षेत्र की जनता की ओर से अत्यन्त आभार मानती हूं। उस पठारी भू-भाग के अन्तर्गत जहां ट्यूबवैल नीचे चले गये हों और कईं वर्षों से लोग अपने अफीम के पट्टों को बचाने के लिए टैंकर्स से खेती करते थे, आज ये दो बांध पा करके उस क्षेत्र की जनता आपके प्रति आभारी हैं।

साथ ही निम्बाहेड़ा के अन्दर गम्भीरी बांध जो पूरे चित्तौड़ जिले के अन्दर सबसे बड़ा बांध माना जाता है, कईं सालों से उसकी नहरें टूटी थीं, पानी व्यर्थ बह जाता था, काश्तकार को उसके पानी का उपयोग प्राप्त नहीं होता था। कई बार इस बारे में जनता ने आवाज उठायी। गम्भीरी डैम से जो वृहद् स्तर की सिंचाई होती लेकिन पानी का सही उपयोग काश्तकार तक नहीं पहुंच पा रहा था। टूटी-फूटी नहरों के लिए प्रथम बार यह वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अन्दर जो 750 करोड़ रुपए की स्कीम है उसके अन्दर गम्भीरी डैम की नहरों को भी सम्मिलित किया गया है उसके संवर्धन के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का आभार मानती हूं।

साथ ही, क्योंकि यह विधान सभा क्षेत्र काफी समय से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है जहां विकास की बहुत सम्भावना है लेकिन विकास की गति प्राप्त नहीं हो पाई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपके कर कमलों से बाड़ी बांध का उद्घाटन हुआ

(श्रीमती मधु दाधीच)

और काश्तकार प्रफुल्लित हैं कि प्रथम बार बाड़ी बांध भरा, नहरें चलीं, उस क्षेत्र के काश्तकार को पानी मिला। मैं आपसे मांग करती हूं कि बाड़ी बांध के जो सैकण्ड कैटेगरी के मुआवजे हैं उसको भी इसी वर्ष बजट प्रावधान के अन्तर्गत अथवा दूसरी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाए। जब बाड़ी बांध भर गया है और डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आए हुए जो काश्तकार हैं, किशनपुरा, मक्खनपुरा गांव सुदृढ़ काश्तकारों के गांव हैं, जब दहलीज तक पानी भर जाता है तो घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यदि उनको मकानों का मुआवजा नहीं मिलता है तो काश्तकार कहां जा करके रहेगा। समृद्ध काश्तकार के पास अच्छे पशु हैं, निश्चित उनके बाड़े की आवश्यकता है और हमारे यहां जो डेंसिटी आफ पापुलेशन है वह ज्यादा है इसलिए उन लोगों को सैकण्ड कैटेगरी का मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि उस क्षेत्र के अन्दर वह अपने रहवास की व्यवस्था कर सकें।

साथ ही बाड़ी बांध के सहारे से एक बाड़ी से बूढ़ाखेड़ा बिलकुल डैम के ऊपर, जिसके ऊपर से आप लोग आये थे, उस सड़क की हालत बहुत खराब है। न तो वह पी.डब्ल्यू.डी में है और न किसी क्षेत्र के अन्तर्गत है। जब डैम के सहारे से कोई सड़क जाती है तो मैं चाहती हूं वहां काश्तकार का आवागमन है, काफी गांव वहां पर जुड़े हुए हैं, उनके आवागमन की सुविधा के लिए डैम के अन्तर्गत जो काश्तकार रोज अंधेरे में भी वहां से निकलता है उनको सुविधा रहे और कोई हादसा न हो इसलिए सड़क को सिंचाई के निर्माण के अन्तर्गत लिया जाए और उस सड़क को पूर्ण करके सुविधायुक्त बनाया जाए।

सबसे बड़ी बात, छोटी सादड़ी के अन्तर्गत आदिवासी पंचायतें हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं। उस क्षेत्र के अन्तर्गत जो हम कहते हैं कि अकाल को विकास से जोड़ना। वास्तव में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो सिंचाई विभाग के माध्यम से कार्य किये गये थे, आदिवासी जनता का उसके अन्तर्गत योगदान था, ऐसे तालाब बने। कल्याणपुरा, छानकलां, छानखुर्द, सजगपुर वे तालाब बांध का रूप ले चुके हैं। मैं आपका बहुत आभार मानती हूं। सिंचाई मंत्रीजी कि उस आदिवासी क्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रकार के तालाब देकर के हमने उस आदिवासी जनता को बहुत बड़ी सम्पत्ति प्रदान की है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से बांसवाड़ा के योगदान में माही डैम का योगदान है उसी प्रकार से उस जनजातीय क्षेत्र की जनता को कृषि से जोड़ने के लिए, अभी तक वो लोग अपना जीवनयापन दूसरे क्षेत्र में मजदूरी करके अथवा मैं स्वीकार करती

(श्रीमती मधु दाधीच)

हूं कि अपना पेट भरने के लिए लकड़ी काट कर बेचने से अपना जीवनयापन करते हैं, उनको कृषि से जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है, उस आदिवासी जनता की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है पंडेरिया बांध। सुखाड़ियाजी के शासनकाल से यह बात चली आ रही है। एक दीवार बीच में आ जाती है कि उसके डूब क्षेत्र के अन्तर्गत कोई एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं है और वहां पर उसके निर्माण के अन्तर्गत भी ज्यादा पैसा लगने की सम्भावना नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, सुरम्य पहाड़ियों के बीच में से एक नाला निकलता है बहुत जोरदार नाला, उसे पंडेरिया कहते हैं। केवल फोरेस्ट की लैण्ड डूब में आ रही है। सरकार के दोनों विभागों के बीच बातचीत हो और पंडेरिया का निर्माण होता है तो जनजाति बाहुल्य छह पंचायतों के अन्तर्गत हम आदिवासी क्षेत्र को बहुत बड़ी चीज दे सकेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि जनजाति क्षेत्र को, जनजाति नागरिकों को विकास की इस धारा के अन्तर्गत जोड़ना बहुत आवश्यक है। वे कृषि के लिए आमुख हैं, खेती करना चाहते हैं। वहां बहुत सी बिला नाम रेवेन्यू लैण्ड है। छहों सरपंच, वहां के सभी पंच, वे सब लोग स्टाम्प पर लिखने को तैयार हैं कि जितनी जंगलात की जमीन होगी, हम उसके बदले में अपनी जमीन देने को तैयार हैं। यदि आदिवासियों की गंगा पंडेरिया का निर्माण हो जाता है, तो उस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अकाल के अन्तर्गत बहुत से एनीकट्स लिये गये पर उसके अन्दर कई ऐसे महत्वपूर्ण तालाब, एनीकट्स अभी भी अधूरे हैं और जिनका निर्माण उस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। उसमें है वागदरी का तालाब जिसको आर.आई.डी.एम. 6 में भी लिया गया था, इसको आगे भी लिया जाए जिससे काफी क्षेत्र का विकास हो सकता है। चण्डी माता एनीकट और ऊंट की घोड़ी एनीकट, ये ऐसे एनीकटस हैं जिससे समृद्धि ज्यादा है और निर्माण की लागत कम है। इनको पूर्ण करके वहां की जनता को राहत प्रदान की जाए। इसी रूप में मैं पुनः आपका हृदय से आभार मानती हूं कि आपने पहले से, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होने के पहले से पूरे क्षेत्र का बून्द-बून्द का सर्वे करवाकर, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके वास्तविक, जहां पर सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता थी, उस क्षेत्र के अन्तर्गत एनीकट्स, तालाब और ये दो डैम दे करके जो हमारे क्षेत्र के ऊपर उपकार किया, उसके लिए पुनः आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। सबसे पहले सोम कागदर बांध है, उस बांध को पांच मीटर ऊंचा उठा करके पंचायत समिति, डूंगरपुर को पानी देने के बारे में मैंने पहले भी कई बार विधान सभा में 295 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है और अभी भी लिखा है लेकिन इस कार्य को सर्वे करवाकर अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यह बांध समुद्र तल से 298 मीटर ऊंचा है और मेरे डूंगरपुर पंचायत समिति के जो तालाब हैं, वह 260 से 270 मीटर के करीब हैं, इनकी ऊंचाई को देखते हुए यह पानी हमको डूंगरपुर पंचायत समिति और आसपुर की कुछ पंचायतों को यह मिल सकता है। सोम कागदर से सीपेज का जो पानी है, वह अमरपुरा बांध को जाता है और अमरपुरा के छह तालाबों का चैनल बनाकर भरा जाता है। गत चार साल से पानी नहीं गिरने के कारण जो छह तालाब हैं, वह भरे नहीं जा सकते हैं इसलिए यह भी बहुत जरूरी हो गया कि इस बांध को पांच मीटर ऊंचा उठाया जाए ताकि छह तालाब हैं, उनको भी भरा जा सके, डूंगरपुर पंचायत समिति के पूरे एरिया को और आसपुर पंचायत समिति की छह पंचायतों को पानी दिया जा सके। इसलिए मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस योजना को चालू करके आदिवासी एरिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की कृपा करें, यह मेरी मांग है।

इसके अलावा यह अमरपुरा बांध है, उस बांध से जो छह तालाब भरे जाते हैं उसमें काफी मिट्टी भर गई हैं और उस मिट्टी को बराबर नहीं निकाला है, इसलिए भी पानी वहां नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस सूखे के साल में, अकाल राहत में काम शुरू करके इस मिट्टी को कैनाल से निकाला जाए ताकि वह छह तालाब भरे जा सकें।

इसके अलावा डूंगरपुर के जो बांध हैं, उन बांधों की नहरें सब खुर्द-बुर्द हो गई हैं। लम्बे समय से इन नहरों को ठीक नहीं किया गया है जिससे काफी सीपेज होकर काफी जगह बरबाद हो रही है इसलिए अभी जो योजना है, उस योजना में उन नहरों को लेकर, सारी की सारी नहरें पक्की की जाएं और जो सीपेज खूब हो रहा है, उसको रोका जा सके। अभी इस सोम कागदर के बांध को पांच मीटर ऊंचा लेकर, उनको बचाने के बारे में मुख्य सचिवजी खन्ना साहब आए थे, उस समय बहुत लोगों ने, काश्तकारों ने पुरजोर शब्दों में इनको निवेदन किया था। इन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए योजना बनाई जायेगी।

(श्री नाथूराम अहारी)

इसके अलावा मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं, अभी गत साल जो सिंचाई के तालाब हैं, उनको पंचायत समिति को दिया गया हैं। पंचायत समिति के पास तो कौड़ी पैसा है नहीं और उनके चपरासी के लिए या उनकी स्टेशनरी खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है और आपने इन तालाबों को पंचायत को दिया है। मेरी मांग हैं, आप इन तालाबों को वापस सिंचाई में लें और जो यथावत काम चल रहा है, उसके अनुसार उसे पूरा कराया जाए।

इसके अलावा कांग्रेस के शासन में माही कैनाल से आसपुर, सागवाड़ा और सिंगवाड़ा पानी देने के बारे में सर्वे किया और सागवाड़ा तक काफी नहर निकाली गई है लेकिन आठ साल के भाजपा शासन में एक टोकला भी वहां उसमें से नहीं निकला। कई बार हमने आवाज उठाई लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है। अभी भी मेरा खयाल है, उसके लिए कुछ बजट में प्रावधान रखें हैं लेकिन चिन्हित नहीं किया गया है कि इसी नहरों को किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि माही की कैनाल जो कच्ची निकाली है, उसे इस साल ले करके तीन पंचायत समितियों को पानी देने की योजना बनाई जाए, यह मेरी मांग है।

इसके अलावा हमारे डूंगरपुर में गत साल काफी एनीकट्स और तालाब बांधे गये हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अभी भी कई मोगे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है तथा बरसात का पानी रोकने के लिए जगह-जगह एनीकट्स और तालाब बांधने की अगर व्यवस्था जैसी है उसी तरह चालू रखी जाएं तो मैं समझता हूं अपना जल स्तर कायम रह सकता है। इसके अलावा हमारे डूंगरपुर में क्या, उदयपुर डिवीजन में काश्तकार की जमीन बहुत ही कम है, पूरी पहाड़ियां हैं। नाले के बीच में मामूली सी जगह रहती है, उसमें काश्तकार अपना जीवन बसर करते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मामूली सी जमीन है, उस जमीन को सिंचित करने के बारे में जो भी सरकार का पैसा लगे, जो भी करना पड़े, वह करके आप वहां ज्यादा से ज्यादा पानी देने के बारे में अगर सोचेंगे, तो मैं समझता हूं कि आदिवासी एरिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।

इसके अलावा मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने बीसलपुर योजना के बारे में कहा बीसलपुर योजना की सी-लेवल की ऊंचाई है वह 118 मीटर बताई गई है, तो मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में, जहां अच्छा पानी गिरता है, श्रीगंगानगर में और उस साइड में, उसकी ऊंचाई अगर ज्यादा है तो नीचे के जितने भी

(श्री नाथूराम अहारी)

तालाब हैं या जितना भी एरिया है, उसका सर्वे करवा कर उन तालाब में या नालों में भी अगर पानी डाल दिया जाएगा तो भी हमारा जल स्तर कायम रहेगा। इसके बारे में हमारा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि सर्वे करवा कर जहां-जहां भी पानी जा सकता है, वहां पानी पहुंचाने की कृपा की जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। आज जिस हिसाब से अपने कार्यक्रम में सर्वे करके जो भी आपने बांध और तालाब की योजना में जो बजट दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। मेरे अमरपुरा और डोरवरिया गोड़ा में आपने सर्वे करवा कर, उसको मंजूर करके उसका मुआवजा भी दे दिया है इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं को आप जल्दी पूरा करके हमारे काश्तकारों को फायदा पहुंचाया जाए। आप हमारे एरिया में भी अपना टूर प्रोग्राम बनाकर अपने विभाग के साथ आप सर्वे करवाएंगे तो बहुत सी ऐसी योजनाएं बन सकती हैं, जो आदिवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम तो कभी कभी बोलते हैं तो व्यवधान पैदा हो जाता है...

श्री सभापति : आप हमेशा बोला करो न, हमेशा बोला करो।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, हमेशा बोलने का समय मिलता नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जो अभी सुझाव दिए हैं मैंने जो यह सोम कागदर के लिए प्रोजेक्ट बनाकर पानी देने के बारे में कहा है, उसे गम्भीरता से लेंगे और हमारे डूंगरपुर के लिए पानी देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान। आप बोल रहे हैं न?

श्री हीरासिंह चौहान : हां।

श्री सभापति : हां, तो बोलो न फिर।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापतिजी, सिंचाई के बारे में मांग पर विचार हो रहा है, मैं संक्षेप में अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मांग के ऊपर माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने क्षेत्र की मांग उठाई उनमें, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, सबसे ज्यादा मांग एनीकट्स की की गई है। कुछ नये एनीकट्स की मांग की गई है, कुछ पुराने एनीकट्स अधूरे रहे हुए हैं उनकी मांग की गई है और कुछ पिछले वर्षों में अतिवृष्टि के कारण टूट गये उनकी मांग की गई है। राज्य सरकार की सोच इन एनीकट्स के प्रति हमेशा उदासीन रही है। बहुतायत एनीकट्स इनमें से अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाए गये हैं। अब जब भी हम इस प्रकार

(श्री हीरासिंह चौहान)

का प्रश्न पैदा करते हैं, सरकार के खजाने से लाखों रुपया उनके निर्माण में लगा है, अब यह सिंचाई विभाग उनको अपनी परिसम्पत्तियां नहीं मानता। वह कहता है हम तो बड़े बांध और नहरों की मरम्मत कराते हैं।

अब प्रश्न यहां पर पैदा होता है कि इन एनीकट्स के बनाने के कारण से उन गांवों के किसानों के कुओं में जलस्तर की वृद्धि होती है। सब जगह हम चाहते भी नहीं कि आप बड़े-बड़े बांध बनाओ, सब जगह बन भी नहीं सकते और आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि कम से कम राज्य का साठ प्रतिशत सिंचाई के साधन कुएं हैं। अब कुओं का जलस्तर ही धीरे-धीरे बहुत गिर रहा है, एनीकट्स से बरसात के पानी के कारण से पानी की रुकावट होती है और आसपास के खेतों में जलस्तर बढ़ता है, कुओं से सिंचाई होती है, किसानों में खुशहाली आती है।

माननीय मंत्री महोदया, मेरा सबसे पहला निवेदन है, इन एनीकट्स को आप अपने विभाग के एनीकट्स मानें और विभाग के एनीकट्स मान करके, इसमें कोई बाहरी आदमी ने या निजी आदमी ने यह एनीकट्स नहीं बनाएं, आपके सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बनाए हैं और जो वह परिसम्पत्ति है, जो भी आपने स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। सिंचाई विभाग तो इसको देखता नहीं है और अन्य विभाग इसको देख नहीं सकता क्योंकि विभाग आपका है। माननीय सभापतिजी, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इन एनीकट्स को, यह जो परिसम्पत्तियां बनी हुई हैं, और किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, कम से कम इन एनीकट्स को अपनी प्रोपर्टी मान करके वापस लें।

अभी आपने कोई वाटर स्ट्रक्चर का, हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा पूरे राजस्थान भर के एम.एल.एज. से, पंचायत समिति से सर्वे करवाया, जिला परिषद् में उसको लाये, आपने जिले के एस.ई. को नोडल अधिकारी बनाया, एक बड़ी किताब छपी। हमसे आपने प्रस्ताव लिए और गांव के लोगों ने, सरपंचों ने कहां-कहां इस प्रकार के एनीकट बन सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, बड़े रूचिपूर्ण उस सब को तैयार करके किताब दे दी है। अब ऐसी जानकारी मिली है कि कहीं-कहीं आप कर रहे हैं लेकिन करने के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं दी जा सकती और जिस मतलब महत्वपूर्ण को उस क्रमवाइज लिखा कि हमारे गांव में सबसे पहले यह किया जाए। इस वाटर हारवेस्टिंग में हमने यह भी सुना है कि कम से कम सौ करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिये हैं, आपको राजस्थान के लिए। सौ करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिये हैं, अब उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

मिलती है। हम जगह-जगह जाकर पूछते हैं, आपके एस.ई. को पूछते हैं कि भाई, इस व्यवस्था में हमसे इस प्रकार का लिया है, हमने विधान सभा में सवाल भी पूछा और मेरे यहां शायद तीन एनीकट्स डेढ़-डेढ़ लाख के मंजूर हुए हैं। वह किस स्कीम में हुए हैं, मैं नहीं बता सकता, न आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी बता सकते हैं। आपके सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता से भी हमने कई बार सम्पर्क किया, सम्पर्क करके उन्हें निवेदन भी किया कि यह जो वाटर हारवेस्टिंग स्कीम बनाई है उस स्कीम के तहत आप किस-किस क्रम में कौन-कौन से काम दे रहे हो, लेकिन अभी तक वह इस प्रकार के काम, मतलब खुलासापूर्ण वह किसी बात को कह नहीं सकते। इसलिए माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो वाटर हारवेस्टिंग स्कीम बनाई है, जिसकी आपने एक बहुत बड़ी बुकलेट बनाई है और बुकलेट बनाकर हर जिले में उपलब्ध भी कराई है। उपलब्ध कराने के बावजूद इसको किस क्रम में करना, किस प्रकार व्यवस्था करनी है...

डा. (श्रीमती) कमला : इसको खुलासा कर देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, वह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब आप शासन में आएं, छोटे-छोटे जो बांध थे जिसकी साइज दो सौ एकड़ से कम सिलाई वाले थे, वह आपने ग्राम पंचायत को सौंप दिए। अब कुछ छोटे-छोटे बांधों से दो गांवों की पिलाई हो रही थी, दो गांव के काश्तकार उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत तो राजा बन गई, वह तो कहते हैं हम तो पानी आपको नहीं देंगे। मेरे यहां पर झिलमिल बांध के कारण से पिछले दो साल हो गये, दो साल के बाद एक ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास कर देती है यह पानी तो हम ही लेंगे। अब यह नये, कुछ टूट गये। मेरे यहां एक टूटिया बांध था चण्डावल स्टेशन की पंचायत में, इस साल अतिवृष्टि से टूट गया, अब उसका रखरखाव करने वाला कोई नहीं है, पानी की वितरण व्यवस्था सारी दूषित हो गई है...

डा. (श्रीमती) कमला : नाम बदलो उसका, नहीं तो फिर टूटेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : उसका नाम तो टूटिया ही रहेगा, आप चाहेंगे तो नाम कुछ कर देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, इस मांग में जो माननीय विधायकगण ने सुझाव दिए, बहुत सारों ने इस बात की मांग की है कि जो छोटे-छोटे बांध थे उनको आपके ग्राम पंचायतों में हस्तान्तरण करने से अव्यवस्था हो गई है। आपने तो अपने ऊपर जो वजन था उसको हल्का कर दिया, पंचायतों को दिया, होना तो चाहिए, बहुत खुशी की बात

(श्री हीरासिंह चौहान)

है कि पंचायत इस व्यवस्था को सम्भाले लेकिन पंचायतें जिस प्रकार की व्यवस्था करती है, वह तो आपने गांव की रक्षा करती है, दूसरे गांव की उसमें नहर निकली हुई है या कुछ हो रहा है तो उसके अधिकारों को वह समझती नहीं। इसलिए आपा-धापी मच जाती है और वह व्यवस्था करने में कई बातों में बड़ी इनकाम्पीटेंट है।

मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि यह बांध जो आपने हस्तान्तरित किये, आपकी नीति अच्छी थी कि आपने डिसैंट्रलाइजेशन किया कि ग्राम पंचायत इसका रखरखाव करेगी, ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी लेकिन ग्राम पंचायतें तो कई खेमों में बंटी रहती हैं, कभी तो जातिवाद के खेमे में चली जाती है, कोई ग्रुपबाजी के खेमे में चली जाती है, कभी दलगत राजनीति में चली जाती है जिसके कारण से जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कम से कम किसी से हजार होती है, किसी से डेढ़ हजार होती है, सिंचाई अधिक भी होती है उनसे। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मेरे झिलमिल बांध की क्या अधोगति की है, आपसे भी हम चार-पांच बार मिले कि उससे दो ग्राम पंचायतों की सिंचाई होती है। आपने आदेश भी किए लेकिन आपका एक ए.ईएन. है राम रतन है या पता नहीं क्या नाम है, जैतारण में बैठा है जिसकी हम शिकायत भी करते हैं बार-बार, उसकी लापरवाही की वजह से राज्य सरकार के आदेश को माना नहीं गया। एस.ई. ने और एक्स.ईएन. ने आर्डर किए उनको माना नहीं गया और गांव वालों को आपस में भिड़ा दिया। आज भी उस बांध में कम से कम बीस फीट पानी भरा है। इर्रिगेशन का कमांड एरिया है यह और अगर आप जांच कराएं ईमानदारी से, मैं बड़ी आनेस्टी से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कुओं की जो जमीन है जहां पर सिंचाई के साधन है, कुओं में अथाह पानी है, फिर भी नहर के पानी का मिसयूज किया गया। अब तो कम से कम चार बार आर्डर हो गये, आर्डर के बावजूद उसकी कम्पलायंस नहीं हो रही है, तो हम किसके पास जाएं। एक किसान जो दूसरे गांव का है, बिराटिया कलां के किसान किसके पास जाएं। आपने भी थोड़ा पहले सी.ई.ओ.को किया, बाद में फिर ए.सी.ई.ओ. को कर दिया। ए.सी.ई.ओ. के कारण से जो उनकी बिजाई की हुई थी, गेहूं बोया हुआ था, चना बोया हुआ था...

डा. (श्रीमती) कमला : यह सब पंचायत राज के अन्तर्गत है। पंचायत राज ने हमसे मांगे, निर्णय हुआ, उसके तहत में हमने दे दिए। हमने अपना बोझ हल्का करने की दृष्टि से नहीं किया।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने बोझ हल्का किया है माननीय मंत्रीजी। आपसे तो बड़े-बड़े बांध भी मांग लेंगे मगर आप देते हैं क्या?

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, सुनिए। हमने अपना बोझ हल्का करने की दृष्टि से नहीं दिए। पंचायतों के सशक्तीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत राज ने तय किया, हमने दे दिए।

श्री हीरासिंह चौहान : इस बात से तो मैं एग्री करता हूं, आपकी नीयत ठीक थी, मैं भी कह रहा हूं लेकिन उनका मैनेजमैंट ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपको रिकंसीडर करना पड़ेगा मैटर को।

डा. (श्रीमती) कमला : पंचायत राज को सोचना है।

श्री हीरासिंह चौहान : इसीलिए इसको थोड़ा सा रिकंसीडर करके वास्तव में जहां झगड़े-टंटे वाली बात है, जहां पर कई जगह आपने बांध दे दिए तो मछलियों के ठेके देने का अधिकार नहीं दिया। सोजत तहसील में एक ऐसा ही है, वहां पर कहते हैं कि मछली का ठेका हम नहीं दे सकते, यह तो सिंचाई विभाग वाले देते हैं। तो कई प्रकार के डिस्प्यूट्स अराइजेज हुए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार के हस्तान्तरण से जो विवाद पैदा हुए हैं जब तक विभाग इसमें इंटरफियर नहीं करेगा, एक पंचायत तो नहीं कर सकती है। इस प्रकार के मामलों में एक पंचायत तो कतई नहीं निपटा सकती इसीलिए आपको वापस काग्नीजेंस लेना पड़ेगा इस मैटर पर, क्योंकि राज आप कर रहे हैं, पंचायत अधिकार लेती है और बहुत सारी पंचायतें इसको रखना भी नहीं चाहती लेकिन जबरदस्ती सौंपे गये हैं। अब सौंपने के बाद आपके आदेश हैं, तो उसके बाद तो वह लेंगे। इसीलिए इस विषय पर भी वापस आपको विचार करके इस व्यवस्था को भी आपको सुधारना पड़ेगा।

अब मेरा निवेदन है, यह चम्बल बांध का पानी, चम्बल नदी का पानी सारा एम.पी. में जा रहा है। यह हमारे अजमेर और पाली तक पहुंच सकता है अगर लिफ्ट योजना से, आपकी नीयत साफ होवे और आप करना चाहते हो। हमारे इस क्षेत्र में पानी का कोई साधन ही नहीं, कोई बड़ा बांध ही नहीं बन सकता और पानी इतना अथाह है जो और जगह जा रहा है और इस एरिये में, सूखे एरिये में, आपका जितना भी एरिया इधर वाला है देवली से लेकर आगे अजमेर, हमारा भी, रायपुर तक भी पहुंच सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इसकी भी आप वापस जांच करा कर, सर्वे करा करके कहां से लिफ्ट हो सकता है अगर आप पानी देने की नीयत रखते हो केवल इन्दिरा गांधी नहर योजना से तो पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में

(श्री हीरासिंह चौहान)

हो सकता है लेकिन मध्य राजस्थान में ये जो बहुत सारा सूखा क्षेत्र है, बरसात भी बहुत कम हो रही है, लोगों के कुओं में भी पानी नहीं है और लोगों के जीवन में कुछ यह रचनात्मक काम तो सरकार को करना चाहिए, व्यक्ति की हैसियत वाला काम नहीं है। सरकार अगर इस प्रकार कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती है तो कुछ न कुछ आपको वजन लेना पड़ेगा। मेरा तो आपसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निवेदन है कि कम से कम चम्बल नदी का पानी लिफ्ट करके ये जो सूखा भू-भाग है इस सूखे भू-भाग में ला करके इस को हरा-भरा करें। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की हमारे इस एरिये में पानी आने की व्यवस्था बैठ नहीं सकती है। इसलिए आप चाहते तो हैं, क्योंकि "अपना गांव अपना पानी" इस प्रकार का एक नारा आपने दिया है। नारा देने के साथ-साथ एक पिछली सरकार के समय हुआ था अच्छा निर्णय नहीं हुआ। निर्णय यह हुआ कि जहां-जहां बांध हैं, बांधों के ऊपर एनीकट नहीं बनाए जाएं। बांध में जो पानी आता है वह कहीं तो 50 किलोमीटर से आता है, कहीं और दूर से आता है और बांध की भी इतनी भराव क्षमता नहीं है कि सारा वो पानी रख लेवे। ऐसी स्थिति हो गयी है उस आर्डर के कारण इसलिए हम चाहते हैं इस आर्डर को बदला जाए। एक बार आपने बदलने की कोशिश भी कि चार या पांच मीटर ऊंचाई तक के एनीकट्स बनाएं जाएं तो इसको प्रभावी साल से आपके इर्रिगेशन के अधिकारी इस व्यवस्था को काम में ले नहीं रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वह जो भी आदेश किया गया था गलत किया गया था क्योंकि पानी बह करके समुद्र में चला जाता है और आगे जा करके नुकसान करता है। "अपना गावं अपना पानी" वाली योजना आप लागू करना चाहते हैं, जलसंग्रहण योजना से यह काम हो रहा है लेकिन आपको भी इसमें थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। यह जो आर्डर पिछली सरकार के समय हुआ वह आर्डर ठीक नहीं था इसलिए चित्तौड़गढ़ वालों ने, इन लोगों ने तो उस आदेश को बदला दिया लेकिन हमारे यहां आज

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भी एज इट इज है। कम से कम मेरे एरिये में 15 एनीकट ऐसे बने हुए हैं जिनके द्वारा काफी किसानों के खेतों में पानी की अच्छी आवक हो सकती है। पिछले 10 साल से कोशिश करते-करते थक गया लेकिन यह आपके इर्रिगेशन के अधिकारी लोग सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग नहीं करने के कारण हम पैसा देवें तो भी रुकावट डालते हैं उन कामों को करने नहीं देते हैं इसलिए जो भी एनीकट्स पहले के बने हुए हैं सरकार वापस इन परिसम्पत्तियों को ठीक करन के लिए इसमें काग्निजेंस लेवें। कम से कम इन एनीकट्स को, जो अच्छे

(श्री हीरासिंह चौहान)

एनीकट्स हैं जिनमें अच्छा पानी आता है जो पानी बह करके यों ही चला जाता है उन एनीकटों के पुनर्निर्माण और ठीक कराने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदया आपसे निवेदन करूंगा।

अब निवेदन है कि यह नहरें हैं, मेरे यहां रायपुर बांध बना हुआ है। उसकी नहर आकर मंत्री महोदया देखें, तो इस प्रकार टूटी-फूटी हालत में है, पता नहीं बांध 1967 में बना था। उसके बाद से बांध में इतने समय तक तो आप नहर के लिए कुछ पैसा खर्च करते थे लेकिन पिछले दो साल से आपने योजना बना दी है किसान स्वयं ही अपनी नहरों को साफ कराएगा। अब नहर में से धूल तो निकाल देंगे, मिट्टी निकाल देंगे उसमें और भी कोई वृक्ष वगैरह अंग्रेजी बबूल वगैरह लग गये हैं या पैदा हो गये हैं, तो उनको भी काट देंगे लेकिन टूटी हुई नहर को तो किसान लोग ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जहां-जहां नहरें टूटी हुई हैं, स्पेशली रायपुर की, जो रायपुर दीपावास नहर है इस नहर को आप कोई भी अमाउंट सैंक्शन करके या उसका सर्वे कराकर, जांच करा कर उसकी बहुत बुरी हालत है, जगह-जगह टूटी हुई है। मेरा निवेदन है कि रायपुर दीपावास बांध बना माननीय मंत्रीजी, उस समय नहर जहां-जहां निकली किसानों ने कोई मुआवजा नहीं लिया। पिछले 10 साल से किसान नहर के दोनों तरफ जो जमीन आयी हुई है वो लिफ्ट से सिंचाई करते हैं। बांध में पानी है। हमें हर साल एक हजार बीघा की सिंचाई की परमिशन लेने के लिए कितनी तकलीफ होती है, कई बार हमने निवेदन कर दिया कि इसको कमाण्ड एरिये में शामिल किया जाए। आपका विभाग भी मानता है कि वास्तव में, क्योंकि इनको मुआवजा भी नहीं दिया गया इसलिए इनको कमाण्ड एरिये में सम्मिलित करके पानी रेगुलरली दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ये जो नहर निकली है, किसानों को नुकसान हो रहा है, मैं विधान सभा में हर बार सवाल करता हूं पर हर बार लीपापोती वाला उत्तर मिल जाता है लेकिन इस पर आप जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक यह कमाण्ड एरिया में शामिल नहीं हो सकता।

इसी प्रकार झिलमिल बांध में पानी बहुत है, इसके बारे में मैंने निवेदन किया। अब दूसरा गांव जो बिराटियाकलां है उसको भी पांच-सात साल से पानी मिल रहा है। इस साल ग्राम पंचायत को देने के बाद डिस्टर्ब हो गया लेकिन अगले साल से आपने वापस ले लिया है इस बांध को, मिलना शुरू होगा, तो उसका जो भी कमाण्ड एरिया है, ज्यादा नहीं है हजार बीघा है। हजार बीघा जमीन भी सारी ही शिड्यूल्ड कास्ट की है...

(श्री हीरासिंह चौहान)

(18.44 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सारे ही गरीब शिड्यूल्ड कास्ट के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : उसकी भी वापस मरम्मत की जाए और आपने एक काम में सहयोग दिया, एक बार हमारी मीटिंग बुलायी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके और एक-दो माननीय सदस्यों को बुला देंगे यदि आप समय का ध्यान रखें।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। उपाध्यक्षजी, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं पिन पाइंट कह रहा हूं। राजसमन्द जिले में बांध बना हुआ है जिसका आपने आदेश भी दिया। उसमें जो पानी है, बहुत ज्यादा भरा रहता है उस पानी को आगे दूसरे गांवों में दिया जाए। पहले नहर भी बनी हुई थी, पिछले साल मैं माननीय आपसे भी मिला था और मुख्य अभियन्ता जी से भी मिला था। उन्होंने फोन करके कहा भी था कि यह नहर ठीक करके इसमें पानी दे दिया जाए लेकिन अभी तक पानी दिया नहीं गया। इसलिए जल जहां पर भरा पड़ा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोपर कराएं एक बार जांच करके कमाण्ड एरिया बढ़ता है तो बढ़ाएं पर जिन बांधों में पानी है उसका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।

श्री बंशीलाल गहलोत : माननीय सदस्य, कौनसा बांध है राजसमन्द का जिसका पानी नहीं आ रहा है? बांध का नाम क्या है?

श्री हीरासिंह चौहान : कड़ियादा बांध है। यहां अभी ठेठ अजमेर के पास अजमेर जस्साखेड़ा के पास, आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। यह तो जस्साखेड़ा और भीम के इधर आया हुआ है और उसका सिंचाई का कमाण्ड एरिया बहुत कम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसमें पानी भरा रहता है इसलिए उस पानी का उपयोग बराबर लिया जाए। नहर निकाल कर किसानों को पानी पहुंचाया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

एक माननीय सदस्य : साहब दो मिनट का टाइम तो दे दो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देंगे, देंगे। नम्बर से आ रहा है देंगे। हमारा तो ये लास्ट स्पीकर है। आधा घंटा आपको दे देंगे जिसमें मर्जी आए जो बोल लेना। आर्डर-आर्डर।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर-46 पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मान्यवर, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और आज तक जैसी चर्चा चलती है देश में कि हम भगवान भरोसे खेती करते हैं, जब इन्द्र प्रसन्न होता है तो किसान खुशहाल होता है। इस हेतु राज्य सरकार का दायित्व है कि किसानों की भूमि में जल का प्रवाह करें। बजट में जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है, मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस बजट में सिंचाई में गंगनहर की मरम्मत के लिए विश्व बैंक की सहायता से जो राशि उपलब्ध करायी है उसके लिए तो वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, मुख्यत: तीन तरह से सिंचाई होती है। जैसे चर्चा चली छोटे-छोटे, एनीकट्स, बांध, तालाब और मेरे क्षेत्र में विशेषकर खडीन्स, जो पल्लीवाल संस्कृति के अवशेष है, जहां पानी इकट्ठा करके रबी की फसल में हम गेहूं उत्पादन करते हैं। मेरा माननीय सिंचाई मंत्री महोदयाजी से निवेदन है कि जो निर्णय आपने लिया है कि उन खडीनों को ग्राम पंचायतों को सौंपा दिया जाए उस पर पुनर्विचार करें। बड़ी-बड़ी खडीनें हैं, करीब सौ-सौ काश्तकार उसमें काम करते हैं और कई पंचायतों के लोग उन खड़ीनों में आते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : किसके पास है खडीन अभी?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : छोटे खड़ीन के लिए आपने आदेश दिया है कि पंचायतों के सुपुर्द कर दी जाएं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। खडीन में करीब 10-10 पंचायतें आती हैं, उसमें पंचायतों के किसान आते हैं। आपके इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। स्टेट टाइम में भी करीबन...

डा. (श्रीमती) कमला : मैं फिर से आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूं कि सिंचाई विभाग ने यह निर्णय नहीं लिया है। पंचायत राज को सशक्तीकरण करने की दृष्टि से पंचायत राज के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैडम, राज्य सरकार का निर्णय है, आप कैबिनेट मंत्री हैं। आप राज्य सरकार से...

डा. (श्रीमती) कमला : इसलिए हम वापस नहीं ले सकते।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : यह हमारा वर्सन नहीं है। आप तय करें। मैं कह रहा हूं कि 10 पंचायतों को मिला करके खडीन बनती है। कौन सी पंचायत उसको कंट्रोल करेगी यह समस्या है, कृपया इस पर विचार करें। ग्रामीण विकास विभाग करती है या आप करते हैं हमें इससे मतलब नहीं है, सरकार कर रही है। सरकार का निर्णय है तो, मान्यवर, मेरा इसमें निवेदन है कि स्टेट टाइम में भी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

1.6 प्रोड्यूस खड़ीन का लिया जाता था। आज भी ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे इन खडीनों की संस्कृति बच सके। गत अतिवृष्टि में 142 खडीन टूटे थे। सरकार ने आदेश दिया कि विभिन्न योजनाओं से उनको बंधवाया जाए। कुछ खडीन बंधे हैं, कुछ बंधने की राह में है परन्तु इसकी माकूल व्यवस्था की जाए।

मेरे क्षेत्र में, विशेष कर जैसलमेर में ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी का प्रवाह है। सरस्वती नदी का प्रवाह उसी क्षेत्र में है और इन्दिरा गांधी नहर भी उसी क्षेत्र में है, तो मुझे लगता है कि हमारा जल स्तर कायम रहेगा। अंडर ग्राउंड से पानी लेकर सिंचाई की जो व्यवस्था है, अभी चार जोंस खुले हैं, हजारों काश्तकार वहां कृषि उत्पादन कर रहे हैं। करीबन 300 करोड़ का कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य पहुंच चुका है। मेरा निवेदन है कि अंडर ग्राउंड जो भी क्षेत्र है वहां विशेष सिंचाई सुविधाएं दी जाएं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, मेरा मुख्य विषय इन्दिरा गांधी नहर है। मैं उस सारे इतिहास में जाऊंगा कि नहर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हुआ, कैसे रावी-सतलज का पानी हम इसमें लाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा उन इंजीनियर्स को, उन प्रेरणा देने वालों को जिन्होंने इस थार रेगिस्तान में हिमालय का पानी लाकर इस राजस्थान की बहबूदी में अपना योगदान दिया है। मान्यवर, यह इतना बड़ा मानवकृत जो आयोजन है उसमें कई कमियां रह गई हैं। उस समय जबकि पीने का पानी नहीं था हमारे इंजीनियर्स ने उस दूर-सुदूर क्षेत्र में आकर निर्माण किया है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। आज जब हम कह रहे हैं कि उस सारे क्षेत्र में 19 लाख हैक्टेयर जमीन की हमें सिंचाई करनी है, अभी चर्चा चल रही थी कि हम आज तक 8 लाख हैक्टेयर जमीन ही उसमें सिंचित कर पाए हैं फिर भी पानी की समस्या है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कृपया इस पूरी योजना का एक बार पुनरीक्षण कराएं। वस्तुतः है क्या, 8 लाख हैक्टेयर ओपन करने के बाद भी यदि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं जैसा अभी कहा कि 7 अप्रैल के बाद केवल पीने का पानी मिलेगा जबकि नहर बनी है 18000 क्यूसेक्स की और 3300 क्यूसेक्स पानी देने की चर्चा कर रहे हैं, यह क्यों? क्या डैम में पानी नहीं है या हरिके बैराज नदियों में जो पानी आ रहा है रावी-व्यास का, वह नहीं आ रहा है, समस्या क्या है? इस सारी समस्या के लिए मेरा निवेदन है कि पूरी योजना का पुनरीक्षण कराएं कि वस्तुतः करोड़ों रुपए 2300 करोड़ रुपए की राशि लगाकर 1700 क्यूसेक्स पानी का कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

फिगर दिये जा रहे हैं ऐसी परियोजना दुनिया में कहीं नहीं होगी जहां 2300 करोड़ लगने के बाद 17 करोड़ का कृषि उत्पादन हो। और आगे हम उसका बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम बाड़मेर जिले में गढ़रा तक इस नहर को खींच रहे हैं, तो क्या वस्तुतः हमारे डैम्स में, हमारी नदियों में पानी है? यह एक गम्भीर विषय है जिसको राज्य सरकार कैबिनेट में बैठकर, दल और विरोधी दल के सब सदस्य बैठकर विचार करें कि इस आयोजन को हमें कहां ले जाना है और वस्तुतः क्या हम 19 लाख हैक्टेयर सिंचाई को ले पाएंगे? हमने 6 बहुत बड़ी लिफ्ट योजनाएं बना दी, जो 60 मीटर ऊंचा पानी डालकर हम लिफ्ट करते हैं। उस समय भी मैंने कहा था, कंवरसेन जी 1974 में यहां पधारे थे, तब मैंने कहा था हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी जमीन उसमें है, इन्दिरा गांधी नहर में केवल जैसलमेर और बाड़मेर जिले के काश्तकार नहीं है, सारे राजस्थान के काश्तकार बसे हैं। बहुत बड़ा इनोवेशन है जिसके बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो पाइंटेड बात कहूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : कल्ला ब्रदर्स के बीच में सम्वाद नहीं है क्या?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : भाटी साहब, आप और हमारे बीच में सम्वाद है। आप भी नहर मंत्री रहे हैं। कृपया आप ही इसका उत्तर दे दें जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है आपके पास उत्तर नहीं है। आपने जो योजना बनाई है उसमें कहीं न कहीं डिफैक्ट्स रह चुके हैं। उस पर गम्भीरता से आप और हम सब बैठकर विचार करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने तो टेलों तक पानी पहुंचाया है, हर टेल तक पानी पहुंचाया है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : फिर पानी कहां है? इस वर्ष आपको किस्तें माफ करानी पड़ी। फिर पानी कहां गया?

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने ही तीन बार हमें लटकाया, सितम्बर में पानी बंद, जनवरी में पानी बन्द, 13 मार्च से पानी बन्द, 7 अप्रैल से पानी बन्द, यह किसने किया पानी होते हुए?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, आपके सदस्यों का टाइम जा रहा है। खतम करो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अबके रबी की फसल टनाटन हुई है, कोई पानी की कमी नहीं आने दी।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मान्यवर, इन्दिरा गांधी केवल सिंचाई की नहर नहीं है। 1200 क्यूसेक्स पानी पीने के लिए

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हम दे रहे हैं, अन्य उद्योगों के लिए दे रहे हैं, डिफेंस की कैनाल है। हमारी सीमा पर बहुत बड़ा इस कैनाल का आयोजन है। इस कैनाल को बढ़ाने के लिए, पूर्ण करने के लिए बजट की चर्चा आती है हमने पहले बजट में 200 करोड़ रुपए दिए, दूसरे बजट में हमने कम कर दिया, इस वर्ष 115 करोड़ कह कर हमने गला घोंट दिया। 60 करोड़ रुपए बी.ए.डी.बी. से सैंट्रल गवर्नमेंट से मिला करते थे। भाटी साहब, मैं कहता हूं लाइए आप सैंट्रल गवर्नमेंट से जो 60 करोड़ रुपए आते रहे हैं, वह कहां गये, क्यों बन्द कर दिये गये? 1/3 पैसा सैंट्रल गवर्नमेंट देती है, 2/3 हम स्टेट देने के लिए तैयार हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको जितना पैसा मिलता है उसका उपयोग नहीं करते हो इसलिए सैंट्रल गवर्नमेंट ने बन्द कर दिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके वक्त में 60 करोड़ रुपए मिलते थे वह बिलकुल बन्द कर दिये इसलिए बजट कम हो गया।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मान्यवर, मैं बार-बार प्रश्न पूछ रहा हूं, हम चार करोड़ रुपए बोर्ड पर खर्च करते हैं। एक कैनाल बोर्ड बना हुआ है, मेरा आज भी मानना है कि क्या हम विचार नहीं करेंगे कि 200 करोड़ रुपए बोर्ड की तनखाहों के लिए, 200 करोड़ रुपए उसकी आडिट के लिए जो वह अकाउंट्स लेकर बैठे हैं, कृपया आप गम्भीरता से विचार करें कि इस बोर्ड की उपयुक्तता क्या है? 115 करोड़ में आपका संस्थापन खर्च कितना है, मुझे लगता है 40-50 परसेंट तो उसमें आपका संस्थापन खर्च ही है।

मान्यवर, इन्दिरा गांधी नहर का विषय सिंचाई के साथ में है, आधा विषय इन्दिरा गांधी नहर है। इन्दिरा गांधी नहर का केवल जैसलमेर जिले में बहुत बड़ा आयोजन है। आप घंटी बजाओगे मैं बैठ जाऊंगा, आपका आदेश मानूंगा पर मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैंने कई प्रश्न पूछे हैं लेकिन विधान सभा में प्रश्न नहीं आते हैं। आज सिंचाई पर बोलने का मौका है इसलिए इन्दिरा गांधी नहर पर मुझे बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर, वाटर अलाउंस की चर्चा चली। डाक्टर साहब बिराजी हुई हैं, कभी यह मेरे से नाराज होती हैं कि आप हमेशा इंटरवीन करते हैं। तय था कि इन्दिरा गांधी नहर का सैकण्ड फेज खुलेगा तो फर्स्ट फेज का वाटर अलाउंस जो 5.23 है उसको कम कर के 3.5 किया जाएगा। आज पंजाब में पानी है, फर्स्ट फेज में पानी है और सैकण्ड फेज आज प्यासा है, वहां पर पानी नहीं है। इसलिए जिन किसानों ने मुरब्बे खरीदे हैं चाहे वह बाड़मेर जिले के हों या गंगानगर जिले के हों वह बरबाद होकर वापस चले गये हैं। कृपया इस

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बारे में भी निर्णय लीजिए कि किस तरह से वाटर अलाउंस करना है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगी।

मान्यवर, इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा। गढ़रा ब्रान्च में डी.एन.पी. में वन विभाग ने अभयारण्य शुरू किया था जो चल रहा है। माननीय अमीन खान जी बिराजे हुए हैं, उनका कटौती प्रस्ताव है। डी.एन.पी. और गढ़रा ब्रान्च दोनों साथ में कैसे चलेगी उस ओर सरकार को निर्णय लेना है। मान्यवर, सी.ए.डी. में केवल 52 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। 1986 में जो जमीन हमने अलाट की आज तक उसके खाले नहीं बने हैं। खाले बनने चाहिए ताकि जिनको जमीन अलाट की गई है वह सिंचाई कर पाए। 27 हजार हैक्टेयर जमीन खोलने की बात है। हमने शुरू किया था, गत वर्ष 50 की बात थी, अब 27 हजार हैक्टेयर तक हम सीमित कर रहे हैं। जमीन है, यदि खाले नहीं बनेंगे तो काश्तकार कैसे खेती करेगा। 8-8, 9-9 किश्तें काश्तकार पर चढ़ गई हैं, उसका ब्याज चढ़ रहा है और 24 परसेंट पैनल इंटरेस्ट लगाकर बैठे हैं। हमने चाहा कि 31 मार्च तक किसान को ब्याज माफ कर दें, किसान के पास पैसा नहीं है, 8-8, 9-9 किस्तें चढ़ गई हैं, इस ओर भी सिंचाई मंत्रीजी ध्यान दें।

मेरे क्षेत्र में 221 नये गांव सृजित करने हैं। माननीय भाटी साहब कह रहे थे कि सारा वर्ल्ड बैंक का जो पैसा आ रहा था, सारे आयोजन बन्द हो गये, 221 नये गांव बनाने हैं, उसमें 40 गांव हमने घोषित किये हैं। उनके लिये स्कूल, सड़कें सारे आयोजन करने हैं। सी.ए.डी. डिपार्टमेंट का बजट जो आपने खालों के लिए दे रखा है, इस ओर भी सिंचाई मंत्री महोदया विचार करें। मेरे क्षेत्र में 55 चक घोषित कर रखें हैं, 55 चक जिनमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई करनी है, 2000 फव्वारे मुझे चाहिए, सिंचाई मंत्रीजी कैसे करेंगी इस बारे में, हमको मार्ग दर्शन दें।

मैं अधिक नहीं कहूंगा पर एक बात अवश्य कहूंगा जो डिफैक्ट्स रह चुके हैं मंत्री महोदया उन डिफैक्ट्स को पूरा करें। बार-बार प्रश्न पूछते हैं आप कहते हैं सैंक्शन दे दी। नहर में डिफैक्ट्स है, वापस पानी आता है, पानी ढलता नहीं है। चेयरमैन और आपके अधिकारी कहते हैं कि हमने सैंक्शन की है। तीन वर्ष तो मुझे हो गये, यह कार्य पूरे नहीं हो रहे है। जो निर्माण किये गये हैं जिनमें करोड़ों रुपए लगे हैं, मामूली डिफैक्ट्स हैं, कहते हैं डिफैक्ट्स के लिए बजट नहीं है, मरम्मत के लिए बजट नहीं है, कृपया बजट में इसके लिए प्रोविजन रखें। नहर रेत से भर गई सिल्ट पड़ी है। प्रतिवर्ष सिल्ट के लिए पैसा देते हैं। कल ही मैं नाचना सैक्टर में गया था, गांव सूख गये हैं, नहर सिल्ट से भरी पड़ी है।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

आपकी मशीनरी वहां पड़ी है, आपका मैकेनिकल चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? आप दोनों मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया भगवान भरोसे इस राजस्थान के लिए इस नहर का पुनरीक्षण कराएं। आप पूरी कैबिनेट को ले जाइए, शिवचरण माथुर साहब पूरी कैबिनेट को लेकर गये थे।

(19.00 बजे)

देखिए कि वास्तव में उस इतने बड़े आयोजन का हश्र हमने क्या कर रखा है कैसे हम आगे बढ़ें? मैंने कुछ खास कहा हो तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं। धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा को आपने थोड़ा महसूस किया क्या? (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : भाटीजी, मेरी पीड़ा को समझ लेंगे आप चिन्ता मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है वह डिफैक्ट्स बी.जे.पी. सरकार के वक्त के हैं, हम उनको ठीक करवाएंगे। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कराओ न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मानिकचन्दजी सुराना साहब, आप अगर बोले तो यह तीन सदस्य नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि आप आधे घंटे से कम नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) आप चाहें तो उन तीन को बुला लूं और आप चाहें तो आपको। (व्यवधान) वह 5-5, 10-10 मिनट बोल लेंगे। इनको एक घंटा चाहिए। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं। सन् 1983 और 1987 के बीच में हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबड़ा, बिस्तारी दो बांधों का काम अकाल राहत के तहत हुआ था। लगातार चार साल वहां पर काम होने के बावजूद वह दोनों के दोनों बांध अधूरे पड़े हुए हैं। सन् 1987 के बाद उनको देखने भी वहां कोई नहीं गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बांध यदि बन जाते हैं, तो कम से कम आसपास के 20-25 गांवों को इनसे राहत मिलेगी। यह बहुत बड़ी योजना है। माननीय मंत्री महोदया, ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत पगाड़ा का है। वहां पर भी इसी तरह अकाल राहत के तहत बांध का पक्का निर्माण हुआ था, 1987 के अन्दर उसका भी निर्माण हुआ था लेकिन अभी तक वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे ही

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

ग्राम पंचायत बडगांव में ग्राम सूरी जो नदी के बीच में एनीकट बना था वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार साल के अकाल के दौरान हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में मानाका तालाब और बसौली बांध का निर्माण हुआ था लेकिन वह बांध भी थोड़ी राशि के लिए अधूरे पड़े हुए हैं, इन दोनों बांधों का निर्माण भी इस बजट में किया जाए, इन सारे बांधों का, तो उस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनपुरा बांध का सर्वे हुए आज करीब 20-25 साल हो गए। वह इतनी बड़ी योजना है, उसमें सरकार की लागत भी बहुत कम मात्रा में आएगी, उससे अधिक ग्रामों को पानी मिलेगा, अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें एक थोड़ा-सा संकट है, वह है जंगलात। उसमें बांध तो बनेगा रेवेन्यू की भूमि में, जो पानी का भराव आएगा वह जंगलात के अन्दर जाएगा। इसके बारे में अगर भारत सरकार को लिखा-पढ़ी करके इस योजना को चालू किया जाए तो बहुत सारे गांवों को फायदा मिलेगा।

इसी तरह ग्राम पंचायत डाटुन्डा, कलाल्या, खालीपुर एक एनीकट का प्रस्ताव लिया गया था, उसको भी बहुत समय हो गया लेकिन काम चालू नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत रोशनदा, ग्राम काबरी दोनों अत्यन्त गरीब गांव हैं और आदिवासियों की तरह अपना जीवनयापन करते हैं। दोनों गांवों में एस.टी. के लोग निवास करते हैं, यदि यहां पर भी एक छोटे एनीकट का निर्माण किया जाए तो गांवों को राहत मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत शिलौर, पंचायत समिति तालड़ा में एक एनीकट का निर्माण हुआ था लेकिन एनीकट का निर्माण होते वक्त उसमें कोई ऐसी खामियां रहीं कि पानी नहीं ठहरता है। मैं सिंचाई मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि जांच करवा कर इसमें रही कमी की पूर्ति करवाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत डंबर, ग्राम बासनी में छोटा बांध बना हुआ है। बांध तो बन गया लेकिन उसमें दोहरे की वितरिकाएं बनी हुई नहीं हैं, तो उसका निर्माण भी करवाया जाए। गुढ़ा बांध, इसकी नहरों की स्थिति इतनी दयनीय है कि नहरों में पानी छोड़ते हैं, पानी आगे नहीं जाता लेकिन किसानों की फसल को बरबाद कर देता है। नहरो की सफाई हुए वर्षों हो गए। इस पर भी माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में मेज नदी पर एनीकट का निर्माण

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

कराया जाए तो इस क्षेत्र के गांवों का वाटर लेवल ऊपर आएगा। माननीय मंत्री महोदय बिराजमान नहीं हैं, अब किससे कहें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, आप बोले जाओ। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, नारायणपुरा बांध बना हुआ है, उसका सिंचाई एरिया कम है, पानी ज्यादा है। वहां पर इसी बांध से यदि बहादुरपुरा, कल्याणपुरा एक नहर का निर्माण कर दिया जाए, तो यहां के लोगों को इससे राहत मिलेगी। ग्राम पंचायत सहसपुरिया में गुढ़ा बांध की कैनाल आती है, इसमें उस टाइम की कमियों की वजह से रूगढ़ातपुरा और एक दोहरा निकलना जरूरी था लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से उस टाइम वह कार्य नहीं हुआ। आज यदि यह दोहरा निकाला जाए तो कम से कम एक हजार बीघा जमीन की सिंचाई हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी की लिस्ट दे देना मंत्रीजी को। सब तालाब अभी नहीं बन रहे हैं। बाकी की लिस्ट आप उनको दे देना। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : साहब, अभी आपके माध्यम से बात तो सुनते नहीं हैं। जब 1981, 1982 और 1983 में अकाल राहत के तहत जिन बांधों का निर्माण हुआ था, उस टाइम में बच्चे पैदा हुए होंगे, तो आज वह भी काम करने वाले हो गए होंगे। (व्यवधान) लेकिन अभी तक इतने सालों में जब इन्होंने सुनवाई नहीं की, तो आज कहां करेंगे। उनके बच्चे हो गए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : दो मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक ऐसी भारी समस्या है, जिसका समाधान यदि आप ही करवाएं तो उन गांवों का उद्धार हो सकता है। हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में अभयपुरा बांध ग्राम पंचायत नीम का खेड़ा में पड़ता है, बांध बन गया, ग्राम नीचे बसा हुआ है। उस गांव में उस बांध का इतना रिसाव है कि वहा के मवेशी और लोग दिनों-दिन बीमार होकर ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। यदि उन गरीब लोगों की सुनवाई नहीं की जाएगी, उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा और बांध से ऊपर नहीं बसाया जाएगा तो धीरे-धीरे वह गांव नष्ट हो जाएगा। इस पर विशेष निवेदन करूंगा, इसमें मंत्री महोदय, ध्यान देकर उस गांव में अधिकारियों को भिजवाकर जांच करवाई जाए और उन लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए। मुझे आपने जो समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-46 पर सिंचाई की चर्चा हो रही है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। 342 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है, इसमें लगभग 257 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। प्राकृतिक जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। सतही जल स्रोतों का मात्र 1.16 प्रतिशत जो कृषि की भूमि के 30 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई के लिए उपलब्ध है। राज्य में प्रति वर्ष सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं, परन्तु यह घोषणाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं। इस वर्ष भी बजट में 357 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में हमेशा की भांति पूर्वी राजस्थान के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। हमारे अलवर जिले में पिछले 2-3 बजट से किसी भी बांध या सिंचाई के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि यमुना का जल अलवर और भरतपुर को मिलेगा। लेकिन इस 12वें प्रतिवेदन में अलवर के बजाय भरतपुर और झुंझुनूं का नाम है। यमुना का जल हरियाणा में धारूहेड़ा तक आ चुका है, जो हमारे अलवर जिले के बिलकुल साथ लगता हुआ क्षेत्र है। अगर धारूहेड़ा से शाहजहांपुर, बहरोड़, कोटपूतली, शाहपुरा और रामगढ़ बांध तक, यह कुल दूरी जो 183 किलोमीटर है, अगर इसमें नहर बनाकर रामगढ़ बांध में पानी लाया जाए और बीच में 2 जगह कोटपूतली, शाहपुरा और बहरोड़-कोटपूतली के बीच में बांध बनाकर अगर इस पानी को हम लाते हैं, तो इस पानी से जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिले की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है और हमारे अलवर जिले में मण्डावर, बहरोड़, नीमराणा क्षेत्र की जो तहसीलें डार्क जोन में हैं वहां का भी जल स्तर गिर रहा है, वह भी रुक सकता है।

अन्त में, आपने मुझे समय 5 मिनट ही दिया है तो मैं अपने क्षेत्र मण्डावर के लिये, माननीय मंत्री महोदया अभी नहीं हैं, जब उप चुनाव में, मण्डावर में उप चुनाव हो रहा था तो मंत्री महोदया आयी थीं वहां पर, मण्डावर क्षेत्र में और कई जगह बांधों की घोषणा की। अब 2 साल बीत जाने के बाद जब भी कोई मंत्री महोदय से बात होती है या जो भी कोई प्रश्न करते हैं तो एक ही जवाब देती हैं कि वित्तीय साधन नहीं हैं। आज जहां जल स्तर नीचे गिर रहा हो, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जल को रोक कर बांध बनाकर वहां के गांव का जल स्तर ऊपर लाया जा सकता है सरकार इस में बिलकुल चिन्तित नहीं है।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मेरे यहां जो बिटोली बांध है जिसमें 3 तरफ से पहाड़ पड़ते हैं, इतना ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और वहां के 15-20 गांवों को उससे लाभ हो सकता है। माननीय मंत्रीजी से हम अपने क्षेत्र के गरीब किसानों के लिये मांग करते हैं कि इस बांध को इस वर्ष ही बनाने का कष्ट करें और भी जो भी एनीकट और बांध इस सिंचाई के लिए जरूरी है, बनवाने की कृपा करेंगे। जयहिन्द, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-46, सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित, पर चर्चा हो रही है। मैं अपने आपको इस मांग में सम्मिलित करते हुए मेरे विचार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश में भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही बड़ा, भारत में सबसे बड़ा प्रान्त होने का गौरव प्राप्त किया है और उस गौरव में पूरे देश की जो भी कृषि योग्य भूमि है उसकी 11 प्रतिशत जमीन राजस्थान की कृषि के योग्य जमीन है। अगर उस कृषि योग्य जमीन को, जिस तरह से बिजली को पूरे राजस्थान में कहीं से भी जोड़ा जा सकता है और ग्रिड सिस्टम बना करके जो व्यवस्था की गयी है, उसी तरह से इस पानी के लिए भी नदियों के जल का भी कोई ग्रिड सिस्टम बनाकर ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे पूरे भारतवर्ष का जो 11 प्रतिशत भू-भाग है, जिस पर खेती करके, पानी उपलब्ध करवाकर खेती की जा सकती है। अभी सिद्धू साहब कह रहे थे कि हमारे यहां पर पानी की सेम की समस्या है और हनुमानगढ़ के अन्दर हर साल बाढ़ राहत के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो पानी बाढ़ राहत में और वहां जो सेम का पानी है उस पानी को जो पश्चिमी राजस्थान है, उसमें अजमेर और इसके पास जो क्षेत्र पड़ता है लूणी नदी, जो पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए नहर बनाकर, उसको अपग्रेड करके या उसको किसी तरह से लिफ्ट करके इस पानी को पाली जिले तक पहुंचाया जाए तो पाली जिले में जो जल स्तर गिर रहा है उसका निश्चित रूप से जल स्तर बढ़ेगा। जब उस क्षेत्र को पानी की आवश्यकता नहीं हो, तो हमारी नदियों में छोड़ दिया जाए जिससे जालौर, बाड़मेर और सारे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पाली जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत 1989 में 54 कार्य स्वीकृत हुए थे। उन 54 कार्यों में से 39 कार्य पूर्ण हो गये और 15 कार्य अभी तक भी अधूरे पड़े हैं और उन पर आधा पैसा सरकार का लग चुका है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन

(श्री केसाराम चौधरी)

15 कार्यों को पूरा करवाया जाए ताकि वह सरकार का लगा हुआ पैसा है उसका उपयोग हो सके। इसी तरह से दिवारिया बांध, बाघोल की परियोजना तैयार कर पूर्ण करवायी जाए। दिवारिया बांध के लिए गत सत्र के अन्दर भी यह विश्वास दिलाया था कि वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर उसकी परियोजना तैयार कर उसे पूर्ण करवाया जाएगा। उस पर जो पैसा पहले लगा हुआ है उसका भी सदुपयोग होगा। इस सत्र में दिवारिया बांध पर बजट दिया जाए ताकि पाली जिले का जो स्तर गिर रहा है उस जल स्तर में बढ़ावा हो सके और कुछ उस क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से वहां पर पानी की पूरी कमी है, तो उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बढ़े। दिवारिया बांध को इस बजट सत्र में बजट का प्रावधान किया जाए।

कोलर बांध जो बना हुआ है उसमें पूरी मिट्टी भर गयी है। उस मिट्टी को बाहर निकलवाया जाए। वह बहुत पुराना हो गया है उसकी रिपेयरिंग करवायी जाए, सुदृढ़ीकरण करवाया जाए ताकि वह बांध फूट नहीं जाए। पानी नीचे से लीकेज होने लग गया है उसको इस बरसात के पहले-पहले रिपेयर करवाना अति आवश्यक है। इसलिये कोलर बांध को भी ठीक करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, चिरपटिया बांध, जो सरकार के करीबन 35-36 लाख लगे हुए हैं और वह कई सालों से पड़ा हुआ था। इस साल एम.पी. महोदय ने 9 लाख रुपए लगा करके एक ओटे का निर्माण करवाया। उस ओटे के निर्माण से यह हुआ कि उस 36 लाख लगे हुए थे उन रुपयों का कुछ उपयोग हो सका। मगर सिंचाई विभाग के अड़ियल रूख के कारण से एम.पी. महोदय के 5 लाख रुपए एम.पी. कोटे से स्वीकृत हैं मगर उस काम को रुकवा दिया गया है। मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वह उस चिरपटिया बांध के काम को आप सिंचाई विभाग से करवा नहीं रही हैं, उसकी मिट्टी टेस्टिंग में 35-36 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। उस क्षेत्र के लिए वह बहुत बड़ी योजना है। कृपया कम से कम सांसद महोदय के कोटे से जो 5 लाख रुपए लगाने शेष पड़े हैं उनको तो लगाने दें। आप उस पर फण्ड देंगी तो अच्छी बात है, मगर एम.पी. साहब ने जो पैसे दिए हैं उनको लगवाने की आप स्वीकृति प्रदान करावें ताकि वह कार्य आगे बढ़ सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक छोटा सा निवेदन है, सर। सिंचाई के लिये लोग मांग करते हैं। मगर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं फुलाद बांध के अन्दर 61 एम.सी.एफ.टी. पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पाली ने 28

(श्री केसाराम चौधरी)

गांवों को पीने के लिए पानी देने के लिए योजना बनायी है। आपके पास एक पत्र भेजा है कि आप फुलाद बांध के अन्दर 61 एम.सी.एफ.टी. पानी रिजर्व करावें ताकि खारची विधान सभा के 28 गांवों को पीने के लिये पानी उपलब्ध करवाया जा सके। मंत्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही जरूरी है, इसकी आज ही अपने जवाब में यह घोषणा करें ताकि यह पेयजल योजना स्वीकृत हो सके। आपने समय दिया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-46, जो सिंचाई की मांग है उस पर मैं विचार रखना चाहूंगा। जहां सिंचाई के माध्यमों में एक तरफ सरफेस वाटर का, 54-55 साल की आजादी में राजस्थान के सरफेस वाटर का शायद 52 प्रतिशत हिस्सा अभी तक खेतों को पहुंचाने में और पेयजल में काम लेने में सफल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में जो सिंचाई के ओपन वैल और ट्यूब वैल हैं वहां विपरीत परिस्थितियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ हम सरफेस वाटर का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वहीं अण्डर ग्राउण्ड वाटर जहां-जहां भी सिंचाई योग्य है वह खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है जिसकी ओर राजस्थान की सरकार का कोई ध्यान नहीं हैं जो हालत आने वाले समय में बहुत भयंकर होने वाले हैं जहां सिंचाई तो दूर है, शायद पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो जहां-जहां पर हमारे सिंचाई प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमारा तय रूप से ध्यान हो। राजस्थान की सरकार का उन इलाकों पर, जहां पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर पर भी निर्भर है, चाहे वह सिंचाई है या चाहे पेयजल है, उनकी ओर हमारा, राजस्थान की सरकार का ध्यान नहीं गया तो आने वाले समय में सिंचाई तो दूर रही पेयजल की बहुत बड़ी समस्या होगी इसलिए राजस्थान की सरकार को उस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारा किस तरह से राजस्थान के हिस्से का पानी बाहर चला जाता है। अभी 7 जुलाई, 2001 को राजस्थान के हिस्से में आने वाला पानी फिरोजपुर हैड से 1500 क्यूसैक्स पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया जबकि हमारी जो नहरें हैं, चाहे वह भाखड़ा की हो, गंग कैनाल की हो, चाहे इन्दिरा गांधी कैनाल की हो, जब उनमें अपनी क्षमतानुसार पानी नहीं मिल रहा था। 18 हजार की जगह राजस्थान कैनाल में नौ हजार, जहां भाखड़ा में 1800 क्यूसैक्स की जगह 500 क्यूसैक्स और गंग कैनाल में 2000 की जगह 200 क्यूसैक्स आ रहा था, वहीं राजस्थान के हिस्से का फिरोजपुर हैड से 1500 क्यूसैक्स पानी पाकिस्तान जाता रहता है। हमारे अधिकारियों को इस बात की चिन्ता नहीं होती।

(श्री अमराराम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो कुछ भी हिस्सा है, एक-एक बूंद पानी का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमारे अधिकारी, सरकार और विभाग किस तरह से चिन्तित हैं, एक तरफ राजस्थान का किसान एक-एक बूंद-बूंद पानी के लिए तरसता है, उसके लिए एजीटेट करता है और वहां हमारी सरकार और हमारे अधिकारी किस तरह से लापरवाही से काम करते हैं। जहां तक वाटर अलाउंस का सवाल है, राजस्थान के जो मेन तीन प्रोजेक्ट्स हैं, इन्दिरा गांधी कैनाल, भाखड़ा और गंग कैनाल। जिस तरह से 1970 में इसी वाटर अलाउंस को लेकर बहुत बड़ा एजीटेशन राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ। उस समय भी एक कमेटी बनाई गई थी, मोतीराम कमेटी और उसके बाद कपूर कमेटी बनाई गई। यहां पर सदन में भी और सदन के बाहर भी आज भी इस वाटर अलाउंस को लेकर, उन स्कीम्स को लेकर बहुत बड़ा किसानों में एक असंतोष पैदा है। क्या राजस्थान की सरकार, अभी मंत्रीजी जवाब देंगी कि इन दोनों कमेटियों, मोतीराम कमेटी और कपूर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करना चाहती है या नहीं चाहती है? क्योंकि यह वाटर अलाउंस किस तरह से हो वह सैकण्ड फेज में भी हो, फर्स्ट फेज में भी हो लेकिन वह न्यायपूर्ण हो और राजस्थान की सरकार ने जो यह कमेटियां वहां के किसानों के असंतोष को लेकर बैठाई थीं, जिनकी सिफारिशें आए बहुत लम्बा समय हो गया है, तो राजस्थान की सरकार इन कमेटियों की रिपोर्ट को लागू करना चाहता है या नहीं चाहती है? राजस्थान के उस खुशहाल इलाके में किस तरह से इस वाटर अलाउंस को लेकर लोगों में असंतोष है हजारों की संख्या में जगह-जगह लोग इकट्ठे हुए हैं, आने वाले समय में यह परेशानी और आगे नहीं बढ़े, तय रूप से इसके लिए राजस्थान की सरकार का क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से वह आगे बढ़ना चाहती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि घग्घर नदी जो विकास का काम भी करती है और विनाश का काम भी करती है। विनाश का काम करने के लिए हमारे सिंचाई विभाग ने जैसी उसकी प्राथमिकताएं बदली हैं, क्योंकि जब बाढ़ का समय होता है, तो फर्स्ट उन नहरों में देने के बजाए, उसमें नहीं देकर उन नहरों में जहां पर वैसे ही बाढ़ के समय, बरसात के समय होता है, नहरों में पानी की आवश्यकता नहीं होती लेकिन घग्घर नदी में, जिसमें उसका कृषि उत्पादन में जो उपयोग होता है, उसका बहाव क्षेत्र छह बीघा करके निश्चित रूप से जो परेशानी की है और राजस्थान में जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर से सिंचित है, चाहे वह सीकर है, झुंझुनूं

(श्री अमराराम)

है, नागौर है, जिनका वाटर टेबल खतरे के निशान पर है, तय रूप से राजस्थान की सरकार का सरफेस वाटर कहां से मिल सकता है, अलाटमैंट से मिलता है, वहां भी नहर की रीचार्ज, चाहे सिंचाई नहीं हो लेकिन ग्राउण्ड वाटर को रीचार्ज करने के लिए राजस्थान सरकार को अभी से योजना बनाकर उस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे राजस्थान के उन इलाके जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर पर निर्भर हैं, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपने समय दिया इसके लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना। आप दस-पन्द्रह मिनट में अगर समाप्त कर सकते हो, तो बोल लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46, इसकी कुल मांग 13,54,27,33,000/- है। माननीय मंत्रीजी ने यह प्रस्ताव किया है कि इसको पारित किया जाए। सिंचाई का बहुत बड़ा बजट हमारे सामने है पर इस बजट का यदि विश्लेषण करें, तो यह बजट सिंचाई पर नहीं है बल्कि मुख्यतः सिंचाई पर आज तक जो हमने उधार लिए, कर्जे किए और कर्ज करके यह नहरें बनाईं, जहां 367 करोड़ का प्रावधान, 267 करोड़ का प्रावधान इन्दिरा गांधी नहर के लिए है, उसमें 237 करोड़ का प्रावधान तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर पर पूंजीगत लेखे पर ब्याज का है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ही आइटम जो बजट के पेज नम्बर 173 पर है, पूंजीगत लेखे, यह राजस्व व्यय में एक ही मद में 237 करोड़ का प्रावधान है जबकि टोटल खर्च वह 267 या 68 करोड़ के करीब है।

मैं यह माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सन् 1958 से लगाकर इन्दिरा गांधी नहर की जो यात्रा हुई लाखों मुरब्बे बेचे, पचासों मण्डियां कट गईं, हजारों प्लाट मण्डी क्षेत्रों के कट गए और आबादी के प्लाट कट गए। उनकी आमदनी जो आई, मैं निवेदन करना चाहता आपके माध्यम से सदन को कि हमने तो उसमें पूंजीगत, राजस्व आमदनी में गिन लिया। उपनिवेशन क्षेत्र के आप आंकड़े देखें तो उपनिवेशन क्षेत्र से ही यह प्रथम स्टेज की बात है, आज 300 करोड़ से ज्यादा की आमदनी यह उपनिवेशन क्षेत्र के मुरब्बों के आबंटन और विशेष आबंटन में हो चुकी है और वह रुपया तो राजस्व आमदनी में गिन लिया गया। वह तो लैण्ड रेवेन्यू में आ गया। भू-राजस्व में आ गया और मूल कर्ज खड़ा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है और मूल कर्ज पर 237 करोड़, यह तो एक आइटम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यदि सिंचाई के मद को लें, तो सिंचाई के मद पर कौनसी बड़ी नहर और छोटी नहर ऐसी नहीं है जिस पर 15 से 20 करोड़ के ब्याज का लेखा सिंचाई के जो भी निष्पादन आय-व्यय का बजट है कि उसमें नहीं है। कुलमिलाकर मुझे लगता है कि आपने जो राजस्व के खाते में यह 774 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, राजस्व खर्च का उसमें 550 करोड़ का मुख्य ब्याज का ही खर्चा है, जो कि आज सिंचाई के नाम से और इन्दिरा गांधी नहर के नाम से बोल रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मूल उपलब्धि हमारी इन्दिरा गांधी नहर में जो हुई है, थोड़ा सा मंत्री महोदय, उसमें गौर करें। प्रथम स्टेज में जो 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य और पूर्व सिंचाई मंत्री ने आपके समक्ष रखा कि आज तक 2091 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। 377 करोड़ का प्रथम स्टेज में और 1714 करोड़ का द्वितीय स्टेज में। हम क्या क्लेम कर रहे हैं? हम क्लेम कर रहे हैं कि 19 लाख से अधिक जमीन में हम पानी देंगे।

माननीय मंत्रीजी, सैकण्ड स्टेज की लिफ्ट नहरों पर आ जाइए। छह लिफ्ट नहरों पर आपका कुल जिसमें सिंचाई हमको करनी है वह फिगर है पांच लाख 73 हजार और 5 लाख 73 हजार में आज तक सिर्फ 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नहरें, बनी हैं, लिफ्ट में और एक दस हजार हैक्टेयर में। वह पानी नहीं चला है, किसी भी नहर में, किसी भी लिफ्ट कैनाल में। यह 5 लाख 73 हजार, 5 लाख 37 हजार हैक्टेयर में पानी देना, यह बिलकुल दिखावटी और एक काल्पनिक बात है और हम जोड़ रहे हैं उसको 19 लाख में। मेरा पहला निवेदन है कि इस लिफ्ट नहरों के प्रावधान को और इसके द्वारा जो सिंचाई हम उपलब्ध कराएंगे वह जो आंकड़े बताकर हम सारी दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, वह भ्रमित करना बन्द करो। जिन पानी, वाटर कोर्सेज बनाए ही नहीं, छह जो अभी तो वह लिफ्ट कैनाल, चाहे कोलायत हो, गजेनर हो, पोखरण हो, फलौदी हो, बांगड़सर हो, साहबा हो, यह छह की छह नहरें अभी कम्प्लीट नहीं हैं। सर्वाधिक जो कम्प्लीट, जिसमें पम्पिंग स्टेशन बन गया वह गजनेर है, कोलायत है। आपने प्रावधान क्या कर रखे हैं उसके लिए? आपने जो प्रावधान रखे छह नहरों के लिए वह छह नहरों के लिए गजनेर लिफ्ट 1 करोड़ 19 लाख, कोलायत 4 करोड़ 82 लाख, फलौदी 1 करोड़ 32 लाख, पोकरण 1 करोड़ 53 लाख, बांगड़सर 26 लाख 50 हजार। यह आयोजना मद में जो प्रावधान आपने रखे हैं कुलमिलाकर 9 करोड़ 12 लाख के,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सिंचाई मंत्रीजी, अच्छा होता कि आप एक नहर को...(व्यवधान) माननीय सिंचाई मंत्रीजी, इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी, क्योंकि आपको तो हम भूल रहे हैं न, क्योंकि सिंचाई में अभी तो आप उसी के पेटे में चल रहे हैं, पर आपने कभी तवज्जह दी इस पर, कि यह 9 करोड़ 12 लाख से क्या उपलब्धि होगी? क्या अगले साल आप आकर यह कहेंगे कि मैंने 20 हजार हैक्टेयर में पानी चलवा दिया? सारा वेस्टफुल एक्सपैंडिचर आप कर रहे हैं। यह भी तनखाहों में, संस्थागत व्यय में चले जाएंगे। एक नहर पर आप 9 करोड़ 12 लाख लगा दीजिए। मैं सिंचाई मंत्रीजी, आपसे भी निवेदन करता हूं कि यह वेस्टफुल एक्सपैंडिचर बन्द कर दीजिए। एक लिफ्ट कैनाल को कम्पलीट कर लीजिए। चाहे कोई भी छांट लीजिये मुझे मतलब नहीं। चाहे आप फलौदी छांटे, यह छांटे, सरकार छांटे, मुख्य मंत्रीजी छांटे। यह वेस्टफुल एक्सपैंडिचर किया जाए?

मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रथम स्टेज के बारे में भी अभी माननीय मंत्रीजी, आप सुन रहे हैं न। इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी, अभी 79 हजार हैक्टेयर में जो टोटल उपलब्धि हमें करनी है, 4 लाख 59 हजार हैक्टेयर में पानी चल रहा है और अभी 73 हजार हैक्टेयर में पानी चलना बाकी है। आपने क्या व्यवस्था की है? प्रथम स्टेज तो कम्पलीट है। प्रथम स्टेज के आंज वाटर कोर्सेज बनाएं, तत्काल पानी चलेगा उसमें और कुछ करना नहीं है। लेकिन आपके ध्यान में थोड़ी है। इन्दिरा गांधी नहर बीकानेर शहर में जाती नहीं और शहर में जब तक जाए नहीं तब तक आपको कोई रूचि नहीं, क्योंकि आपकी रूचि तो सात-आठ किलोमीटर का जो एरिया है, मात्र उसमें है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले आई.जी.एन.पी. में था, जब आप वित्त मंत्री थे, उससे दस गुना पैसा खर्च कराया मैंने।

श्री मानिक चन्द सुराना : खैर, आप बैठें। आपके दस गुने पैसे की मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं अभी जो आपका पोर्टफोलियो है, अभी जो आपका दायित्व है, आप अपने दायित्व का निर्वहन करें। यह छह लिफ्टों का जो बजट आपने दिया है, इन बजटों से कोई उपलब्धि नहीं होगी। दस हजार हैक्टेयर में भी पानी नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है। अगले साल आप आकर बता देना कि हां, इसके द्वारा मैंने यह उपलब्धि कर ली है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं टोटल हमने द्वितीय चरण में लिफ्ट कैनाल एक भी कम्प्लीट करेंगे तो यह लिफ्ट कैनाल लूणकरणसर की कम्प्लीट है। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लूणकरणसर की लिफ्ट कैनाल के टोटल रिजल्ट्स आप सदन के माननीय सदस्यों को सरकुलेट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करिए। आज उसमें 45 हजार हैक्टेयर में पानी चल रहा है। एक करोड़ 80 लाख बीघा में पानी चल रहा है। लूणकरणसर की लिफ्ट के कारण आज सैकड़ों गांवों में पानी जा रहा है। कस्बे बन रहे हैं। हजारों लोग, उससे 25-50 हजार किसान सम्पन्न हुए हैं और उस सम्पन्नता का असर कस्बे बनने की प्रक्रिया में है और आज लूणकरणसर में सबसे बड़ी मांग कालेज की जो बनी है, वह चूंकि आज किसान का लड़का पढ़ रहा है और उसको आवश्यकता है कि वह अधिक से अधिक शिक्षित हो। उसने वह मांग भी की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि एक लिफ्ट के नतीजे यदि आप सदन को सरकुलेट कर देंगे तो इस सदन का मन बनेगा कि वह लिफ्ट कैनाल और उसके साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम का समाधान होता है, उसकी तरफ यह सदन अधिक से अधिक प्रावधान करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सैकण्ड स्टेज के बारे में आपने कभी गौर किया कि सैकण्ड स्टेज में वास्तव में क्या हुआ? उपाध्यक्ष जी, सन् 1989-90 तक जब तक कांग्रेस सरकार राज में थी, मैं 1989-90 का आंकड़ा पढ़ रहा हूं सैकण्ड स्टेज का, 17 हजार हैक्टेयर में पानी चल रहा था और 1990 से चले, 1990-91 पहुंच गये 40 हजार हैक्टेयर में और 1998-99 में 2 लाख 22 हजार हैक्टेयर खुल गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी आपने अपनी इस प्रगति रिपोर्ट में इतना ही माना है कि 2 लाख 8 हजार हैक्टेयर में हम पानी सैकण्ड स्टेज में दे रहे हैं। अब हो सकता है वह पानी कभी ज्यादा चला, कभी कम चला। कभी बांध में ज्यादा था, कभी कम हो गया। 1998-99 से आगे आपका आंकड़ा नहीं चल रहा है चल भी रहा है तो वह 20-30 हजार हैक्टेयर अधिक सैकण्ड स्टेज में कुछ उपलब्धि की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैकण्ड स्टेज में, जब कि आपकी यह प्रगति रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि आपने 6 लाख 99 हजार हैक्टेयर में नहरें बना दीं और 6 लाख 99 हजार हैक्टेयर में नहरें बनाकर 5 लाख 12 हजार हैक्टेयर में वाटर कोर्सेज बना दिए। जब आपने 5 लाख 12 हजार हैक्टेयर में वाटर कोर्सेज बना दिए, माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी, परिशिष्ट-4 प्रगति रिपोर्ट का, उसका आकलन करिए और जब आपने यह नहरें बना दीं, वाटर कार्सेज बना दिए, 5 लाख 12 हजार हैक्टेयर में, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सैकण्ड स्टेज में 2 लाख 8 हजार हैक्टेयर को पानी देने की बात किस कारण से लिखी है? क्या वाटर कोर्सेज बन चुके हैं? उनको भी पानी नहीं दे रहे हैं या उन वाटर कोर्सेज बनने की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रिपोर्ट सी.ए.डी. और जल प्रबन्धन समिति को नहीं मिली उसके कारण से आपका आंकड़ा 2 लाख 8 हजार क्यों बोल रहा है इस रिपोर्ट में? जबकि आप वाटर कोर्सेज 5 लाख 12 हजार में बना चुके हैं।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य से मैंने पूछा कि 2 लाख 8 हजार का आंकड़ा सही है या 5 लाख 12 हजार का आंकड़ा सही है? उन्होंने कहा कि 2 लाख 8 हजार से ज्यादा तो पानी नहीं चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपका आंकड़ा गलत है, तो आप इसको शुद्ध करिए। 5 लाख 12 हजार हैक्टेयर में आपने वाटर कोर्सेज बना दिए। यह जो बात आपने क्लेम की है, इसको शुद्ध करिए।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अभी तो आप लिफ्ट कैनाल का जो दिखाऊ आंकड़ा 5 लाख 37 हजार बता रहे हैं, इसको भूल जाइए। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं यदि आप जितने क्षेत्र में पानी जा रहा है 4 लाख 69 हजार फर्स्ट स्टेज का, 2 लाख 8 हजार जैसा आपने क्लेम किया है उसको 7 लाख हैक्टेयर भी मान लें और 7 लाख हैक्टेयर को यदि आप 267 करोड़ का भाग दें तो माननीय मंत्रीजी, 3200 हैक्टेयर, एक हैक्टेयर पर हम 3200 रुपए का खर्च राज्य से कर रहे हैं। 3200 रुपए प्रति हैक्टेयर हमारा खर्चा है। माननीय मंत्रीजी, यदि आप माही पर चले जाएं जहां 55 हजार हैक्टेयर में पानी चल रहा है, वह खर्च आपका पड़ेगा 9600 रुपए प्रति हैक्टेयर। जनजाति क्षेत्र में माही बनी। बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, शंकर लालजी अहारी और नाथूराम जी कह रहे थे कि माही का पानी उनको उपलब्ध कराया जाए। माही में पानी उपलब्ध हो, तो डूंगरपुर को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, पर आपकी प्रगति रिपोर्ट क्या कहती है? आपकी प्रगति रिपोर्ट तो यह कहती है कि 2001 में नहरों में पानी करीब साढ़े 11 टी.एम.सी. था और उसके पिछले वर्ष पानी 24 टी.एम.सी. था और इस साल पानी 25-26 टी.एम.सी. है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आंकड़ा आपने तीन साल पहले माही में उपलब्ध किया 65 हजार हैक्टेयर का, वह भी 55 हजार हैक्टेयर पर आ गया इस साल। 80 हजार हैक्टेयर खोला जाए। सबसे पहले जिस सैक्टर को खोल चुके हैं, उस सैक्टर का अधिकार पानी पर है। ऐसा न हो कि बांसवाड़ा के 20-25 हैक्टेयर के पानी को सिर्फ डाइवर्ट करके आप डूंगरपुर को पानी देकर एक वाहवाही ले लें कि हां, हमने माही का पानी डूंगरपुर को दे दिया है। माही का नया सैक्टर खोलिए। माही की ऊंचाई को और बढ़ाइए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पूंजीगत खर्च करिए माही पर और एडिशनल वाटर वहां पर रिजर्व करके डूंगरपुर को प्रदान करिए। तब तो वाहवाही होगी कि हां, आपने बांसवाड़ा के किसानों के साथ डूंगरपुर के किसानों को भी पानी दिया। यदि जो पानी उपलब्ध है उसी का बंटवारा कर दिया और नहर बना दी उनके चाहने के अनुसार, तो निश्चित रूप से बांसवाड़ा के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो कुछ उनके लिए नहर में सिंचाई का पानी उपलब्ध होने का एक भण्डार बना है, उससे वह महरूम हो जाएंगे।

मैं सिंचाई मंत्रीजी, आपका थोड़ा सा ध्यान सिद्धमुख नहर की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। सिद्धमुख नहर की तरफ ध्यान आकर्षित करने का मुख्य कारण यह है कि नहर तो बन चुकी। साल भर हो गया। गत वर्ष आपने टेण्डर किए। आपने कमांड एरिया खोलने के लिए, कमांड क्षेत्र का सर्वे करने के लिए, चकबन्दी करने के लिए, मोगों को चिन्हित करने के लिए तीन करोड़ रुपये का यूरोपियन इकोनोमी कम्युनिटी का रुपया आया हुआ था। वह टेण्डर पास नहीं हुए। टेण्डर फेल हो गये। दिसम्बर तक कुछ काम नहीं हुआ। वह फेल हो गए। अब सुना है कि 30 अप्रैल तक आप वहां मोगों को चिन्हित कर देंगे। निश्चित रूप से मोगे जल्दी से जल्दी चिन्हित होने चाहिए। जब नहर बन गयी और नहर का काम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, क्या हमारा दायित्व नहीं था कि हम मोगों को चिन्हित करते? क्या हमारा दायित्व नहीं था कि हम कमांड एरिया का सर्वे करते? आखिर यह कमांड एरिया का सर्वे नहीं होगा और सिर्फ मोगे चिन्हित हो जाएंगे तो काश्तकारों में झगड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए सिद्धमुख पर जो देरी हुई है उसकी क्षतिपूर्ति इस वर्ष के बजट में करें और जो काम अधूरा रह गया है कमांड क्षेत्र के सर्वे का, मोगों को चिन्हित करने का, चकबन्दी का वह काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी में हैं पर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं जल्दी में नहीं हूं, सदन जल्दी में है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : गंग नहर के लिए बड़ी वाहवाही लेने का प्रयत्न हो रहा है। गंग नहर का निश्चित रूप से पिछले वर्ष 46 करोड़ का प्रावधान था पर, गंगानहर से आने वाले माननीय सदस्य, वह 46 करोड़ खर्च नहीं हुआ, 35 करोड़ ही खर्च हुए। आपको वहम हो, तो बजट का पेज बताऊं?

श्री राधेश्याम गंगानगर : दे दिए साढ़े नौ करोड़, 29 तारीख को वह चला गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह उधर ही दे दिए होंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंग नहर के लिए 9 करोड़ 45 लाख रुपया 29 तारीख को चला गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : बजट का फिगर है 35 करोड़। बजट का संशोधित अनुमान है 35 करोड़ और इस साल का बजट है 50 करोड़। निश्चित रूप से 50 करोड़ की स्पीड से यह पहला वर्ष है और चूंकि यह खर्च आयोजना मद से हो रहा है, वह आज 50 है तो कल 65 होगा, 65 वाला 80 होगा। निश्चित रूप से इस चार साल में इसी स्पीड से बढ़ेगी तो गंग नहर का आधुनिकीकरण होगा पर सिंचाई मंत्रीजी से कह रहा हूं, इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी बात को पकड़ नहीं पाएंगे, यदि फर्स्ट स्टेज का माडर्नाइजेशन हुआ, हम लोगों ने भी पंजाब का दौरा किया था, इन्दिरा गांधी नहर भी टूट रही है। इन्दिरा गांधी नहर जो टूट रही है उसकी मेंटिनेंस का प्रावधान क्या है? इस सारे मोटे बजट में 267 करोड़ रुपए इन्दिरा गांधी नहर के प्रावधान में फर्स्ट स्टेज की मेंटिनेंस का एक भी पैसा नहीं है। मैं निवेदन करूं कि यह योजना बनी 450 करोड़ की और फर्स्ट स्टेज का यदि मोडर्नाइजेशन का सवाल आए तो योजना बनेगी 2500 करोड़ की। आप हर वर्ष उसकी मेंटिनेंस क्यों नहीं करते हैं। जिस तरह 237 करोड़ ब्याज चुकाया लाजिमी है, आप क्यों नहीं 25-30 करोड़ का प्रावधान रख कर और इसकी मेंटिनेंस निरन्तर करते? जहां से टूटती है, जहां टूटने की सम्भावना है, यदि आप 237 करोड़ का ब्याज चुका सकते हैं तो 30 करोड़ की मेंटिनेंस भी कर सकते हैं। आखिर 1958 में चली है, मैं 42 साल की बात नहीं कहता, 44 साल की बात नहीं कहता, पिछले 25 वर्षों में गति ज्यादा आयी है और उन 25 वर्षों में जो गति आयी है वह डेप्रिशिस्ट हो गयी इसलिए उसकी मेंटिनेंस का प्रावधान करें। मैं निवेदन करूंगा कि यदि हमें यह 450 करोड़ की तरह 2500 और 3000 करोड़ के प्रावधान नहीं लाने हैं और भविष्य की चिन्ता करनी है, तो यह प्रावधान इस साल भी रखें और अगले वर्ष भी इन प्रावधानों को करें। सिर्फ इसी में नहीं, हरेक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी नहरें टूटी हुई पड़ी हैं, टूट रही हैं, हमारे बांध टूट रहे हैं तो बांधों की मेंटिनेंस, नहरों की मेंटिनेंस के लिए आप प्रावधान करें और चाहे यह बजट 50 करोड़ बढ़ जाए लेकिन मेंटिनेंस हम नहीं करेंगे तो फिर वहां कभी न कभी दस साल बाद एक साथ 2500 करोड़, 3000 करोड़ का प्रावधान करना पड़ेगा और उससे राज्य की अर्थव्यवस्था और सिंचित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी बरबाद होगी। इसी निवेदन के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर मांग के बाबत अपने काफी उपयोगी और मार्गदर्शन करने वाले सुझाव दिए और इस पूरी बहस में राज्य सरकार अपने प्रयत्नों को और गति दे, वित्तीय प्रावधान और करे, जहां कुछ कमी-खामी हैं उनको भी तत्परता से निवारण करे, राज्य में जल प्रबन्धन का, जल संग्रहण का यह सारा कार्य मुस्तैदी से हो, इसके बारे में अपनी चिन्ता बताई।

उपाध्यक्ष महोदय, सही बात है। मैं आपका इसके लिए आभार प्रकट करती हूं कि जिस सम्बन्ध में यह चर्चाएं चल रही हैं उसका जो मूल तत्व है वह है जल। जल अपने आप में, चाहे मानव मात्र का लीजिए, चाहे पूरे प्रकृति का लीजिए, चाहे हमारा जितना भी पर्यावरण है, उसका लीजिए, सब का जीव तत्व है और हवा के बाद यदि जीवन जीने के लिए दूसरी कोई बहुत मूल्यवान, दुर्लभ, अपरिहार्य वस्तु है, तो जल है। इसलिए इसको जल "जल ही जीवन है" हम सभी लोग यह कहते हैं। इस जल के मामले में सारी दुनिया में, देश में और राज्य में तो खास तौर से बहुत चिन्ताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं। इसलिए आज जब यह चर्चा चल रही है, तो इस पृष्ठभूमि में कुछ और भी आर्थिक गहराई से और गम्भीरता से देख कर कुछ कदम उठाने की, कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के समूचे क्षेत्रफल का 10.4 भू-भाग राजस्थान में है और आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है लेकिन उपलब्ध जल का प्रतिशत देखें तो एकदम से सोच में कम्पन आ जाती है, यह सिर्फ 1.16 परसेंट है। जब हम इस स्थिति को देखते हैं तो इस 1.16 परसेंट में जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी जो स्थिति है, वह और भी भयावह है। हम इतने वर्षों से आजादी के बाद जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारे भूगर्भ जल की स्थिति देखें, तो आप कल्पना करिए कि धीरे-धीरे कर के हालत यह हो गयी कि 237 ब्लाक्स में से 65 ब्लाक तो हमारे डार्क जोन में चले गये और 32 ब्लाक्स ग्रे जोन में और 85 ब्लाक्स ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल अवस्था में हैं, जहां बहुत अधिक दोहन हो रहा है। यह भूगर्भ की स्थिति है। जहां तक हमारा सतही जल है, हमारे पास जो राजस्थान का अपना सतही जल है वह 17.58 एम.ए.एफ. है और जो बाहर की नदियों से हमें मिल रहा है वह 14.5 एम.ए.एफ. है। इसमें से जो सतही जल है उसका दोहन या उसका उपयोग अभी हम 52 परसेंट कर पाए हैं और जो भूगर्भ जल है उसकी हालत यह है कि हम उसको 103 परसेंट दोहन कर रहे हैं, कर चुके है। भारी जल भी हमारा अभी 70 प्रतिशत ही

(डा. (श्रीमती) कमला)

हम उपयोग में ला पाए हैं। एक तरफ स्थिति यह है कि हमारे पास में जल नाम के तत्व की बहुत कम आवक है, उपलब्धि है और दूसरी तरफ यह स्थिति है कि जो कुछ है उसका भी हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी 48 परसेंट जल हमारा व्यर्थ करके जा रहा है धन की कमी के कारण। दूसरी तरफ जो भूगर्भ जल है उसका हम इतनी बेरहमी से उपयोग में ला रहे हैं कि जल स्तर लगभग आपके जीरो से लेकर आठ मीटर, दस मीटर तक नीचे चला गया है। यह जो स्थिति आज हमारे सामने है इस स्थिति को समझते हुए आज हमें इस बात की तरफ बहुत जबरदस्त ढंग से सोचने की जरूरत है राज्य के स्तर पर भी, समाज की तरफ से भी, संस्थाओं की तरफ से भी और व्यक्तियों की तरफ से भी कि आज जो हमारे पास है इतनी बेशकीमती, दुर्लभ और इसका कोई सब्स्टीट्यूट नहीं है, इसकी जगह कोई और चीज ले नहीं सकती है, तो इसको हम संग्रहण के लिए, इसको बराबर संरक्षित रखने के लिए इसको प्रदूषित न होने देने के लिए, इसके सदुपयोग के लिए और जितना अधिक से अधिक बचा सकते हैं बूंद-बूंद उसके लिए हमें भरपूर चेष्टा करनी है। भयावह स्थिति को सामने देखते हुए गम्भीरता से आशंकाओं के साथ, क्योंकि अभी भी हमारे देश और राज्य में एक मानसिकता लोगों की बनी हुई है। ठीक है राज का काम है वह अपना करे हमारा काम है उसका आनन्द से उपयोग करें। आज हमारी खेती में कितना पानी वास्तव में हम उसका उपयोग करें, कितना बचत करें चाहे डिग्गी और फव्वारों से करें, चाहे ड्रिप से करें, चाहे हमारे मोगों से सीधा कर रहे हैं, तो भी मिनिमम हम उसमें कितनी बचत करके फसल को अच्छा ले सकते हैं यह सोचने की और करने की बात है।

दूसरी तरफ जो इण्डस्ट्रीज में है उसके अन्दर कितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, कितना प्रदूषित कर रहे हैं यह भी अपने आप में बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। जहां कहीं इण्डस्ट्रियल एरियाज बने हुए हैं वहां के आसपास के नदी नालों, में जमीन में इतना भयंकर प्रदूषण हो गया है कि इतना पानी हमारे पीने के लायक नहीं रहा। घरों में आप देखिए। डोमेस्टिक यूज में हम एक टंकी का खींचते हैं और उसको पूरा का पूरा पानी इतना चला जाता है, हमारे सिंक में कैसे पानी बह रहा है, हमारे वाश बेसिन में पानी कैसे बह रहा है। हमें पीने का पानी चाहिए एक आधा गिलास, एक गिलास लेते हैं और आधा गिलास पानी फालतू फेंक रहे हैं तो करोड़ों आदमी इस तरह से आधा-आधा गिलास फेंके तो क्या स्थिति हो रही है। पाइप लाइनें टूटी पड़ी हुई हैं उनमें से पानी रिस रहा है। हैण्ड पम्प लीक कर रहा है। कितना पानी आज भी इतना प्रेशर से बह जाता है, इतना दुर्लभ होते हुए भी बड़ी भारी आगे गम्भीर

(डा. (श्रीमती) कमला)

समस्याएं स्थिति आने वाली है। इसके बावजूद भी आज हम निश्चिन्त होकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए इस बाबत पूरे समाज और राज्य के निवासियों को पुरजोर ढंग से अपील करना चाहूंगी कि इस बारे में वे बहुत गम्भीरता से सोचें और जो कुछ उनके स्तर से किया जा सकता है बचत के लिए, सदुपयोग के लिए, उस बाबत अपनी आदतें बदलकर, मानसिकता बदलकर उस बाबत आगे बढ़ें और आप महानुभावों, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने आप में एक जन-आन्दोलन और जनता की अवेकनिंग यह सारा वातावरण इस बात के लिए तैयार करें कि हम किस प्रकार से अपने राज्य का जल जो कीमती है उसका दुरुपयोग न होने दें।

राज्य सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता से समझते हुए पिछले वर्षों में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1999 में राजस्थान ने अपनी राज्य जल नीति की घोषणा कर दी जो बहुत कम राज्यों ने की होगी और शायद किसी ने भी नहीं की होगी इसलिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया था। हमारी जल नीति कैसी होगी, जल का एक इंटीग्रेटेड, कोर्डिनेटेड और त्वरित इम्पलीमेंटेशन वाला प्रोग्राम किस तरह से लागू करें इसके लिए हमने यह 1999 में राज्य जल नीति घोषित की। इसके बाद में हमारे राज्य ने जल संसाधन योजना जारी की। हर बेसिन या सब-बेसिन पर हमारे पास कितना पानी उपलब्ध है। आने वाले 2025 तक या 45 तक हम इसके आधार पर किस प्रकार से उसका विनियोजन कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोगी योजनाएं बना सकते हैं और दूसरी तरफ जितने भी वाटर यूजर्स डिपार्टमेंट्स हैं या वाटर यूजिंग एजेंसीज हैं उनका अपने आप इसमें किस प्रकार से समावेश किया जा सकता है यह सब हमने योजना जारी की।

जल नीति और जल संसाधन योजना के बहुत ही प्रभावी और बहुत ही एक्सपेडिशस इम्प्लीमेंटेशन के लिए राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन का गठन अभी 2001 में किया गया और इसके कारण से आज हम राजस्थान में इस स्थिति में हैं कि यह सारे कदम जो आज राजस्थान एक वर्ष से या दो वर्ष से उठा चुका है। अभी प्रधानमंत्रीजी ने जब नेशनल वाटर रिसोर्स कौंसिल को एड्रेस किया उसमें उन्होंने इन बातों का उल्लेख किया कि राज्यों को चाहिए कि यह करें, वह करें। मैंने उन्हें अवगत कराया कि हम राज्य में काफी समय पहले यह कदम उठा चुके हैं। इसके साथ ही 15 मई, 2000 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य की एक हाई पावर कमेटी राज्य जल संसाधन स्थाई समिति का गठन किया जिसमें वाटर यूजर्स डिपार्टमेंट हैं उनके सैक्रेट्रीज, ग्राउण्ड वाटर के डायरेक्टर जनरल, जितने भी इसमें

(डा. (श्रीमती) कमला)

एन.जी.ओज. हैं, इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट हैं, जल विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद् हैं, उन सबको इस कमेटी के अन्दर रखा और इस कमेटी की बैठक करने के बाद राजस्थान ने जो काम प्रारम्भ किया वह शायद ही देश के किसी राज्य ने किया होगा कि हमने राज्य की चप्पा-चप्पा जमीन का सर्वे कराया। पहला सर्वे हमने वह किया कि मैंने पूरे डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर जाकर हमारे जन प्रतिनिधियों को अधिकारियों को साथ बैठाकर जितने भी मेजर, मीडियम और माइनर प्रोजेक्ट्स तैयार किये जा सकते हैं, जो सम्भावित हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया और फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर उन्हें तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट को लगाया। उसके बाद में हमने इस समिति के माध्यम से पंचायत समिति स्तर पर टेक्निकल स्टाफ हमारे डिपार्टमेंट का, पी.एच.ई.डी. का, वन विभाग का, वाटर शैड वालों का, इन तमाम का, उनको बैठाकर उन्हें पूरे पंचायत समिति का एरिया सबको सौंपा कि इस पंचायत समिति में आप चारों पांचों एजेंसीज़ पूरा सर्वे कराएं और इसमें जिस जगह भी पानी बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, किस तरह से हम उसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं।

साथ में जो पुराने कुएं थे, बावड़ियां थीं, टांके थे, खडीनें थीं या और भी जो इस तरह से परम्परागत जल स्रोत थे उनका भी इसके अन्दर हमने समावेश किया। हमने लगभग 38 हजार इस तरह के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए। उसके बाद में जब अकाल आया उस अकाल के साथ में इनको जोड़कर हमारी पंचायत समितियों ने और पंचायतों ने भी इसके अन्दर अपने काम जोड़े। एनीकट के अन्दर भी जोड़े और परम्परागत स्रोत में भी जोड़े और कुलमिलाकर अकाल के वक्त में 50 हजार काम इस प्रकार के हुए जो या तो परम्परागत जल स्रोतों को साफ कराने, पुनरुद्धार कराने, डीपन करने, इनका काम हुआ या फिर एनीकट बनाए गये या गांवों के तालाब बनाए गये और राज्य में जो इलेवंथ फाइनेंस कमीशन का पैसा मिला उसमें अकाल का लेवर का समावेश करके अकाल में काम के बदले अनाज को जोड़कर काम किये। हमें 56 करोड़ रुपया मिला था उसके अगेंस्ट में हमने 80 करोड़ के काम कराए और तीन हजार आठ सौ के करीब इलेवंथ फाइनेंस कमीशन के इस प्रोग्राम के काम किए। यह अपने आप में राज्य सरकार की इस बाबत में एक चिन्ता का द्योतक है कि हम किस प्रकार से राज्य की चप्पा-चप्पा जमीन का सर्वे करके कहां पैसा किया जा सकता है। उसमें खडीनें भी थीं, उसमें बांध भी थे उसमें जीरो बेस नदी के अन्दर जो एनीकट बनने थे वह थे, चैक डैम्स भी थे। ये सारे हमने इसके अन्दर लिए और हम यहां ही नहीं रुके, हमने जितना भी उस वक्त हुआ उसका एक जिले का मास्टर प्लान बना दिया। हर जिले का एक मास्टर प्लान बनाया

(डा. (श्रीमती) कमला)

और उसके बाद मैंने आप महानुभावों को चिट्ठियां लिखीं हैं, कलक्टर्स को लिखी कि जो हमने पहले यह आइडेंटिफिकेशन किया है, यह मैं जानती हूं कि यह अधूरा है इसलिए इसको अपडेटिंग करने के लिए, जो और भी जगह बची हैं और भी काम जो किए जा सकते हैं, हाथ में लिए जा सकते हैं, उनका भी ब्यौरा आप हमें भेजें।

मुझे खुशी है कि हमारे माननीय जन-प्रतिनिधियों ने इसके ऊपर बहुत अच्छा रेस्पांस किया और हरेक जगह से मुझे इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ में तो, अभी हमारा जो कुछ पैसा बचा था, इलेवंथ फाइनेंस कमीशन का, उसको लगाया है और बाकी सबका हम सर्वे करवा कर उनका एस्टीमेट तैयार करवा रहे हैं। सिंचाई विभाग का जो किया है, वह वास्तव में खुद का काम नहीं है। उनका तो

(20.00 बजे)

वृहद् सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई योजना यही काम है। लेकिन चूंकि हम एक नोडल एजेंसी हैं इन सब कामों को करने के लिए इसलिए हमारा यह मन किया कि हमें यह दायित्व लेना चाहिए कि हम अपने राज्य के वाटर को कितना संग्रहण और कितनी उसकी उपयोगिता कर सकते हैं वह हमें करनी चाहिए। आज मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस सन्दर्भ में आपके जितने भी इस सम्बन्ध के प्रस्ताव हैं, कुछ आपने यहां दिए हैं, कुछ आप और भी भेज सकते हैं, उनको भी आप हमें भेज दें तो हम उन मास्टर प्लांस को अपडेटिंग करेंगे और जैसे ही हमें कहीं से भी फण्ड्स उपलब्ध होंगे, डी.आर.डी.ए. से फण्ड उपलब्ध हो सकते हैं, एम.एल.एज., एम.पी. कोटा से उपलब्ध हो सकते हैं या भारत सरकार की कोई और योजना आ जाए तो उससे भी हमें फण्ड्स उपलब्ध हो सकते हैं। उनको क्रियान्वित करने का काम हम आपके प्रस्तावों के अनुसार लागू करने का काम कर सकते हैं। यह राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है।

साथ ही जो एक कंसेप्ट पूरे कंट्री में चल रहा है उसको भी हमने अपने स्टेट में लागू कर दिया। पिछली बार विधान सभा में हमने जल प्रबन्धन में किसानों की भागीदारी का अधिनियम पास किया। आज भारत सरकार उसके ऊपर काफी तवज्जह दे रही है। हमने नये हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें तो पहले से ही इनकी एसोसिएशनं बना दी, पुराने जो प्रोजेक्ट्स है उनका रखरखाव सही करके फिर हम किसानों को सौंपेंगे अन्यथा उनके ऊपर वह अनावश्यक भार पड़ेगा, परेशानी होगी। इसलिए उनकी गति थोड़ी धीमी है लेकिन यह एसोसिएशन बनाने की गति काफी तेजी से चल रही है।

(डा. (श्रीमती) कमला)

उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछले पीरियड के अन्दर महत्वपूर्ण कुछ हमने अपने प्रयत्न किए वह मैं आपके सामने, विधान सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्रीजी की अध्यक्षता में दो राष्ट्रीय जलसंसाधन परिषद् की बैठकें हुईं, जो सिंचाईमंत्रीजी हैं उनकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप की बैठकें हुईं और एक जो ग्रुप बनाया था, जिसमें राजस्थान भी एक सदस्य था, उसकी बैठकें हुई। इन बैठकों के अन्दर हमने राज्य के लिए और आम देश के लिए कुछ ऐसे प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्रीजी के सामने पेश किये जिनको मैं आपके सामने रखना उचित समझती हूं।

एक तो हमने यह कहा कि अभी तक देश में यह परम्परा चली आ रही है कि जिन राज्यों के नदी बेसिन में स्थान हैं सिर्फ वही अपना एग्रीमैंट कर लेते हैं और उसका पानी वह ही अपने आप में बांट लेते हैं। हमने सारे स्तरों पर इस बात की पुरजोर शिकायत की। या तो आप यह कहिए कि हम इस देश के भाग नहीं हैं और या हमें भी इस देश के पानी में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर देश का कोई हिस्सा पानी के अधिकाय से, बाढ़ से, तूफान से बर्बाद हो रहा है और ऐसे भी हिस्से हैं जो एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए राष्ट्र को एक समग्र इकाई मानते हुए और जल को राष्ट्रीय सम्पदा मानते हुए उसका दुरुपयोग नहीं हो, व्यर्थ बह कर नहीं जाए। इसलिए हमें भी इस तरह के जलाभाव वाले, शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्र हैं उनको यह हक मिलना चाहिए, उन एग्रीमैंट्स में हमारा भी कोई स्थान हो। बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद और बहुत विरोध के बाद हम यह करा पाए हैं। एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमैंट यह है कि उन्होंने यह लिखा प्रोसीडिंग्स में जो आज राष्ट्रीय जलनीति का भाग बन गया कि जलाभाव वाले नॉन-बेसिन राज्यों के लिए भी जल प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। यह अपने आप में राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पानी में हमें हिस्सा देने में समर्थ करे।

इसके साथ हमने प्रधानमंत्रीजी से यह निवेदन किया कि जैसे आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू कर रखी है वह सड़क योजना बहुत उपयोगी है। ठीक है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उपयोगी जल संग्रहण का काम है। इसलिए आप प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संग्रहण योजना अविलम्ब लागू करें जिससे कि सारे प्रदेश में जो जल व्यर्थ जा रहा है उसका उपयोग कर सकें और जो निरन्तर सारे राज्यों में जल स्तर गिरता जा रहा है, सूखे की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, त्राहि-त्राहि मचने की स्थिति आ रही है, उसका

(डा. (श्रीमती) कमला)

मुकाबला करने में हम किसी हद तक सक्षम हो सकें।

तीसरा, एक बड़ा सुझाव हमने दिया, उनको बार-बार तकाजा किया कि जिन राज्यों में बाढ़ और तूफान से बरबादी हो रही है उस अधिकाय जल को आप हमारे जैसे राज्यों में परावर्तित करें, डाइवर्ट करें जिससे कि उनकी तो बर्बादी खतम हो जाए और हमारी जो कमी है, जो परेशानी है उसको हम मीट आउट कर सकें। इस दिशा में हमने उनसे तकाजा किया है कि भारत सरकार खुद इस तरह के जो आधिकाय जल वाले बाढ़ क्षेत्र हैं उनका पूरा का पूरा आकलन करें और आकलन करके चाहे वह अभिकरण से कराए, चाहे सी.डब्ल्यू.सी. से कराए लेकिन उस अधिकाय जल का आकलन करके जल्दी से जल्दी इस बात की व्यवस्था करे कि वह पानी व्यर्थ बह कर बरबादी करता हुआ, करोड़ों, अरबों की सम्पत्ति नष्ट करता हुआ समुन्द्र में जाकर गिर रहा है, वह हम जैसे राज्यों को मिल सके। इसके बाबत भी उन्होंने गम्भीरता से सुना, समझा और हो सकता है इसको किसी योजना के तहत वह लें। लेकिन फिलहाल इस आधार पर एक योजना जो अभिकरण के द्वारा जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनायी जा रही है, उसका भी मैंने तकाजा किया कि जो शारदा-यमुना लिंक, यमुना-बाड़मेर राजस्थान लिंक और बाड़मेर-साबरमती-गुजरात लिंक, बहुत समय से इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनायी जा रही है बहुत धीरे-धीरे, उसकी गति धीमी है, उसको तेज किया जाए जिससे कि हम इस पानी को राजस्थान में ले जा सकें और गुजरात तक भी यह पानी जा सके। उसके बाबत भी हमने तकाजा किया है।

इसके अलावा राज्य को विशेष श्रेणी देने के लिए माननीय सदस्यों ने भारी शर्म की बात कही है कि हम अपने राज्य को विशेष श्रेणी में कायम कराना चाहते हैं। शर्म की क्या बात है? हम अपने राज्य का अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा राज्य जिस स्थिति में है, वैसे और चार-पांच राज्य हैं, जिनको उन्होंने विशेष श्रेणी में लेकर के सुविधाएं दी हैं, उसी प्रकार से हमें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा टू थर्ड हिस्सा रेगिस्तान है, हमारा ट्राइबल बैल्ट है, एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा हमारी इंटरनेशनल बाउण्डरी है, हर साल हमारे अकाल पड़ता रहता है, हमारा सोर्स आफ वाटर नाम मात्र का है। इस दृष्टि से राजस्थान को विशेष श्रेणी में लिया जाए जिससे कि हम जल संग्रहण का और परियोजनाओं का जो काम करें उसके लिए हम आसान किस्तों पर लम्बी अवधि के सहज ढंग से ऋण प्राप्त कर सकें। आज भी 48 प्रतिशत पानी हमारा वित्तीय संकट के कारण अनयूटिलाइज पड़ा है से उसका हम मुकाबला करते हुए भरपूर उपयोग कर

(डा. (श्रीमती) कमला)

सकें। यह हमारी मांग है, हमारा हक है और हम इसके लिए कतई शर्मिन्दा नहीं हैं आप चाहे शर्मिन्दा हो सकते हैं।

इसी के साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक राष्ट्रीय जल कोष की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है। इसलिए दिया कि जैसे आपका बिजली का एक ग्रिड बना हुआ है। जब कभी किसी राज्य को कोई संकट होता है उसमें भी भारत सरकार कुछ दूसरे उन राज्यों को डाइवर्ट करता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हर बेसिन के ऊपर एक राष्ट्रीय जल कोष स्थापित हो और जब कभी जिस किसी भी राज्य के अन्दर भारी संकट हो, अकाल हो या पेयजल की समस्या हो, तो उसमें से इसको डाइवर्ट किया जा सके।

पर्यटन हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का अपने आप में एक बहुत बड़ा विपुल संसाधन है लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी के अन्दर भी उन्होंने उसको प्राथमिकता नहीं दी। हमने कहा है कि पानी के उपयोग में प्राथमिकता में पर्यटन को भी रखा जाए। जिससे कि हम पर्यटन को बढ़ावा देकर उसका हमारे स्टेट में लाभ ले सकें। इसी प्रकार गंगा का जो बाढ़ जल है, अनेक मीटिंग हो गयीं, पहले सी.डब्ल्यू.सी. उसका आकलन कर रही थी, यू.पी. ने उसको आकलन नहीं करने दिया। फिर उसको अभिकरण को दे दिया। अभिकरण को भी वह कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह है कि फ्लड वाटर यूं ही जा रहा है। वह इन एजेंसीज को आकलन नहीं करने दे रहे हैं, तो हमने तकाजा किया है कि इसका आकलन तत्परता से कराया जाए और यह फ्लड वाटर का जो हमारा हक है वह भी हमें मिलना चाहिए।

यह बहुत से महत्वपूर्ण कुछ हमने कदम उठाए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ कार्यवाही की है। साथ ही नागरिक अधिकार पत्र, वेब साइट, रिमोट सैंसिंग तकनीक, मौसम की जानकारी के लिए वेधशालाएं, यह सारे भी हमने अपने कार्य को बहुत व्यवस्थित और साइंटिफिक ढंग से चलाने की दृष्टि से काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जो भी पानी उपलब्ध है और बाहर का हमारा है उसके आधार पर 1951 से 2000 तक हम अभी 4885 परियोजनाएं पूरी कर चुके हैं और अब हमारे साथ में जो चालू परियोजनाएं हैं उसमें माही का काम बाकी है। माही के प्रथम चरण में हम काफी काम कर चुके हैं। बाईं मुख्य नहर 83 परसेंट पूरी हो चुकी है, दाईं मुख्य नहर 85 परसेंट पूरी हो चुकी है। इसमें नरवाली, जगपुरा, आनन्दपुरी, भूंगड़ा नहर प्रणालियों पर कार्य जारी है। मैं खास तौर से भीखा भाईजी को इस बाबत में पूरा विवरण देना चाहती हूं क्योंकि वह काफी समय से इस बाबत चिन्तित हैं।

(डा. (श्रीमती) कमला)

हमारा जो दूसरा चरण है माही का काफी समय से लम्बित है और इसलिए लम्बित है कि इसमें जो सागवाड़ा कैनाल है, काफी लम्बी कैनाल है लेकिन उसका जो सिंचित क्षेत्र आता है वह थोड़ा है और इसमें खर्चा अधिक है। इसलिए फिजिबिलिटी में नहीं लिया गया और यह कई समय तक हमारे सिर्फ विचाराधीन ही पड़ा रहा। अब हमने इस माही–सागवाड़ा कैनाल को और 16 जो अन्य लिफ्टें हैं उनको शामिल करते हुये 220 करोड़ रुपए की एक द्वितीय चरण की योजना तैयार की है। यह परियोजना मार्च, 2000 में सी.डब्ल्यू.सी. को हमने भेज दी है। अब हम यह उम्मीद करते हैं कि जो क्वेरीज उन्होंने हमसे की हैं, वह क्वेरीज हम जल्दी सेटिस्फाई करके भेज देंगे और जल्दी ही इस बात की चेष्टा भी करेंगे कि वह और भी कोई क्वेरी करें और क्योंकि यह इंटरेस्टेट मैटर है। इसलिए अगर मध्य प्रदेश से भी बात करनी पड़ेगी तो वह बात भी हम करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी हम स्वीकृत कराने के लिए भरपूर चेष्टा से लगे हैं और हमें लगता है इसमें हम सफल होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। काफी समय से चल रहा है। अभी इसके काफी कुछ काम हो चुका है। असिंचित क्षेत्र अस्सी हजार सात सौ है और जो अभी तक हम चला सके हैं वह दस हजार सात सौ है। तीन सौ ग्यारह मीटर पर हमने जो अभी पानी भरा है, इसमें नौ सौ हैक्टेयर जोड़ देंगे तो अभी इसके अन्दर जो काम होने की स्थितियां आयी हैं वह काफी कुछ दो तीन मामलों में तो अच्छी प्रगति है लेकिन कुछ मामलों में अभी हम थोड़ा पीछे हैं। पैसे की कमी थी। अब उसकी काफी कुछ भरपाई हुई है। इस काम को भी हम तकाजा करके इस बात की चेष्टा में हैं कि जितना इसका हम 315 तक का मैक्सिमम, 15.5 का जो मैक्सिमम भराव है उसको हम अगली बार भर दें और उसके अनुसार हम इसका पूरा जो सिंचित क्षेत्र है, कमाण्ड क्षेत्र घोषित है उसके बाबत जल्दी से जल्दी नहरों का, वितरिकाओं का और माइनर्स का कंस्ट्रक्शन करके इस हमारे बड़े प्रोजेक्ट को भी लागू कर सकें।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 644 गांव हैं जो फ्लोराइड युक्त हैं उनको...

डा. (श्रीमती) कमला : आपको जानकारी पूरी नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उनको लाभान्वित करने के लिए मात्र केवल 65 गांव ही लाभान्वित हुए हैं, अजमेर जिले के और अभी से हम लोग सिंचाई पर आ गये। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां सिंचाई पर रोक लगे।

डा. (श्रीमती) कमला : आप सुनिए, आपको जानकारी नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : पिछली बार भी हमने बात की तो उन लोगों ने आदरणीय मंत्रीजी ने जो अधिकारियों द्वारा सुझाव दिए गये उन्हीं पर चर्चा करी। 1050 अजमेर जिले में गांव हैं...

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : और 1050 गांवों के अन्दर 644 गांव फ्लोराइड युक्त हैं, इसमें से मात्र केवल 65 गांव ही लाभान्वित हुए...

डा. (श्रीमती) कमला : आप इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं। इससे सम्बन्ध नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूरी बात सुनी नहीं उनकी। पूरी बात सुन लीजिए पहले।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : और आज भी छह सौ गांव बाकी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : उनकी पूरी बात सुन लो ना...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : तो आज मेरा आपके मार्फत निवेदन केवल बीसलपुर का जो पानी है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बीसलपुर को जानते नहीं हो पूरा इसलिए ऐसा बोल रहे हो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : बीसलपुर बांध जो है वह पेयजल के लिए सुरक्षित रखें...

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : और जल नीति भी यही कहती है कि सबसे पहले पेयजल के लिए पानी सुरक्षित रहना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो। बिराजो।

डा. (श्रीमती) कमला : देखिए, आठ मीटर की भराई तक पी.एच.ई.डी. का पानी है इसके ऊपर का जो पानी है वह सिंचाई का पानी है, समझ गये आप। इसलिए आठ मीटर की भराई का पानी पेयजल के लिये ले रहे हैं। उसकी योजना...(व्यवधान) माननीय बना रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, 644 गांव फ्लोराइड युक्त हैं। उनको पानी पिलाने के लिए 315 आर.एल. मीटर पानी चाहिए...(व्यवधान) अजमेर शहर, इसके अन्दर जहां पर कि यह योजना बनी है...

डा. (श्रीमती) कमला : पानी तो हैड स्टोरेज में पड़ा है, लीजिए ना। खूब पानी लीजिए। पानी की कमी कहां है...

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : अभी तक तो गांवों के अन्दर पेयजल योजना नहीं पहुंच पायी है...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह देखियेगा कि 644 गांव...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज। आप बिराजों ना...

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठाइये...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : जिसको पानी पहुंचाने के लिए तीन सौ साढ़े पन्द्रह आर.एल. मीटर पानी चाहिए। सिंचाई के पानी की तो उसमें जरूरत ही नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से मात्र 65 गांव ही लाभान्वित हुए हैं...

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, बैठाइए न। यह विसंगत बात कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो।

डा. (श्रीमती) कमला : आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या व्यवस्थाएं इसके बनाने के वक्त में कायम की गयी थीं इसलिये आप ऐसा बोल रहे हैं। जब इसके निमार्ण की परियोजना का प्रारूप तैयार हुआ, मंजूर हुआ इसमें इट सैल्फ में यह प्रोवाइडेड है कि आठ मीटर तक का पानी पेयजल के लिए, उससे ऊपर का पानी सिंचाई के लिए और आज हम 311 पर जा रहे हैं, तो हमारा सिंचाई का जो कार्यक्रम है वह चालू है। आज 308 तक जाने दीजिए...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय मंत्रीजी, अभी तक 644 गांव लाभान्वित ही नहीं हुए। मात्र 65 गांव ही लाभान्वित हुए...

डा. (श्रीमती) कमला : आप इनसे बात कर लें। यह आप माननीय विश्नोईजी से बात कर लें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि बीसलपुर बांध को पेयजल के लिए सुरक्षित रखें, इसको सिंचाई विभाग से जोड़े नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समझ ही नहीं पा रहे हो, वह क्या कह रही हैं। आप तो अपने ही एक-एक गांव की बात कर रहे हो। इतना बड़ा प्रोजक्ट हैं जिसमें कोई एक गांव की बात डिस्कस होती है क्या?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आठ मीटर बताया न।

श्री उपाध्यक्ष : आठ मीटर।

डा. (श्रीमती) कमला : इसलिए आप इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट समझ लीजिए कि आज जो भी पानी वहां है वह सिंचाई के लिए आने के बाद भी आने वाले समय में 10-12 वर्षों तक वह डैड स्टोरेज में ही पड़ा रहता है। सिवाय उस पानी के कि जो ब्यावर, अजमेर वगैरह कहीं जा रहा है। जयपुर के लिए जो योजना बन रही है वह जब तक बनकर तैयार नहीं होगी तब तक वह पानी वहां डैड स्टोरेज में ही पड़ा है। पानी की कमी है...

श्री कय्यूम खान : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर को तो पानी दिया जाए। यह 644 गांव फ्लोराइड युक्त हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 644 गांव हैं, केवल 65 गांव ही लाभान्वित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 644 गांव के लिए योजना बनी है?

डा. (श्रीमती) कमला : बिना मतलब समय खराब कर रहे है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, नर्बदा नहर हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी परियोजना है। चौदह सौ करोड़ की इस परियोजना में हमें 74 किलोमीटर अपने राज्य में मुख्य नहर बनानी है और बाकी उसकी वितरिकाएं वगैरह बनानी हैं। इसमें पेयजल का भी प्रावधान है। इसमें सांचौर के सौ गांव, गुढ़ामालानी के इक्यावन गांव, चौहटन के बारह, इस तरह एक सौ तरेसठ गांवों को यह सिंचाई भी देगी और पेयजल की व्यवस्था भी देगी। पूर्व में जो हमारा प्रस्ताव बना था इसमें संशोधन करते हुए इसे हम जो टैंक और फव्वारे का सिस्टम है उसे लागू करने के जरिए से इसका पहले जो कम सिंचित क्षेत्र था उसमें अब 2.51 लाख हैक्टेयर का सिंचाई क्षेत्र बना दिया है। तो यह बीच में पैसे की कमी के कारण से काम रुक गया था और आठ किलोमीटर तक लाइनिंग होकर रह गया, तीस किलोमीटर तक खुदाई होकर रह गया, अब जो हमें प्रावधान आया है उस प्रावधान के तहत में पैंतीस करोड़ उनतीस लाख इस साल का दिया है। इसमें जो तीस किलोमीटर तक खुदाई है उसकी लाइनिंग करेंगे। इसके बाद में 51.50 किलोमीटर तक उसकी खुदाई करेंगे और आगे-आगे जैसे-जैसे पैसा मिलता जाएगा उसका हम उपयोग करते रहेंगे और मौजूदा साल में एक साइफन लूणी नदी के ऊपर बनाने का भी प्रोग्राम है। जिन काश्तकारों की जमीनें इसमें बीच में आती हैं उनको मुआवजा देने का भी इसमें प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना जो काफी वर्षों से लम्बित थी सिद्धमुख नहर परियोजना, 309 करोड़ की यह योजना है। अब इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके नीचे 94,000 हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी और इस सिंचित क्षेत्र के उपयोग करने के लिए

(डा. (श्रीमती) कमला)

हम इस इंतजार में हैं कि हम किसी भी वक्त इसका लोकार्पण करा लें और काश्तकारों को अपनी जमीनों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करें।

इसके साथ एक अभी कुछ समय पहले रतनपुरा जो माइनर थी, एक वितरिका थी, उसको हमने शुरू किया है। माननीय विधायक महोदय ने सही कहा है किसी वितरिका को पूर्ण करने के लिए 27.53 करोड़ की आवश्यकता है। लेकिन अभी हमें बहुत कम पैसा मिला है, 8 करोड़ ही, 10 करोड़ पहले ही लगा चुके हैं इसलिए और पैसा मिलना जरूरी है जिससे कि हम आने वाली 2003 की रबी से पहले इसको पूरा कर सकें और काश्तकारों को उसमें लाभ दे सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में घग्घर बाढ़ नियंत्रण योजना काफी समय से लागू है और लागू परियोजना में अभी तक 81 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। विभिन्न कार्यों पर अभी इसका इन्दिरा गांधी नहर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना रहे हैं कि यह जब कभी आवश्यकता हो, तो उस पानी को हम उधर डाइवर्ट कर सकें लेकिन यह पैसा भी कम है। 9 करोड़ चाहिएं इसके पेटे सिर्फ 3.50 करोड़ रुपया आया है। कोशिश करेंगे कि इसमें भी पैसा और मिल जाए। इसको भी हम तुरन्त तैयार कर दें जिससे कि यह योजना हमारी कारगर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, गंग आधुनिकीकरण परियोजना, इसके बाबत बहुत सारी टीका टिप्पणियां हुई हैं। कुछ माननीय सदस्य भी बहुत ज्यादा बोल गये लेकिन यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य सरकार ने उठाया और ऐसे समय उठाया जबकि हाथ में पैसा नहीं है। मैं गंगानगर के काश्तकारों को धन्यवाद देना चाहूंती हूं कि उन्होंने राज्य सरकार के पास हिस्सा राशि न होते हुए भी अपने इलाके की जो मण्डियां थीं उनके पैसों को राज्य सरकार के हिस्सा राशि में काउंट करने की स्वीकृति दी जिसके कारण हम इस परियोजना को तैयार कर सके। आज इस परियोजना का काम पंजाब में शुरू हो चुका है। 22 किलोमीटर का काम पंजाब सरकार ने कर दिया है। हमारे क्षेत्र में भी एक तो इसकी लिंक चैनल का कुछ काम बाकी था उसको तैयार कर दिया है। हमारी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज के ऊपर भी काम हुआ है लेकिन अभी यह शुरूआत है। इसमें एक अच्छी शुरूआत यह हुई है कि उस वक्त में हमें थोड़ी सी हिचक यह थी कि पंजाब गवर्नमेंट न मालूम किस तरह करेगी, कहीं बीच में लटका देगी या अच्छा स्टैण्डर्ड नहीं करेगी। लेकिन मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि बहुत मुस्तैदी के साथ और बड़े अच्छे स्टैण्डर्ड का काम पंजाब में हो रहा है। हम भी अपने यहां पर इस काम को जल्दी से जल्दी तेजी

(डा. (श्रीमती) कमला)

से करना चाहेंगे। अब इसमें समय-समय पर यह कहा है कि पैसा तो कुछ घोषित किया है पर आप लगा कम रहे हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जितने भी पैसे का हमने प्रावधान किया है वह उतना ही नहीं करेंगे, वह पैसे का काम, हम अगर जल्दी टेकअप कर सकें और खर्च हो सकेगा, तो हम और भी पैसा देने का प्रावधान है। इसमें कहीं कोई पैसे की कमी हम नहीं आने देंगे और जो समय सीमा इसमें निर्धारित की है उस समय सीमा में ही हम इसको तैयार कर सकेंगे। यह हमारा इस मामले में बहुत सक्रियता से इरादा है और मैं समझती हूं कि इसको करना हमारे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिज का पाइंट है। अगर हम इसको समयबद्ध तरीके से कर सके तो यह नहर फिर से अपना पूरा जीवन प्राप्त कर सकेगी और उस क्षेत्र के काश्तकारों की आज जो हालत है उसमें सुधार हो सकेगा।

इसके सन्दर्भ में माननीय विधायक महोदय ने अपनी ए माइनर की भी बात कही। ए माइनर का मामला बहुत समय से चल रहा है और जो उन्होंने उसका विवरण दिया है वास्तव में वह स्थिति ऐसी ही है। हमने चाहा था कि बाहर से इसको ले जाने का, लेकिन काश्तकारों ने उसके लिए जमीन नहीं दी, इसलिए वह अटका हुआ है। अब भी यह जमीन अगर देते हैं, तो हम उस पर कर सकेंगे वरना हम कंडयूट पाइप से उसको किसी तरह से निकालने की चेष्टा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारी मेजर प्रोजेक्ट जो आन गोइंग हैं या शुरू हो रहे हैं उनके साथ में कुछ मध्यम सिंचाई योजनाएं भी पूरी होने पर हैं या कुछ तेजी से तैयार हो रही हैं। जैसे छापी सिंचाई परियोजना है इसको पूरा करने के लिए हम काफी तीव्र प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह समझती हूं कि आने वाले कुछ समय में हम इसकी पूर्ति कर सकेंगे और इसका 60-67 प्रतिशत काम हो चुका है बाकी काम जल्दी ही कुछ महीनों में पूरा कर सकेंगे। पांचना बहुत पुरानी योजना है इसको 2002-2003 में पूरा करके लोकार्पण करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने फण्ड्स दिए हैं हालांकि वह कम हो सकता है लेकिन जैसी स्थिति होगी और भी फण्ड्स लिए जा सकते हैं। चौली, चिड़ावा के बांध का काम काफी कुछ हो चुका है। नहरों का काम भी काफी कुछ हो चुका है और इसको 2004-2005 में हम पूरा करके वहां के काश्तकारों को पानी दे सकेंगे। बेतली अपने आपमें एक अच्छी बड़ी योजना है इस पर 35.39 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है, बांध का कार्य 95 प्रतिशत हो चुका है, नहरों का 80 प्रतिशत हो चुका है और 2002-2003 में हम इसको पूरा करके

(डा. (श्रीमती) कमला)

जनता को लोकार्पित कर देंगे। इसके साथ में तीन नई मध्यम सिंचाई योजनाएं अभी इस बजट में स्वीकृत की गयी हैं। गहडदा है, सुकली है, बांदी-सेंदड़ा है, इसके लिए वर्तमान में एक-एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। जिसका हम उपयोग करके इन योजनाओं का काम प्रारम्भ कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं का बहुत बड़ा काम है। इनके लिए जो नाबार्ड की सहायता है वह हमें बहुत सहूलियत से मिली है इसलिए हम उनको पूरा कर सके। 2001-2002 में नाबार्ड से हमें 177 परियोजनाएं स्वीकृत हुई जिनमें से हम 89 पूर्ण कर चुके हैं, 88 हम जल्दी ही पूरी कर देंगे। इस वर्ष में भी हमें 92 परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत हुई हैं और हम इनको भी जल्दी ही तैयार कर सकेंगे। इन योजनाओं से लगभग 32238 हैक्टेयर तक सिंचाई का काम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो हमारी नई योजनाएं हैं। सबसे बड़ा जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है वह 733 करोड़ रुपए का है वह स्वीकृत हो चुका है पिछली दफा जब मैं आपके सामने उपस्थित हुई थी, उस वक्त हमने स्वीकृति के लिए काफी कोशिशें लगा रखी थीं लेकिन आज मैं कह सकती हूं कि वह स्वीकृत होकर आ गया है। उसके काम के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। इसके तहत 1970 के पहले जो बांध और नहरें बनी हुई हैं, उनमें से 8 वृहत् योजनाएं, 37 मध्यम योजनाएं, 46 लघु सिंचाई योजनाएं और 16 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाना है। यह अपने आप में राजस्थान ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने जो यह प्रोजेक्ट लिया है उसके बाद में यू.पी. ने हमारे इस माडल को लेकर के यह प्रोजेक्ट मंजूर कराना है। मध्य प्रदेश ने भी हमारे इस प्रोजेक्ट को लिया है वह भी इसे मंजूर कराने में लगे हुए हैं। यह अपने आप में जो मेंटिनेंस की कमी के कारण से या फण्ड्स न होने के कारण से इन सारे प्रोजेक्ट्स की जो खराब हालत हो रही है इसमें बहुत बड़ा योगदान हम इसके जरिए कर पाएंगे। आने वाले समय में इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम माइनर लेवल तक पक्का लाइनिंग करके काश्तकारों को देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यमुना जल परियोजना यह राज्य की बहुत समय से लम्बित एक योजना पड़ी हुई है। हमारा यमुना जल के अन्दर 1.119 डी.सी.एम. हिस्सा था लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 500 क्यूसेक्स गुड़गांव नहर में अलाट था, मिल वह भी नहीं रहा था। 500 में से कभी 80, कभी 150 क्यूसेक्स ही पानी हमें मिलता है और बाकी जो हमारा पानी है उसके लिए काफी

(डा. (श्रीमती) कमला)

जद्दोजहद कर रहे थे। सी.डब्ल्यू.सी. में भी हमने अपना प्रोजेक्ट दे रखा था लेकिन हरियाणा की क्लीयरेंस न होने के कारण उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। पिछले दो-ढ़ाई वर्षों में मैंने स्वयं ने भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर महोदय से बात की। उनके अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारियों ने पूरी लेंथ, जो ठेठ ताजेवाला हैड से लेकर के लुहारू केनाल तक का जो उनका एरिया है, उसमें विजिट करायी, उन्हें यह महसूस कराया और उन्हें यह कनविंस कराया कि हम अगर यहां से पानी लेंगे तो आपके स्ट्रेक्चर को री-माडलिंग में कोई नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि आज के युग में बहुत बढ़िया टेक्नोलाजी आई हुई हैं। उन्होंने आखिर में इस बात को माना और वह कनविंस हुए। उनके अधिकारियों ने सहमति दी और अपर यमुना बोर्ड के अन्दर फिर इस मामले को क्लीयरेंस मिली कि राजस्थान अपना 3100 क्यूसेक्स पानी ले ले। इसके तहत 1281 क्यूसेक्स ओखला बैराज से गुड़गांव नहर और भरतपुर से इधर आएगा और 1971 क्यूसेक्स पानी जो हकनीकुद ताजेवाला से झुंझुनूं और चूरू के लिए हमें प्राप्त होगा। इसके तहत हमने एक रिपोर्ट तैयार करके सी.डब्ल्यू.सी. में भेज दी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की स्वीकृति के बाद में उसे हम एक-दो रोज में सी.डब्ल्यू.सी. को भेज देंगे। इसके अन्तर्गत जो हमारे राजस्थान में भरतपुर फीडर से जो अतिरिक्त 481 क्यूसेक्स पानी आएगा और इसी के साथ में इसका जो कमांड एरिया है वह भी 39 हजार काश्तकारों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार से जो इसकी लागत है 150 करोड़ रुपया, भरतपुर फीडर और गुड़गांव के लिए जो एडिशनल फण्ड्स चाहिए, जो हरियाणा में एरिया है उसके री-माडलिंग के लिए और हमारा जो एरिया है उसमें आगे लेकर उसके नीचे नेटवर्क बनाने के लिए। इस परियोजना का तखमीना मार्च, 2000 में केन्द्रीय जल को प्रेषित किया जा चुका है। गुडगांव का और उसका और जो झुंझुनूं और चूरू वाला है उसमें कुल कमांड क्षेत्र एक लाख पिचानवें हजार है दोनों जिलों का और इसमें 413 गांव शामिल किए गए हैं जिनके पेयजल के लिए सुविधा इसमें होगी। इसके अन्दर झुंझुनूं जिले का एक लाख अठावन हजार क्षेत्र है, चूरू जिले का 37 हजार क्षेत्र है जो इसमें हम कर सकेंगे। नयी प्रस्तावित नहर प्रणाली में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हम इसके अन्दर ला सकें और जल्दी से जल्दी यह प्रोजेक्ट हरियाणा से कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रस्ताव मंजूर हो सके। हालांकि अपर यमुना बोर्ड ने फैसला दिया है उसी सी.डब्ल्यू.सी. से इसकी क्लीयरेंस होनी है लेकिन फिर भी दोनों स्टटों के बीच में एम.ओ.यू. लिखा

(डा. (श्रीमती) कमला)

जाना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उनसे सहमति होनी है क्योंकि हमारा यह इंटर स्टेट मैटर है, बराबर हम इस बात में लगे हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा काम जो राज्य सरकार ने पिछले सालों में शुरू किया, हमारे पास आज के दिन सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं है, तो चम्बल में है, अथाह जल है और हमारे हिस्से का जो जल है वह अभी भी हम पूरा नहीं ले पाए हैं, 3523 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अभी भी चम्बल का हमारे लिए उपयोग करने हेतु बाकी है। हमने पिछले दिनों विभाग की तरफ से निर्देश दिए कि यह पूरे के पूरे पानी का चम्बल वाटर का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। हमारे अधिकारियों ने, हमारे विभाग ने इस बात की पूरी चेष्टा करके जो मास्टर प्लान तैयार किया है, जो अभी फाइनलाइजेशन होना बाकी है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स वन में आने से थोड़े पैंडिंग हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी कुछ कम बन रही है, लेकिन फिर भी उसको आने वाले दो-तीन महीनों में हम पूरा देख कर अप्रूव कर सकेंगे।

वृहद् योजना कालीसिंध, परवन और मनोहरथाना, ये दो-तीन बड़ी योजनाएं हमने मास्टर प्लान में डाली हैं। इसके अलावा लिफ्ट स्कीमें 7 हैं, इन्दिरा लिफ्ट स्कीम है जो हमने सी.डब्ल्यू.सी. को भेजी हुई है, पीपल्दा लिफ्ट है वह भी सी.डब्ल्यू.सी. भेजी हुई है और इस इन्दिरा लिफ्ट की मंजूरी के बाद में, बनने के बाद में सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर आदि जिलों को बहुत कुछ फायदा इससे मिलेगा।

इसी के साथ धौलपुर में जो लिफ्ट स्कीम है, वह हमने आक्षेपों की पूर्ति करने के लिए भेजी हुई है। मैं समझती हूं कि सी.डब्ल्यू.सी. उसको भी जल्दी क्लीयर कर देगी। इन्दिरा लिफ्ट पीपल्दा और धौलपुर के अलावा जो लिफ्ट है वह गगोर लिफ्ट है, चम्बल लिफ्ट है। यह हमारी इसमें जो 7 मध्यम लिफ्ट हैं इनको हमने तैयार कर रखा है। इसके अलावा जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं वह 10 हैं, जिनका सी.सी.ए. लगभग 74244 हैक्टेयर है। इनके बनने के बाद अंधेरी, चाखन, गरड़दा, ल्हासी, पिपलाद, हिण्डलोत, हथियादेह, तकली, गागरेन, राजगढ़, इनमें से गरड़दा है वह अभी नये बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषित की है, बाकी इन सब की राज्य सरकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है और जल्दी ही जो तैयार हैं उनको हम सी.डब्ल्यू.सी. में भेज देंगे और उनकी स्वीकृति करा सकेंगे।

इसके अलावा जो लघु सिंचाई परियोजना मास्टर प्लान के अन्दर चम्बल जल की बनायी है, वह हैं 346, यह और भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी यह

(डा. (श्रीमती) कमला)

फाइनल नहीं है, 346 के बनने से 85000 अतिरिक्त हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। 600 करोड़ की लागत से ये सारे तैयार होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग के अपने जो काम हैं, वह मैंने आपके सामने रखे। विभाग ने अपने कुछ कामों के अलावा भी इस राज्य की जल व्यवस्था के प्रबन्धन, जल के संग्रहण, जल के उपयोग को तैयार करने के लिए किया है। ग्यारहवें वित्त आयोग के काम जो अकाल के साथ जोड़ कर किए, वह अपने आप में राजस्थान का देश भर में एक प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने जो समय सीमा दी है, उससे कहीं जल्दी हमने उनको बना दिया और इतना बढ़िया बनाया है, उसकी पाल है, खुदाई है, वह अपने आप में देखने लायक है, श्रेष्ठ श्रेणी के काम हैं। इसमें 3388 कार्य किए जा चुके हैं और 392 कार्य अभी चालू हैं जो बाद में स्वीकृत किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नाबार्ड से हमने सिक्स आर.आई.डी.एफ. के तहत 676 एनीकट का काम मिला था जिनमें 600 कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी में काम चल रहा है। यह अपने आप में जल संग्रहण के लिये बहुत उपयोगी कार्य है जो विभाग के द्वारा किए गए हैं।

अकाल राहत में भी हमने एनीकटों का, गांव में आए तालाबों का, नहरों की सफाई और मरम्मत का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। मैं इस सन्दर्भ में माननीय विधायक साहेबान को यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह जो काम हैं एनीकट के, तालाबों के, यह काम हालांकि हमारे विभाग के नहीं हैं लेकिन चूंकि सिंचाई विभाग एक नोडल एजेंसी है इसलिए हम इनको निर्मित करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जितनी भी अपनी जरूरतें बतायी हैं और प्रस्ताव दिये हैं, आप और भी दें लेकिन यह बात समझ कर दें कि इसमें मंजूरी पैसों की होगी वह या तो डी.आर.डी.ए. से होगी या एम.एल.एज., एम.पीज. कोटे से और यदि हमारी बात को स्वीकार कर लें प्रधानमंत्रीजी, जल संग्रहण योजना लागू कर दें देश में, उससे होगी, तो उसके तहत में इनकी फाइनेंशल और टैक्नीकल स्वीकृतियां जारी होगी। निर्माण का काम हमारा विभाग करता है जैसा कि अभी पिछले वक्त में यह किया है, तो इसमें आप जितने भी काम कराना चाहते हैं उतना अवश्य कराएं। निवेदन यह है कि आपके एम.एल.एज. कोटे से कम से कम एक-एक, दो-दो एनीकट आप जरूर बनाइए, जिससे आपकी और राज्य की, दोनों समृद्धि हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 20 लाख रुपये आज एनीकट पर लगते हैं। आप 60 लाख रुपये हमको दे रहे हैं, 20 लाख तो वहीं चले जाते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : काहे में?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): एनीकट के लिए।

डा. (श्रीमती) कमला : यह तो मैं जानती हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : तो यह 20 लाख रुपये आप दो ताकि पानी की व्यवस्था हो सके।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि आम तौर पर हमारे प्रतिनिधियों में भी, आप में से भी बहुत लोगों को यह वहम है कि यह काम हमारा है। हमारे पास इसका पैसा नहीं होता। यह हमारे विभाग का जोब भी नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से इस काम को इसलिए कर रहे हैं कि हमें यह लगन है कि राजस्थान की जमीन पर पड़ने वाली हर बूंद को हम किसी न किसी प्रकार से व्यर्थ न जाने दें और हम इस तरह के काम करने में सहयोग प्रदान कर सकें। लेकिन आप लोगों की और आम समाज की इसमें आवश्यकता है, यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि विभाग अपने आप में बहुत सक्रियता से, तमाम अधिकारी और टीम बहुत लगन के साथ काम करे लेकिन फिर भी...

मोहम्मद माहिर आजाद : रूपारेल?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

डा. (श्रीमती) कमला : (व्यवधान) वह अभी बाकी है, वह अभी बोलूंगी, सुनिए। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : आप दीपक तले अंधेरा रख रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने समझा कंक्लूड कर रही हैं।

श्री कन्हैया लाल : आप जहां जयपुर की रहने वाली हैं, वहां कुछ नहीं किया आपने।

डा. (श्रीमती) कमला : पहले आप जो बोले हैं, उनका जवाब तो अब दूंगी। यह तो मैंने अपनी बात कही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात भी थोड़ी कह दूं...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तो मंत्रीजी ने अपनी बात कही है। आपकी बात तो अब शुरू होगी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : सेम के बारे में कुछ नहीं कहा।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घग्घर बेड का मामला माननीय विधायक महोदय ने उठाया। यह सही बात है कि पूर्व में घग्घर बेड का जो रूट बनाया हुआ है और उसकी जो विड्थ कायम हुई है वह किसी प्रकार से भी व्यावहारिक नहीं है। वह कोर्ट

(डा. (श्रीमती) कमला)

का निर्देश था इसलिए समय-समय पर हमें उसको फेस करना पड़ रहा है था। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके विभाग के वकील से यह कहा कि आप कोर्ट के अन्दर एक अर्जी लगाओ यह आपने विड्थ बनायी है इस तीन बीघा की और जो आपने रूट बनाया छह बीघा का, यह कतई तौर पर व्यावहारिक नहीं है। इसमें संशोधन करने के लिए कोर्ट हमें इजाजत दे, तो वह केस हमने कोर्ट में भेज रखा है। क्योंकि कोर्ट के आदेश बदले बिना हम अगर करते हैं तो, हमें रोजाना नोटिस आ रहे हैं कि विभाग के खिलाफ, क्यों न आपके खिलाफ यह कार्यवाही की जाए, क्यों न आपके खिलाफ यह कार्यवाही की जाए। इसलिए हमने वह रास्ता पकड़ा है कि हम काश्तकारों की सुविधा के लिए उनकी चौड़ाई को भी कम करा सकें और रूट के ऊपर जो कोई मन्दिर, मस्जिद या श्मशान वगैरह इस तरह की कोई दुविधाएं आती हैं, उनको भी हम नया रूट बनाकर ठीक कर सकें।

रूपारेल बांध का आपने कहा। रूपारेल बांध का आप जानते हैं, जो लीगल पोजीशन है वह भी आप जानते हैं, जो हुआ वह भी आप जानते हैं, विभाग ने जो नोटिस दिया वह भी आप जानते हैं, बाद में उसको तोड़ने की बात आयी, तो ग्रामवासियों ने कहा कि आप इसको मत तोड़िए हम तो खुद ही इसका रास्ता निकाल देते हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता निकाल दिया। यह बात सही है कि राजस्थान में आज जो इर्रिगेशन ला है, उसमें बाकायदा यह प्रावधान किया है, जो मैंने बार-बार कहा है, पब्लिक के सामने भी कहा है कि उसके तहत में और वैसे भी हम आलरेडी बने हुए किसी भी बंध को, किसी भी एनीकट को या वाटर स्ट्रक्चर के कैचमेंट एरिया में अगर कोई भी निर्माण करता है, तो वह गलत है, अवैधानिक है इसलिए जो कोई भी इस तरह की स्थिति आती है उसको हम रोकते हैं और रोका भी है हमने। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उसको तुड़वा दो।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, वो तुड़वाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि उन्होंने खुद ने ही तोड़ दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खुद कह रही हैं अवैधानिक है, आप खुद कह रही हैं गलत बना है, आप खुद कह रही हैं इर्रिगेशन एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। आप तुड़वाती क्यों नहीं फिर?

डा. किरोड़ी लाल : आप खुद स्वीकार कर रही हैं। इसको तुड़वाओ फिर।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बात तो सुनें मेरी। यह कैचमेंट में डालने का कतई तौर पर सरकार या विभाग इजाजत नहीं देता है और अभी अकाल के दिनों में दो-तीन जगह इस तरह के मुद्दे आए मैंने रुकवाए। एक बांध बन रहा था सीकर में, जिसका कैचमेंट नावां के प्रोजेक्ट का था, वह मैंने रुकवाया। इसी तरह से एक दूसरा किसी जिले का था उसका मैंने रूकवाया कि आप मौजूदा कैचमेंट में किसी का भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए वरना जितना अरबों-खरबों रुपये के जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनके नीचे सिंचित क्षेत्र घोषित हुआ है, वह सबके सब बरबाद हो जाएंगे। इसलिए उस कानून को न तो बदलने की स्थिति है। उसको लागू करने के लिए हमें जहां-जहां भी जरूरत पड़ती है करते हैं। इसको लागू करने के लिए जब गये तो गांव वालों ने सबने मिलकर यह कहा कि आप मत तोड़िये, हम खुद ही तोड़ देते हैं। उन्होंने तोड़कर उसका पानी का रास्ता निकाल दिया, इसलिए हमको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, स्थिति यह है। (व्यवधान) अब जो आपने कहा है...

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी टूटा नहीं पूरा। आप दिखवा लें, आप अगर कंवींस हो गई हैं, भरतपुर के साथ अन्याय हुआ है, तो आप उसको दिखवा दो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, वैसे के वैसे कायम है जैसा पहले बना था।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई भी गैर कानूनी काम करके यह एश्योरेंस दे देना। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने जो कहा है उसके आधार पर इसको तुड़वाने की व्यवस्था करो।

डा. (श्रीमती) कमला : एक को तो बोल लेने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं आप खुद कंवींस हैं, आप मानती हैं कि गलत काम हुआ है, भरतपुर के हितों पर कुठाराघात हुआ है, लोगों ने उसको जितना तोड़ना चाहिए था नहीं तोड़ा। भरतपुर को अभी भी पानी नहीं मिल रहा है। आप उसको दिखवा लें और अगर बाकी है, तो आप उसको तुड़वा दो।

डा. (श्रीमती) कमला : अभी बहस के दौरान जो माननीय सदस्यों ने सूचना दी उसके कारण से भरतपुर के फलां-फलां बांधों का हुआ है, अलवर के फलां-फलां बांध पर असर पड़ा है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय मंत्री महोदया, गांव वालों ने कोई रास्ता ही नहीं निकाला है। पानी वहां रुका हुआ है और रूपारेल से पानी रुक गया है वहां पर।

डा. (श्रीमती) कमला : आम तौर पर पानी की किल्लत पैदा हो गई है। यह बात तो आपने अभी चर्चा के दौरान कही है इसकी मैं जांच कराकर जैसी वांछित कार्यवाही होगी वह करूंगी। आपने कहा कि अलवर में मैं यह कह कर आयी। अलवर में भी मैंने यही कहा था कि हमें तोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि गांव वालों ने ही तोड़ दिया था, यह कहा है मैंने। (व्यवधान) वही कहा है मैंने। मैं सारे वक्त यही कह रही थी (व्यवधान) खैर, अब आपने जो बताया है उसके आधार पर इसकी जांच कराएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटे तालाबों का रख-रखाव पंचायतों को दिया वह ठीक नहीं हो रहा है, उनसे सम्भल नहीं रहा है इसलिए वापस लिया जाए। मैंने बीच में भी निवेदन किया था यह एक बहुत कांसियस डिसीजन लिया हुआ है कि पंचायतों को काम देने की दृष्टि से सिंचाई विभाग के ये बंधे उनको दिये गए हैं। पंचायतें उसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो पंचायत राज से निवेदन करेंगे कि वे उनको ट्रेनिंग दें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें गाइड लाइंस प्रदान करें जिनके तहत वे इन कामों को परफोर्म कर सकें। बाकी न तो हमने अपनी तरफ से दिए और न हम अपनी तरफ से उसे वापस ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, न तो गाइड लाइंस चाहिए, न कुछ चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए जिससे वो पंचायत चला सके। पंचायतों के पास है क्या जो काम करे।

डा. (श्रीमती) कमला : पैसे की बात तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : है ही नहीं उनके पास कुछ।

डा. (श्रीमती) कमला : बाकी वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वे आपसी झगड़ों में कभी तो किसी जगह ज्यादा दे रहे हैं, कभी किसी जगह कम दे रहे हैं, इसलिए पैसे की व्यवस्था भी पंचायत राज से ही होगी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, कोई ग्राम पंचायत वापस देना चाहे तो लेना तो स्वीकार करेंगे?

डा. (श्रीमती) कमला : वह हम तभी ले सकते हैं जब पंचायत राज हमें यह इजाजत देगा।

श्री हीरासिंह चौहान: पंचायत राज ने कह दिया, आपने नहीं लिया। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : हम अपने आप नहीं ले सकते। एक जो बहुत बड़ी बात सारे ही माननीय सदस्यों की तरफ से लगभग आयी है कि हमारी बड़ी से बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम हैं, छोटी हैं और जो हमारे विभाग से बाहर एनीकट है, गाइड बंध है, इनका कहीं कोई रखरखाव का इन्तजाम नहीं है। माननीय

(डा. (श्रीमती) कमला)

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हमने इर्रिगेशन रेट्स बढ़ायी थी तब हमने यह तय किया था कि जो बढ़ी हुई रेट का पैसा है वो वापस विभाग को मिलेगा मेंटिनेंस और रखरखाव के लिए। लेकिन वो हमें मिल नहीं पाया। इसलिए बहुत जगहों पर इस बात की परेशानी है, खास तौर से माननीय सदस्य ने जो इन्दिरा गांधी नहर की स्थिति के बारे में कहा। यह सही बात है अगर वैल इन एडवांस हमने इन नहरों को रखरखाव के लिए व्यवस्थित नहीं किया, तो आने वाला समय हमारे लिए गंग नहर की तरह से ही फेस करना पड़ सकता है। उसकी बहुत आवश्यकता है। कोशिश करेंगे इस महत्ती आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए हम कुछ और फण्ड्स इस काम के लिए ले सकें, वह हम प्रयत्न करेंगे।

इसके अलावा जो वाटर अलाउंस वाला मामला है यह अपने आप में हमको अनावश्यक तौर से एक आंदोलन का, घेराव का और प्रोटेस्ट का एक कारण बना हुआ है। मैं समझती हूं किसी प्रकार से इसमें कोई तर्क नहीं है इसका विरोध किया जाए। क्योंकि जो 5.23 वाटर अलाउंस है, वो वाटर अलाउंस एक तरफ जहां काश्तकार को बहुत ज्यादा इफरात से पानी लेने के लिए प्रेरित करता है उसमें सेम की समस्या बढ़ती है और जो टोटल पानी हमें इन्दिरा गांधी नहर से ठेठ सैकण्ड स्टेज तक पहुंचाना है, उसको पहुंचाने में बाधा पड़ती है। जब हमने यह प्रोजेक्ट चालू किया था उस वक्त स्टेज वन का जो हमने वाटर अलाउंस तय किया उसमें और जो सैकण्ड स्टेट के लिए किया उसमें यह बाकायदा लिखा हुआ है कि धीरे-धीरे करके हम इसको कम करके बराबर में लाने की चेष्टा करेंगे। ओटू वीयर की बात कही गयी। ओटू वीयर के लिए हमने कहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे। हम कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने ना कर दिया और वहां पर दूसरा रास्ता हमें सुझाया कि आप इसको इस तरह से नहीं इस तरह से करिए :- "The Advocate-on-record, with the consultation and on request of the court, for permission of withdrawal..." जब उन्होंने ना कर दिया, तो उसको विड्रावल करने के लिए "The matter is now with the Cheif Engineer to decide to write to the Union Government." उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट के साथ आप बात करिए, यह कोर्ट का मामला नहीं है। इसलिए हमको वापस लेना पड़ा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी...

डा. (श्रीमती) कमला : मैं ज़रा कह लूं पूरा उसके बाद पूछ लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं इसी मुद्दे पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या हाई कोर्ट में आपके एडवोकेट ने कम्प्रोमाइज कर लिया था और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने कम्प्रोमाइज कर लिया, तो यहां किसलिए आये हो?

डा. (श्रीमती) कमला : यह इतना डिटेल मुझे नहीं पता।

श्री मानिक चन्द सुराना : पूरी जानकारी करनी चाहिए।

डा. (श्रीमती) कमला : वह जानकारी मैं कर लूंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके खुद के एडवोकेट के द्वारा हाई कोर्ट में कंसेंशन देने के कारण आपका केस हाई कोर्ट में बिगड़ा।

डा. (श्रीमती) कमला : हां, मैं देखूंगी इस मामले को।

श्री मानिक चन्द सुराना : और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में भी आपके केस को आपको विथड्रा करना पड़ा, स्थिति तो यह है।

डा. (श्रीमती) कमला : ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने कई सुझाव दिए हैं, मैं उनके ब्यौरे में नहीं जाउंगी। मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि जो भी माननीय सदस्यों ने कोई नए एनीकट के लिए या नयी माइनर के लिए या माइनर के एक्सटेंशन के लिए या ब्रिज बनाने के लिए, इस तरह के जो भी प्रस्ताव उनके आए हैं उन सबके बाबत वे अपनी पूरी टिप्पणी तैयार करके मुझे देंगे और उनमें से जो भी होने की स्थिति होंगी वह हम कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव माननीय सदस्य महोदय ने दिया कि धारूहेड़ा से रामगढ़ बांध में पानी डालने की परियोजना आपको तैयार करनी चाहिए। इसको दिखाएंगे, देखें कितना क्या प्रैक्टिकल और फिजिबल है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक प्राजेक्ट में यह बहुत बड़ी स्वाभाविक मांग है कि चम्बल प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा हमारे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था, वह किसी कारण से छूट गया है। हम वर्ल्ड बैंक से बराबर कांटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी तरह से उसको इन्क्लूड कर सकते हो और वो इतनी इजाजत हमें और दे सकते हों और राज्य सरकार भी उसके लिए कुछ और अतिरिक्त योगदान कर सकती हों, तो इसकी बराबर चेष्टा करेंगे। मुझे अपने मन में भी इसकी बहुत ज्यादा परेशानी है कि यह कैसे छूट गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरचरण सिंहजी ने जो एक सुझाव दिया कि यह सेम की जो समस्या है वह आपके बोर वाला, ट्यूबवैल या किसी और माध्यम से उस डिप्रेशन का पानी उसमें डालो, ऐसा करो, इसकी बजाय सरफेस चैनल्स निकालने के लिए जो ड्रेनेज का आपने बताया यह

(डा. (श्रीमती) कमला)

कारगर हुआ है। अभी रावतसर में जो प्रोजेक्ट अपन ने लिया वो काफी एनकरेजिंग है और हम इसको किस तरह से ले सकते हैं बशर्ते नहर के साथ के जो काश्तकार हैं वो इस बात की इजाजत दें, तो मैं अधिकारियों से चाहूंगी वो इस तरह का अपने प्रोजेक्ट्स को तैयार करके दें जिससे हम उसको कर सकें।

आपने कई और बातें सुझायी हैं, वे हमने नोट कर ली हैं और उनको पूरी तरह से लागू कर सकते हैं तो उतना नहीं, कुछ अंश में कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे। यह बात सही है हमारी जो बीकानेर नहर है, चूंकि यह बीकानेर स्टेट के वक्त में बनी थी तो इसकी बहुत सारी सम्पत्तियां पंजाब में है। जिसके लिए हम बराबर इनसे तकाजा कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने पहले, चुनाव के बाद मैं खुद और मेरे अधिकारी पंजाब के सिंचाई मंत्रीजी और उनके अधिकारियों के साथ डेढ़ घंटे तक डिस्कशन किया। जिसमें पहला पाइंट यह था कि हमारा जो .6 एम.एफ. पानी हमने आपको 1981 में इसलिए दिया था कि हमारा नेटवर्क तैयार नहीं है और हम बराबर 11-12 वर्ष से आपको तकाजा कर रहे हैं कि आप हमारा पानी लौटाइए। लेकिन पंजाब सरकार ने उसको नहीं लौटाया इसलिए आप तुरन्त हमारा पानी लौटाएं। हमारी जितनी भी बातें थीं वह पोल्यूटेड वाटर छोड़ रहे हैं या हमारा जितना पानी मिलना चाहिए वह बराबर समय पर नहीं दे रहे हैं यह सारी बातें उसमें हमने चर्चा की हैं, 8-9 पाइंट्स पर, उन सबको उन्होंने हां तो किया लेकिन मन में कुछ भी नहीं था कि वह उसमें कोई एक्जीक्यूशन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि जो नयी सरकार आयी है उसके साथ फिर हम जाकर बात करेंगे। अभी जो नेशनल वाटर कौंसिल की बैठक माननीय मुख्य मंत्रीजी पंजाब के साथ हुई, उसमें राजस्थान की भी सीट थी, मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप मुझे कोई समय दें जिससे कि मैं अपने वह सारे बिन्दु आपसे चर्चा करके समाधान करा सकूं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो खड़ीनों की बात कही वह भी उसी तरह से है जिस तरह से एनीकट की है या गांवाई तालाबों की है, वह हम अपने पास देख-रेख के लिए रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वह हमारा जाब नहीं है। मण्डावर वाले माननीय सदस्य ने किस तरह से कह दिया कि मैं कोई घोषणा करके आयी थी और आपने लागू नहीं किया। मैंने घोषणा की थी, उस घोषणा के मुताबिक बिटोली बांध की आपकी स्वीकृति जारी हो चुकी हैं। इसके अलावा, मैंने कोई और घोषणा नहीं की। आपके यहां भडकू और बावरिया लघु सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बिटोली आपकी स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा मैंने कोई घोषणा नहीं की थी। आप यह जो कह रहे हैं वह गलत है।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, बिटोली के लिए मैंने कहा था कि आपने कर दी उसके लिए तो आपको धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) कमला : स्वीकृत तो हो गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आचार संहिता तोड़ दी आपने।

डा. (श्रीमती) कमला : अभी जो 92 नाबार्ड से स्वीकृत हुए उनमें भी एक है।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें मान ली फिर और क्या चाहिए आपको? ताली पीट रहे हो।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की और भी बहुत कुछ बातें थीं जो मैंने नोट की हैं लेकिन उन सबका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं, काफी समय हो गया है। आप सबको बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने इतनी रुचि से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए डिबेट में भाग लिया और इसी के साथ, माननीय अभी तो वह बोलेंगे, मैं आपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो यह बोलें, माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने उपयोगी सुझाव दिए उसके लिए मैं अपनी ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। राष्ट्र की महत्वपूर्ण और हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी मनुष्य निर्मित परियोजना है। इसके अन्तर्गत लगभग 19 लाख 63 हजार हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता सृजित होगी। अब तक 13 लाख हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता सृजित कर दी गयी है, लगभग 11 लाख हैक्टेयर सिंचाई के लिए खोल दिया गया है और वास्तविक खेती है वह लगभग 9.87 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। कुल मिलाकर इस योजना को बनाने का उद्देश्य यह रखा गया था कि हमारे मरूस्थल में जो सूखी धरती है उसको शस्य श्यामला वसुन्धरा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए और लगातार जो अकाल पड़ रहा है उसको सुकाल में कैसे बदला जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्र के निर्माता पण्डित जवाहर लालजी ने इंडस वाटर ट्रीटी की थी। उन्होंने इस मरूस्थल को देखते हुए विश्व बैंक में जो पैरवी हमारे भारत की की उसके आधार पर यह रावी व्यास और सतलुज का पानी राजस्थान को मुहैया हो सका। आज हम उनको किस रूप

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से उनका आभार व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं हैं। उसके बाद हमारे राष्ट्र की निर्मात्री, हमारे देश की शक्ति की प्रतीक इन्दिराजी ने इस नहर परियोजना के लिए शत प्रतिशत ग्रांट दी बी.ए.डी.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत और उन्होंने कभी 60 करोड़ रुपए, कभी 50 करोड़ रुपए दिए, कभी राजीव गांधी ने इसके लिए पैसे दिए। लेकिन मुझे अफसोस है अभी भाटी साहब ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, उनके वक्त में मैं मानता हूं कि 200 करोड़ का प्रावधान था लेकिन 60 करोड़ रुपए का प्रावधान तो आपकी सरकार ने बन्द कर दिया। पिछले दो साल से एक पैसा बी.ए.डी.पी. प्रोग्राम में हमको नहीं दिया है जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में 60 करोड़ की कमी तो सीधी यहां आ गयी।

श्री देवीसिंह भाटी : आप लोगों के साथ यही होता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो ऐसा है हमारी गवर्नमेंट थी तब आपको बराबर केन्द्र सरकार से बी.ए.डी.पी. प्रोजेक्ट में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए दिया लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके मानदण्ड कुछ अलग हैं। उड़ीसा में जिसमें एक तरह से चक्रवात आता है, हजार करोड़ रुपए दे देते हैं...

डा. किरोड़ी लाल : यहां नहीं देते क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : और हमारे यहां अकाल पड़ता है तो 30 करोड़, अभी सवा सौ करोड़, अभी डेढ़ सौ करोड़ रुपए देकर इतिश्री कर देते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आपके मांगने का तरीका सही नहीं है, माननीय कल्लाजी।

डा. किरोड़ी लाल : आप मांगना नहीं जानते।

श्री हीरासिंह चौहान : सेंटर से पैसे मांगने का तरीका अच्छा नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : आप मांगना नहीं जानते।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां आ गए राजस्थान के बारे में?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो सिर्फ पत्र लिख कर मांगते हो। पत्र लिखने से कोई मिलता है क्या?

डा. किरोड़ी लाल : आप जाकर नहीं मांगते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने स्थान से बोलें, कम से कम इतना अनुशासन तो इनको आना चाहिए। अपने स्थान के अलावा नहीं बोलना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय कमलाजी, मंत्रीजी के सामने कोई नहीं बोला और आप बार बार यह कटाक्ष करते हैं न इसलिए आपको यह सहन करना पड़ रही है। +++ आप उड़ीसा के मुख्य मंत्री से सीखो।

श्री रामस्वरूप : मांगना नहीं आता, तो 153 आ जाते। मांगना ही नहीं आता तो 153 कहां से जीत कर आ गये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको शिक्षा मंत्री पद से इसलिए हटाया कि कापी बाजार में सड़ रेही थी, पकड़ी जा रही थी कापी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम अपने और अपने अधिकार की बात करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप अयोग्य सिद्ध हुए हैं, अयोग्य सिद्ध हुए हैं, मंत्री महोदय। आप क्या कटाक्ष करते हो? आप तो अयोग्य हैं। (व्यवधान) आप बिलकुल लायक नहीं हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो ऐसा है कि आप लोग शिलाएं लेकर +++ शुरू करते हो, हम नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या बात कर रहे हो। आपको कटाक्ष नहीं करना चाहिए, सीधी बात बोलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : आप मांगो +++ तो आप अनावश्यक रूप से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्रीजी को बोलने नहीं देते हैं, बराबर टोक रहें हैं। आप कुछ अनुशासन तो बनाए रखें सदन के अनुसार जिस तरह माननीय सदस्य बीच बीच में टोक कर उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं, हमारे सवालों का जवाब नहीं आने देते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अयोग्य शिक्षा मंत्री रहे और अयोग्य इन्दिरा गांधी नहर मंत्री रहोगे और कुछ नहीं होगा। मांगना आता नहीं बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय +++ आप अयोग्य बता रहे हो उनको, ऐसी बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सिंचाई मंत्रीजी के सामने कोई बोला क्या? सिंचाई मंत्रीजी ने कटाक्ष नहीं किया और उनको बोलने की तहजीब है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप बड़ी देर से व्याकुल हो रहे थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह कितनी विद्वान हैं, माननीय सिंचाई मंत्रीजी। उनके सामने कोई नहीं बोला, पूरे डेढ़ घंटे शांतिपूर्वक सुना हमने और आप कर रहे हैं इस ढंग से व्यवहार की जैसे कोई हम आपकी पाकिस्तान की बोर्डर पर खड़े हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब आप बैठते हैं या मैं भी बोलूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अगर हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ठीक है, सुन रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बड़े हितचिन्तक हैं, तो हम भी राजस्थान का हित चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ज्ञानदेवजी, बैठते हो या नहीं बैठते हो? मंत्रीजी को बोलने दीजिए आप यह आपकी बपौती नहीं है सदन। (व्यवधान) कुछ अनुशासन होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को चलते हुए जबरदस्ती रोकते हैं। बोलने दीजिए मंत्रीजी को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप लोग क्यों कटाक्ष करते हैं, हम भी राजस्थान का हित चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हकीकत नहीं जानते आप तभी तो अयोग्य रहे शिक्षा मंत्री आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजो। उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए था कि पक्ष और विपक्ष के लोगों को राजस्थान के हक और हकूक के लिए मिलकर बात करनी चाहिए और इस सम्बन्ध में भारत सरकार को हम सब लोगों को मिलकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि बी.ए.डी.पी. में जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए मिलता था वह बराबर मिलना चाहिए।

अभी पिछले दिनों में मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सिंचाई मंत्रीजी और ग्रामीण विकास मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं और मिलकर उनसे इस बात का हक मांगा है कि राजस्थान की यह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जो न केवल राजस्थान के लिए बल्कि जब यह पूरा क्षेत्र इर्रिगेशन के लिए खुल जाएगा, तो राजस्थान के अलावा कम से कम 2-3 और राज्यों को अन्न खिलाने की क्षमता रखेगी। इस परियोजना का एक महत्व और भी है। सामरिक दृष्टि से आप जानते हैं कि राजस्थान का वह इलाका बोर्डर एरिया है, वह हमारी एक तरह से सुरक्षा रेखा भी है। सीमावृति क्षेत्रों में यह एरिया पड़ता है, अत: सुरक्षा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की दृष्टि से इस नहर का निर्माण समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर बनाना इतना ही जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस नहर के निर्माण का सवाल है, मुख्य नहर 649 किलोमीटर वर्ष 1986 में बना दी गयी थी उसके बाद इसके ऊपर 2320 करोड़ रुपए आज 31 मार्च, 2002 तक खर्च हो चुके हैं। अब तक अब जो सैकण्ड स्टेज हैं और बाकी लिफ्टे हैं इनको बनाने के लिए 1675 करोड़ रुपए की और

(21.00 बजे)

आवश्यकता है। प्रति वर्ष इस नहर के बन जाने से... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पैसा कहां से आएगा?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, आप बोल रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं जब पूरा भाषण दे दूं उसके बाद में आप प्रश्न कर लेना, मैं जवाब दे दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : पैसा कहां से आएगा?

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 5.37 लाख हैक्टेयर लिफ्ट नहर से सिंचित होनी है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप जवाब दे नहीं रहे हो उसका।

डा. किरोड़ी लाल : आप भाषण दे रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके राज में सिर्फ 17 हजार हैक्टेयर सैकण्ड स्टेज का खोला था और 1998-99 में 2 लाख 37 हजार हैक्टेयर खोला गया और आपकी गति कुछ भी नहीं है सैकण्ड स्टेज में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, आप रिपीटेशन कर रहे हैं। मैं एक-एक बिन्दु का जवाब दे दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप 2 लाख 8 हजार हैक्टेयर अभी तक सिंचित कर रहे हैं और आप यह गलत आंकड़ा दे रहे हैं 9 लाख 67 हजार हैक्टेयर में हमने पानी पहुंचा दिया है।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी गतिशील नहीं हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप तो वकील हो न, तो आपकी आदत है बहस करने की।

श्री मानिक चन्द सुराना : फर्स्ट स्टेज में कितना है, सैकण्ड स्टेज में कितना है यह अलग-अलग बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी सब बता दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह वकील होना और नहीं होना, आपका दुर्भाग्य है कि आप कानून नहीं पढ़े हैं। यह आपका दुर्भाग्य है मेरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, जवाब आने दीजिए। प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी जानकारी में है, मैं एलएल.बी. किया हुआ हूं। मैंने आपकी तरह प्रैक्टिस नहीं की है। मैं यहां पर जनता की वकालत करता हूं। आपका अधूरा ज्ञान है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके डाक्टर होने के हम सब कायल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, उस पर बोलें। माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह आप बहुत बड़े डाक्टर हैं। आप तो जो मांग है उसका जवाब दीजिए। आप डाक्टर हैं, नहीं हैं, इससे भी मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, यह क्वालिफिकेशन पर बहस नहीं हो रही है, इन्दिरा गांधी नहर पर हो रही है।

डा. किरोड़ी लाल : क्वालिफाइड आदमी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि इस परियोजना के बन जाने से आज प्रति वर्ष 1600 करोड़, 1700 करोड़ रुपए की उपज इस क्षेत्र में हो रही है और अब तक कुल 2320 करोड़ रुपए की लागत आयी है और जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो 5 हजार करोड़ रुपए की उपज प्रति वर्ष होगी। इससे पूरे मरूस्थल की, पूरे राजस्थान की काया पलट होगी और इससे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन और इस पूरे मरूस्थल के जिलों में जिसमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों की माली हालत में काफी बदलाव आएगा। इसके साथ-साथ यहां के लोगों के रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस में परिवर्तन आएगा। माननीय सदस्य जो इस क्षेत्र से आते हैं वे जानते हैं कि अप्रैल, मई और जून के महीने में काली-पीली आंधी आया करती थी, आज वहां पर काली-पीली आंधी कई वर्षों से नहीं आती है और वहां क्लाइमेट में काफी फर्क आया है, टेम्परेचर में फर्क आया है। बज्जू वगैरह के क्षेत्र में तो एक नई गेम्प सेंक्चुरी डवलप हो गयी है जहां वनों का काम बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि इस नहर के निर्माण से, खास तौर से यदि हम देखें तो इस नहर के निर्माण से प्रति हैक्टेयर खर्चा 17600 रुपए आता है। यदि सी.ए.डी. के वर्क्स को जोड़ें तो यह खर्चा 27600 रुपए प्रति हैक्टेयर आता है और यदि दूसरे और खर्चों को जोड़ें तो 32600 रुपए प्रति हैक्टेयर का खर्चा आता

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

है। जब कि राजस्थान की अन्य जो योजनाएं हैं उनमें प्रति हैक्टेयर खर्चा 50 हजार से लेकर 70 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर आता है और यदि हम इसको नेशनल एवरेज के रूप में लें तो यह खर्चा 80 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर आता है। इस दृष्टि से यह जो नहर का निर्माण किया जा रहा है, बहुत ही सस्ता और एक तरह से सबसे कम खर्च के ऊपर किया जा रहा है।

जहां तक हमारे यहां इस नहर के उपयोग का सवाल है, इस नहर से एक तरफ जहां सिंचाई हो रही है वहां दूसरी तरफ 1200 क्यूसेक्स पानी पेयजल के लिए निर्धारित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत 29 शहरों, कस्बों और 3461 गांवों को इससे पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ हमारी 6 लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स हैं उनके अन्तर्गत भी अभी जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इस वर्ष हम 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र खोल देंगे और इस प्रकार से करीब 90 हजार हैक्टेयर लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम के अन्तर्गत हम सिंचाई का क्षेत्र कुल मिलाकर इस वर्ष के अन्त तक खोल देंगे। इस प्रकार यह परियोजना जहां एक ओर सिंचाई का, पेयजल का और अकृषि कार्यों के लिए इसका उपयोग हो रहा है वहीं राजस्थान की जो जियोग्राफिकल रीजन है उसको चेंज करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण और उपयोगी नहर सिद्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त चूंकि समय काफी लोगों ने ले लिया है, जो माननीय सदस्यों ने बोला है...

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो प्रगति प्रतिवेदन में सारा आया हुआ है। अब हमने जो बिन्दु उठाए हैं कि...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बोल रहा हूं, उन्हीं के बारे में जवाब दे रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : पानी का जो रेगुलेशंस है उसमें समय-समय पर यह कह रहे हो, आज के दिन आपने घोषणा कर दी कि 8 अप्रैल से पानी नहीं मिलेगा तो आपने रेगुलेशंस भी तय नहीं किया है कि आप साढ़े तीन रोजा पानी करोगे उसकी पर्चियां किस प्रकार से बांटोगे। इसकी भी तैयारी नहीं है। प्यास लगने पर कुआं खोदते हो, बड़ा संकट तो यह है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी बताउंगा। श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राधेश्यामजी ने लोहागढ़ के डेमेजेज वगैरह की तरफ ध्यान दिलाया, इस सन्दर्भ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि प्रति वर्ष सिल्ट निकालने का काम और डेमेजेज हैं उनको ठीक करने का काम हम नहर की बंदी लेकर लेते है...

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो सिंचाई विभाग का काम है आप कहां से करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों मिलकर बात कर लेना, काहे को टाइम खराब कर रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में जो जो, चाहे सिंचाई मंत्रीजी का क्षेत्र हो चाहे हमारा हो, एक संयुक्त जिम्मेदारी के नाते मरम्मत का काम कराने की कोशिश की जाएगी।

श्री देवीसिंह भाटी : वह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। वह सिंचाई विभाग का कार्य क्षेत्र है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि बजट प्रावधान उनके वक्त में ज्यादा था। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आपके वक्त में बजट प्रावधान ज्यादा था लेकिन जैसा मैंने अभी पूर्व में आपके माध्यम से बताया कि 60 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो बी.ए.डी.पी. से हमको केन्द्र सरकार से मिलते थे उसके कारण और दूसरा कारण जो राज्य में निरन्तर अकाल पड़ा उसके कारण हमारी योजनाओं में कुछ परिवर्तन करना पड़ा और उसमें योजना को भी, जो राज्य योजना है, उसमें भी करीब 20-25 करोड़ रुपए हमको कम मिले। हमारा लगातार यह प्रयास है कि बी.ए.डी.पी. से भी इसका बजट बढ़े और राज्य योजना से भी इसका बजट बढ़े। मैं समझता हूं इसमें भी माननीय सदस्यों की मांग और माननीय सदस्यों को यदि इसके बारे में पुरजोर आग्रह रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे वित्त मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बजट को राज्य योजना से भी बढ़ाएंगे और मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा पूरे सदन से कि वे इसको केवल राजनीति पूर्वाग्रह या दुराग्रह से न रख कर सब मिल कर भारत सरकार से...

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें राजनीति ले आए बीच में, इसमें तो कहीं राजनीति नहीं है। हमें तो पानी जो हमारे पास है उसका सही डिस्ट्रिब्यूशन हो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है क्या? आज एक क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए देने की आपकी तैयारी है क्या? आज की तारीख में है तो बता दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पोंग डैम में जितना जल स्तर हमेशा रहता है उतना जल स्तर...(व्यवधान) एक मिनट सुन तो लें आप।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : क्या सुनें। आप पानी देंगे क्या सिंचाई के लिए? आज की तारीख में एक क्यूसेक पानी देने की तैयारी आपकी है नहीं। पानी कब देंगे सिंचाई के लिए वह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : रबी की फसल में पूरा पानी दिया है और पानी की जितनी उपलब्धता है उसके आधार पर पेयजल हम उपलब्ध करवाएंगे। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : यह सिंचाई की मांग है। अभी हम सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं। आप बात दीजिये कि सिंचाई के लिए कब पानी देंगे? यह बता दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी तो कोई फसल का वक्त नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तो तय है न कि खरीफ में अपन काश्तकार को पानी नहीं देंगे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से? यह बात तो तय है न कि खरीफ में नहीं दे सकते? एडमिट करो। इसमें क्या दिक्कत है कि खरीफ में आप नहीं दे पाएंगे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरा बिन्दु आपने यह उठाया था कि अपन राज्य का हिस्सा पूरा नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में हमने 5.8 प्रतिशत अपना शेयर ज्यादा लिया, 1999-2000 में 24 प्रतिशत अपना शेयर ज्यादा लिया ज़बकि 1992-93 में 3.38 प्रतिशत शेयर कम मिला, 1993-94 में दशमलव .73 प्रतिशत शेयर राजस्थान को कम मिला। आपने अकाल राहत कार्यों के ऊपर 4200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की। यह बात सही है कि हमने अकाल राहत कार्यों के ऊपर पैसा खर्च किया है और इसमें विकास के कार्य काफी राजस्थान में हुए हैं। नहरों में पानी जो है उसकी आवक निर्भर करती है कि हमारे रिजरवायर में कितना पानी है लेकिन मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य का जो हिस्सा है और जो वहां उपलब्ध पानी है उस उपलब्ध पानी में राज्य के हिस्से में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पोंग डैम की जो भराव क्षमता है...

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी तो सिंचाई मंत्रीजी ने माना है कि दशमलव .6 एम.ए.एफ. पानी पंजाब हमारा निरन्तर उपयोग कर रहा है और उसको हमने लेने में असमर्थ हैं। अभी-अभी तो आपके सामने कहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पोंग डैम की भराव क्षमता के अनुसार उसको भरा जाना चाहिए और नीचे का पाइंट है इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर हम पंजाब के मुख्य मंत्री की शीघ्र वार्ता कराएंगे। और उस सम्बन्ध में पुरजोर कार्यवाही करेंगे। एक बिन्दु आपने और उठाया, यह जो वाटर अलाउंस, यह 5.23 क्यूसेक्स की जगह 3.5 फर्स्ट स्टेज में और तीन क्यूसेक्स सैकण्ड स्टेज में करने की बात का मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

था और इसके क्रियान्वयन के लिए अभी हाल ही में कमलाजी ने मीटिंग ली है, उसमें चीफ इंजीनियर इर्रिगेशन, चीफ इंजीनियर आई.जी.एन.पी., चीफ इंजीनियर सी.ए.डी. और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स मिलकर बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट देंगे और अपने...

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दे चुके हैं उसके बारे में नहीं, हम तो यह कह रहे हैं कि जो पानी आपके पास उपलब्ध है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने वाटर अलाउंस का प्रश्न उठाया है।

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लिफ्ट नहरों के बारे में जो आपके सामने स्थिति हमने रखी कि सी.ओ.डी. ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि इन लिफ्ट कैनाल्स के अन्दर कोई प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, इसको रोक दिया जाए, कम से कम हमने जो सवाल पूछे हैं, उनके उत्तर आ जाएं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी पूरे जवाब कहां दिए हैं, मैं बोल रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : वह क्यों दे रहे हैं, वे दे चुके हैं, वह जवाब दे चुकी हैं, उसको क्यों टेक-अप करते हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन्होंने इन्दिरा गांधी नहर देखी नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सी.ओ.डी. ने सेक्रेटरीज की मीटिंग में जो पम्पिंग स्टेशन वगैरह बना रहे हैं, इनके बारे में उनकी यह राय थी, जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की राय है, उस हिसाब से सारी लिफ्टों का एक साथ काम नहीं चला करके, आप एक-एक लिफ्ट को पहले प्रायोरिटी के आधार पर पूरा करें और इसके लिए वित्त विभाग और आयोजना विभाग से सलाह करके इसकी एक तरीके से समीक्षा करें। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया है कि वह एक दिन इसकी समीक्षा ले जिससे हम इसके और ज्यादा बजट की भी मांग करें और इसमें अपनी प्रायोरिटीज तय करके जो सी.ओ.डी. ने डायरेक्शंस दिए हैं, उनके ऊपर समीक्षा करके निर्णय ले लिया जाएगा और...

श्री देवीसिंह भाटी : तब तक काम रोका जाएगा? नहीं, यह बजट का प्रावधान ही नहीं है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : काम तो चल ही रहा है। मैं खास तौर से बताना चाहता हूं कि कोलायत गजनेर लिफ्ट के दो पम्पिंग स्टेशन बन चुके हैं, बांगड़सर के दोनों पम्पिंग स्टेशन चालू हो चुके

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हैं, 10,000 हैक्टेयर में सिंचाई होना शुरू हो गई है। इस तरीके से पोकरण और फलौदी लिफ्ट का जब मैं फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य को आपको जवाब दूंगा तो बता दूंगा कि क्या प्रोग्रेस है। जहां तक पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है, उसका उत्तर कमलाजी, सेम के पानी के बारे में दे चुकी हैं। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि फलौदी एवं पोकरण लिफ्ट योजना का काम एक तरीके से अनकम्प्लीट है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि दो पम्पिंग स्टेशन का काम पूरा हो चुका है पोकरण का और दो ही फलौदी का और फलौदी लिफ्ट पर अब तक 56 करोड़ 49 लाख रुपए देय हो चुके हैं। इसी तरीके से पोकरण लिफ्ट पर 32.50 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो चुकी है। कुलमिलाकर इन दोनों योजनाओं के ऊपर लगभग 89 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : ...वहां पर विद्युत कनेक्शन है क्या? पोकरण लिफ्ट पर विद्युत का कनेक्शन मिल गया क्या आपको? वह दो पम्पिंग स्टेशन तैयार हैं तो बिजली का कनेक्शन मिलने की गुंजाइश है क्या, मिल गया क्या आपको?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। तुरन्त मिल जाएगा, जिस दिन एप्लाई करेंगे उसी दिन मिल जाएगा, आप क्यों चिन्ता करते हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इन्दिरा गांधी नहर देखी नहीं है शायद, वह पूछ रहे हैं गोवर्द्धन कल्ला साहब, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लें कि देखी है कि नहीं देखी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, आप ऐसे उत्तर दे रहे हैं जैसे आपने वह देखी नहीं है, उसके दर्शन ही नहीं किए हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मेहरबानी करो, आप कृपा रखो। (व्यवधान) जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सिंचाई के बारे में बताया था, मैंने विस्तार से आपको बताया है कि एक्चुअल इर्रिगेशन 9.87 लाख हैक्टेयर में हो रही है, आपने योजना की समीक्षा करने की बात की। मैंने आपको अभी जैसा बताया है कि इसकी मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर समीक्षा करवा कर इसको नये ढंग से प्रस्तुत करेंगे।

जहां तक बोर्ड की उपयोगिता का प्रश्न है, बोर्ड हकीकत में तो इसलिए

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बनाया गया था कि बोर्ड आई.जी.एन.पी., सी.ए.डी., कोलोनाइजेशन, तीनों के कामों का समन्वय करे और भारत सरकार के माध्यम से जो जो फण्ड्स स्पेशल स्कीम्स के अन्तर्गत ला सकते हैं, वह लेकर आए इसलिए बोर्ड की अपने स्थान पर उपयोगिता है। कोई फिजूलखर्ची हो रही है अथवा कोई अपव्यय हो रहा है, तो इसको तो मैं स्वयं देखूंगा और कहीं पर भी यह नहीं होगा कि फिजूल खर्ची हो, तो वह किस प्रकार से रोकी जा सके और फिजूल खर्ची किसी भी प्रकार से नहीं हो।

वाटर अलाउंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। खाले बनाने के बारे में आपने जो चिन्ता व्यक्त की, इसके बारे में निवेदन है कि भारत सरकार से इसकी वार्ता चल रही है। इर्रिगेशन मिनिस्टर महोदया भी इस सम्बन्ध में काफी बात कर चुकी हैं। निश्चित रूप से जब लिफ्ट बनेगी, खाले नहीं बनेंगे तो खेत में पानी कैसे पहुंचेगा इसलिए खाले की प्रायोरिटी करवाने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। समय समय पर नहरों के डिफैक्ट्स और जो सिल्ट निकालने का काम है, वह भी हम बराबर समय समय पर करते आ रहे हैं और आगे यह काम जारी रहेगा।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पृष्ठ 173 पर पूंजीगत लेखों के बारे में और इन सबके बारे में, ब्याज के बारे में, 237 करोड़ रुपए का ब्याज का जिक्र उठाया है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि एक अकाउंटिंग एंट्री है। जिस तरीके से ब्याज एक्सपैंडीचर में दिखाया जाता है, उसी तरीके से कोंट्रा रिसीट्स भी दिखाई जाती है, एक्चुअल एक्सपैंडीचर नहीं होता है। इसी तरीके से आपने लिफ्ट के बारे में कहा...

श्री मानिक चन्द सुराना : यह एक्चुअल पेमेंट है, वह पेमेंट नहीं होगा क्या ब्याज का? यह एक्चुअल एक्सपैंडीचर नहीं है? ब्याज का पेमेंट नहीं होगा क्या? ब्याज का पेमेंट होगा और जो 233 करोड़ रुपए इस इन्दिरा गांधी नहर के खाते में से नाम मांडे गए हैं, उसी का पेमेंट होगा। आप बात को समझो तो सही।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने इसलिए आपको बताई है, यह अकाउंटिंग एंट्री है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बात को समझो ना, जो बात समझ में नहीं आए, उसका उत्तर नहीं दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे सब समझ में आया है।

आपने गजनेर और कोलायत लिफ्ट नहरों के बारे में कहा कि एक करोड़ 19 लाख का प्रावधान है, कोलायत पर चार करोड़ 82 लाख का प्रावधान है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जबकि हकीकत में इस बजट में 9 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान गजनेर लिफ्ट में है और कोलायत लिफ्ट पर 15.60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपने कहा कि छह लिफ्टों के लिए केवल नौ करोड़ 12 लाख रुपए का प्रावधान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए 41 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान है। आपने इर्रिगेशन बेनेफिट प्रोग्राम के आंकड़े बता दिये। हकीकत में इन लिफ्टों के लिए 41 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी तरीके से आपने यह बताया कि लूणकरणसर की जो कंवरसेन लिफ्ट है, उसके आने से आमूलचूल परिवर्तन आया है। यह तो आप मानते हैं कि लिफ्टों के आने से इस मरूस्थल में काफी परिवर्तन आएगा, गांव के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, घास की और चारे की व्यवस्था होगी, पशुपालन में सुधार आएगा। हमारे राजस्थान की इकोनोमी कैटल बेस्ट इकोनोमी है। इस कैटल बेस्ड इकोनोमी में काफी...

डा. किरोड़ी लाल : अब खतम करो, अब खतम करो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब खतम हो रहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बहुत अच्छा है।

अनेक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा है।

एक माननीय सदस्य : पैसा तो आपके पास है नहीं इसलिए छोड़ो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन लिफ्टों के आने से इस एरिया में काफी बड़ा परिवर्तन आएगा और हमेशा-हमेशा के लिए अकाल पड़ रहा है, वह सुकाल में बदल जाएगा।

आपने एक बिन्दु और उठाया था, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सैकण्ड फेज में 2001 तक 7.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खोला गया, इसमें केवल मात्र 5.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खाले बने हैं और एक्चुअल खेती 2.08 लाख हैक्टेयर में हो रही है। आप जानते हैं माननीय सदस्य कि पूरे क्षेत्र को डवलप होने में 13-14 वर्ष लगते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : बिलकुल टाइम लगता है, साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और कुछ पिछले दो-एक वर्षों में पीछे 8.6 एम.ए.एफ. पानी जो अन्तरराज्यीय हमारा समझौता हुआ था 1981 में, जिसके अनुसार हमको मिलना चाहिए, उसकी जगह पानी की जो कमी थी उसके अनुसार लगभग पांच एम.ए.एफ. पानी मिला है। इसके कारण से इर्रिगेशन में भी कमी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आई है लेकिन यह बात निश्चित है कि 5.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खाले वगैरह बना दिए गये हैं। कुछ सैटलर्स इसलिए नहीं आए हैं, आप स्वयं जानते हैं कि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के जो सैटलर्स, जिन्होंने जमीनें ली हैं, वह अभी तक पूरे तौर पर नहीं आए हैं और कुछ स्थानों के ऊपर खाले बनाए जा रहे हैं। आने वाले 2-4 वर्षों में इन क्षेत्र में खाले बनाए जायेंगे, पूरा एरिया विकसित किया जाएगा जो न केवल राजस्थान को बल्कि अन्य पड़ौसी राज्यों को भी अनाज देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : साहब, हो गया काम, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या–46 सिंचाई का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 13,54,27,33,000/- रुपए (तेरह अरब, चौवन करोड़, सत्ताईस लाख, तेतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.20 बजे; मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जिला पाली के वन क्षेत्रों हेतु आबंटित राशि का उपयोग

276. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ज़िला पाली के कौन से रेंज क्षेत्र वन्य जीव प्रतिपालक अधिकारी, उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वन्य जीव प्रतिपालक क्षेत्र सेंदड़ा से देसूरी (पाली) तक कितना हैक्टेयर वन क्षेत्र इसमें आता है?

(3) वर्ष 1998 से 2001 तक उक्त वन क्षेत्रों में विभिन्न योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि का आबंटन जिला प्रशासन पाली से प्राप्त हुआ?

(4) उक्त योजना के किस-किस अधिकारी ने पाली जिले की ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद् की बैठकों में उपस्थिति दी? तिथिवार अधिकारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद उक्त योजना के अधिकारीगण उक्त हजारों हैक्टेयर भूखण्डों के विकास के लिए राशि प्राप्त नहीं करने के दोषी बनते हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही सरकार करेगी?

(6) क्या उक्त वन खण्डों के विकास के लिए पाली जिला मुख्यालय पर एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में पाली जिले में कार्यरत रेंज कार्यालयों तथा उनके अधीन आये वन खण्डों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर के अधीन सेंदड़ा से देसूरी तक वन्य जीव अभ्यारण्य रावली टाटगढ़ का 26362.38 हैक्टेयर तथा वन्यजीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ़ का 7105.80 हैक्टेयर इस प्रकार कुलमिलाकर 33468.18 हैक्टेयर वन क्षेत्र पाली जिले का सम्मिलित है।

(3) वर्ष 1998 से 2001 की अवधि में इन वन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर द्वारा ज़िला प्रशासन पाली से 53.24 लाख रुपए का आबंटन प्राप्त किया।

(राज्य मंत्री, वन)

(4) उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर के अधीन कार्यरत अधिकारियों द्वारा वर्ष 1998-99 से 2001-2002 की अवधि में पाली जिले की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) वर्ष 1998 से 2001 की अवधि में उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर द्वारा रावली टाटगढ़ एवं कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य के क्षेत्रों के विकास कार्यों को करवाने सम्बन्धी जिला प्रशासन पाली को प्रेषित प्रस्तावों की संख्या, मय वांछित राशि एवं स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का विवरण मय स्वीकृत राशि के संलग्न परिशिष्ट ''स'' पर दर्शाया गया है।

(6) जी नहीं। उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले अभ्यारण्य क्षेत्र कुम्भलगढ़ व रावली टाटगढ़ के विकास एवं प्रबन्धन हेतु सहायक वन संरक्षकों को सादड़ी (जिला पाली) तथा भीम (जिला राजसमन्द) मुख्यालय पर पदस्थापित किया हुआ है। इसलिए पाली जिला मुख्यालय पर इन क्षेत्रों के लिए अन्य अधिकारी को पदस्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिशिष्ट 'अ'

उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में पाली जिले के अन्तर्गत आने वाली रेंजों का वन खण्ड वार विवरण

क्र.सं.	नाम अभ्यारण्य	नाम रेंज (वन्य जीव)	रेंज में आने वाले वन खण्ड
1.	वन्य जीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़	सादड़ी	बीजापुर, सेवाड़ी, लाटाडा, सादड़ी मोडिया
		देसूरी	घाणेराव, देसूरी, बागोल, कोटा (आधा भाग)
2.	वन्य जीव अभ्यारण्य, टाटगढ़	बीजाजी का गुडा	बड़ा गुडा, खोडिया, कालक, कुणेजा, बंगडी, बंगडी कोट किराना, कोट किराना, सीरमा
		जोजावर	जोजावर, भगोडा, सिरियारी, सारण, कण्टालिया

परिशिष्ट 'ब'

उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के कार्यालय अधीन अभ्यारण्यों के अधिकारियों द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने का तिथिवार मय अधिकारी के नाम के विवरण

क्र. सं.	दिनांक	बैठक का नाम	उपस्थित अधिकारी का नाम मय पद
1	2	3	4
1.	9.10.1998	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री ललित सिंह राणावत स.व.स.
2.	7.12.1998	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री प्रताप सिंह चुण्डावत स.व.स.
3.	1.01.1999	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी
4.	18.01.1999	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री ललित सिंह राणावत स.व.स.
5.	10.3.1999	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री ललित सिंह राणावत स.व.स.
6.	17.4.1999	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी
7.	14.5.1999	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी
8.	19.5.1999	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी
9.	17.9.1999	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी
10.	14.2.2001	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री भोपाल सिंह राठौड़ स.व.स.
11.	19.2.2001	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री भोपाल सिंह राठौड़ स.व.स.

1	2	3	4
12.	3.5.2001	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री भोपाल सिंह राठौड़ स.व.स.
13.	23.5.2001	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री भोपाल सिंह राठौड़ स.व.स.
14.	30.5.2001	अकाल राहत कार्य सम्बन्धित	श्री भोपाल सिंह राठौड़ स.व.स.
15.	22.12.2001	जिला परिषद्, पाली	श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी
16.	27.2.2002	जिला कलेक्टर, पाली	श्री भोपाल सिंह राठौड़ स.व.स. श्री कृष्ण कुमार बारूपाल क्षे.व. अधिकारी

परिशिष्ट 'स'

उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर द्वारा वर्ष 1998 से 2001 की अवधि में जिला प्रशासन, पाली को प्रेषित प्रस्तावों की संख्या प्रस्तावित राशि स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या एवं स्वीकृत राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	प्रेषित प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित राशि (लाख रुपए में)	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
1.	1998-99	35	30.23	35	30.23
2.	1999-2000	38	34.34	0	0
3.	2000-2001	45	118.10	16	23.01
	योग	118	182.67	51	53.24

राज्य में अवैध वाहनों की रोकथाम

277. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्ष 1988 से लगातार घाटे में चल रही है और दिनोंदिन घाटा बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध वाहनों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है और राज्य सरकार निगम के निर्धारित मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने के कारण निगम का घाटा बढ़ाने में सहायक हो रही है?

(3) राज्य सरकार निगम की राजस्व हानि को रोकने व लाभ में चलाने के लिये क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक हानि में था, तत्पश्चात् 1991-92 से 1996-97 तक लाभ की स्थिति में रहने के बाद 1997-98 से लगातार घाटे में है।

गत वर्ष 2000-2001 में निगम का घाटा रु. 85.61 करोड़ था जिसमें कमी होकर इस वर्ष 2001-2002 (माह फरवरी, 2002 तक) घाटा रु. 54.73 करोड़ ही रह गया है।

निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारणों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि अवैध वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है किन्तु यह सही नहीं है कि राज्य पथ परिवहन निगम के निर्धारित मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने के कारण निगम का घाटा बढ़ रहा है क्योंकि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को मंजिली वाहनों के परमिट जारी नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संविदा वाहनों के परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अन्तर्गत विशेष अस्थाई परमिट तथा धारा 88(9) के अन्तर्गत पर्यटक परमिट जारी किए जाते हैं किन्तु ऐसी संविदा वाहनें या विशेष अस्थाई परमिट की वाहनें या पर्यटक वाहनें मार्ग में सवारियां बैठाने व उतारने के लिए अधिकृत नहीं होती।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने तथा लाभ में चलाने के लिए निगम स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "1"

वर्ष 1988-89 से 1990-91 में निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

(1) राज्य सरकार के अनुरूप निगम कर्मचारियों को भी 1.9.1988 से नये वेतनमान का लाभ दिया जाना।

(2) वित्तीय वर्ष 1991 में डीजल की दरों में बार-बार वृद्धि होना।

(3) निगम कर्मचारियों की 19.9.1990 से 28.11.1990 तक हड़ताल होना।

वर्ष 1997-98 से निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं

(1) वर्ष 1996-97 में दिनांक 1.1.1997 से राज्य सरकार के अनुरूप निगम कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ दिए जाने से संचालन लागत में प्रतिवर्ष अत्यधिक वृद्धि होना।

(2) डीजल की कीमतों में बार-बार वृद्धि होना।

(3) गत वर्षों में राज्य में सूखे की स्थिति के कारण यात्रीभार का प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना।

(4) वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 1999-2000 में आवश्यकतानुसार नयी बसें नहीं खरीद पाना।

(5) राजस्थान के पास के राज्य गुजरात में स्थिति असामान्य व असुरक्षित वातावरण के कारण, आम आवागमन के संसाधनों पर प्रतिकूल असर होने से।

(6) यात्रीभार आधुनिक संसाधनों के विस्तार के कारण अधिक सुविधाजनक निजी वाहन कारों के उत्पादन जीपों व टाटासूमों, क्वालिस, मार्शल के साथ-साथ पूरे भारत में रेल सुविधाओं के विस्तार एवं द्रुतगामी रेलों की उपलब्धता के कारण।

(7) प्राइवेट Contract Carriage बसों के किराये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस किराये में कमी के कारण।

परिशिष्ट "2"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिए निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है

(1) निगम सेवाओं की रीशिड्यूलिंग की जा रही है तांकि सेवाओं का सामानान्तर संचालन न हो।

(2) यात्रियों को निगम सेवाओं की ओर आकर्षित करने के लिए बसों को साफ सुथरा रखने, बस स्टैण्ड और शौचालयों की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है।

(3) निगम वाहन सेवाओं की गुणवत्ता, यथासमय पाबन्दी, ब्रेक डाउन रहित सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

(4) प्रत्येक बस से रवाना होने से पहले पूर्णतया बुकिंग की व्यवस्था की गई है जिससे रेवेन्यू लिकेज कम होगी।

(5) बसों के अच्छे रख–रखाव हेतु केन्द्रीय कार्यशालाओं तथा आगार कार्यशालाओं को अत्याधुनिक स्वचालित उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।

(6) जयपुर में 27 विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर से सीधे आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अन्य आगार मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर से बुकिंग की व्यवस्था की गई है/की जा रही है जिससे PASSENGER INTAKE उपलब्धता में सुधार होगा।

(7) व्यय में 20 प्रतिशत मितव्ययता करने का संकल्प लिया गया है।

(8) निगम बसों में यात्रा हेतु यात्रियों का आकर्षण वृद्धि करने एवं टिकट लेकर ही यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने उद्देश्य से दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 से तीन प्रकार की अभिनव टिकट लाटरी ईनामी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(9) रिटर्न टिकट तथा मासिक पासों में, एक साथ निर्धारित अवधि का लेने पर आवश्यक छूट दी जाकर यात्रियों का निगम बसों की ओर रूझान बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

(10) निगम बस यात्रियों के सुझाव एवं शिकायत एवं जानकारी हेतु हैल्प लाइन सेवा क्रमांक 9610300900 एवं इन्टरनेट WEBSITE WW.RSRTC.COM. प्रारम्भ की गई है।

(11) गैर संचालित आय में सुधारात्मक तथा अधिक आय अर्जित करने के प्रयास जारी हैं।

(12) डीजल औसत और टायर लाइफ में सुधार क्रिया जा रहा है।

(13) वाहन एवं कलपुर्जों के क्रय करने पर उनकी गुणवत्ता एवं अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(14) निगम की आय/यात्रीभार में वृद्धि हेतु परिचालक द्वारा भय तथा तनाव मुक्त कार्य करने के उद्देश्य से परिचालकों के लिये एक ग्रीन कार्ड योजना लागू की गई है। उक्त योजना के तहत वांछित लक्ष्य से अधिक आय अर्जित करने वाले परिचालकों को प्रोत्साहन स्वरूप लाभांश दिया जाता है तथा लक्ष्य से कम आय अर्जित करने पर क्षतिपूर्ति राशि वसूल किये जाने का प्रावधान निहित है।

(15) अकर्मण्य एवं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है।

(16) निगम बसों की प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

(17) निगम प्रबन्धन द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को गीयर अप किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों में अनुशासन कायम रखने के प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे व्यय में कमी के साथ-साथ यात्रीभार में वृद्धि हो।

(18) निशक्तजनों एवं अन्य व्यक्तियों को दी जा रही निःशुल्क एवं रियायती यात्राओं के पुनर्भरण का प्रयास भी किया जा रहा है।

(19) निगम की बसों का इंश्योरेंस करने का कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया है।

विधायकों को क्षेत्र में वाहन उपलब्ध कराने के बदले वाहन भत्ता

278. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायकों को एक माह में 5 दिन तक राजकीय वाहन अपने विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध कराने का प्रावधान सरकार ने कर रखा है? उक्त आदेशों के अन्तर्गत नागौर जिले में वर्ष 2001-2002 में किन-किन विधायकों को कब-कब कौन-कौन सा वाहन उपलब्ध कराया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो वाहन विधायकों को उपलब्ध कराया जाता है वे अच्छे हालत के नहीं हैं? क्या उक्त वाहनों के जरिए यात्रा करने पर विधायकों की असुरक्षा रहती है तथा कई बार जो वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं उनकी आवश्यकता उक्त अधिकारियों को बनी रहती है जिससे वे निर्धारित तिथि को अपना वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं तथा अपने कार्यों को रोक कर वाहन उपलब्ध कराते हैं तो अधिकारियों के कार्यों में रुकावट आ जाती है? यदि हां, तो उक्त में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि विधायक अधिकांशत: अवकाश के दिनों अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तब राजकीय वाहन के ड्राइवर को अवकाश नहीं मिलता तथा न उसका उसे मानदेय मिलता? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में उस वाहन के ड्राइवर उस दिन वाहन चलाने में इच्छुक नहीं होते? क्या सरकार उक्त समस्याओं के समाधान हेतु जिन विधायकों के पास निजी वाहन है उन्हें सरकार वाहन भत्ता देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में वर्ष 2001-2002 के दौरान माननीय विधायकों को उपलब्ध कराये गए वाहनों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला कलेक्टर्स को अच्छे स्तर के वाहन माननीय विधायकगण को उपलब्ध कराने के राजकीय निर्देश हैं। यह सही नहीं है कि माननीय विधायकों को जो वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं उनसे अधिकारियों के कार्य में कोई रुकावट होती है।

(3) जी हां। अवकाश के दिन ड्यूटी देने पर वाहन चालक को नियमानुसार दैनिक भत्ता मिलता है इस कारण किसी भी वाहन चालक द्वारा अवकाश के दिन वाहन चलाने से मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी वाहन रखने वाले विधायकों को अपने वाहन से निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु वाहन भत्ता फिक्स करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नागौर जिले में वर्ष, 2001-2002 के दौरान माननीय विधायकों को उपलब्ध कराये गए वाहनों की सूची

1. **श्री हबीबुर्रहमान, विधायक, विधान सभा क्षेत्र-मुण्डवा**

   1. दिनांक 6.1.2001 से 11.1.2001 पांच दिन जिला पूल वाहन संख्या आर.जे.-21-सी-5001

   2. दिनांक 29.8.2001 से 30.8.2001 तक दो दिन जिला पूल वाहन संख्या आर.जे.-21-सी-5001

   3. दिनांक 4.9.2001 से 5.9.2001 दो दिन राजकीय वाहन संख्या आर.जे.-21सी-5001

   4. दिनांक 14.2.2002 से 15.2.2002 दो दिन पंचायत समिति नागौर का वाहन आर.जे.-21सी-7020

2. **श्री मोहनलाल चौहान, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, परबतसर**

   1. दिनांक 4.6.2001 से 8.6.2001 पांच दिन तक बाल विकास परियोजना अधिकारी, परबतसर का वाहन संख्या आर.जे.-14-2सी-6917

   2. दिनांक 2.9.2001 से 4.9.2001 तीन दिन तक बाल विकास परियोजना अधिकारी, परबतसर का वाहन संख्या आर.जे.-14-2सी-6917

3. **श्री मांगीलाल डांगा, विधायक, विधान सभा क्षेत्र-मेड़ता**

   1. दिनांक 4.9.2001 व 7.9.2001 से 8.9.2001 तीन दिन तक विकास अधिकारी, पंचायत समिति मेड़ता का वाहन सं.. आर.जे-14-3सी-4943

   2. दिनांक 21.2.2002 से 24.2.2002 तक चार दिन पंचायत समिति, मेड़ता का वाहन संख्या आर.जे.-14-3सी-4943

4. **श्री रूपाराम डूडी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, डीडवाना**

1. दिनांक 24.1.2002 से 28.1.2002 पांच दिन तक जिला पूल वाहन संख्या आर.जे–21सी–3939
2. दिनांक 28.1.2002 से 29.1.2002 दो दिन पंचायत समिति, डीड़वाना का वाहन संख्या आर.जे–21सी–6973
3. दिनांक 3.2.2002 से 4.2.2002 एवं 17.2.2002, 22.2.2002 से 24.2.2002 कुल 6 दिन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डीडवाना का वाहन संख्या आर.जे.–21सी–6973
4. दिनांक 10.3.2002 से 13.3.2002 चार दिन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डीडवाना का वाहन संख्या आर.जे–21सी–6973

पंचायत समिति प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में हैण्ड पम्पों की मरम्मत

279. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में पंचायत समिति प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की विभिन्न पंचायतों में हैण्ड पम्प मरम्मत, नवीन हैण्ड पम्प खोदने एवं पाइप लाइन बदलने, टूट-फूट लीकेज की शिकायतें प्राप्त हुई? पंचायतवार विषयानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों में से किस-किस पंचायत में अभियान के दौरान ही समस्या का समाधान कर दिया है? शेष शिकायतों की प्राथमिकता क्या है और वर्ष 2002–2003 में समाधान के क्या आसार हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति प्रतापगढ़ की विभिन्न पंचायतों में हैण्ड पम्प मरम्मत की 50 एवं 60 नवीन हैण्ड पम्प की मांग बाबत पत्र प्राप्त हुए। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायतों में से हैण्ड पम्प मरम्मत की सभी प्राप्त 50 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। नये हैण्ड पम्प की बाबत 60 मांग प्राप्त हुई। इनमें से 3 स्वीकृत कर दिए गए हैं। शेष में से प्राथमिकता पर 50 हैण्ड पम्प (नए) स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति की कार्यवाही का कार्य प्रगति में है। इन 53 हैण्ड पम्प का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इनका निर्माण इसी ग्रीष्मकाल में करवाना लक्षित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला अजमेर के सावर क्षेत्र में अवैध खनन

280. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर के सावर खनन क्षेत्र में सरकारी भूमि पर खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है? यदि हां, तो कितने अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) विगत 3 वर्षों में खनन विभाग में इस तरह के कितने मामले दर्ज हुये हैं और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला अजमेर के सावर खनन क्षेत्र में सरकारी भूमि पर खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपराध संख्या 335/2000 सर्व श्री दूलेश्वर मीणा, वरिष्ट खनिज कार्यदेशक, अरुण कुमार सिरवी, खनिज कार्य देशक-II खनिज विभाग, अजमेर एवं सत्यप्रकाश कुमावत, खान मालिक राजेन्द्र अग्रवाल खान मालिक एवं सम्बन्धित खनिज अभियन्ताओं के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्र.नि. अधिनियम, 1988 एवं धारा 120 बी भा.द.सं. में पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण अंवेषणाधीन है।

(2) विगत तीन वर्षों में सरकारी भूमि पर अवैध खनन के अन्य कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं।

स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋण

281. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2002 तक कितना-कितना ऋण किस-किस उद्देश्य से लिया गया?

(2) उक्त ऋण का अभी तक कितना-कितना उपयोग कहां-कहां किया गया, कितनी ऋण की राशि सरकारी खजाने व स्वायत्तशासी संस्था के पास है?

(3) बेरोजगारी दूर करने व नियमित रोजगार देने हेतु सरकार ने कितना ऋण लिया तथा उसका क्या उपयोग किया व कितने लोगों को नियमित रोजगार दिया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2002 तक जितना ऋण जिस-जिस उद्देश्य से लिया गया, सूची संलग्न है।

(2) उक्त राशि का जितना-जितना उपयोग जहां-जहां किया गया तथा कितनी राशि सरकारी खजाने व स्वायत्तशासी संस्था के पास है, सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

क्र.सं.	स्वायत्तशासी संस्था	ऋण राशि	संस्था के पास अवशेष ऋण राशि	उद्देश्य	
1	2	3	4	5	
1.	नगर निगम, जयपुर	750 लाख	शून्य	सीवरेज परियोजना हेतु	
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण	37,87,82,000	शून्य	1. EWS हाउसिंग बक्सावाला	2,65,63,000
				2. EWS हाउसिंग बढारना	2,72,19,000
				3. रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, जयपुर	10,00,00,000
				4. विद्या नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट	22,50,00,000
3.	नगर विकास न्यास, अलवर	373 लाख	161.91 लाख का भुगतान मुआवजा राशि व अन्य विकास कार्यों पर किया जा रहा है।	भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्क, विद्युतीकरण, एवं अन्य विकास कार्य	
4.	नगर विकास न्यास, जोधपुर	275.73 लाख	शून्य	1. दुकान निर्माण–	46.72 लाख
				2. संगरिया में EWS/LIG मकानों हेतु–	75.40 लाख

1	2	3	4	5
				3. बासनी तम्बोलिया में EWS क्वार्टरर्स हेतु– 50.00 लाख
				4. बासनी तम्बोलिया में EWS/LIG मकान निर्माण– 103.11 लाख
5.	नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	25.00 लाख	शून्य	सद्भावना नगर योजना में जल आपूर्ति हेतु
6.	नगर विकास न्यास, अजमेर	74.25 लाख	शून्य	1. कोटड़ा योजना में LIG आवास गृह का निर्माण– 3.22 लाख
				2. पंचशील नगर योजना में LIG आवास गृह का निर्माण 35.00 लाख
				3. चन्दरबरदाई नगर में Plote development– 31.08 लाख
				4. चन्दरबरदाई नगर में LIG आवास– 3.20 लाख
				5. कोटड़ा योजना में आवास गृह 1.55 लाख
7.	नगरपालिका, हनुमानगढ़	419.00 लाख स्वीकृत 76.92 लाख रु. प्राप्त	41.96	1. सड़क, नाली, ड्रेनेज योजना

नोट : शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं की सूचना शून्य समझी जावे।

राज्य कर्मियों के स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते पर व्यय राशि

282. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानान्तरण के कारण विभाग को कितना यात्रा भत्ते का भुगतान करना पड़ा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कुल 669 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए हैं। श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

कार्यालय अधीक्षक	42
पर्यवेक्षक	95
कार्यालय सहायक	121
वरिष्ठ लिपिक	202
कनिष्ठ लिपिक	189
च.श्रे. कर्मचारी	20
योग	669

(2) उक्त स्थानान्तरण के कारण विभाग की कुल 2,84,506/- रुपए यात्रा भत्ते का भुगतान करना पड़ा।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

283. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2001-2002 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों पर कितना नकद भुगतान एवं कितने गेहूं का वितरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2001-2002 में कराए गए अकाल राहत कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त कार्यों पर सामग्री एवं श्रम पर 1,57,45,746 रुपये का नकद भुगतान एवं 17587.30 क्विंटल गेहूं का वितरण कराया गया। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया। (परिशिष्ट-1)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर की आय में कमी

284. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी ब्यावर की विगत 5 वर्षों की शुद्ध आय क्या रही? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत 5 वर्षों से कृषि उपज मण्डी ब्यावर की आय निरन्तर घट रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कृषि उपज मण्डी ब्यावर में कृषि उपज की चोरी रोकने की गत वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या?

(4) चीनी-गुड़ का व्यापार भी क्या मण्डी परिसर में ही होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर की विगत 5 वर्षों की आय का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	वर्ष	राशि (करोड़ों में)
1.	1996-97	2.36
2.	1997-98	2.37
3.	1998-99	2.47
4.	1999-2000	1.75
5.	2000-2001	1.26

(2) जी नहीं। केवल वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में मण्डी की आय में गिरावट आई है। जिसका मुख्य कारण अकाल के कारण उत्पादन कम होने के कारण आवक कम होना, निकटस्थ मण्डियों के विकास के फलस्वरूप काश्तकारों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलने, जिनिंग सुविधा उपलब्ध हो जाने, मन्दी के तहत भावों में गिरावट होना रहा है।

(3) जी हां। मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क की चोरी रोकने के तहत विभिन्न फर्मों के निरीक्षण किए गए हैं तथा अपवंचित राशि शास्ति सहित वसूल की गई है।

(4) जी नहीं। गुड़-चीनी का व्यवसाय मण्डी परिसर से बाहर होता है। मण्डी परिसर से बाहर व्यवसाय होने का मुख्य कारण मण्डी यार्ड में गुड़ एवं शक्कर के कारोबार के लायक एवं मांग अनुसार गोदाम निर्मित नहीं होना है।

प्रश्न संख्या-285
(स्थगित)

जिला जैसलमेर में वन विकास कार्य

286. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) जिला जैसलमेर का कितना क्षेत्रफल वन विभाग तथा वन विकास एजेंसियों के पास आरक्षित है?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कई एजेंसियां वन विकास का कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो क्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सैंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी के पास छह हजार बीघा अधिक से भूमि आरक्षित है? यदि हां, तो उक्त में कितनी भूमि पर अनुसंधान हो रहा है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में चार जिला वन अधिकारी कार्यरत हैं?

(5) क्या सरकार उक्त जिले में एक सम्पूर्ण योजना बनाकर एक एजेंसी से वन विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में वन विभाग के चार वन मण्डल कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में विभाग के दो कार्यालय उप वन संरक्षक विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसलमेर तथा उप वन संरक्षक ओ.ई.सी.एफ. मोहनगढ़ मुख्यालय जैसलमेर द्वारा कार्य किया जा रहा है। इनके कार्य क्षेत्र का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के पास जिला जैसलमेर में 1031 हैक्टेयर का फार्म जैसलमेर के निकट तथा 95 हैक्टेयर का फार्म चादन में है। इन फार्मों की अधिकांश भूमि पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रसार गतिविधियों का कार्य होता है।

(4) जी हां।

(5) वर्तमान में प्रत्येक कार्यरत वन मण्डल अपनी-अपनी विशिष्ट प्रकृति की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिनके कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को परिवर्तित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

जिला जैसलमेर में वन विभाग के चार वन मण्डलों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम वन मण्डल	वन मण्डल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल
1.	उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चरागाह विकास, जैसलमेर।	1. 10153.96 हैक्टेयर (रक्षित वन क्षेत्र) 2. 4261.60 हैक्टेयर (अवर्गीकृत वन क्षेत्र) 3. 27533 हैक्टेयर (वर्ष 1978 से 1995-96 के वानिकी विकास कार्य क्षेत्र) 4. 7198 हैक्टेयर (वर्ष 1999-2000 से अब तक मरूस्थल नियंत्रण के अन्तर्गत वानिकी कार्य क्षेत्र)
		योग 49146.56 (हैक्टेयर्स)
2.	उप वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जैसलमेर।	13643.727 हैक्टेयर कार्य क्षेत्र (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना)
3.	उप वन संरक्षक, ओ.ई.सी.एफ., मोहनगढ़, मु. जैसलमेर।	13068 हैक्टेयर कार्य क्षेत्र (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना)
4.	उप निदेशक, राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर।	1. 196200 हैक्टेयर (जिला जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र) 2. 2327 हैक्टेयर (वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा संवर्द्धन क्षेत्र)
		योग 198527 (हैक्टेयर्स)
		महायोग 274385.28 (हैक्टेयर्स)

परिशिष्ट 'ब'

जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विकास कार्य हेतु कार्यरत वन मण्डलों का कार्य क्षेत्र सहित विवरण

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	कार्य क्षेत्र का विवरण
1.	उप वन संरक्षक, ओ.ई.सी.एफ. मोहनगढ़, मु. जैसलमेर।	इन्दिरा गांधी नहर के मुख्य टेल से सागरमल गोपा शाखा 0-134 आर.डी. एवं इससे निकलने वाली समस्त वितरिका, माइनरों तथा गडरा सब शाखा 0-193 आर.डी. के कैनाल सिस्टम में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास कार्य कराना इस वन मण्डल के कार्य क्षेत्र में आता है।
2.	उप वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जैसलमेर।	इन्दिरा गांधी मुख्य नहर 1250 आर.डी. से 1458 आर.डी. (अर्थात टेल तक) एवं इसकी ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटरी तथा शहीद बीरबल शाखा के कैनाल सिस्टम में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास का कार्य कराना इस वन मण्डल के कार्य क्षेत्र में आता है।

राजगढ़ (चूरू) का प्रस्तावित बस स्टैण्ड

287. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजगढ़ (चूरू) कस्बे में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कोई बस स्टेण्ड है? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या आबादी को मद्दे नजर रखते हुए एवं हरियाणा राज्य पास होने व आवागमन के साधन अत्यधिक होने के कारण सरकार उक्त कस्बे में बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बस स्टैण्ड बनाने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि नगरपालिका का बस स्टैण्ड किराये पर उपयोग किया जा रहा है।

जिला सीकर में पायलेट योजनान्तर्गत पेयजल हेतु प्राप्त राशि

288. श्री अमराराम (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम)

(1) जिला सीकर के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त में से कितनी व्यय की गई? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पायलेट प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जारी बिजली के बिल्स के भुगतान को ग्रामीणों द्वारा न कराने की सुविधा को सरकार वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन द्वारा संचालित सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान राज्य के 4 चयनित जिलों में सीकर जिला भी एक है। सीकर जिले हेतु कंसेप्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट 21.17 करोड़ रुपये राशि हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में स्वीकृत किया गया था तथा प्रथम किस्त रुपये 595.94 लाख भारत सरकार से जिला वाटर एण्ड सेनीटेशन मिशन को 9/2000 में प्राप्त हुई है। सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट से सैद्धान्तिक रूप में निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

(अ) योजना का प्रकार ग्रामवासी स्वयं चुने।

(ब) योजना के निर्माण में न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा संधारण में शतप्रतिशत सहभागिता योजना से लाभान्वित ग्रामवासियों की हो। योजना से प्राप्त आय भी संधारण करने वाले ग्रामवासियों की हो।

(स) योजना का निर्माण भी ग्रामवासियों द्वारा ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी के मार्फत हो। सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों के तहत परियोजना चक्र निम्नप्रकार है :-

(अ) संस्थागत रूप देना	3 माह
(ब) उत्प्रेइक एवं चयन चरण	12 माह
(स) योजना/प्रणाली की योजना बनाना	9 माह
(द) कार्यान्विन	12 माह

उपरोक्त अनुसार विभिन्न कार्यवाहियों के बाद भौतिक कार्य स्वीकृति के 2 वर्ष बाद प्रारम्भ करना लक्षित था। अब तक 310 ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी बन कर 43 कमेटियां पंजीकृत हो चुकी हैं। 31 योजनाएं 333.22 लाख रुपए लागत पर प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत हो चुकी हैं। 12 ग्रामों से सहभागिता राशि रुपये 9.80 लाख प्राप्त हो चुकी है। 3 गांवों द्वारा निर्धारित जन सहयोग पूरा जमा करवाने तथा भविष्य में दिशा-निर्देशों के तहत संधारण करार करने के बाद स्वीकृत राशि की प्रथम किस्त निम्नानुसार ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी को 3/2002 में स्थानान्तरित की जा चुकी है:-

(अ) ग्राम मोहलावास	2.40 लाख रु.
(ब) ग्राम करजो	1.60 लाख रु.
(स) ग्राम नांगल	6.00 लाख रु.

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजनाओं पर भौतिक कार्य अब प्रारम्भ होगा।

(2) सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के तहत शतप्रतिशत संधारण राशि ग्रामवासियों (ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी के मार्फत) द्वारा वहन करनी है जिसमें विद्युत खर्च भी शामिल है। योजना पर प्राप्त वाटर रेवेन्यू रखने व खर्च करने का हक भी इसी ग्राम स्तरीय कमेटी को है। योजना की स्वीकृति तथा निर्माण इसी आशय के अनुबन्ध के आधार पर होना है अत: विद्युत राशि का वहन भी इसी कमेटी के स्तर पर होगा तथा राज्य सरकार से देय नहीं होगा।

पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में अवैध खनन

289. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों से विभाग एक्साइज रायल्टी के ठेके पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में दे रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में सरकार द्वारा जांच की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि एक्साइज रायल्टी के ठेकेदारों द्वारा ट्रक, स्कूटर, जीप और कारों के नम्बर डालकर रायल्टी की रसीद काटी गई? क्या उक्त 3 वर्षों में कोई एक्साइज रायल्टी वसूल नहीं की गई बल्कि वन भूमि से उक्त बहाने अवैध खनन किया गया? क्या सरकार उक्त मामले में जांच करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा तहसील तिजारा में केवल 26.7.2000 से 25.7.2001 की अवधि के लिये एक्सेस रायल्टी का ठेका स्वीकृत किया गया था।

(2) जी नहीं। स्कूटर, जीप या कार के नम्बर डाल कर रायल्टी की रसीद काटे जाने का कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं है। यह सही नहीं है कि गत तीन वर्षों में कोई एक्सेस रायल्टी वसूल नहीं की गई है। एक्सेस रायल्टी तीनों ही वर्षों में वसूल की गई है। तथापि यह सही है कि वन भूमि में अवैध खनन के मामले पाये जाने पर खान विभाग द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गई है व अवैध रूप से निकाले गये खनिज का जिन क्रशर्स में उपयोग हुआ है उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्राप्त आय

290. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर परिषद् एवं नगर विकास न्यास द्वारा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

विभिन्न क्षेत्रों के कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा उक्त से कितनी आय अर्जित की गई?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर परिषद् एवं नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के निस्तारित प्रकरणों एवं उक्त से अर्जित आय का विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला करौली में प्रस्तावित पुलिस लाइन भवन का निर्माण

291. **श्री जनार्दन गहलोत (करौली):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली में पुलिस लाइन के लिये सरकार द्वारा 150 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई गई? यदि हां, तो उक्त का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ?

(2) क्या अब उक्त का निर्माण कराये जाने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला करौली पुलिस लाइन के लिये जिलाधीश, करौली द्वारा ग्राम मांची स्थित खसरा नम्बर 954/2 रकबा 361 बीघा, 15 बिस्वा चरागाह भूमि में से 150 बीघा भूमि आबंटित की गई थी जो काफी गहरे व चौड़े नालों से घिरी हुई थी जिसको समतल करवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 60,000/- रुपये प्रति बीघा की मांग की गई। लागत अधिक होने के कारण आबंटित भूमि को निरस्त कर दिया गया।

पुनः कस्बा करौली से 8 किलोमीटर की दूरी पर करौली मण्डरायल रोड पर खसरा नम्बर 9198 एवं खसरा नम्बर 9199 में से 193 बीघा 8 बिस्वा भूमि को पुलिस लाइन करौली को आबंटित करने की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 6(310) राज.13/88 दिनांक 4.1.2002 द्वारा जारी कर दी गई है, किन्तु कलक्टर, करौली द्वारा अभी तक भूमि आबंटन के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(2) पुलिस लाइन करौली हेतु भूमि आबंटन के पश्चात पुलिस विभाग द्वारा आबंटित भूमि कब्जे में लेने के बाद ही निर्माण योजना पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी गंगानगर द्वारा पैट्रोल पम्प हेतु आबंटित भूमि

292. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी गंगानगर (अनाज) द्वारा पैट्रोल पम्प भूमि का आबंटन किया गया? यदि हां, तो कब एवं किसे तथा किस दर पर? आबंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटन मण्डी के बनने के समय प्रथम चरण में किया गया है?

(3) उक्त भूमि के आबंटन में द्वितीय चरण में आबंटन की दर क्या होनी चाहिए थी?

(4) क्या यह सही है कि निदेशालय एवं कृषि सचिव द्वारा आबंटन की दर सुझाई गई थी? यदि हां, तो उक्त सुझाव को दरकिनार कर किस दर पर भूमि दी गई और उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ?

(5) क्या यह भी सही है कि सचिव कृषि उपज मण्डी गंगानगर (अनाज) द्वारा आबंटी के पक्ष में पैट्रोल पम्प कम्पनी को भूमि दिए जाने हेतु पूर्व में ही लिख कर दे दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उसे इस प्रकार से लिख कर देने का अधिकार है?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी प्रांगण श्रीगंगानगर (अनाज) में पैट्रोल पम्प हेतु भू-खण्ड दिनांक 25.2.2002 को श्रीमती विनोद कुमारी (बीना राजपाल) श्रीगंगानगर को 175 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से आबंटित किया गया है। आबंटन पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) पैट्रोल पम्प हेतु भू-खण्ड प्रथम चरण हो अथवा द्वितीय चरण मण्डी प्रांगण में आबंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर होना अपेक्षित है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर ही आबंटन किया गया है अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर (अनाज) ने सचिव डीलर चयन बोर्ड जयपुर को पत्र लिखा है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(6) जी नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूमि विकास बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

293. श्री अमीन खान (शिव): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य के भूमि विकास बैंकों में फर्जी कर्ज लेने की शिकायतें मिल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज हुये?

उत्तर

(1) फर्जी कर्ज सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न परिशिष्ट–एक में अंकित है।

(2) दो मुकदमे दर्ज हुए हैं।

संलग्न परिशिष्ट '1'

(1) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., झुंझुनूं

झुंझुनूं भूमि विकास बैंक की शाखा खेतड़ी में फर्जी ऋण वितरण किए जाने की शिकायत विभाग की जानकारी में आने पर विभाग के आदेश दिनांक 13.7.2001 के जरिए सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुंझुनूं को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत जांच सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया। सहायक रजिस्ट्रार, झुंझुनूं द्वारा उक्त जांच कार्य पूर्ण कर दिनांक 15.9.2001 को जांच परिणाम जारी किए गए। जांच परिणामों व जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री शेरसिंह पुत्र तुलाराम अहीर, श्री रामचन्द्र पुत्र श्री पालाराम अहीर, श्री अर्जुन पुत्र श्री स्योसहाय अहीर एवं श्री शिशुपाल पुत्र श्री ईसर अहीर को फव्वारा सैट हेतु कुल 98000/- रुपये की राशि का फर्जी ऋण वितरण का मामला सही पाया गया एवं इस जांच में बैंक के सुपरवाइजर श्री नवलकिशोर शर्मा, शाखा सचिव, खेतड़ी श्री केदारमल गोस्वामी, शाखा सचिव, श्री अमीलाल यादव, शाखा सचिव, श्री राधेश्याम बुन्देला एवं शाखा सचिव श्री उम्मेद सिंह को दोषी पाया गया। साथ ही फर्म मैसर्स शेखावत एंटरप्राइजेज, बुहाना को भी दोषी बतलाया गया।

जांच रिपोर्ट एवं जांच परिणाम के अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंक लि. झुंझुनूं द्वारा उक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा मैसर्स शेखावत एन्टप्राइजेज, बुहाना, जिला झुंझुनू के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) **प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बालोतरा**

बालोतरा भूमि विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार श्री अखा पुत्र पुरखा वजीर निवासी भीयाड जिला बाड़मेर को ट्रैक्टर का ऋण नियमानुसार समस्त पूर्तियां पूर्ण करवाने के पश्चात् स्वीकृत किया गया था। इस हेतु ऋणी द्वारा रहन हेतु प्रस्तावित भूमि रिकार्ड में ऋणी का स्पष्ट हिस्सा एवं नाम दर्ज था। उक्त ऋण वितरण के पश्चात् तहसीलदार पंचायत समिति शिव जिला बाड़मेर ने बैंक को अवगत करवाया कि श्री अखा पुत्र पुरखा के राजस्व रिकार्ड में अपर जिला न्यायालय बाड़मेर द्वारा उक्त ऋणी द्वारा जो भूमि उक्त ट्रैक्टर ऋण में रहन रखी गई है, उसे फर्जी मानते हुए उसकी खातेदारी निरस्त करने के आदेश दिये। इन आदेशों की पालना में सचिव भूमि विकास बैंक बालोतरा द्वारा तत्काल ऋणी श्री अखा पुत्र पुरखा के विरुद्ध मामला दर्ज कर एकमुश्त वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की। वर्तमान में ऋणी द्वारा ट्रैक्टर ऋण की समस्त असल व ब्याज आदि की राशियां जमा करवाई जाकर खाता बन्द किया जा चुका है। चूकि ऋण स्वीकृति के समय राजस्व रिकार्ड के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की गई थी, इसलिए किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

(3) **प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., धौलपुर**

श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामस्वरूप ब्राह्मण निवासी अफजलपुर तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र जिसमें उसके नाम से पांच भैंसों के लिए 60250/- रुपये का फर्जी ऋण बैंक द्वारा वितरित किये जाने की शिकायत की गई, के विभाग की जानकारी में आने पर तत्काल विभाग के पत्र दिनांक 22.1.2002 के जरिए संयुक्त, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर को उक्त मामले में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित दिया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं जांच प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ऋणी का खाता पूर्ण रूप से चुकता हो चुका है तथा ऋण खाता बन्द किया जा चुका है।

(4) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., हिण्डौन

राज्य सरकार सहकारिता विभाग से राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर को प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर श्री किशोरी पुत्र चिरमोली जाति जाटव निवासी लपावली का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली को आटा चक्की, स्पेलर एवं आयल पम्प सेट हेतु 80000/- रुपये का फर्जी ऋण वितरण के मामले की जांच क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., भरतपुर से करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 28.9.2001 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि विकास बैंक के शाखा सचिव एवं एलवीओ श्री कमल लाल मीणा व श्री रामनिवास शर्मा को उक्त मामले में ऋण स्वीकृति व वितरण हेतु दोषी पाया गया है। इन कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त प्रकरण में ऋणी द्वारा बैंक के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी जा चुकी है।

श्रीमती हरभेजी बेवा कंचन जाति जाट ग्राम सनेट तहसील हिण्डौन से प्राप्त शिकायत की जांच हेतु विभाग स्तर से सहायक रजिस्ट्रार (मोनीटरिंग), सहकारी विभाग द्वारा जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 16.10.2001 को प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी ने फर्जी ऋण वितरण होना नहीं पाया है, बल्कि ऋणी के साथ धोखाधड़ी किये जाने का प्रकरण पाया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है एवं फर्म मैसर्स बाबूलाल, मुकेश कुमार बर्तन वाले के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

वन क्षेत्र सादड़ी में वनों की अवैध कटाई

294. **श्री केसाराम चौधरी (खारची):** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र सादड़ी रेंज के अधिकारियों की मिलीभगत से खेर की लकड़ियों की कटाई लम्बे समय से जारी है? यदि हां, तो सादड़ी रेंज में कितने खेर के पेड़ काटे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि काफी ट्रक लकड़ी बेचने के बाद एक ट्रक गोगुन्दा पुलिस थाने में पुलिस द्वारा पकड़ कर सीज किया गया? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पुलिस द्वारा पकड़े गये ट्रक में कितने पेड़ थे उनको कटाने में वन विभाग के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों का हाथ था? एक ट्रक वृक्ष कितने लोगों ने काटे तथा इसका व्यापार करने वाला कौन था पुलिस ने कितने लोगों को मुलजिम बनाया? पुलिस द्वारा की गई समस्त कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे वन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या दूसरी रेंज में भी रेंजर द्वारा खेर की लकड़ी सीज की है? यदि हां, तो मुलजिम कौन था तथा क्या रेंजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सादड़ी रेंज के वन क्षेत्रों से अधिकारियों की मिलीभगत से खेर की लकड़ियों की कटाई लम्बे समय से जारी है। सादड़ी रेंज के वन क्षेत्र में 80 खेर के वृक्ष काटे जाने का प्रथम प्रकरण दिनांक 29.1.2002 को विभाग की जानकारी में आया है। काटे गये पेड़ों का विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वन क्षेत्र सादड़ी से खेर की लकड़ी काटकर ट्रक में भरकर लाए जाने का एक प्रकरण पुलिस थाना गोगुन्दा द्वारा दिनांक 29.1.2002 को पकड़ कर ट्रक लकड़ी सहित जब्त किया गया। पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) पुलिस द्वारा पकड़े गये ट्रक में लगभग सात टन खेर की लकड़ी थी। पुलिस अनुसंधान में वन कर्मियों की संलिप्तता नहीं पाई गई। पुलिस ने इस

(वन मंत्री)

कार्यवाही में लिप्त लोकेन्द्र सिंह, भंवरलाल, ईश्वर सिंह एवं दिलीप सिंह को खेर की लकड़ी को व्यापार हेतु दिल्ली ले जाते हुये पकड़ा। पुलिस ने इन व्यापार करने वालों को सम्मलित करते हुये कुल 6 लोगों को मुलजिम बनाया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ग' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) पुलिस अनुसंधान में किसी वनकर्मी की संलिप्तता नहीं पाई गई है फिर भी प्रकरण में सचेत रह कर अपने ड्यूटी का अंजाम नहीं देकर उदासीनता बरतने के आरोप से मौके के वन रक्षक श्री सोहन सिंह एवं सहायक वनपाल श्री कौज सिंह को आरोप पत्र दिये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) लकड़ी काटे जाने का मुलजिम हीरा पुत्र केशा भील था। क्षेत्रीय वन अधिकारी (वन्य जीव), देसूरी द्वारा जारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'घ' अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में कमी

295. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 के मध्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति क्या रही है? आय व व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के मध्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया कब-कब बढ़ाया गया/इसमें कमी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किराया कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना तथा कब से और इससे होने वाली वित्तीय हानि का क्या प्रबन्ध किया जायेगा?

(4) राज्य में संचालित होने वाली अवैध/निजी विडियो कोच बसों के नियमन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

(5) सरकार द्वारा वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक कितनी अवैध तथा निजी बसों के परमिट जब्त किये गये कितनों से जुर्माना वसूल किया गया तथा इससे कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 के मध्य वर्षवार वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	(राशि करोड़ रुपये में) हानि
1999-2000	530.63	604.42	73.79
2000-2001	588.07	673.68	85.61
2001-2002	562.32	617.05	54.73
(फरवरी 2002 तक)			(प्रोविजनल लाभ-हानि के खातों के आधार पर)

(2) माह अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 के मध्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रेणीवार किराए में निम्न प्रकार वृद्धि/कमी की गई :

श्रेणी	किराया प्रति यात्री कि.मी. पैसे में प्रभावित दिनांक के			
	1.4.1999 से पूर्व	19.5.1999	14.11.1999	1.10.2000 (मध्यान्ह से)
1. साधारण सेवा	24.00	24.00	28.00	32.00
2. द्रुतगामी सेवा	38.00	38.00	38.00	38.00
3. सेमी डीलक्स सेवा	46.00	46.00	46.00	46.00
4. डीलक्स सेवा	67.00	67.00	67.00	67.00
5. वातानुकूलित सेवा	116.00	116.00	120.00	120.00

(3) जी नहीं।

(4) अवैध विडियो/निजी कोच के संचलान के लिए किसी भी नियम में कोई प्रावधान नहीं है। अत: अवैध कोच को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यात्री वाहनों मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(8) तथा 88(9) के अन्तर्गत विशेष अनुज्ञापत्र तथा आल इण्डिया परमिट स्वीकृत किए जाते हैं। तथा कई वाहनों को आल राजस्थान संविदा वाहन

(यातायात मंत्री)

परमिट जारी किए जाते हैं जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अस्थाई अनुज्ञापत्र लेकर संचालित किए जा सकते हैं अन्यथा ऐसे वाहन अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही संचालित किए जाते हैं।

(5) अवैध संचालन के अपराध में वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक की अवधि में 30,269 वाहन जब्त किए जाकर 1098.62 लाख रुपये प्रशमन राशि एवं 1224.23 लाख रुपये राजस्व राशि वसूल की गई है तथा 148 वाहनों के परमिट निलम्बित किए गए हैं।

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता जल योजना के कर्मियों का बकाया भुगतान

296. श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कितने गांव जनता जल योजनान्तर्गत संचालित हैं? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी सेवारत हैं तथा सेवारत कर्मचारियों को मासिक राशि कितनी दी जाती है?

(3) जनता जल योजनान्तर्गत सेवारत कर्मचारियों का बकाया भुगतान कितना है और कब–कब तक का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कुल 18 गांव जनता जल योजनान्तर्गत संचालित हैं। सूची परिशिष्ट 'क' के अनुसार संलग्न है।

(2) जनता जल योजनान्तर्गत संचालित गांवों में विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त योजनान्तर्गत संचालित नलकूपों/खुले कुओं/बूस्टर का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिसके सन्दर्भ में प्रति स्रोत 500/– मासिक अनुदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ही किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता जल योजनान्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा नलकूप/खुला कुआं/बूस्टर संचालन के सन्दर्भ में अनुदान कुल रुपये 338000/– माह फरवरी, 2002 तक का बकाया है। भुगतान की कार्यवाही हेतु बजट उपलब्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामवार योजनावार विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता जल योजनान्तर्गत संचालित जल स्त्रोतों की बकाया मजदूरी बाबत विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना आरम्भ की तिथि	जल स्त्रोत का प्रकार			प्रतिस्त्रोत संचालन का अनुदान	प्रतिमाह भुगतान योग्य राशि	किये गये भुगतान की अवधि		कुल भुगतान की गई राशि	बकाया भुगतान की अवधि		कुल बकाया राशि
			नल कूप	खुला कुआं	बुस्टर			कब से	कब तक		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कववारी	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	01/00	06/01	18000/–	05/99	12/99	7500/–
											07/01	02/02	
2.	कववारी	दिसम्बर 2000	–	1	–	500/–	500/–	–	–	–	12/00	02/02	7500/–
3.	नुंवा	मई 1999	–	1	–	500/–	500/–	05/99	08/99	4000/–	09/99	06/00	13000/–
								07/00	10/00		11/00	02/02	
4.	नुंवा	मई 1999	–	1	–	500/–	500/–	07/00	10/01	2000/–	05/99	06/00	15000/–
											11/01	02/02	
5.	नुंवा	मई 1999	–	–	1	500/–	500/–	07/00	10/00	2000/–	05/99	06/00	15000/–
											11/01	02/02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	नेलुसर	मई 1999	1	1	–	500/–	1000/–	05/99	12/00	20000/–	01/01	02/02	14000/–
7.	पाबुसर	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	05/99	12/00	20000/–	01/01	02/02	14000/–
8.	पाबुसर	मई 1999	–	1	–	500/–	500/–	–	–	–	05/99	02/02	17000/–
9.	छोटहिया	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	05/99	12/00	20000/–	01/01	02/02	14000/–
10.	भरपालसर लाहखानियां	मई 1999	–	1	–	500/–	500/–	05/99	06/00	7000/–	07/00	02/02	10000/–
11.	आवड़सर	मई 1999	–	1	–	500/–	500/–	05/99	06/00	7000/–	07/00	02/02	10000/–
12.	हामुसर	मई 1999	1	2	–	500/–	1500/–	05/99	07/99	4500/–	08/99	02/02	46500/–
13.	लुंछ	जनवरी 2000	–	2	–	500/–	500/–	01/00	11/01	11500/–	12/01	02/02	1500/–
14.	लुंछ	जनवरी 2000	–	1	–	500/–	500/–	–	–	–	01/00	02/02	13000/–
15.	नेफासर	जनवरी 2000	–	2	–	500/–	1000/–	01/00	02/01	14000/–	08/01	02/02	12000/–
16.	छाबड़ी बारी	जनवरी 2000	–	1	–	500/–	500/–	–	–	–	01/01	02/02	13000/–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	धुमान्दा	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	05/99	03/00	11000/–	04/00	02/02	23000/–
18.	लघासर	मई 1999	1	1	–	500/–	1000/–	05/99	09/01	29000/–	10/01	02/02	5000/–
19.	जेमनीया ठीकान	मई 1999	1	1	–	500/–	1000/–	05/99	03/01	23000/–	04/01	02/02	11000/–
20.	नालासर	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	05/99	12/00	20000/–	01/01	02/02	14000/–
21.	जेगनीया बीदावतान	मई 1999	1	1	–	500/–	1000/–	05/99	11/00	19000/–	12/00	02/02	15000/–
22.	कांगड	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	05/99	02/00	10000/–	03/00	02/02	24000/–
23.	नोलीसर छोटा	मई 1999	–	2	–	500/–	1000/–	05/99	03/00	11000/–	04/00	02/02	23000/–
		कुल योग :–	**05**	**31**	**01**	**–**	**–**	**–**	**–**	**253000/–**	**–**	**–**	**338000/–**

राज्य में जिप्सम का अवैध खनन

297. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिप्सम के खनन के लिये निजी खननकर्त्ताओं को अनुमति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों और सरकार को इसमें क्या नुकसान हो रहा है?

(2) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही मौजूदा नीति के कारण जिप्सम की अवैध खुदाई के कारण सरकार को रायल्टी का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो निजी खनन करने वालों को अनुमति देने में क्या एतराज है?

(3) क्या निजी खननकर्ताओं को अनुमति देने का सरकार का कोई इरादा है? यदि हां, तो कब तक किन शर्तों पर और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार की नीति जिप्सम के खनन पट्टे सरकारी क्षेत्र में दिये जाने की रही है। तथापि, दिनांक 16.12.1996 से इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है और तद्नुसार गैर सरकारी क्षेत्र में जिप्सम के खनन पट्टे ऐसे व्यक्तियों को केप्टिव लीज के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं जो न्यूनतम 10 लाख रुपए की लागत से उद्योग स्थापित करें।

(2) जिप्सम के अवैध खनन से रायल्टी के कुछ नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। जिप्सम को निजी क्षेत्र में पूरा खोलने से राजकीय उपक्रमों से प्राप्त होने वाली आय पर विपरीत असर पड़ने की सम्भावना है।

(3) वर्तमान नीति में परिवर्तन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

चूरू शहर की स्वीकृत ड्रेनेज योजना

298. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में चूरू शहर में हुडको के सहयोग से बनी 340 लाख रुपये की ड्रेनेज योजना स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं? उक्त योजना की क्रियान्विति के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये?

(2) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग ने अपने क्रमांक 1080 दिनांक 1.6.1998 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया तथा उक्त क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु 2 माह में एक बार बैठक का आयोजित करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु किस-किस स्तर पर बैठक हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत योजना के अनुसार नगरपालिका द्वारा देय अंशदान राशि उपलब्ध करवाने में असमर्थ होने तथा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक होने आदि कारणों से ऋणदाता संस्था हुडको द्वारा योजना बन्द कर दी गई। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक द्वारा आगामी दो वर्षों में अपने विधायक कोटे से 50-50 लाख रुपए नगरपालिका को उपलब्ध करवाने का आश्वासन देने पर नगरपालिका को पूरे चूरू शहर के लिए इंटीग्रेटेड योजना तैयार करवाने एवं धन उपलब्धता अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया। नगरपालिका द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को योजना तैयार करने हेतु लिखा गया है।

(2) स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 1078-85 दिनांक 10.6.1998 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति की बैठक 2 माह में एक बार किये जाने के भी निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु बुलाई गई बैठकों का विवरण संलग्न है।

चूरू शहर की ड्रेनेज योजना की क्रियान्विति हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठकों का विवरण

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 1078-85 दिनांक 10.6.1998 की अनुपालना में जिला कलक्टर, चूरू की अध्यक्षता में दिनांक 5.3.1999, 15.6.1999, 24.7.1999, 6.11.2000 एवं 6.9.2001 को बैठकें आयोजित की गई हैं।

ग्राम रामसागड़ा (डूंगरपुर) में पुलिस थाने की स्थापना

299. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्राम रामसागड़ा पंचायत समिति बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर में पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम रामसागड़ा, जिला डूंगरपुर में नया पुलिस थाना स्थापित करने के प्रस्ताव पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994 में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पुलिस थाना स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य कृषि उपज मण्डियों के बैंक खातों से निकाली गई राशि

300. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डियों के बैंक खातों से राशि

(श्री उदय सिंह राठौड़)

निकाल कर राज्य कोष, पी.डी. एकाउंट या अन्य खातों में जमा करवाई गई? यदि हां, तो किस-किस मण्डी समिति से कब-कब कितनी-कितनी राशि?

(2) क्या फिक्स डिपोजिट की गई राशि की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी राशि निकलवाई गई? यदि हां, तो किस-किस बैंक से किस-किस उपज मण्डी की कितनी राशि?

(3) क्या फिक्स डिपोजिट राशि को समय से पूर्व निकालने से ब्याज की हानि हुई? यदि हां, तो किस-किस मण्डी को कितनी-कितनी राशि की?

(4) उक्त राशि बैंकों से निकालने के आदेश किस अधिकारी द्वारा क्यों दिये गये?

(5) क्या ब्याज की राशि के नुकसान के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा एवं श्रीमाधोपुर ने फिक्स डिपोजिट की राशि समयावधि पूर्व निकलवाई। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(3) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति कोटा को इस कारण राशि 154110/-रुपए के ब्याज की हानि हुई है।

(4) संदर्भित राशि बैंकों से निकाल कर पी.डी. खातों में जमा कराए जाने के निर्देश राज्य सरकार के वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा दिए गए थे।

(5) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना की गई थी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर सिटीजंस काउंसिल अजमेर के खातों का अंकेक्षण

301. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में अजमेर सिटीजंस काउंसिल, अजमेर का पंजीयन किया गया?

(2) उक्त संस्था के कोष में वर्ष 1988-89 से 2001-2002 तक राजकीय अनुदान चंदा, शुल्क, अनुदान एवं सहायता से कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्था के संविधान के नियम 18 के प्रावधानानुसार संस्था के लेखों का अंकेक्षण किस चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया जाता है? वर्ष 1988-89 से

(श्री ललित भाटी)

2001–2002 के अंकेक्षित लेखे–जोखों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 में रजिस्ट्रार संस्थाएं को इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने की शक्तियां नहीं हैं।

(3) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 में रजिस्ट्रार संस्थाएं को इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने की शक्तियां नहीं है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

302. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम में अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना लागू की है? यदि हां, तो कब से एवं अब तक कितने लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया? अधिकारी/कर्मचारी का नाम पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता के मामले विचाराधीन हैं? उक्त में से कितनें व्यक्तियों को और सेवानिवृत्त किया जावेगा? नाम पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निगम में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं तथा जिनके विरुद्ध कई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है को भी सेवानिवृत्त कर भ्रष्टाचार को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निगम में सेवानिवृत्त लोगों की जगह नये बेरोजगार लोगों को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान निगम में वर्ष 1965 से ही लागू है। इसके तहत अब तक 21 अधिकारियों व 241 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। अधिकारियों के नाम व पद सहित सूची परिशिष्ट "1" पर एवं कर्मचारियों के नाम व पद सहित सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं।

(2) वर्तमान में निगम के 162 व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक भ्रष्टाचार के मामले विचाराधीन हैं एवं अनुशासनहीनता सहित विभिन्न दुराचरण के कारण 11704 विभागीय जांचें लम्बित हैं। इनमें से कितने व्यक्तियों को और सेवानिवृत किया जाएगा, इसकी निश्चित संख्या बता पाना सम्भव

(यातायात मंत्री)

नहीं है, क्योंकि निगम के स्थाई आदेशों से शासित कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 25 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु होना आवश्यक है तथा सेवा नियम से शासित कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 31 दिसम्बर, 2001 की तिथि को इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के रिकार्ड की जांच की जाकर सेवानिवृत करने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम स्क्रीनिंग कमेटी में रिकार्ड स्क्रीन किये जाते हैं तदुपरान्त उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी में गहराई से प्रकरणों की जांच की जाकर ही कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। उपरोक्त प्रक्रियानुसार इस कार्य हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा रिकार्ड की जांच की जाकर उच्च समिति द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। निगम की कुल 50 इकाइयों में से 17 इकाइयों के कर्मचारियों/अधिकारियों के रिकार्ड की जांच की जाकर अनिवार्य सेवानिवृत की कार्यवाही कर दी गई है। शेष इकाइयों में से प्रतिमाह 4-5 इकाइयों से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में नई नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है तथा निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, वर्तमान में नई नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। केवल संचालन से जुड़े (चालक) रिक्त पदों के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर समय-समय पर नियुक्तियों की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डण्डू से गिडा की पेयजल योजना

303. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डण्डू से गिडा पेयजल योजना में से ग्राम तरली पेयजल की पाइप लाइन लगाने की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो वित्तीय स्वीकृति कब हुई तथा पाइप लाइन लगाने में विभाग द्वारा क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि हीरा की ढाणी से दानपुरा व खारडा चारणोत डण्डू से खोखसर व परेऊ, कूम्पालिया गत बीस वर्षों से पाइप लाइन लगाई हुई है? यदि हां, तो उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय की गई। गत तीन सालों में खोखर परेऊ व कूम्पालिया में किस-किस महीने

(श्री अमराराम चौधरी)

में कितना-कितना पानी जी.एल.आर. में आया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत खारडा भारतसिंह परेऊ और कूम्पालियां में कुल कितने जी.एल.आर. बने हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायतों के जी.एल.आर. में एक बार भी गत तीन सालों में पानी नहीं पहुंचा? यदि नहीं, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायतों के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति दिनांक 1.11.1999 को रुपए 38.20 लाख की जारी की गई। योजना की तकनीकी स्वीकृति फरवरी, 2001 में की जाने के बाद प्रावधान के अनुसार विभिन्न साइज के 12500 मीटर पाइप के सन्दर्भ में अप्रैल, 2001 में सप्लाई आदेश जारी किए गए। सभी आवश्यक पाइपों की स्टोर बाड़मेर में प्राप्ति हो चुकी है तथा 9000 मीटर पाइप कार्य स्थल पर पहुंचाए जा चुके हैं। शेष हेतु परिवहन प्रगति पर है पाइप लगाने हेतु मार्च, 2002 में ठेकेदार को आदेश दे दिए गए हैं। मई, 2002 में पाइप लगाने का कार्य पूर्ण करवाना लक्षित हैं। योजना के शेष कार्य यथा 2 नलकूप का निर्माण विद्युतीकरण पम्प की व्यवस्था आदि पूर्ण है। पाइप लगाने के बाद तुरंत टेस्टिंग कर ग्रामों को जून, 2002 में लाभन्वित करना लक्षित है।

(2) जी हां, यह सही है। उक्त में से हीरा की ढाणी दानपुरा, खारडा चारणान की पाइप लाइन पर 18.79 लाख रुपए एंव उण्डू से खोखसर परेऊ कूम्पलिया पाइप लाइन पर 24.64 लाख रुपए खर्च हुए। गत तीन वर्षों में खोखसर परेऊ एवं कूम्पलिया में की गई जल सप्लाई का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इन गांवों में विशेष कर शीत ऋतु में कृषि पावर लोड बढ़ने के कारण स्रोत उण्डू व अन्य पम्पिंग स्टेशनों पर सही वोलटेज व निर्धारित समय में विद्युत अनुपलब्धि के कारण समस्या रहती है। पाइप लाइन की साइज व उसकी स्थिति ठीक है। वर्तमान में शिव पर 132 के.वी. का जी.एस.एस. निर्माणाधीन है जिसके बनने व चालू होने पर स्थिति में सुधार होना सम्भावित है।

(3) ग्राम पंचायत खारडा भरतसिंह में 18, परेऊ में 19 व कूम्पलिया में 15 जी.एल.आर. बने हुए हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) उक्त तीनों ग्राम पंचायतों के कुल 52 जी.एल.आर. में से 6 जी.एल. आर. (परिशिष्ट 'स') में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इन जी.एल.आर. में पानी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नहीं पहुंचने का कारण योजना के स्रोत उण्डू पर विद्युत की समस्या एवं इनकी स्रोत से अत्यधिक दूरी (45 से 70 किलोमीटर) है। पिछले वर्ष उण्डू में 33 के.वी. का जी.एस.एस. शुरू हुआ था लेकिन बढ़ते कृषि भार के कारण विद्युत आपूर्ति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वर्तमान में शिव में 132 के.वी. का जी.एस.एस. निर्माणाधीन है। पूर्ण होने पर उण्डू क्षेत्र में विद्युत समस्या हल होने पर इन जी.एल.आर. में पानी पहुंचने की सम्भावना है। पाइप लाइन की साइज में कोई कमी नहीं है। इन 6 जी.एल.आर. से संबंधित ग्राम/ढाणियों में से 5 (भीलों की ढाणी को छोड़कर) अलाभांवित है। लाभांवित घोषित भीलो की ढाणी में वर्ष 2001 की गर्मियों में विभाग ने टैंकरों से पेयजल सप्लाई किया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र चौमूं (जयपुर) में बजरी व चेजा पत्थर की रायल्टी का ठेका

304. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं (जयपुर) में किन-किन स्थानों पर बजरी व चेजा पत्थर पर रायल्टी वसूल करने का ठेका कब से कब तक किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि में दिया गया?

(2) क्या उक्त ठेकों की राशि ठेकेदार में बकाया है? यदि हां, तो किनमें?

(3) उक्त क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर किस-किस व्यक्ति को कितनी अवधि की लीज दी हुई है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं (जयपुर) में खनिज चेजा पत्थर पर अधिक अधिशुल्क वसूली के ठेकों की सूचना प्रदर्श ''अ '' पर है। खनिज बजरी पर रायल्टी वसूल करने का कोई ठेका नहीं दिया गया है।

(2) जी हां। ठेकेदारों में से एक श्री रामकरण मीणा के विरुद्ध राशि रुपए 4,45,596/- बकाया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौमूं (जयपुर) के ग्राम हाथनोदा, आड़ी, डूंगरी, भोपास की डूंगरी एवं चीथवाड़ी में खनिज चेजा पत्थर तथा सामोद, मोरीजा एवं टाटियावास में खनिज सिलिका सेण्ड सोपस्टोन एवं आयरन और के खनन पट्टे स्वीकृत हैं। स्वीकृत पट्टों की सूची प्रदर्श ''ब'' व ''स'' पर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका मण्डल विजयनगर (अजमेर) की समितियों का गठन

305. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में मण्डल की समितियों के गठन का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या नगरपालिका मण्डल विजय नगर (अजमेर) में समितियों का गठन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त गठन नहीं किये जाने के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या नगरपालिका विजयनगर में अकृषि भूमि नियमन का कार्य प्रारम्भ है? यदि हां, तो क्या क्षेत्र के नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90 बी की कार्यवाही की जा रही है? उक्त सम्बन्ध में लम्बित पत्रावलियों में क्या निर्धारित प्रक्रिया अपना कर 90 बी के तहत आदेश जारी कर पट्टे वितरण के लिए नगरपालिका को भिजवाई जा रही है? यदि हां, तो निर्णित तथा अनिर्णित पत्रावलियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका मण्डल, विजयनगर (अजमेर) में समितियों का गठन नहीं हुआ है।

(2) मण्डल उप नियम बनाकर नियमानुसार समितियों का गठन कर सकता है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उक्त पालिका में समितियों के उप नियम वर्ष 1997 में स्वीकृत किये हुए हैं।

(3) जी हां। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90 बी की कार्यवाही कर 222 प्रकरण नगरपालिका विजयनगर, (अजमेर) को भिजवा दिये हैं तथा 194 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। निर्णित तथा अनिर्णित पत्रावलियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-488 की सूची)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम
1.	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र नारायण शर्मा
2.	श्री दिनेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मोहनलाल वर्मा
3.	श्री हरीशचन्द थानवी पुत्र श्री रामकिशन थानवी
4.	श्री चन्द्रमोहन पारीक पुत्र श्री रामप्रताप पारीक
5.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री सूरजमल शर्मा
6.	श्री मोहरसिंह त्यागी पुत्र श्री फतेहसिंह त्यागी
7.	श्री रामेश्वरलाल जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट (आरक्षित भूतपूर्व सैनिक कोटा)
8.	श्री रामकरण जाट पुत्र श्री झूंथाराम जाट

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-490 का विवरण)

कार्यालय, नगरपालिका सिरोही (राज.)

मार्च, 2002 में विभिन्न पट्टे का विक्रय-विलेख जारी की सूची

क्र. स.	व्यक्ति का नाम (स्थान)	स्थान	भूमि का आकार नाप	पट्टे जारी का आधार	विक्रय विलेख जारी दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	मकसुद अली पुत्र वाजिद अली डाबा भीलवाड़ा	डाबा भीलवाड़ा	950.00 वर्ग फीट	समीप वर्ती भू–पट्टी	8.3.2002	स्वीकृति प्रशासन शहरों के सत्र अभियान में दिनांक 28.2.2002
2.	मेहमुद अली पुत्र वाजिद अली सरूप नगर भाटकडा	सरूप नगर भाटकड़ा	140.00 वर्ग फीट	समीप वर्ती भू–पट्टी	8.3.2002	स्वीकृति प्रशासन शहरों के सत्र अभियान में दिनांक 28.2.2002

1	2	3	4	5	6	7
3.	सुश्री दक्षा पुत्री मंछाराम जैन सुआरों की गली सिरोही	सुआरों की गली सिरोही	47.25 वर्ग फीट	समीप वर्ती भू-पट्टी	20.3.2002	स्वीकृति प्रशासन शहरों के सत्र अभियान में दिनांक 14.2.2002 नोट : उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा पत्रावली मांगी गई है।
4.	महेन्द्र कुमार पुत्र कनी राम जीनकर राज्य कर्म.च. श्रेणी	जटियों का वास	173.73 वर्ग गज	कच्ची बस्ती नियमन	20.3.2002	स्वीकृति प्रशासन शहरों के सत्र अभियान में दिनांक 23.2.2002
5.	पीर मोहम्मद पुत्र भूरे खान भीलवास	भीलवास भटकडा	86.00 वर्ग गज	कच्ची बस्ती नियमन	23.3.2002	स्वीकृति प्रशासन शहरों के सत्र अभियान में
6.	सर्व श्री महन्त जयरामदास शिष्य ज्ञानदास जी महाराज, रामझरोखा सिरोही	राम झरोखा परिसर	2068.22 वर्ग गज	कृषि "नियमन"	2.3.2002	स्वीकृति प्रशासन शहरों के सत्र अभियान में दिनांक 28.2.2002

1	2	3	4	5	6	7
7.	राजेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह	सादुलपुरा	185.80 वर्ग गज	31.12.1991 से पूर्व कब्जे का नियमन	21.3.2002	
8.	मगन लाल पुत्र दीपाजी मीणा सरूपनगर मेणवाडा	मैणवाडा (भाटकडा)	496.27 वर्ग गज	1.1.1981 से पूर्व कब्जे का नियमन	21.3.2002	राशि जमा दिनांक 16.2.2001 में जमा
9.	थाना राम पुत्र हिन्दु जी भील भाटकडा	भीलवास (भाटकडा)	139.66 व.ग	1971 के पूर्व कब्जे के नियमन तहत	20.3.2002	राशि जमा 1985 से

ह०/–
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका मण्डल, सिरोही

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट 'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–497 का विवरण)

पारम्परिक जल स्त्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत पूर्ण किये गये स्त्रोतों की संख्या का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुआं	बावड़ी	कुल
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1550	0	1550
2.	अलवर	156	3	159
3.	भरतपुर	198	0	198
4.	बारां	262	24	286
5.	बूंदी	92	0	92
6.	बीकानेर	47	0	47
7.	बाड़मेर	61	0	61
8.	भीलवाड़ा	2270	228	2498
9.	बांसवाड़ा	201	2	203
10.	चूरू	226	0	266
11.	चित्तौड़गढ़	357	30	387
12.	धौलपुर	262	0	262
13.	दौसा	428	16	444
14.	डूंगरपुर	403	2	405
15.	गंगानगर	28	0	28
16.	हनुमानगढ़	79	0	79
17.	झालावाड़	411	2	413

1 2	3	4	5
18. जयपुर	519	0	519
19. जालौर	402	24	426
20. झुंझुनूं	712	7	719
21. जोधपुर	401	13	414
22. जैसलमेर	181	277	458
23. कोटा	185	87	272
24. करौली	85	1	86
25. नागौर	665	17	682
26. पाली	282	0	282
27. राजसमन्द	484	7	491
28. सीकर	202	1	203
29. सिरोही	131	6	137
30. सवाईमाधोपुर	130	9	139
31. टौंक	215	11	226
32. उदयपुर	1026	4	1030
कुल	**12651**	**771**	**13422**

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–498 का विवरण)

तहसी चूरू के जी.एल.आर. एवं कुओं के मरम्मत करने योग्य सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	मरम्मत योग्य जी.एल.आर. की संख्या	मरम्मत योग्य कुओं की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	श्यामपुरा	1	1	1.00	
2.	छाजूसर	1	–	0.30	
3.	करुणपुरा	1	–	0.30	
4.	बूटियां	1	–	0.40	
5.	दुध्वा स्टेशन	1	–	0.40	
6.	सिरसला	1	–	0.50	
7.	चारणवासी	1	–	0.45	
8.	बोकासी	1	–	0.40	
9.	महरावणसर	1	1	1.00	
10.	दादू	–	1	0.50	
11.	धांधू	–	2	1.10	
12.	श्योदानपुरा	–	1	0.55	
	योग	9	6	6.90 लाख	

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–505 की सूची)

क्र. सं.	जिले का नाम	पुलिस निरीक्षक				उप निरीक्षक				थाना अधिकारी			
		एस.सी.	एस.टी.	अल्प सं.	योग	एस.सी.	एस.टी.	अल्प सं.	योग	एस.सी.	एस.टी.	अल्प सं.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	4	1	–	5	15	1	8	24	4	2	1	7
2.	भीलवाड़ा	1	1	–	2	–	–	–	–	1	1	–	2
3.	नागौर	1	–	1	2	3	1	3	7	2	1	3	6
4.	जयपुर (मुख्यालय)	4	3	4	11	38	28	12	78	2	2	4	8
5.	जयपुर ग्रामीण	–	1	3	4	6	4	3	13	1	–	3	4
6.	जयपुर यातायात	1	1	1	3	–	1	3	4	1	–	1	2
7.	झुंझुनूं	–	–	2	2	3	1	2	6	1	–	2	3
8.	सीकर	2	–	–	2	3	2	3	8	2	1	1	4
9.	टोंक	1	1	–	2	7	1	1	9	1	1	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	दौसा	1	2	1	4	7	7	1	15	1	3	1	5
11.	बीकानेर	1	–	1	2	1	1	–	2	1	–	–	1
12.	चूरू	2	–	1	3	3	1	1	5	2	1	–	3
13.	श्रीगंगानगर	1	1	2	4	4	2	2	8	1	3	2	6
14.	हनुमानगढ़	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	–	1
15.	भरतपुर	3	1	1	5	9	7	3	19	2	1	1	4
16.	अलवर	1	2	–	3	7	9	3	19	2	4	1	7
17.	सवाईमाधोपुर	2	–	2	2	4	1	2	7	2	1	–	3
18.	धौलपुर	1	–	1	2	5	5	1	11	1	2	–	3
19.	करौली	–	1	–	1	1	6	–	7	–	2	1	3
20.	जोधपुर शहर	1	–	2	3	1	2	3	6	1	–	1	2
21.	जोधपुर ग्रामीणं	–	–	1	1	2	–	1	3	1	–	1	2
22.	जालौर	1	–	–	1	1	–	4	5	1	–	1	2

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23. जैसलमेर	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1
24. बाड़मेर	1	–	–	1	1	1	2	4	1	1	1	3
25. पाली	–	1	–	1	2	–	2	4	2	1	–	3
26. सिरोही	–	1	1	2	3	2	2	7	–	1	1	2
27. कोटा नगर	1	3	–	4	12	7	5	24	–	2	–	2
28. कोटा ग्रामीण	1	3	–	4	2	7	2	11	1	4	–	5
29. बूंदी	–	2	1	3	6	3	4	13	–	2	2	4
30. झालावाड़	1	2	1	4	4	6	4	14	1	4	2	7
31. बारां	3	2	1	6	3	4	3	10	2	3	1	6
32. उदयपुर	4	–	2	6	13	4	3	20	7	1	1	9
33. बांसवाड़ा	1	2	–	3	3	1	1	5	1	1	–	2
34. चित्तौड़गढ़	1	–	1	2	7	5	6	18	1	2	1	4
35. डूंगरपुर	1	–	–	1	2	4	2	8	3	2	1	6

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36. राजसमन्द	1	–	1	2	6	2	1	9	3	–	1	4
37. जी.आर.पी. अजमेर	1	–	–	1	4	1	2	7	–	1	1	2
38. जी.आर.पी. जोधपुर	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
39. सी.आई.डी. (सी.बी.)	3	2	3	8	7	3	2	12	–	–	–	–
40. सी.आई.डी. (एस.बी.)	11	5	5	21	13	6	8	27	–	–	–	–
41. एस.सी.आर.बी.	1	2	1	4	–	1	3	4	–	–	–	–
42. प्रशिक्षण रेंज	2	2	2	6	2	2	3	7	–	–	–	–
43. भ.नि. ब्यूरो	–	–	–	–	2	1	1	4	–	–	–	–
44. पुलिस मुख्यालय	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	62	46	41	149	215	144	115	474	54	53	37	144

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-506 की सूची)

दिनांक 24.9.2001 को थाना मानपुर, जिला दौसा में हुई सद्भावना समिति की बैठक में सम्मिलित व्यक्तियों के नामों की सूची

क्रमांक	नाम	पता
1	2	3
1.	श्री बेनीप्रसाद शर्मा	बांदीकुई अध्यक्ष
2.	श्री निहाल सिंह गुर्जर	मण्डावर
3.	श्री विजय गुप्ता, पी.ए. रमा पायलेट	भरतपुर
4.	श्री लक्ष्मीनारायण बेनाड़ा	भावता–भावती
5.	श्री जयसिंह गुर्जर सरपंच	अन्तवाड़ा
6.	श्री रामकिशोर गुर्जर पूर्व सरपंच	रेहडिया
7.	श्री सुनिल कुमार गुर्जर	बांदीकुई
8.	श्री करण सिंह अध्यापक	k
9.	श्री रामधन गुर्जर जिला परिषद्	आभानेरी
10.	श्री रामेश्वर गुर्जर	बांदीकुई
11.	श्री गंगासहाय	–
12.	श्री गंगासिंह	–
13.	श्री रामजीलाल बढाणा	पिछूपाड़ा
14.	श्री किशोरलाल मीणा	रूपवास
15.	श्री विजय सिंह मीणा	करनावर
16.	श्री राजाराम गुर्जर	बांदीकुई
17.	श्री मूलचन्द मीणा	गुढ़ी

1	2	3
18.	श्री रामचन्द्र मीणा	गुडला
19.	श्री बालासहाय कसाना	मण्डावर
20.	श्री कुलदीप सिंह गुर्जर	,,
21.	श्री रामेश्वर गुर्जर(भैसला)	पिछूवाड़ा
22.	श्री यादराम मीणा	समलेटी
23.	श्री समय सिंह गुर्जर	मरिपाड़ा
24.	श्री शम्भू सिंह	,,
25.	श्री जौहरीलाल गुर्जर	बांदीकुई
26.	श्री मोतीलाल माली	ढिकरिया भील
27.	श्री मिठ्ठूलाल मीणा	सिकन्दरा
28.	श्री उमर सिंह कसाना	डिगरिया
29.	श्री हरजीलाल मीणा	,,
30.	श्री रामफूल पूर्व संरपच	,,
31.	श्री चड्डीराम मीणा	भैसवाड़ा
32.	श्री विजय सिंह मीणा	करोड़ी
33.	श्री शिवराम मीणा	धुधला
34.	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा	कालाई
35.	श्री बाबूलाल गुर्जर	पांचोली
36.	श्री लोरेराम गुर्जर	,,
37.	श्री त्रिलोक मीणा	,,
38.	श्री रामवतार गुर्जर	सिकराय
39.	श्री निरंजन गुर्जर	पांचोली

1	2	3
40.	श्री रामजीवन मीणा	पांचोली
41.	श्री रामकिशन मीणा	,,
42.	श्री बोधूलाल गुर्जर	बांदीकुई
43.	श्री सुरेश चन्द्र मीणा	सुरेर
44.	श्री चिरंजीलाल मीणा	कंचनपुरा
45.	श्री कैलाशचन्द्र मीणा	सिकराय
46.	श्री रामप्रसाद मीणा	बिलोड़ी
47.	श्री धरतीराम	हिंगोटा
48.	श्री बृजमोहन मीणा	हिंगोटा
49.	श्री कड़सिंह गुर्जर	मुरलीपुरा (भरतपुर)
50.	श्री जयराम सैनी	गीजगढ़
51.	श्री रामकिशन मीणा	खेड़ा
52.	श्री रामप्रसाद मीणा	पियोड़ी

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-511 का विवरण)

पुलिस मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये कार्यालय सहायकों की सूची

क्र.सं.	नाम	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री डालूमल	जयपुर	जिला राजसमन्द
2.	श्री जसबीर सिंह	"	जिला सीकर
3.	श्री रामसहाय	"	जिला टोंक
4.	श्री रतनलाल	"	जिला सवाईमाधोपुर
5.	श्री बाबूलाल	"	कोटा रेंज
6.	श्री सीताराम तंवर	"	जिला बांसवाड़ा
7.	श्री शोभाराम	"	जिला चित्तौड़गढ़
8.	श्री ओ. पी. निगम	"	पी.टी.एस. किशनगढ़
9.	श्री भोपाल सिंह	"	छठी बटा. आरएसी धौलपुर
10.	श्री प्रहलाद कुमार	"	जिला बारां
11.	श्री गोपीराम शर्मा	"	जिला बारां
12.	श्री लक्ष्मीनारायण	"	जिला झुंझुनूं
13.	श्री मदनलाल शर्मा	"	जिला चूरू
14.	श्री गोवर्द्धन लाल वर्मा	"	जिला झालावाड़
15.	श्री भैरूंसिंह	"	जिला नागौर

1	2	3	4
16.	श्री बलराम त्रिपाठी	जयपुर	छठी बटा. आरएसी धौलपुर
17.	श्री लल्लूलाल मेढवाल	,,	जिला धौलपुर
18.	श्री शिवराम	,,	जिला दौसा
19.	श्री राधेश्याम	,,	8वीं बटा.आरएसी दिल्ली
20.	श्री अमरजीत सिंह	,,	जिला गंगानगर
21.	श्री होतू टिक्यानी	,,	जिला दौसा
22.	श्री जमनादत्त	,,	जिला राजसमन्द
23.	श्री शंकरलाल	,,	जिला भरतपुर
24.	श्री मनमोहन सेठी	,,	जिला करौली
25.	श्री रामकुमार	,,	8वीं बटा. आरएसी दिल्ली
26.	श्री प्रहलाद नारायण	,,	जिला करौली
27.	श्री दौलत नारायण	,,	जिला राजसमन्द
28.	श्री राधेश्याम साहू	,,	जिला बूंदी
29.	श्री चिरंजीलाल	,,	जिला अलवर
30.	श्री सत्यनारायण पारीक	,,	जिला सीकर
31.	श्री चिरंजीलाल	,,	जिला उदयपुर

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–514 का विवरण)

गोडावण संरक्षण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची मय क्षेत्रफल के

क्र.सं.	नाम रेंज	नाम ग्राम	ग्राम का क्षेत्रफल (हैक्टेयर्स में)
1	2	3	4
1.	नसीराबाद	सनोद	2175
2.	नसीराबाद	लोहरवाड़ा	2316
3.	नसीराबाद	जसवन्तपुरा	774
4.	नसीराबाद	सोखलिया	2009
5.	नसीराबाद	रामसर	4900
6.	नसीराबाद	कल्याणीपुरा	251
7.	नसीराबाद	केसरपुरा	338
8.	नसीराबाद	लक्ष्मीपुरा	255
9.	नसीराबाद	रामपुरा	681
10.	नसीराबाद	डेराठू	5422
11.	नसीराबाद	चाट	777
12.	नसीराबाद	जडवासा	6129
13.	नसीराबाद	भटियानी	5458
14.	नसीराबाद	सोकली	485
15.	नसीराबाद	पीपरोली	845
16.	नसीराबाद	हनुतिया	510
17.	नसीराबाद	गुदलिया	915
18.	सरवाड़	गावरया	875
19.	सरवाड़	बहडा	1289
20.	सरवाड़	अहडा	846

1	2	3	4
21.	सरवाड़	भगवतपुरा	977
22.	सरवाड़	झुमारिया	1708
23.	सरवाड़	केवानिया	1844
24.	सरवाड़	कोटड़ी	388
25.	सरवाड़	बावड़ी	310
26.	सरवाड़	बडला	470
27.	सरवाड़	अरवड़	1684
28.	सरवाड़	शेरगढ़	1735
29.	सरवाड़	गणेशपुरा	410
30.	सरवाड़	केरीया	1230
31.	सरवाड़	गोयला	1526
32.	सरवाड़	जावला	1180
33.	सरवाड़	सराना	1840
		योग	**52683**

परिशिष्ट "ब"

अजमेर जिले के गोडावण संरक्षित क्षेत्रों में गणना के उपरान्त प्राप्त गोडावणों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	गणना का दिनांक	गणनानुसार पाये गये गोडावण की संख्या
1.	3.2.1994	62
2.	16.1.1996	79
3.	5.7.1996	68
4.	13.6.2001	33

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-537 का विवरण)

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4
1.	श्रीमती बिरदूडी पत्नी गोपीराम जाट	25000/-	11.5.2000
2.	श्री कोयली/पत्नी प्रभुराम जाट	25000/-	11.5.2000
3.	श्री रामगोपाल पुत्र डालूराम जाट	25000/-	23.5.2000
4.	श्रीमती नन्दू देवी पत्नी सुरजाराम जाट	25000/-	11.5.2000
5.	श्रीमती मैना कंवर पत्नी करण सिंह राजपूत	25000/-	9.8.2000
6.	श्री छिगन लाल पुत्र लूणाराम कुमावत	6000/-	9.8.2000
7.	श्री गोरधन पुत्र मोतीराम कुमावत	6000/-	9.8.2000
8.	श्रीमती पूसी देवी पत्नी नन्दराम जाट	25000/-	19.9.2000
9.	श्री मोतीराम पुत्र बींजाराम खाती	25000/-	19.9.2000
10.	श्री भाजूराम पुत्र सूजाराम मेघवाल	25000/-	19.9.2000
11.	श्रीमती मीरा देवी पत्नी हनुमान जाट	25000/-	19.9.2000
12.	श्री रामनिवास पुत्र शिवजीराम जाट	3000/-	19.9.2000
13.	श्री भुनानाराम पुत्र मांगूराम जाट	6000/-	19.9.2000
14.	श्री संतोष कंवर पत्नी हरिसिंह राजपूत	25000/-	9.2.2001
15.	श्री अभिलाष सिंह पुत्र गंगाधर जाट	25000/-	22.12.2000
16.	श्री हेमाराम पुत्र भैरूंराम जाट	6000/-	29.11.2000
17.	श्री भंवरलाल पुत्र नारायण राम जाट	1500/-	29.11.2000

1	2	3	4
18.	श्रीमती झमरी देवी पत्नी हरदेव जाट	25000/-	15.5.2001
19.	श्री भंवरलाल पुत्र किशनाराम गुर्जर	1500/-	15.5.2001
20.	श्री पूराराम पुत्र मुन्नाराम जाट	6000/-	15.5.2001
21.	श्रीमती पारा देवी पत्नी नौलाराम जाट	25000/-	15.5.2001
22.	श्री प्रहलाद राम पुत्र लालाराम यादव	6000/-	11.7.2001
23.	गोपाल कंवर पत्नी संग्राम सिंह राजपूत	25000/-	19.11.2001
24.	जिनकू देवी पत्नी कैलाश चन्द जाट	25000/-	19.11.2001
25.	विमला देवी पत्नी दूलाराम जाट	25000/-	19.11.2001
26.	संतोष पत्नी गोपाल बावरी	25000/-	19.11.2001
27.	घीसू देवी पत्नी दुर्गाराम जाट	25000/-	1.3.2002
28.	गजकू देवी पत्नी शिवदान राम जाट	25000/-	1.3.2002
29.	धन्नी देवी पत्नी रेखाराम जाट	25000/-	1.3.2002
30.	बन्नाराम पुत्र गोमाराम मेघवाल	25000/-	1.3.2002
31.	मूलाराम पुत्र पूसाराम जाट	6000/-	1.3.2002
32.	प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह दरोगा	6000/-	1.3.2002
33.	भंवरलाल पुत्र लिखमाराम जाट	1500/-	1.3.2002
34.	लिछमण राम पुत्र चूनाराम कुमावत	3000/-	20.3.2000

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–539 का विवरण)

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कृषक साथी योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	दावेदार का नाम व पता	ग्राम पंचायत का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	मुआवजा राशि (रुपये में)	भुगतान की तारीख	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री नृसिंह पुत्र श्री विजयबहादुर सिंह, धोवड़ा	धोवड़ा	8.6.2000	6000	25.9.2000	
2.	श्री रामदेव बैरवा पुत्र श्री छीतरलाल, भवानीपुरा	भवानीपुरा	31.10.2000	25000	16.10.2001	
3.	श्रीमती सोसरबाई पत्नी नन्दलाल, गोठड़ा	गठड़ा	31.10.2000	25000	16.10.2001	
4.	श्रीमती मोहनी बाई पत्नी श्री नन्दलाल, धोवड़ा	धवड़ा	6.1.2001	25000	16.10.2001	
5.	श्रीमती डाली बाई पत्नी श्री गोमदामाली, ठीकरदा	ठीकरदा	6.1.2001	25000	16.10.2001	

21545
राजस्थान विधान सभा
पुस्तकालय, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्रीमती ममता बाई पत्नी श्री बाबूलाल, धनाव	रामचन्द्रजी खेड़ा	6.1.2001	25000	16.10.2001	
7.	श्री मोतीलाल मीणा पुत्र रामकंवर, रोशन्दा	रोशन्दा	17.4.2001	6000	16.10.2001	
8.	श्रीमती भंवरीबाई पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, बासनी	उमर	13.4.2001	25000	22.3.2002	
9.	श्री लादूलाल पुत्र श्री गोल्या मीणा नेत	धोवड़ा	27.6.2001	4500	22.3.2002	
10.	श्री चौथमल बैरवा पुत्र श्री गेन्दीलाल, खेड़ा	बडानयागांव	27.6.2001	4500	22.3.2002	
11.	श्रीमती कजोड़ी बाई पत्नी गोल्या मीणा	विजयगढ़	1.7.2001	25000	22.3.2002	
12.	श्री नन्दकिशोर कुमावत पुत्र गोपाल लाल	बडानयागांव	25.9.2001	25000	22.3.2002	
13.	श्री नन्दा पुत्र श्री भवाना मीणा, नटावा	विजयगढ़	15.10.2001	25000	22.3.2002	
14.	श्रीमती केसरीबाई पत्नी श्री सम्मूलाल भाट, सथूर	सथूर	11.2.2002	25000	22.3.2002	

1	2	3	4	5	6	7
15.	श्रीमती हरिकंवर पत्नी श्री महिपाल	डाबेटा	27.6.2001	25000	22.3.2002	
16.	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री केमा, संधाड़ी	सहसपुरिया	13.4.2001			निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं
17.	श्री गुड़ला गुर्जर आ. करोड़ी लाल, डेगनिया	सथूर	13.9.2001			जांच करने पर प्रकरण सही नहीं पाया गया
18.	श्री हजारी लाल आ. भैरूलाल, भोजगढ़	खिन्या	4.2.2002			जांच करने पर प्रकरण सही नहीं पाया गया
19.	श्री मथरा बाई पत्नी नन्दराम बैरवा, मागलीकला	बड़ा नया गांव	11.2.2002			जांच करने पर प्रकरण सही नहीं पाया गया